राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का आठवां दिवस [संख्या : 6

सोमवार;

3 मार्च, 2003

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आज जीत का माहौल है। चाहे क्रिकेट की जीत हो, हिमाचल की जीत हो, जीत का माहौल है।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव पारित कर बधाई भेजनी चाहिए क्योंकि भारत क्रिकेट में जीत गया है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : सदन की तरफ से प्रस्ताव पारित किया जाए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इसलिए पूरे सदन को उनको बधाई देनी चाहिए, ऐसा बधाई प्रस्ताव पारित कर भिजवाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : वह भी पाकिस्तान से जीते हैं।

श्री मदन दिलावर : वह भी पाकिस्तान से जीते हैं हम।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : वह भी प्रभावी जीत, इतनी प्रभावी जीत तो आज तक नहीं हुई।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, एक बधाई इनको भी देनी चाहिए हिमाचल की, और वो हम जीत कर आये हैं।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री प्रभुलाल करसोल्या। श्री जसवन्त सिंह गुर्जर।

राजीव पर्यटन मिशन द्वारा पर्यटन विकास हेतु किये गये कार्य

84. **श्री प्रभुलाल करसोल्या** (नैनवां) एवं **श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** (बाड़ी) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित कर पर्यटन गतिविधियों का प्रसार विस्तार करने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो पर्यटन गतिविधियों के प्रसार के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में आबंटित बजट में से पर्यटन विभाग को कितनी राशि दिसम्बर, 2002 तक दी है?

(श्री प्रभुलाल करसोल्या)

(3) राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में राजीव पर्यटन मिशन की कितनी बैठकें रखीं और उसमें पर्यटन विकास के क्या-क्या निर्णय लिये गये?

(4) क्या राशि के अभाव में इस वित्तीय वर्ष में पर्यटन विभाग की कई योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो रही हैं? यदि हां, तो कौन कौनसी?

(5) राजीव पर्यटन मिशन द्वारा इस वर्ष में क्या-क्या पर्यटन विकास के कार्य कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्री शांतिकुमार धारीवाल): (1) इस वर्ष को "पर्यटन वर्ष" घोषित करने की कोई घोषणा राज्य सरकार द्वारा नहीं की गयी, यद्यपि वर्ष 2002-2003 के ब्रजट में पर्यटन को विशेष महत्त्व दिया गया है। इस वर्ष पर्यटन गतिविधियों के प्रसार के लिये उठाये गये कदमों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2002-2003 में पर्यटन विभाग को आबंटित बजट में से 459.99 लाख रुपये दिसम्बर, 2002 तक प्राप्त हुए।

(3) इस वित्तीय वर्ष में राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की बैठक दिनांक 19.12.2002 को आयोजित की गयी। पर्यटन विकास से सम्बन्धित लिये गये निर्णयों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) यद्यपि इस वित्तीय वर्ष में पर्यटन विभाग को मूल बजट प्रावधानों में स्वीकृत सभी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं किन्तु वर्ष 2002-2003 के संशोधित बजट प्रावधानों में की गयी कमी से विभाग की विभिन्न योजनाओं का आकार कम कर दिया गया है।

(5) राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन कोई कार्यकारी एजेंसी नहीं है। इसके द्वारा पर्यटन के विकास हेतु नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं एवं किये गये कार्य की समीक्षा की जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, मंत्रीजी ने जो परिशिष्ट-अ में दुबई अन्तरराष्ट्रीय शापिंग फैस्टिवल जो 16 जनवरी से 15 फरवरी तक हुआ है, का उल्लेख किया उस कार्यक्रम में कितने लोगों ने भाग लिया? क्या यह सही है कि सरकारी पैसे से पर्यटन मंत्री भी इस फैस्टिवल में सम्मिलित हुए? यदि हां, तो पर्यटन मंत्री की मौज-मस्ती और यात्रा का कितना खर्च हुआ?

दूसरा, मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा खण्ड-क में मंत्रीजी ने 2002-2003 में पर्यटन विभाग को 458.99 लाख रुपये आबंटन की बात कही है, उसमें से व्यय कितना हुआ?

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

तीसरा निवेदन है, परिशिष्ट–अ में पर्यटन इकाई हेतु 22 करोड़ रुपये जिसमें 16 प्रोजेक्ट के अनुमोदन की बात कही है, इन प्रोजेक्ट में वास्तविक रूप से व्यय कितना हुआ? क्या यह सही है कि राजीव पर्यटन मिशन की बैठक तत्कालीन पर्यटन मंत्री श्रीमती बीना काक और पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा की उपस्थिति में जयपुर की पांच सितारा होटल में हुई? अगर हां, तो इस पर कितना खर्च हुआ? और भोजन का मीनू क्या था?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमिशन से कहना चाहती हूं कि मौज–मस्ती का शब्द इसमें से निकाल दिया जाए, यह संसदीय नहीं है।

श्री मदन दिलावर : मौज–मस्ती का अर्थ क्या होता है?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : यह असंसदीय शब्द नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह असंसदीय शब्द है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : नो।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : महिला के बारे में इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना असंसदीय है। मैं इसका सख्त विरोध करती हूं और यह चाहती हूं कि इस शब्द को निकाल दिया जाए।

श्री मदन दिलावर : मौज–मस्ती तो सब करते हैं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : महिला हो या पुरुष हो, असंसदीय शब्द है तो निकलेगा, इसमें पुरुष के लिए छूट थोड़े ही है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि दुबई में पर्यटन मंत्री गये, कम से कम मैं तो नहीं गया।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मैंने कहा कि तत्कालीन।

श्री शांति कुमार धारीवाल : ना ही कोई राजस्थान के किसी भी पर्यटन मंत्री ने जो मेरे से पूर्व में भी रह चुके हैं, उन्होंने भाग लिया।

श्रीमती बीना काक (वन, राज्य मंत्री) : नहीं, मैंने लिया था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी असत्य बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी तैयारी करके नहीं आये। (व्यवधान) तत्कालीन पर्यटन मंत्री खुद कह रही हैं उन्होंने भाग लिया था।

श्री मदन दिलावर : यह अवमानना का मामला बनता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तत्कालीन पर्यटन मंत्री खुद कह रही हैं उन्होंने भाग लिया था।

श्री मदन दिलावर : यह सदन की अवमानना है, सदन में असत्य बयान है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : तत्कालीन मंत्रीजी कह रही हैं कि हम वहां गये, वर्तमान मंत्री कह रहे हैं गये ही नहीं।

श्रीमती बीना काक : इस साल का नहीं, पूर्व में...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह विरोधाभास क्यों? इसमें कौनसी बात सत्य है, कौनसी असत्य है, कम से कम यह तो बताइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो राशि बताओ।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, यह प्रिविलेज का मामला है, बहुत गम्भीर मामला है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : क्या इस तरह से असत्य बोलने का अधिकार है?

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह कर रहे हैं, षड्यंत्रपूर्वक गुमराह कर रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने 16 जनवरी का प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष : श्री दिलावर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने इस 16 जनवरी को दुबई में जो मार्ट हुआ। उसके बाबत प्रश्न पूछा है, मेरा अब भी यही कहना है कि कोई भी पर्यटन मंत्री वहां पर इस मेले में शामिल होने नहीं गया।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : दुबई में अन्तरराष्ट्रीय फैस्टिवल की बात कर रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दुबई फैस्टिवल कहें चाहे मार्ट कहें, एक ही हुआ है 16 जनवरी के आसपास।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : हां।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसमें कोई पर्यटन मंत्री नहीं गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कैसे कह रही हैं?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : आप कैसे कह रही हैं कि गयीं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपका जवाब ले लीजिये और जो जवाब दे रहा हूं मैं, वह सुन लीजिये आप।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : आपके सामने कह रही हैं तत्कालीन मंत्रीजी, इसका मतलब वह असत्य बोल रही हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, कह रही होंगी। देख लेना जैसा भी हो। आपने दूसरा सवाल पूछा है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : तत्कालीन पर्यटन मंत्री कह रही हैं मैं गयी थी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पिछले साल की में गयी, इस 16 जनवरी के में नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 16 जनवरी को कह रही हैं वे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस साल वाले में नहीं गयीं, इस साल भी भरा है। (व्यवधान) आपने इस साल का पूछा है, आपने 16 जनवरी का पूछा है। (व्यवधान) 16 जनवरी से फरवरी तक लगने वाला, उसके लिए पूछा है आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, मंत्री महोदय, यह तो आपने उत्तर में दिया है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : मैं पिछले साल वाले में गयी थी। कंफ्यूजन मुझे हुआ, मैंने सुना तत्कालीन मंत्री गये, तो पिछले साल गयी थी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह भी पिछले साल का पूछ रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मैंने सन् तो बताया नहीं है।

श्रीमती बीना काक : तो मैंने क्लीयर कर दिया न, आपको क्यों तकलीफ हो रही है?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मैंने उसमें सन् के बारे में तो कहा ही नहीं, मंत्री महोदया।

श्री मदन दिलावर : तारीख पूछी थी।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मैंने तो केवल यह कहा है कि 16 जनवरी से 15 फरवरी तक जो हुआ, उसकी बात कर रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो क्या आप 20 साल पहले की जनवरी की बात करोगे? आप अगर पूछेंगे तो यह जनवरी निकली है, वह पूछेंगे या आप साल बताइये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : वह साल पूछ रहे हैं जिसमें मंत्रीजी दुबई गये थे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, नहीं, यह नहीं पूछा उन्होंने। उन्होंने कहा है इस 16 जनवरी से...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने कहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, आपने कहा है।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर): "इस" शब्द तो बोला ही नहीं। "इस" शब्द का तो मतलब ही नहीं है। आज 16 जनवरी चल रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जिस ढंग से जवाब दिया, विधायक की जो मंशा थी वह यह थी कि दुबई के सम्मेलन में किसी पर्यटन मंत्री ने भाग लिया? उन्होंने ना कोई साल बताया, ना कुछ उन्होंने वहां जो आयोजन हुआ उसमें भाग लिया। और जवाब देते हुए माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को बिलकुल ना कहा और जाने वाले मंत्री ने अपनी सहमति जताई कि वो गये। मैं सोचता हूं कि विधायक का पूछने का जो मन्तव्य था और जो भावना है उस सवाल का जवाब आप तैयार करके नहीं आएं तो मैं सोचता हूं इस तरह का जवाब देकर आप सदन को गुमराह मत करो। इनका पूछना था कि कोई मंत्री गया। उन्होंने आपको नहीं पूछा?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप कृपया अपने सदस्यों से भी कहें कि वे सवाल पूछने में थोड़ी-सी अक्ल लगाएं। आप मुझे तो कह देंगे कि तैयारी करके नहीं आये, लेकिन आपके सदस्य ने किस तरीके से सवाल पूछा है? क्या वे साल नहीं पूछ सकते थे? जब इन्होंने 16 जनवरी का बता दिया कि 16 जनवरी से लेकर वहां तक, तो उन्होंने साल क्यों नहीं बताया?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : साल इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने किसी साल के बारे में नहीं कहा। रिकार्ड निकलवाकर देख लीजिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने भी साल का जिक्र नहीं किया। मैंने भी यही कहा है कि जो अभी हुई है, उसकी बाबत कहा है। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ही अकलमंद हैं क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप प्रोसीडिंग निकलवाकर देख लें कि माननीय सदस्य ने साल क्या पूछा और उस साल के पीछे उनकी मंशा क्या थी। उन्होंने कहा कि किसी पर्यटन मंत्री ने भाग लिया क्या? यही तो उनकी मंशा थी? आप उसको नकार रहे हैं, और तत्कालीन मंत्री ने कहा कि मैं उसमें गयी। मैं सोचता हूं कि आपके सामने ये दो सवाल जवाब आये, इससे हम सब माननीय सदस्य क्या अर्थ निकालें? एक मंत्री जिसकी बात में सत्यता है उसको नकार रहे हैं और दूसरे मंत्री उसको स्वीकार कर रहे हैं। यह इस सदन की अवहेलना नहीं है क्या? हमारे अधिकारों पर एक तरह से कुठाराघात नहीं है? और उसके बाद भी जोर से बोलकर किसी माननीय सदस्य को इस साल, यह कोई आपका अधिकार नहीं है। उन्होंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए बस इतनी-सी बात है।

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में जितने भी खण्ड हैं उन सारे खण्डों में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप क्या हो? आप क्या +++ हो? (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : आप क्या हो?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : हम प्रश्नकर्त्ता है।

डा. सी.पी. जोशी : ये डिप्टी चीफ व्हिप हैं। (व्यवधान) डिप्टी चीफ व्हिप आफ पार्टी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये जवाब देंगे? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : ये पार्टी के डिप्टी चीफ व्हिप हैं, इनको अधिकार है। (व्यवधान) आप बीच में क्यों बोलते हैं? He is the Dy. Chiefwhip of the ruling party, he has a right to speak.

श्री मदन दिलावर : +++ कुछ शर्म करो। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाह रहा हूं कि उप मुख्य सचेतक महोदय किस अधिकार से जवाब दे रहे हैं? किस हैसियत से ये उत्तर दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा कि मैंने या मेरे पूर्व मंत्री ने कभी हिस्सा नहीं लिया। आपने यह जवाब दिया है। फिर आपने कैसे जवाब दे दिया यह? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : इन्होंने 16 जनवरी का कार्यक्रम पूछा है। जो पूछा है वह रिकार्ड में है। इन्होंने पूछा 16 जनवरी, इस ईयर में। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी ने यह कहा है कि मैंने और मेरे पूर्व मंत्री ने कभी हिस्सा नहीं लिया।

डा. सी. पी. जोशी : बिलकुल, 16 जनवरी के फंक्शन में नहीं गये।

श्री सांवर लाल : 16 को तो ये ही मंत्री थे। (व्यवधान) आपने कैसे जवाब दे दिया 16 तारीख का? आपने कहा कि मैंने और मेरे से पूर्व मंत्री ने हिस्सा नहीं लिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप अपने सदस्य को ज्ञान देते कि किस साल का इनको चाहिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी ने जवाब दिया था कि मैंने और मेरे पूर्व मंत्री ने कभी हिस्सा नहीं लिया, इसका मतलब पिछले साल का हिसाब बताया है। फिर पूर्व मंत्री कहने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? जवाब देना आता नहीं और बात कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने यह पूछ लिया।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल। 2003 में नहीं गये?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने 2003 का जिक्र किया है, साहब।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : 2002 में?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने जो जिक्र किया है वह 2003 का जिक्र किया है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : लेकिन पूछा किसने है यह? (व्यवधान) मैंने तो सीधा सा सवाल किया है जो मेरे पास अब भी मौजूद है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, इनको थोड़ा फटकार लगाओ, नहीं तो गलत सलत ऐसे ही जवाब देंगे। सदन को गुमराह करके समय बरबाद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में 16 जनवरी से 15 फरवरी तक कितने लोगों ने भाग लिया? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हमें आपके संरक्षण की आवश्यकता है। हमारी रक्षा सिर्फ आप ही कर सकते हैं। (व्यवधान) पाइंटेड सवालों का पाइंटेड जवाब नहीं देकर मंत्री महोदय गोलमोल जवाब दे रहे हैं।

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन हिमाचल प्रदेश की कुंठा को बाहर निकालने का प्लेटफार्म नहीं बन सकता। (व्यवधान) आप कुंठित हैं तो अपनी पार्टी में जाकर चिन्तन करिए। कुंठा को यहीं निकालेंगे आप? क्या बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की हड़बड़ाहट स्वाभाविक है, कुछ हालात ही ऐसे आये हैं। लेकिन यह बात कितनी सरल है...(व्यवधान) इतनी सीधी और सरल-सी बात है कि माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया वह भी सही है इस सवाल के जवाब से और जो पूर्व मंत्री महोदया ने कहा वह भी सही है क्योंकि दोनों साल अलग-अलग हैं। ये जानबूझकर इस तथ्य को समझना नहीं चाह रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : आप जानबूझकर उत्तर नहीं देना चाहते। आप उत्तर को घुमा रहे हैं, मेरा सीधा-सा प्रश्न है।

श्री सांवर लाल : उप मुख्य मंत्रीजी, मंत्रीजी का जवाब आपने पढ़ा नहीं। मंत्रीजी ने यह कहा है कि मैंने या मेरे से पूर्व मंत्री ने कभी इसमें भाग नहीं लिया। आप पूछिए इनसे।

डा. (श्रीमती) कमला : इस साल के में। इस साल जो आयोजन हुआ उसमें। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि पुन: मेरा प्रश्न सुन लीजिए। मैंने स्पष्ट कहा है कि परिशिष्ट "अ" में दुबई अन्तरराष्ट्रीय शापिंग फैस्टिवल जो 16 जनवरी से 15 फरवरी तक हुआ, कार्यक्रम में कितने लोगों ने भाग लिया? क्या यह सही है कि सरकारी

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

पैसे से पर्यटन मंत्री इस फैस्टिवल में सम्मिलित हुए? पर्यटन मंत्री ने वहां मौज मस्ती पर कितना खर्च किया? (व्यवधान) इसमें लिखा है, आप देख लीजिए न। आपकी तरह असत्य नहीं बोलते।

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): इन्होंने लिखकर दिया होगा राजेन्द्र राठौड़ साहब ने। आप सन् तो बोलो। (व्यवधान) इनको सन् लिखकर दो। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : यह बताएं तो सही कि मौज-मस्ती का मतलब क्या है? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : आप गलत जवाब क्यों दे रहे हैं? दोनों मंत्रियों की फूट उजागर हो रही है। पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री में झगड़ा है पर्यटन विभाग को लेकर, हम लोगों को क्यों उलझा रहे हो? हमको तो मत उलझाओ, सदन को मत उलझाओ। आपसी टकराव आपस में रखो। सही जवाब दो। आप चाहती हैं कि यह विभाग मेरे पास ही रहे इसलिए दोनों का आपसी टकराव है। उसका खामियाजा सदन क्यों भुगते? सदन के जो सज्जन लोग हैं उनको तो सही जवाब दो।

डा. (श्रीमती) कमला : आप ही सज्जन रह गये, बाकी सब दुर्जन हैं।

श्री अध्यक्ष : 2003 में नहीं गयी होंगी, 2002 में तो गयी हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी सवाल रिपीट किया उसमें भी आपने यही कहा है। 16 जनवरी से 02 फरवरी तक 1 साल नहीं पूछा है आपने कि किस साल में किया है। मैं जवाब दूंगा तो 2003 का ही तो दूंगा। 2003 का ही सोचूंगा जो अभी निकला है. एक बा[illegible] मैं आपसे निवेदन कर दूं, [illegible] आपको दुरुस्त कर लें कि पिछले साल 16 जनवरी से फरवरी के बीच में कोई मेला भरा ही नहीं है वहां पर। वह मेला भरा था मार्च में। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : इतनी गड़बड़ाहट मत मचाओ।

डा. महेश जोशी : अब बोलिए सवाल गलत है या जवाब?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिकली इन्होंने जो तारीख दी है वह अलावा 2003 के दूसरी कोई तारीख है ही नहीं। (व्यवधान) आती ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : आप खुद कह रहे हो कि मार्च में मेला भरा था तो फिर आप मार्च का ही जवाब दो न। अध्यक्ष महोदय, सवाल को उलझा रहे हैं। जब आप खुद ही कह रहे हैं तो दूसरा जवाब देने की कहां जरूरत है? आप खुद ही कह रहे हो। (व्यवधान) तो आप कह रहे हैं, आया नहीं। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : पिछले साल की तारीखें अलग हैं और इस साल की तारीखें अलग हैं। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी मैंने सप्लीमैंटरी पूछे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, मैं जवाब दे रहा हूं उसका। आपने पूछा कि कौन कौन शामिल हुआ। इसमें कमिश्नर टूरिज्म, एडिशनल कमिश्नर टूरिज्म, असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर, कुल मिलाकर चार लोग शामिल हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, करीब करीब चार मिलियन लोग मिडल ईस्ट का मेला देखने के लिए आये। इस पर राज्य सरकार का जो खर्चा बताया गया है...(व्यवधान) इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे...(व्यवधान) करीब करीब दस लाख रुपये राज्य सरकार...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : करीब क्रीब क्या होता है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सुनो तो सही। आप पूछ रहे हो तो जवाब तो सुनो। (व्यवधान) करीब करीब दस लाख रुपये खर्च हुए। आपने जो दूसरा सवाल पूछा...

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : गोलमोल जवाब देने की आदत बन गयी है क्या?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दूसरा सवाल पूछा कि व्यय कितने हुए। प्लान से जो व्यय हुआ वह 2002-2003 में दो करोड़ पच्चीस लाख चौंतीस हजार रुपया प्लान से खर्च हुआ और केन्द्रीय प्रवर्तित योजना का बहत्तर लाख रुपया खर्चा हुआ। और आयोजना भिन्न (गैर आयोजना) में एक करोड़ इकसठ लाख इकसठ हजार। इस प्रकार से कुल पर्यटन विभाग के द्वारा चार करोड़ अट्ठावन लाख निन्यानवे हजार रुपया 2002-2003 में पर्यटन विकास के लिए खर्च किया गया।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : परिशिष्ट-अ में पर्यटन इकाई हेतु बाईस करोड़ से जिन सोलह प्रोजेक्टों के अनुमोदन की बात आपने कही है, इन प्रोजेक्टों पर वास्तविक रूप से व्यय कितना हुआ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने आपको बताया ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह नहीं बताया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : टोटल जो खर्चा बताया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एन्युअल प्लान बताया है। वह तो पूरे साल का प्लान बताया है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : आपने आबंटन की बात कही।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दो पार्ट हैं इसके-ऐतिहासिक स्मारकों और किलों पर रोशनी व्यवस्था के लिए नौ लाख सोलह हजार खर्च हुए और पर्यटन प्रचार-प्रसार एवं विपणन पर एक करोड़ अठहत्तर लाख चालीस हजार रुपये खर्च हुए। तथा पर्यटन स्थल जिसके बारे में आपने पूछा है, दो लाख तिरानवे हजार रुपये खर्च किये गये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : क्या यह सही है कि राजीव गांधी पर्यटन मिशन की बैठक तत्कालीन मंत्री श्रीमती बीना काक जी और विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा की उपस्थिति में जयपुर के एक पांच सितारा होटल में हुई? उसमें कितना खर्चा हुआ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसकी तो मेरे पास एक एक ईवेंट की तो कोई जानकारी है नहीं कि किसने किस वक्त किस होटल पर कितना खर्चा किया। जो सूचना आपने मांगी है मैं आपके पास सूचना भिजवा दूंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू के विकास के सम्बन्ध में साढ़े चार महीने पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में माउंट आबू विकास समिति की बैठक हुई थी और उस समय यह कहा गया था कि एशियन डवलपमैंट बैंक की सहायता से जो आधारभूत ढांचे के विकास की परियोजना चल रही है उसमें माउंट आबू को जोड़ दिया जाएगा और माउंट आबू में रोप-वे की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साढ़े चार महीने हो गये, इन दोनों ही मामलों में माउंट आबू के सम्बन्ध में कोई फैसला नहीं हुआ है। तो सरकार कब तक माउंट आबू में इन दोनों मामलों में निर्णय कर लेगी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, ए.डी.सी. प्रोजेक्ट में छह डिवीजनल हैडक्वार्ट्स के अलावा माउंट आबू भी लिया गया है जैसलमेर भी है, पुष्कर भी है, सवाईमाधोपुर भी है, बूंदी भी है, और उन पर सब पर काम चल रहा है।

श्री संयम लोढ़ा : आपने पुष्कर के बारे में तो फैसला कर दिया और उसको जोड़ दिया, माउंट आबू के बारे में आपने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माउंट आबू के बाबत फैसला हो चुका है। यह ए.डी.बी. प्रोजेक्ट में जुड़ चुका है, इसके प्लांस बन रहे हैं। दूसरा आपने रोप-वे के लिए पूछा तो माउंट आबू, जयपुर और उदयपुर इन तीनों के रोप-वे की स्थापना के लिए कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

महोदय से पूछना चाहता हूं कि 7.11.2002 की बैठक में आपने इसको उद्योग घोषित किया है, मेरे जैसलमेर में चार माह पर्यटन उद्योग चलता है और आठ महीने उनको बिजली और पानी के बिल व्यावसायिक रूप से भरने पड़ते हैं, इसके बारे में आपने क्या निर्णय लिया?

दूसरा, पूर्ववर्ती सरकार ने जो पेइंग गैस्ट स्कीम चालू की थी उसका सांस्कृतिक क्या प्रभाव पड़ा है, इससे आप हमें अवगत कराएं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बिजली और पानी के बाबत जो आपने चिन्ता व्यक्त की है, मैं आपसे सहमत हूं, उसमें विभाग जहां तक सम्भव हो सकेगा, मदद करने का प्रयत्न करेगा।

दूसरा जो पेइंग गैस्ट वाली बात बताई है, कई जगह पेइंग गैस्ट हाउसेज हैं, अभी मैं जैसलमेर में भी गया था, आप भी मेरे साथ थे, वहां पर भी इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तो अभी फिलहाल नये लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और जितने भी पेइंग गैस्ट चल रहे हैं उनकी सबकी इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है कि जो जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी जांच की जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्कालीन मंत्री महोदया जब गोगुन्दा पधारी थी तब वहां पर महाराणा प्रताप राजतिलक स्थली के लिए, महाराणा प्रताप स्टेच्यू के लिए घोषणा भी की थी आपने और उसके बाद रुपये भी देने का किया। पर मैं, माननीय अध्यक्षजी, मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं जब पैसा पास हुआ और उसके बाद मूर्ति भी बनकर तैयार हो गयी, कब तक लगाने की कार्यवाही करेंगे, यह थोड़ा बताने की कृपा करें?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, महाराणा प्रताप की मूर्ति को स्थापित करना और हल्दीघाटी के पर्यटन स्थल को विकसित करने के बाबत राज्य सरकार ने एक योजना बनाकर भारत सरकार को भेजी है। भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री श्री जगमोहनजी भी उसको विजिट करके आये हैं और अभी एक मीटिंग जो मैंने दस जनवरी को उनके साथ की थी, उसमें भी उन्होंने यह वायदा किया था कि हम इस पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता राज्य सरकार को देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–5 में प्रश्नकर्त्ता ने राजीव पर्यटन मिशन द्वारा इस वर्ष में

(श्री केसाराम चौधरी)

क्या क्या पर्यटन विकास के कार्य कराये गये और उन पर प्रत्येक पर कितना कितना खर्चा हुआ, यह सीधा सरल-सा प्रश्न पूछा है। मंत्रीजी उस प्रश्न के जवाब को टाल रहे हैं। कृपया इस प्रश्न संख्या के खण्ड-5 का जवाब विवरण सहित देने का आग्रह कर रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रतिपक्ष के नेता से भी निवेदन किया था कि अपने सदस्यों को प्रश्न क्या है, प्रश्न किस तरीके से बनाया जाता है, इस बाबत ज्ञान दें तो अच्छा रहेगा।

श्री केसाराम चौधरी : मतलब जवाब देने के लिए भी इनको सौंप दिया करो। बहुत स्पष्ट और क्लीयर है। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : पांच का जो माननीय सदस्य ने पूछा है, मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विकास कार्य क्या क्या कराये गये, बता दो। आपने कब बताया?

श्री केसाराम चौधरी : क्या क्या कार्य करवाये गये और उन पर क्या क्या खर्च किया गया, सीधा-सा प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, निर्णय की प्रतिलिपि तो आपने दी है परन्तु विकास कार्य कराये क्या, उन पर कितना खर्चा है, यह कहां बताया आपने?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सवाल यह नहीं है उनका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यही सवाल है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उनका सवाल यह है कि खण्ड-5 में जो बात पूछी गयी है उसका मंत्री जी घुमा-फिराकर जवाब दे रहे हैं। आपने यह कहा है। मैंने अपने जवाब में स्पष्ट तौर पर कहा है कि...

श्री केसाराम चौधरी : यह नहीं है। इस पर कितना खर्च किया?

श्री शांति कुमार धारीवाल : राजीव गांधी पर्यटन विकास निगम कोई कार्यकारी एजेंसी नहीं है, यह सिर्फ पर्यटन विकास के लिए नीतिगत निर्णय लेता है। आपने यह नहीं पूछा कि कौनसा निर्णय लिया गया और उस निर्णय की क्या क्रियान्विति की गयी। यह नहीं पूछा है आपने।

श्री अध्यक्ष : कार्यकारी एजेंसी नहीं है, यही तो उसमें है। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रमजान खान।

तीर्थ नगरी पुष्कर (अजमेर) में यात्री कर का ठेका

85. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रमजान खान)

(1) क्या तीर्थ नगरी पुष्कर (अजमेर) में प्रवेश करने पर नगरपालिका पुष्कर द्वारा यात्री कर वसूल किया जाता है? यदि हां, तो प्रति व्यक्ति कितना और उससे प्रतिवर्ष कितनी आमदनी होती है?

(2) क्या नगरपालिका ने स्थानीय जनता, पुष्कर नगर की पैराफेरी में आने वाले गांव की जनता, पुष्कर नगर में से पास होने वाले यात्री, मजदूरी के लिये नगर में आने वाले श्रमिकों तथा तीर्थ यात्री से कर वसूली के लिये अलग अलग मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या अब नगरपालिका पुष्कर ने बहुमत के आधार पर यात्री कर वसूली के लिये ठेका प्रथा लागू करने का प्रस्ताव पास किया है? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या नगरपालिका, पुष्कर ने यात्री कर वसूली के लिये किसी फर्म को ठेका दे दिया है? यदि हां, तो इससे ठेकेदार को प्रतिदिन कितनी आय हो रही है?

(5) क्या यात्री कर वसूली करने वाला ठेकेदार नगरपालिका के द्वारा कर वसूली के मानदण्डों की पूर्ण पालना करके राशि वसूल कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि तीर्थ नगरी पुष्कर में यात्री कर की वसूली के ठेकेदार के आदमी आने वाले साधु-संतों, तीर्थ यात्रियों, गरीब मजदूरों तथा पैराफेरी गांव की जनता के साथ अभद्र व्यवहार, सख्ती, गाली-गलौच से पेश आकर उन्हें बेइज्जत करते हैं? क्या सरकार उक्त ठेका प्रथा को बन्द करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री तकीउद्दीन अहमद) : (1) जी हां। प्रति व्यक्ति 2/- रुपये यात्री कर लिया जाता है। यात्री कर एवं प्रति गाड़ी से पिछले वर्ष 2001-2002 में 22,39,664/- रुपये की आमदनी हुई है।

(2) जी नहीं। यात्री कर वसूली पुष्कर नगरपालिका यात्री कर नियम, 1961 के तहत की जाती है।

(3) जी हां। प्रस्ताव की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) जी हां। ठेकेदार को प्रतिदिन कितनी आय होती है, यह सूचना नगरपालिका संकलित नहीं करती है।

(5) जी हां।

(6) इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत पर जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर समुचित कार्यवाही की जाएगी। यात्री कर वसूली ठेके से नगरपालिका आय में 100 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है। अत: फिलहाल इसे बन्द करने का विचार नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, खण्ड में जी हां कहा है। ठेकेदार द्वारा नगरपालिका के यात्री कर नियम, 1961 में बने थे उसकी पालना की जा रही है, यह बिलकुल गलत है। ठेकेदार उसकी पालना नहीं कर रहा है। उदाहरण के तौर पर आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे एक वाहन के ऊपर 15 रुपये यात्री कर की वसूली की जाती है, उसमें बैठे पांच आदमी होते हैं तो उनसे दो दो रुपये के हिसाब से यात्री कर नहीं लिया जाता। परन्तु यह ठेकेदार दो दो रुपये के हिसाब से पांच आदमियों के दस रुपये भी लेते हैं और पन्द्रह रुपये वाहन से यात्री कर भी लेते हैं। इस तरह 15 रुपये की जगह 25 रुपये वसूल करते हैं। यह मैंने सिर्फ आपको उदाहरण बताया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, क्या यह सही है कि ठेके से पूर्व जो पालिका कर्मचारी यात्री कर वसूल करते थे, वे अब बेकार बैठे बैठे वेतन ले रहे हैं? यदि हां, तो ठेकेदार से प्राप्त राशि इनके वेतन भत्तों में खर्च नहीं हो रही है, नम्बर एक?

क्या यह सही है कि ख्वाजा की नगरी अजमेर में यात्री कर में अजमेर शहर के आसपास 50 किलोमीटर की परिधि में रहने वाली जनता से यात्री कर वसूली नहीं होती? यदि नहीं, तो क्या पुष्कर नगर के आसपास 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों के निवासियों को भी यात्री कर में माफी की छूट दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या 20 किलोमीटर की परिधि में रहने वाली जनता की प्रामाणिकता वहां के ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा की गयी, तो नगरपालिका पुष्कर मान लेगी?

अध्यक्ष महोदय, पुष्कर के अन्दर शव को दाग देने के लिये जो लोग आते हैं, शव को तो एम्बुलेंस में भेज देते हैं और पचास, साठ, सत्तर आदमी बसों में बैठकर आते हैं, उनसे भी कर वसूली होती है। हिन्दुओं के अन्दर यह मान्यता है कि अन्त समय में अस्थियां अगर पुष्कर सरोवर में विसर्जित हो जाती हैं तो एक तरह से मोक्ष हो जाता है। उस अस्थि विसर्जन के लिये दूर-दूर से जो लोग बसों में बैठकर तीर्थ राज पुष्कर आते हैं उनसे भी यात्री कर लिया जा रहा है। और जो आसपास के गांव के रहने वाले लोग मजदूरी के लिये आ रहे हैं, उनसे भी यात्री कर वसूल किया जा रहा है। पूरे राजस्थान में कहीं भी किसी भी नगरपालिका के अन्दर ठेके से यात्री कर वसूल नहीं हो रहा है। केवल पुष्कर के अन्दर एक धार्मिक नगरी होते हुए भी राजनीतिक द्वेषता के कारण यह प्रस्ताव पारित किया गया। पुष्कर की पवित्रता को ध्यान में रखा नहीं, उसकी मर्यादा को ध्यान में नहीं रखा। केवल राजनीतिक द्वेषता रहनी चाहिये कि वहां का एम.एल.ए. बी.जे.पी. का है, किस तरह चुनाव हारे, यह हारे और बदनाम हो, इससे बढ़कर और कुछ चीज

(श्री रमजान खान)

नहीं हो सकती है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस राजस्थान के अन्दर कोई और भी नगरपालिका है जहां पर ठेके से कर वसूली होती है? ठेके से जो कर वसूल हो रहा है उसका फायदा जो पैसा अधिक मिल रहा है, थोड़ा बहुत 10–20 लाख रुपया मिल रहा है, 20 लाख रुपये प्रति वर्ष, हर महीने नहीं, सिर्फ 20 लाख के लिये पुष्कर की पवित्रता, मर्यादा को भंग करने के लिये नगरपालिका का बोर्ड जो कांग्रेस का बैठा हुआ है, उसने कोशिश की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस ठेका प्रथा को समाप्त कर पुष्कर की मर्यादा बनाये रखें और आसपास के 20 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोगों की कर वसूली में माफी की जाए। वे लोग काम के लिये आते हैं, थाने में आतें हैं, हास्पिटल में वे आते हैं, न्यायपालिका में वे आते हैं, तहसील में आते हैं, मजदूरी के लिये आते हैं, रोज दो-दो, चार-चार रुपये यात्री करके देंगे तो कैसे पार पड़ेगी?

दूसरा, सरपंच की प्रामाणिकता को नगरपालिका मानती नहीं है। अब ग्राम पंचायत के लोगों की प्रामाणिकता तो सरपंच ही करेगा। नगरपालिका को कैसे मालूम कि यह फलां गांव का रहने वाला है, नहीं है? इसलिये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए।

श्री अध्यक्ष : पूछ लिया आपने।

श्री तकीउद्दीन अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य को पहले तो मैं यह बताऊं कि नगरपालिका में बहुमत से यह तय किया गया कि पुष्कर में आने वाले जो पर्यटक हैं, यात्री हैं, उनसे दो रुपये पर पर्सन लिया जाए और गाड़ी के अन्दर जो लोग आते हैं उनसे भी उनके हिसाब से लिया जाए। इसके लिये जिस ठेकेदार को दिया गया है उससे एक एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट की शर्त के मुताबिक ही सारी कार्यवाही होती है।

आपने यह कहा है कि कुछ लोग अस्थि विसर्जन के लिये, शवों को जलाने के लिये वहां आते हैं उनसे भी कर वसूल किया जाता है। मेरे सामने अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि किसी ने यह अपील...(व्यवधान) सुन तो लो। प्लीज लिसन टू मी। मेरे पास कोई शिकायत ऐसी नहीं आई है जिससे मैं यह कह सकूं कि हां, अमुक आदमी की अस्थि विसर्जित करने वाले लोगों से पैसा लिया गया, अमुक आदमी जो अर्थी जलाने के लिये आए थे उनसे पैसा लिया गया। ऐसी शिकायत नगरपालिका में नहीं है...

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : आप कह दो, असत्य है क्या? आप कह दो।

श्री तकीउद्दीन अहमद : प्लीज, मैं उस शिकायत का ही जवाब दे रहा हूं। माननीय

(श्री तकीउद्दीन अहमद)

देवीसिंहजी, सुनने की कोशिश करें। मेरा अर्ज करना यह है कि नगरपालिका ने पुष्कर की स्वच्छता के लिये, पुष्कर के रखरखाव के लिये इस किस्म का कर लगाया था। बहरहाल जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है उसका लिहाज रखते हुए हम इसके ऊपर परामर्श करेंगे, अगर यह सुझाव पुष्कर की जनता के अनुकूल होगा तो राज्य सरकार उसके हिसाब से हिदायत जारी करेगी।

श्री रमजान खान : यह कोई जवाब थोड़े ही हुआ।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाह रहा हूं कि यह मुर्दाघर तो सतयुग में हुआ करता था।

श्री रमजान खान : मैंने यह कहा कि पुष्कर के आसपास 20 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोगों का यात्री कर माफ होना चाहिये जैसे अजमेर के अन्दर कर रखा है। अजमेर में, मंत्री महोदय, आप मुझे बता दें, 50 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले एक भी व्यक्ति से यात्री कर नहीं लिया जाता है तो फिर पुष्कर में क्यों लिया जाता है? मैं यह कह रहा हूं, मंत्री महोदय, 20 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले...

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, धार्मिक नगरी है और इस प्रकार से यात्री कर लगाना नहीं चाहिये गवर्नमेंट को। तत्काल, यह नगरपालिका क्या होती है...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री तकीउद्दीन अहमद : देखिये, ऐसा है कि आपने आज हाउस के अन्दर यह क्वेश्चन रखा है कि...

श्री देवीसिंह भाटी : आपको पता ही नहीं है। ओफ्फो, राज करते हैं ना...

श्री अध्यक्ष : भाटी साहब, बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप?

श्री तकीउद्दीन अहमद : मुझे सिर्फ कोलायत के और किसी चीज का पता नहीं है। सिर्फ कोलायत के बारे में जानता हूं और कुछ नहीं जानता हूं इसलिये मेरा अर्ज करना यह है कि जो सुझाव...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, सीधा प्रश्न है कि दैनन्दिन श्रमिक जो हैं, गांव के लोग हैं और वहां जो शव यात्रा के लिए आते हैं ऊन पर आप खतम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यह है स्पेसिफिक। (व्यवधान)

श्री तकीउद्दीन अहमद : ऐसा है, मैंने जवाब में यह दिया है कि फिलहाल इस कर की माफी का कोई सवाल पैदा नहीं होता है...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : गलत है, यह कर गलत है, माफ होना चाहिए। (व्यवधान) यात्री लोग आते हैं...(व्यवधान) कर वहां के रहने वालों से लोगे क्या? (व्यवधान)

श्री रमजान खान : माफ करोगे कि नहीं करोगे? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : तीर्थ नगरी में जाने का एक तरह का अंकुश लगा रखा है आप लोगों ने, इसको एकदम बन्द कीजिये आप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपकी सरकार धार्मिक स्थानों पर जो जाने वाले लोग हैं, जो शव यात्रा में जाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ है और दैनन्दिन श्रमिक हैं, आसपास गांव के लोग हैं, जो मजदूरी के लिए आते हैं उनके खिलाफ है इसलिए आप उसको खतम करने की घोषणा करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बताएं कि इसमें यात्री की परिभाषा क्या है? यह यात्री कर है ना, एक सैकण्ड, आप समझिये, आप यात्री से कर लेंगे तो यात्री की परिभाषा है क्या? उसको बता दीजिये, सब मामला निपट जाएगा।

श्री तकीउद्दीन अहमद : देखिये ऐसा है, पुष्कर एक ऐसा स्थल है जिसमें बहुत से लोग दर्शन के लिए आते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो यात्री की परिभाषा बता दो ना।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यात्री की परिभाषा बता दीजिये। आप एडवोकेट हो, यात्री की परिभाषा बताएं आप।

श्री तकीउद्दीन अहमद : आप सुनिये तो सही, हैव पेशेंस। यात्री वह आदमी है जो बाहर से पुष्कर के दर्शन के लिए आता हो, पुष्कर की पैराफेरी के सारे लोगों, पुष्करों में रहने वालों, पुष्कर में काम करने वालों से यह कर नहीं लिया जाता है।

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी, जो मेड़ता और नागौर जाते हैं उनसे लिया जाता है। जो भी पैसेंजर वहां से गुजरता है, उससे भी लिया जाता है। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : सरपंच की प्रमाणिकता को समझें। सरपंच जो भी लिखेगा उसको मानेंगे। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सीधा प्रश्न है, आप कर किससे लेते हैं, यह अलग बात है, आप यात्री की परिभाषा कर दीजिये। आपने कहा है कि जो व्यक्ति पुष्कर के अन्दर भगवान के दर्शन करने जाता है वह यात्री है। (व्यवधान)

श्री तकीउद्दीन अहमद : बाहर से जो पर्यटक आते हैं वे भी यात्री हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह फर्क कर रहा हूं, यात्री पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बंशीवाल। शर्माजी, बैठिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह परिभाषा है...(व्यवधान) क्लीयर कराएं न आप।

श्री सांवर लाल : टोल टैक्स जिस जगह से वसूल किया जाता है...(व्यवधान) मेड़ता, जोधपुर सब की सवारियां जाती हैं और हर गाड़ी वालों को तंग किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : सांवर लाल जी, बैठें। बैठें आप।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अजमेर में ख्वाजा साहब के दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां तो माफ है और तीर्थराज पुष्कर में जाते हैं, वह हिन्दुओं का धर्मस्थल है, वहां पर माफ नहीं है, यह भेदभाव क्यों, मुझे आप जवाब दे दें?

श्री तकीउद्दीन अहमद : मेरे ख्याल से आपको मालूम नहीं है, अजमेर में जो भी जायरीन आते हैं, टिकट के ऊपर उनसे पैसा चढ़ाकर लिया जाता है। यही तरीका है वहां भी।

श्री रमजान खान : 50 किलोमीटर की परिधि में नहीं है।

श्री तकीउद्दीन अहमद : यहां पर भी पैराफेरी में नहीं है कहीं भी। यहां पर भी पुष्कर शहर के लिए कुछ नहीं है। यहां भी पुष्कर के अन्दर जो मजदूरी करने के लिए आते हैं उनसे कुछ नहीं लिया जाता है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर में जब दरगाह शरीफ के 50 किलोमीटर के...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो भेदभाव हो गया हिन्दुओं और मुसलमानों के साथ। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यात्री कर नहीं लिया जाता है तो पुष्कर में 50 किलोमीटर में रहने वालों से यात्री कर किस आधार पर लिया जा रहा है? मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि दाह संस्कार में जाने वालों से यात्री कर सरकार ले रही है, क्या आप उसको छूट देने की घोषणा कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रमजान खान जी, आप दस सप्लीमेंटरी पूछ चुके हैं।

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पैराफेरी के ग्राम पंचायतों के सरपंच प्रमाणित करके दे देंगे, उनको आप मान लोगे क्या? सरपंच का मान लोगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने यहां कहा कि पर्यटक जो आते हैं उन पर टैक्स लगाते हो, जो दाह संस्कार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के लिए बाडी को लेकर आते हैं या जो अस्थि विसर्जन करने वाले लोग हैं, क्या आप उनको पर्यटक मानते हैं?

श्री तकीउद्दीन अहमद : नहीं मानते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर आप उनसे कर किस चीज का ले रहे हैं?

श्री तकीउद्दीन अहमद : कहां लेते है? यह आपको किसने कह दिया? हम नहीं लेते हैं किसी से भी।

श्री रमजान खान : आप ले रहे हैं।

श्री तकीउद्दीन अहमद : ऐसा है, पैराफेरी, पुष्कर के आसपास के गांवों के लोग आते हैं उनसे नहीं लेते हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट कराएं, अस्थि विसर्जन करने आते हैं उनसे टैक्स लेते हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय चौहान साहब, बैठिये। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, इसको तो पूरा होने दो। जवाब तो आना चाहिये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मंत्रीजी को ठेका ले लेना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अस्थि विसर्जन करने वालों से टैक्स लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें।

एक माननीय सदस्य : ठेका प्रथा से सारी रोड बन सकती हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सांवर लाल जी, बैठे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जो भी अस्थियां लेकर आते हैं उनको तंग किया जाता है। माननीय एम.एल.ए. साहब से सौतेला व्यवहार...(व्यवधान) इसको गंभीरता से लीजिये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : नगरपालिका क्या राज्य सरकार के ऊपर है? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ठेका प्रथा बन्द कराएं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह राजस्थान में कहां कहां वसूल किया जा रहा है?(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कहीं नहीं वसूल किया जाता है, केवल राजस्थान में वूसल किया जाता है।

श्री रमजान खान : धार्मिक नगरी का मामला है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मामला धार्मिक नगरी का है। (व्यवधान) यह सबसे ऊपर मामला है।

श्री सांवर लाल : डराना-धमकाना चाहते हो क्या आप आने-जाने वालों को?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मामला धार्मिक नगरी का है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री सांवर लाल : कहीं पर यह काम नहीं हुआ। राजस्थान में कहीं भी यात्री कर ठेके से वूसल नहीं किया जाता। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मामला धार्मिक नगरी का है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आने-जाने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं उनसे अभद्र व्यवहार किया जाता है।

श्री हीरासिंह चौहान : यह बहुत गम्भीर सवाल हो रहा है, हाउस में उठाया है, उसके लिए भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हीरासिंह जी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : धार्मिक नगरी का मामला है।

श्री हीरासिंह चौहान : ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र नहीं माना जाता फिर किसका माना जाएगा? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि...(व्यवधान) जो शव लेकर आते हैं उससे कर नहीं लेते हैं, अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं उससे कर नहीं लेते हैं। आप आइंदा नहीं लेंगे कर? अब नहीं लेंगे ना कर उससे?

श्री अध्यक्ष : 45 मिनट हो गये, दो प्रश्न आये हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरपंचों के प्रमाण पत्र माने जाएंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पुष्कर में ठेका प्रथा खतम की जाए। धार्मिक नगरी का मामला है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अनुमति नहीं है, रमजान खान जी, पौन घंटे से चल रही है।

श्री अमराराम (धोद) : अस्थियां विसर्जित करने वालों से टैक्स लिया जा रहा है...(व्यवधान) इससे खतरनाक बात नहीं हो सकती है... (व्यवधान) सरकार विकास करना चाहती है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सरकार नास्तिक क्यों हो रही है? सरकार धर्म विरोधी क्यों हो रही है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अरुण सिंह। अंकित नहीं हो। नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया है। अंकित नहीं हो।

विधान सभा क्षेत्र डीग में कृषि उपज मण्डी द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

86. **श्री अरुण सिंह** (डीग) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डीग में कृषि उपज मण्डी द्वारा वर्ष 2002-2003 में सड़कों के निर्माण हेतु कितनी राशि व्यय की गयी है तथा कितनी सड़कों का निर्माण कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) वर्ष 2002-2003 में कृषि उपज मण्डी द्वारा उक्त क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु कितनी राशि व्यय की गई? यदि नहीं तो क्यों?

(3) वर्ष 2003-2004 में डीग कृषि उपज मण्डी हेतु कितनी राशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री आहूजा, बैठिये।

कृषि विपणन मंत्री (श्री रामकिशन वर्मा (1) विधान सभा क्षेत्र डीग के अन्तर्गत धन अभाव के कारण वर्ष 2002-2003 में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा सड़क निर्माण पर कोई राशि व्यय नहीं की गयी है।

(2) धन अभाव के कारण वर्ष 2002-2003 में कृषि उक्त क्षेत्र में उपज मण्डी समितियों द्वारा सड़कों की मरम्मत पर कोई राशि व्यय नहीं की गयी है।

(3) वर्ष 2003-2004 में कृषि उपज मण्डी समिति, डीग एवं कामां द्वारा सड़क निर्माण एवं मरम्मत हेतु राशि व्यय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री अरुण सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसी राजस्थान में कितनी मण्डियां हैं जो कर्ज में डूबी हुई हैं? आपका विभाग उनको क्या सहायता दे सकता है? क्या पूरे राजस्थान की मण्डियां कर्ज में डूबी हुई हैं? उन मण्डियों की जो रोड्स हैं जिन पर इंसान चलते हैं, उनके लिए आपका विभाग कोई प्रावधान करेगा रोड्स को रिपेयर करने के लिये, या नहीं?

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, ऐसी 42 मण्डियां हैं, इनके पास इनकम नहीं होने के कारण, धनाभाव के कारण नई सड़कें निर्माण कराने का कारण नहीं बन पाता। जहां तक सवाल है छोटी मण्डियों का, बोर्ड से उनको ऋण भी लेना पड़ता है। लेकिन ऋण चुकाने के बाद भी नए कार्य शुरू करने की, बोर्ड उनको धन देने की, ऋण देने की व्यवस्था करता है।

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, चार साल हो गए, एक कंकड़ भी नहीं लगाया गया

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अरुण सिंह)

है इन सड़कों पर डीग क्षेत्र में। क्या यह सौतैला व्यवहार नहीं है पूर्वी राजस्थान के साथ?

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक विधायक महोदय को 120 किलोमीटर की रोड आर.यू.पी. फर्स्ट, आर.यू.पी. सैकण्ड के माध्यम से दी गई है।

श्री अरुण सिंह : वह तो पी.डब्ल्यू.डी. की तरफ से दी गई है।

श्री रामकिशन वर्मा : उनमें भी 50-50 करोड़ रुपए बोर्ड के लगे हुए हैं, बोर्ड ने उनको दिया है। इसमें भी तो हमारा अंशदान है, हमारा योगदान है, इसलिए उनमें जो कार्य हुए हैं वे हमारी तरफ से ही हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह (रामू)।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, उन्होंने कह दिया कि डीग में तो मण्डी कर्ज में है लेकिन हमारे नदबई की मण्डी "बी" क्लास मण्डी है, जिसमें पैसा भी बहुत है लेकिन गवर्नमेंट की रोक के कारण नई सड़कें नहीं बन रही हैं, प्रस्ताव आए हुए हैं। सड़कों के जो प्रस्ताव आए हुए हैं उनको मंत्रिमण्डल से जल्दी से जल्दी मंजूर कराने का कष्ट करेंगे? करेंगे तो कब तक? नहीं करेंगे तो क्यों?

दूसरा, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 120 किलोमीटर सड़कें दी है। भरतपुर में सिर्फ नदबई विधान सभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें 60 किलोमीटर के अलावा, 60 किलोमीटर सड़कें मंजूर दूसरी हुई हैं सैकण्ड फेज की, उसमें अभी भी कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है, वह कार्य कब तक स्टार्ट करवाएंगे?

श्री अरुण सिंह : अभी आए हो कांग्रेस में, अब मिल जाएगी। भाषण मत करो। आप भाषण झाड़ने लग गए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, आपने बताया कि यह मण्डी घाटे में चल रही है इस कारण से सड़क नहीं बनी, मण्डियों के घाटे में चलने का क्या कारण है? डीग, नदबई, नगर, यहां तो अकाल भी नहीं था इन वर्षों में, तो घाटे में क्यों हैं? दूसरा, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को आप सुधारना चाहते हैं तो इन मण्डी समितियों के चुनाव करवाने का आपका इरादा है क्या? इसकी असली जड़ तो यह है। जब आप इनके चुनाव करा देंगे तो स्वत: ही मण्डी लाभ में आ जाएगी। इसलिए चुनाव कराने का इरादा है तो आप बताएं कि कब तक कराने का इरादा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री जसवन्त सिंह।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं, अभी आपने 60-60 किलोमीटर के बारे में सदन में बताया, मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में एम.एल.ए. की डिजायर पर प्राथमिकता पर सड़कों के जो प्रस्ताव बनाए थे, हमने जो प्रस्ताव लिखकर दिए थे उनमें 10 किलोमीटर के लिए कहा तो 8 किलोमीटर सड़कें बना दीं, 15 किलोमीटर के लिए कहा तो 13 किलोमीटर बना दीं तो इसका क्या कारण है? क्या उनको पूरा किया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय, आर.यू.पी. के अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। 10 किलोमीटर की जगह 8 किलोमीटर ही बनी। तो क्या मंत्रीजी उन सड़कों को जिनकी एम.एल.ए. ने अपनी डिजायर दी है, मैं पर्सनली बाड़ी कांस्टीट्यूएंसी के लिए पूछना चाहता था कि जिन सड़कों के 60 किलोमीटर फर्स्ट फेज के लिए और 60 किलोमीटर सैकिण्ड फेज के लिए लिख कर दिया है, क्या उनको पूरा करवाने की मंशा रखते हैं? अगर रखते हैं तो कब तक? अभी तक फर्स्ट फेज का दिया था, वह भी पूरी नहीं हुई। इस बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह अवगत कराएं।

श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर): अध्यक्ष महोदय, बाड़ी के माननीय सदस्य ने जो बताया है, वही स्थिति धौलपुर में भी है। ऐसी दो किलोमीटर की सड़कें छोड़ रखी हैं। उनसे बात करते हैं तो मना कर देते हैं कि हमारे पास इतना ही पैसा था जो समाप्त हो गया। क्लीयर मना कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मण्डी समिति के प्रांगण वाली सड़कें हैं वे भी खराब पड़ी हैं, उनको भी ठीक किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? इन दोनों प्रश्नों के जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ बिलकुल लगती हुई खैरथल मण्डी है, खैरथल की मण्डी ''ए'' क्लास की है। मंत्री महोदय जो कह रहे हैं 50-50 करोड़ रुपए देने की बात, वह तो अब दो साल में हैं, वहां ''ए'' क्लास मण्डी में आया है और वहां कभी अकाल पड़ा नहीं, वहां के पूरे क्षेत्र की जनता, खैरथल की जनता ने जो पैसा दिया, मण्डावर विधान सभा क्षेत्र और खैरथल विधान सभा क्षेत्र में इन दो साल के पहले कितनी सड़कों पर जो पहले मण्डी समितियों द्वारा बनाई हुई हैं, उनकी क्या किलोमीटर की भी मरम्मत करवाई? एक किलोमीटर भी क्या आपने कोई नई सड़क बनाई? इस बारे में आप बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल।

श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा था कि जहां पर कृषि उपज मण्डी घाटे में है, वहां पर तो सड़कों की मरम्मत नहीं कर रहे हैं, जबकि मेरा सोचना है कि उनका जवाब गलत है। हमारे यहां पर गंगापुर सिटी में जो कृषि उपज मण्डी है वह लाभ में चल रही है और बहुत दिनों से लाभ में चल रही है, वहां पर सड़कें अभी तक रिपेयर नहीं हुई हैं। कृषि उपज मण्डी के सचिव ने कई बार आपके विभाग को, डाइरेक्टर को लिख कर दिया है, एस्टीमेट बनाकर भेजा है, वह स्वीकृति आज दिन तक नहीं निकली है। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि या तो आप अपने विभाग वालों से कहें कि जो कृषि उपज मण्डी लाभ में चल रही हैं, उनकी सड़कों की तो मरम्मत करवाएं और आपको पूरी जानकारी दें। क्योंकि यह कहना गलत है कि केवल जो मण्डियां घाटे में चल रही हैं उन्हीं में रिपेयर नहीं हो रही है। मैं कहता हूं कि जहां पर लाभ में चल रही हैं मण्डियां, वहां की भी सड़कों की रिपेयर नहीं हो रही है।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक बात पूछना चाह रही हूं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जवाब रह जाएगा। धौलपुर, बाड़ी में जो सड़कें अधूरी पड़ी हैं, एक भी पूरी नहीं हुई है। सैकण्ड फेज का भी अभी तक चालू नहीं हुआ है कार्य धौलपुर में।

श्री अध्यक्ष : श्री घासीलाल मेघवाल।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन परिक्षेत्र का पूरा माल कोटा जाता है, क्या मंत्री महोदय केशोरायपाटन मण्डी को कोटा का यार्ड बनाने का विचार रखते हैं क्योंकि पूरा माल हमारा कोटा जाता है और टैक्स भी कोटा में ही जाता है? मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि केशोरायपाटन मण्डी को कोटा का यार्ड बनाने का क्या आप विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न डीग की मण्डी के बारे में, आपके बारे में विचार रखते हैं या नहीं, यह अलग से प्रश्न है। श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

श्री घासीलाल मेघवाल : चूंकि केशोरायपाटन का पूरा माल कोटा में जाता है और टैक्स कोटा में ही चला जाता है, केशोरायपाटन में पैसा नहीं होने से कोई विकास नहीं हो रहा है।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने छबड़ा कृषि उपज मण्डी द्वारा बनाई गई सड़कों पर घटिया सामग्री लगाने के बारे में कृषि उपज मण्डी के अधिकारियों और मंत्रीजी को पत्र लिखा था, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब, अमरारामजी, पूछ लीजिए। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सड़कों की मरम्मत के लिए आर.यू.पी. सैकण्ड बनाया गया है, ग्रामीण आबादी क्षेत्र में सड़कों का जो पोशर्न छोड़ा जा रहा है क्या मंत्री महोदय उन ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में सीमेंटेड सड़कें बनाने का आदेश देंगे या नहीं?

(12.00 बजे)

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों के प्रस्ताव रोड बनाने के आये हैं और मण्डी कमेटी से सचिव द्वारा जो प्रस्ताव भेजे गये हैं उन पर कार्यवाही हो रही है, उनकी जल्दी ही स्वीकृति निकल जाएगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में गुमटियों का आबंटन

137. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगरपालिका क्षेत्र प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में अक्टूबर, 1999 से दिसम्बर, 2002 तक कितनी गुमटियों का निर्माण कर आबंटित करने का लक्ष्य था? लक्ष्यानुसार कितनी गुमटियों का आबंटन किया और मौका कब्जा कब दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आबंटित गुमटियों में से किस-किस आबंटी ने अपना स्वरोजगार का कारोबार शुरू नहीं किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त नगरपालिका द्वारा 31अगस्त, 2000 के पश्चात् मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत आने वाले आबंटियों को स्थल आबंटन किया? यदि हां, तो आबंटन की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आबंटियों में से स्वरोजगार का कारोबार शुरू करने के पश्चात् किस किस ने वापस बन्द कर दिया है?

उत्तर

(1) नगरपालिका क्षेत्र प्रतापगढ़ में अक्टूबर, 1999 से दिसम्बर, 2002 तक

(राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन)

300 कियोस्क/कियोस्क भूमि आबंटन का लक्ष्य था। लक्ष्यानुसार 81 पात्रता वाले व्यक्तियों को भूमि का आबंटन किया गया तथा 25 व्यक्तियों को अप्रैल, 2002 में कब्जा दिया गया। पालिका द्वारा 8 कियोस्कों का निर्माण करवाया हुआ है, जिनका आबंटन किया जाना है।

(2) पालिका द्वारा गुमटियों का आबंटन नहीं किया गया है।

(3) पालिका द्वारा 31.8.2000 के पश्चात् मुख्य मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत कियोस्क स्थल आबंटन किये गये हैं। आबंटियों की सूची संलग्न है।

(4) आबंटियों द्वारा अपना कारोबार शुरू ही नहीं किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

बापू बाजार जयपुर में फुटपाथ की मरम्मत

138. श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर निगम द्वारा जयपुर शहर के बापू बाजार में फुटपाथ के चौके कब लगाए गये थे और उक्त पर कितना खर्चा आया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त चौकों की मरम्मत के लिए इस वर्ष में राशि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कितनी?

(3) उक्त चौकों का इतने कम समय में टूटने का क्या कारण रहा है? क्या फुटपाथ पर चौके लगाने से पूर्व तकनीकी विशेषज्ञों से राय ली गई थी? यदि हां, तो उन्होंने क्या राय दी थी और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि स्थानीय व्यापार मण्डल ने इसका विरोध किया था? क्या उक्त पर राज्य सरकार ने कोई विचार किया? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर शहर के बापू बाजार में फुटपाथ पर चौके राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा लगाये गये थे। यह कार्य माह जून, 2000 से सितम्बर, 2000 के दौरान किया गया था। इस कार्य पर मण्डल द्वारा कुल रु. 28.00 लाख खर्च किये गये थे, जिसमें डामर सड़क को हटाकर इस स्थान पर सीमेंट रोड़ी कर मण्डाना पत्थर मय मार्बल पट्टी लगाये जाने के कार्य शामिल हैं।

(2) जी नहीं। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा इस कार्य हेतु कोई राशि आबंटित नहीं की गई है।

(3) राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक निस/शास/नवि/2000/500 दिनांक 28.3.2000 के अनुसार बापू बाजार में वाहनों का प्रवेश निषिद्ध किया जाना था एवं इसे केवल पैदल यात्रियों के लिये ही काम लिया जाना था। तदानुसार निदेशक, अभियांत्रिकी, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित अभियन्ताओं की कमेटी ने दिनांक 16.5.2000 को एक बैठक का

(राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन)

आयोजन कर इस स्थान पर मण्डाना/कोटा पत्थर के चौके लगाये जाने का निर्णय लिया था। तकनीकी रूप से इन पर वाहनों का आवागमन निषिद्ध होना था, लेकिन इन पर वाहनों का आवागमन शुरू होने से चौके टूट रहे हैं।

(4) जी हां। स्थानीय व्यापार मण्डल द्वारा वाहनों का प्रवेश निषेद्ध कर पैदल मार्ग बनाने का विरोध किया था। दिनांक 28.10.2001 को बापू बाजार के भ्रमण के दौरान तत्कालीन माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी द्वारा बापू बाजार में प्रायोगिक तौर पर यातायात खोलने के बारे में लिये गये निर्णय की अनुपालना में दिनांक 1.11.2001 को दुपहिया वाहन तथा साइकिल रिक्शा के लिये बापू बाजार में यातायात खोल दिया गया तथा पूर्व की तरह चार पहिया वाहन तथा आटो रिक्शा इत्यादि का प्रवेश बापू बाजार में प्रतिबंधित रखा गया है।

गोलीमार गार्डन जयपुर के पीछे कालोनियों में निर्माण कार्य

139. **श्री महेन्द्र कुमार मीणा** (सिकराय): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कैलाशपुरी आमेर रोड गोलीमार गार्डन, जयपुर के पीछे स्थित कालोनी में सड़कों/नालियों का निर्माण कार्य कराया गया है? क्या उक्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो अब तक उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा लिये जायेंगे?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी के प्लाट नं. 11 से 14 के आगे भी नालियों का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त मकानों के आगे भी नालियों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में मुख्य सड़क से जोड़ने वाली छोटी सड़कों का निर्माण रोड रोलर के अभाव में कराया जाना सम्भव नहीं है? क्या सरकार उक्त छोटे रास्तों में सीमेन्ट की सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार उक्त कालोनी के प्लाट नं. 12 के पीछे स्थित छोटे रास्ते में भी सीमेंट की सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। अधिकांश मुख्य रास्तों में डामर सड़कों एवं नालियों का निर्माण कार्य पूर्ण करवा दिया गया है।

(2) जी हां। क्योंकि आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्य रास्तों (नालियों को छोड़ते हुए) के निर्माण कार्यों को प्रथम बार में करवाने का प्रस्ताव था।

(3) जी नहीं।

(4) आर्थिक स्थिति ठीक होने के पश्चात् ही सीमेंट की सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में विचार किया जावेगा।

गोलीमार गार्डन जयपुर की कालोनी में सफाई व्यवस्था

140. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कैलाशपुरी, आमेर रोड, गोलीमार गार्डन जयपुर की कालोनी में काफी समय से सफाई नहीं करवाई गई है? क्या उक्त कारण कालोनी में काफी गन्दगी हो गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी की सफाई व्यवस्था करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी की नालियों की भी सफाई कई वर्षों से नहीं हुई है? यदि हां, तो उक्त सफाई कब तक करादी जावेगी?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में सूअरों का काफी आतंक है? यदि हां, तो इन्हें पकड़वाने की क्या व्यवस्था है?

(4) क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) कालोनियों के आवारा सुअरों को पकड़ने के लिए एक पिंजरा वाहन व आठ कर्मचारियों की व्यवस्था की हुई है।

(4) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत म्यूनिसिपल कैटल ट्रैस पास एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है, तथा ग्राम हिंगोनिया में सुअर बाडा विकसित करवाया जा रहा है। उक्त योजना वर्ष 2003 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

नगरपालिका डीडवाना, नागौर में कर्मचारी कालोनी

141. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका मण्डल डीडवाना, जिला नागौर द्वारा नगरपालिका कर्मचारियों के लिये वर्ष 1984 में नगरपालिका कर्मचारी कालोनी काटी गई थी तथा तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ने वहां पर भू-खण्डों का आबंटन कर दिया था?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री जस्साराम गोदारा ने अधिशासी अधिकारी डीडवाना का कार्यभार वर्ष 1984 में ग्रहण करने पर इस कालोनी के भू-खण्डों का आबंटन दुबारा किया था तथा एक भू-खण्ड उसने स्वयं के नाम से तथा दूसरा पड़ोस का भू-खण्ड सुश्री प्रेमलता पुत्री श्री जनकप्रसाद, निवासी नागौर को पात्रता विहीन होने के उपरान्त भी आबंटित किया था?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी का भू-खण्ड संख्या-13 श्रीमती कमला देवी का आबंटित किया गया था? क्या उक्त महिला कर्मचारी के पास पूर्व में नगरपालिका डीडवाना की सीमा में मकान था?

(डा. रतन लाल जाट)

(4) क्या उक्त श्रीमती कमला देवी ने शर्तों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में भू-खण्ड की कीमत भी जमा करवाई थी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। श्री जस्साराम गोदारा के नाम से लाटरी में भू-खण्ड संख्या-8 आबंटित हुआ है तथा श्रीमती प्रेमलता के नाम से पड़ोस में भू-खण्ड लाटरी से आबंटित नहीं किया है।

(3) यह सही है कि प्लाट सं. 13 श्रीमती कमला के नाम से वर्ष 1985 में आबंटित किया गया है। उस समय इसके नाम से अन्य कोई प्लाट नहीं था।

(4) निर्धारित समयावधि में भू-खण्ड की कीमत जमा नहीं करवाई गई।

प्रश्न संख्या-142

(स्थगित)

आवासन मण्डल कोटा के क्षेत्रीय कार्यालय में व्याप्त अनियमितता

143. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय कोटा में अनियमितता किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायतों की जांच करवाई गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। लेकिन स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय कोटा द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त कार्यालय कोटा के वर्ष 2000-2001 के नियमित अंकेक्षण के दौरान एक गबन का प्रकरण प्रकाश में आया एवं सम्बन्धित रोकड़िये से पूछताछ करने पर उसने अगले दिन वृत्त कार्यालय में आत्महत्या कर ली। तत्पश्चात् अंकेक्षण विभाग द्वारा तत्काल रोकड़िये श्री रमेश चन्द शर्मा के वृत्त कार्यालय कोटा में पदस्थापित रहे कार्यकाल की विशेष जांच की गई। उक्त अंकेक्षण की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार गबन हेतु दोषी श्री रमेश चन्द शर्मा, रोकड़िये द्वारा पूर्व में ही आत्महत्या कर ली गई है परन्तु इस गबन के लिए पर्यवेक्षण में लापरवाही के लिये तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी एवं उप आवासन आयुक्त को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी बताया गया है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से दिनांक 18.2.2003 को नियमानुसार प्रारम्भिक तौर पर स्पष्टीकर मांगा गया है जिनकी प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर प्रकरण में विधिवत विभागीय जांच के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रशन संख्या-144

(स्थगित)

निलियम अपना घर योजना विद्याधर नगर जयपुर में निर्मित फ्लेट्स के पास सड़क पर अतिक्रमण

145. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विद्याधर नगर सैक्टर-4 में निलियम अपना घर योजना के अन्तर्गत निर्मित फ्लेट्स के पास सड़क पर ढाबा/मीट की थड़ी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर चलाये जा रहे हैं? यदि हां, तो किन किन के द्वारा उक्त अतिक्रमण किया हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमण के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा उक्त ढाबों व थड़ियों पर शराब पीकर उत्पात मचाया जाता है जिससे उक्त आवासीय योजना में रहने वालों का रहना मुश्किल हो रहा है?

(3) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाकर वहां के निवासियों को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विद्याधर नगर सैक्टर नं. 4 निलियम अपना घर योजना के अन्तर्गत निर्मित फ्लेट्स के पास सड़क पर दो ढाबे एवं 11 थाड़ियां सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर चलायी जा रही हैं। अतिक्रमण करने वालों के नाम निम्नप्रकार है:-

1.	मीट की थड़ी	एक	श्री कल्लू पिता का नाम नामाल्मू
2.	नाई की थड़ी	एक	श्री कैलाश सैन पुत्र श्री रामकिशोर सैन
3.	ढाबा	एक	श्री मानसिंह पुत्र श्री मोहर सिंह
4.	पान की थड़ी	एक	श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह
5.	चाय की थड़ी	एक	श्री सत्यनारायण पटवा पुत्र श्री मदनलाल
6.	पान की थड़ी	एक	श्री सुरेश शर्मा पुत्र श्री पुखराज
7.	ढाबा	एक खुले में	श्री मूलचन्द पटवा पुत्र श्री रामजीलाल
8.	थड़ी	एक बन्द	मालिक सुरेश का भाई
9.	चाय पान की थड़ी	एक	श्री आशुसिंह पुत्र श्री भाटी सिंह
10.	सब्जी की थड़ी	दो	श्री संजय अग्रवाल पुत्र श्री मक्खनलाल
11.	थड़ी	एक पक्चर की	श्री फारूख पुत्र इद्दू खां
12.	जयपुर डेयरी	एक	श्री मुन्ना भाई पुत्र श्री उमराव सिंह

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

(2) विभाग की जानकारी में नहीं है।

(3) अतिक्रमियों को दो-तीन बार मौखिक रूप से हिदायत दी गयी किया गया अतिक्रमण अतिशीघ्र हटवा दिया जावेगा।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विश्वैसरियां नगर जयपुर में आवश्यक सुविधाओं का अभाव

146. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या अपोलो गृह निर्माण समिति द्वारा बसाई गई विश्वैसरिया नगर (गोपालपुरा बाईपास) आवास योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है? यदि हां, तो उक्त कालोनी में कैम्प कब लगा तथा कितने लोगों ने विकास शुल्क आदि जमा करवादी है?

(2) क्या उक्त आवासीय नगर में सरकार द्वारा आवश्यक सुविधा मुहैया करवा दी गयी है? यदि हां, तो क्या-क्या और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार निकट भविष्य में उक्त कालोनी की सड़क, नालियां, सीवरेज, लाइन आदि का कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हा, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त योजना का कैम्प दिनांक 6.7/2/2001 को लगाया गया हैं, तथा उक्त योजना में 161 भूखण्डधारियों द्वारा भू-खण्डों के प्रति देय नियमन राशि जामा करवा दी गई है।

(2) जी हां। उक्त योजना में डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का कार्य कराया जा चुका है तथा डामरीकरण का कार्य शीघ्र कराया जाएगा।

(3) जी हां। प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार शेष कार्य कराया जाएगा।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील रायपुर (पाली) के वन क्षेत्र में अवैध खनन

147. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली को किस-किस तहसील में किस-किस प्रकार के खनिजों की लीज दी हुई है?

(2) क्या यह सही है कि तहसील रायपुर के गांव चक दीपावास या काणूजा में 2-3 खानें वन क्षेत्र में संचालित हो रही हैं? उक्त को अब तक उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद बन्द नहीं करने के क्या कारण हैं?

(श्री हीरा सिंह चौहान)

(3) उक्त वन क्षेत्र में खनन लाइसेंसधारी कौन-कौन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला पाली में प्रधान खनिज चाईना क्ले, लाइमस्टोन, वोलोस्टोनाइट, क्वार्टज, फैल्सपार, जिप्सम, मैग्नेसाइट, माईका, कैल्साइट, सोपस्टोन, सूत पत्थर एवं अप्रधान खनिज लाइम स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, मैसनरी स्टोन एवं रायोलाइट के खनिजों के लीज दी हुई है। तहसीलवार प्रधान खनिज के खनन पट्टों की सूची एनेक्सचर ''अ'' एवं अप्रधान खनिज के खनन पट्टों की सूची एनेक्सचर ''ब'' पर दर्शायी गई है।

(2) तहसीलदार रायपुर के गांव चकंदीपावास व कानुज (निकटग्राम भैरू का बड़िया) में चार खनन पट्टे वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किये हुये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना में चारों खनन पट्टे दिनांक 9.12.2002 को बन्द करा दिये तथा पुनः दिनांक 17.12.2002 को चालू कराये गये। वन विभाग ने उपरोक्त खनन पट्टे वन सीमा में होने की जानकारी दी जिस पर दिनांक 3.1.2003 को राजस्व विभाग एवं खान विभाग की संयुक्त सर्वे करवायी गयी जिससे यह ज्ञात हुआ कि उक्त खानें वन सीमा में आती हैं एवं वन विभाग द्वारा भी उपरोक्त खानें वन क्षेत्र में बताने के कारण दिनांक 25.1.2003 को खनन कार्य बन्द कराने के लिये नोटिस जारी किये गये हैं। दिनांक 26.2.2003 को सहायक खनिज अभियन्ता, सोजत द्वारा निरीक्षण करने पर उक्त खानों में खनन कार्य बन्द पाया गया है।

(3) उक्त क्षेत्र में निम्न व्यक्तियों को खनन पट्टे दिये गये हैं :-

1. सर्वश्री श्री सीमेंट लिमिटेड
   एम.एल.नं. 479/93 मार्बल
2. श्रीमती अनिता शर्मा
   एम.एल.नं. 35/95 लाइम स्टोन
3. मैसर्स वीर प्रभु स्टोन
   एम.एल.नं. 41/95 लाइम स्टोन
4. मैसर्स ओम मिनरल्स
   एम.एल.नं. 4/95 लाइम स्टोन

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

विभिन्न योजनाओं में खानों का आबंटन

148. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

वर्ष 1999 से 2002 तक सरकार द्वारा कौन-कौनसी योजनाओं में खानों का आबंटन किया?

उत्तर

सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत खनन पट्टों का आबंटन नहीं किया जाता है। खनिज विभाग द्वारा खनन पट्टों का

(खनिज मंत्री)

आबंटन जिन नियमों एवं नीतियों के तहत किया जाता है उसकी सूची निम्नप्रकार है:-

1. एम.एम.डी.आर.एक्ट, 1957
2. एम.सी.आर. 1960
3. एम.एम.सी.आर., 1986
4. मार्बल पालिसी, 1994 एवं 2002
5. ग्रेनाइट पालिसी, 1995 एवं 2002

तहसील रायपुर (पाली) में संचालित गैर लाइसेंसी आरा मशीनें

149. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने बिना लाइसेंसधारी लकड़ी काटने की आरा मशीनों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी किये हैं? क्या उक्त आदेश की पालना जिला पाली में भी कराई गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील रायपुर ग्राम के काणूजा तथा बगड़ी में आरा मशीनें वन विभाग के वर्जित क्षेत्र में संचालित हो रही हैं ? यदि हां, तो उक्त को बन्द नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना पाली जिले में कराई जा रही है।

(2) तहसील रायपुर के ग्राम काणूजा में एक आरा मशीन चालू है जो लाइसेंसशुदा है। विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर दर्शाया गया है।

तहसील रायपुर के ग्राम बगड़ी में कोई भी आरा मशीन चालू नहीं है।

परिशिष्ट 'क'

तहसील रायपुर के ग्राम काणूजा में स्वीकृत आरा मशीन का विवरण

नाम आरा मशीन मालिक	स्वीकृत लाइसेंस दिनांक
श्री छोटू राम सुथार पुत्र श्री नाथूलाल सुथार साकिन : काणूजा	26.7.2002

जयपुर क्षेत्र के वन्य जीवन हेतु रैनबसेरा

150. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के पास वन्य जीवों के रैनबसेरा बनाये जाने की एक योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है?

(2) क्या यह भी सही है कि इतनी राशि व्यय किये जाने के पश्चात् भी इसका कोई उपयोग नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(3) क्या सरकार अब उक्त योजना को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

प्रश्न संख्या-151

(स्थगित)

पशुओं के प्राकृतिक गर्भाधान हेतु योजना

152. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या कृत्रिम गर्भाधान की योजना को प्राकृतिक गर्भाधान में परिवर्तित किया जाये तो खर्च कम होता है? यदि हां, तो कितना?

(2) क्या ऐसा किये जाने से ग्रामीण युवकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त होने के साथ-साथ पशुपालकों का शोषण रुक सकता है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

बाड़मेर के पशु चिकित्सकों में रिक्त पद

153. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर में कितने पशु चिकित्सालय हैं?

(2) उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में कुल 55 पशु चिकित्सालय हैं।

(2) उक्त चिकित्सालयों में 2 वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, 17 पशु चिकित्सालय अधिकारी, 6 पशु चिकित्सा सहायक, 41 पशुधन सहायक एवं 54 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को भरे जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पशुधन सहायकों के 500 पद समेकित वेतन के आधार पर भरे जाने की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

दुग्ध संग्रहण केन्द्रों का दुग्ध सहकारी समिति के रूप में पंजीयन

154. श्री सांवर लाल (भिनाय): क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विभिन्न जिलों के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में दुग्ध संकलन हेतु दुग्ध संग्रहण केन्द्र खोले हुए हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या सरकार उक्त केन्द्रों को दुग्ध सहकारी समिति के रूप में पंजीयन कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त कार्यवाही अब कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। आरसीडीएफ से सम्बद्ध विभिन्न 16 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के गठन से ही दुग्ध संकलन हेतु संग्रहण केन्द्र खोले जाते रहे हैं। दुग्ध संकलन केन्द्र खोलना एक सतत् प्रक्रिया है। प्रति वर्ष विभिन्न गांवों में किसानों की मांग, दूध की मात्रा आदि के आधार पर पूरे वर्षभर दुग्ध संकलन/संग्रहण केन्द्र खोले जाते हैं।

(2) जी हां। दुग्ध समितियों को सक्षम इकाई होने पर 90 दिवस में उसके पंजीयन की कार्यवाही सहायक रजिस्ट्रार से करवा कर उसका पंजीयन करवाया जाता है। यह कार्यवाही संघ स्तर पर चलती ही रहती हैं।

(3) उक्त कार्यवाही दुग्ध संघ स्तर पर निरन्तर चलती रहती हैं।

पथ परिवहन निगम में स्थानान्तरित कर्मियों की कार्यमुक्ति

155. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कई अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध 16 सी.सी.ए. के मामले लम्बित हैं? क्या उक्त को फील्ड पोस्टिंग दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री पी.एस. श्रीमाली को 16 सी.सी.ए. का नोटिस मिलने पर भी रोडवेज में, जोधपुर में फील्ड में लगे हुए हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या कई कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्रबन्ध निदेशक द्वारा किये जाने पर भी उनको अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? प्रबन्ध निदेशक के आदेश सं. क/एफ/3/मु./याता./परि./2003/74 दिनांक 15.1.2003 द्वारा स्थानान्तरित कितने कर्मचारियों को कार्य मुक्त नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि निगम के कई अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध 16 सीसीए के मामले लम्बित हैं। कुछ अधिकारी/कर्मचारी जिनके विरुद्ध 16

(यातायात मंत्री)

सी.सी.ए. के मामले विचाराधीन हैं, को अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी के कारण फील्ड पोस्टिंग (आगार प्रबन्धन तथा बस संचालन) पर लगाया गया है।

(2) यह सही है कि श्री पी.एस. श्रीमाली के विरुद्ध 16 सीसीए का नोटिस विचाराधीन है। श्री पी.एस. श्रीमाली जोधपुर में पदस्थापित नहीं है, ये मुख्यालय जयपुर में संयुक्त महाप्रबन्धक के पद पर कार्यरत है, जो एक पर्यवेक्षीय पद है। इनके द्वारा मुख्य प्रबन्धकों के कार्य का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य किया जाता है।

(3) प्रबन्ध निदेशक द्वारा स्थानान्तरण के आदेश जारी करने पर नियंत्रण अधिकारियों के द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है। आदेश दिनांक 15.1.2003 के द्वारा स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों को सम्बन्धित आगारों हेतु कार्यमुक्त किया जा चुका है। सिर्फ एक कर्मचारी का दिनांक 15.1.2003 को किया गया स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से निरस्त किया गया है। फलस्वरूप इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया।

नारदपुरा (जयपुर) तक बसों का संचालन

156. श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बसाई गई आवासीय कालोनी नारदपुरा (आमेर) तक पथ परिवहन निगम की मात्र दो बसें चलने से वहां के नागरिकों को भारी परेशानी है?

(2) क्या सरकार जयपुर से नटाटा-साईवाड़ चलने वाली पथ परिवहन निगम की बसों को जनता की मांग के अनुसार वाया श्याम डूंगरी, हाथीगांव परियोजना/सी.आई.एस.एफ. छावनी, नांगल सुसावतान (तहसील-आमेर) जे.डी.ए. क्वार्ट्स नारदपुरा होते साइवाड़ (तहसील जमवारामगढ़) भानपुर कलां तक चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार श्याम डूंगरी/विवेक बिहार कालोनी, हाथी गांव परियोजना क्षेत्र/नारदपुरा क्वाटर्स/नांगल सुसावतान/जे.डी.ए. क्वार्ट्स नारदपुरा सी.आई.एस.एफ. छावनी आदि क्षेत्र पर निगम बस/मिनी बसों से यातायात सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। निगम द्वारा संचालित दो बसों को उपलब्ध हो रहे यात्रीभार को देखते हुये फिलहाल दो बसों का संचालन ही पर्याप्त है।

(यातायात मंत्री)

(2) जी नहीं। जयपुर से नटाटा मार्ग पर संचालित बसों को प्रस्तावित वायाज (श्याम डूंगरी, हाथीगांव परियोजना, सी.आई.एस.एफ. छावनी, नांगल सुसावतान, जे.डी.ए. क्वार्ट्स नारदपुरा) से होकर संचालित किये जाने से, नटाटा गांव, जिसकी आबादी 8-10 हजार है तथा कुण्डा से नटाटा, नारदपुरा के मध्य स्थित कई छोटी-छोटी ढाणियां निगम बस सेवा से वंचित हो जायेगी।

(3) जी हां। निगम द्वारा बड़ी चौपड़ से नारदपुरा के लिए दो बसें संचालित की जा रही है जो उपलब्ध हो रहे यात्रीभार के अनुरूप पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में बसों की संख्या में वृद्धि किया जाना आर्थिक दृष्टि से निगम हित में नहीं है। जब दो निगम बसों के लिए ही यात्रीभार है तो मिनी बसों को फिलहाल चलाना उचित नहीं रहेगा।

जयपुर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 8 पर यात्रियों हेतु बुकिंग विंडों

157. श्री उदयसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के तीन तरफ आगरा रोड, अजमेर रोड व सीकर रोड पर पथ परिवहन निगम की ओर से टिकट खिड़की की व्यवस्था की हुई है?

(2) क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 8 पर दिल्ली, अलवर, रोहतक, नारनौल, हरिद्वार आदि को जाने वाले यात्रियों को उक्त सुविधा नहीं होने से भारी परेशानी हो रही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा हेतु राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 8 कुण्डा (आमेर) में भी टिकट खिड़की की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 8 पर निगम की ओर से निगम वाहनों में यात्रा हेतु टिकट प्राप्त करने के लिये जयपुर में टिकट खिड़कियों की व्यवस्था लालनिवास व ट्रांसपोर्ट नगर सर्किल पर की हुई है। ऐसी स्थिति में कुण्डा (आमेर) पर यात्रीभार उपलब्धता की सम्भावनाएं अत्यन्त क्षीण है। वैसे कुण्डा से बैठने वाले यात्रियों को परिचालकों के स्तर से भी टिकट जारी किये जाते हैं।

कोटपूतली-पावटा मार्ग पर निगम बस सेवा

158. श्री रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रघुवीर सिंह गौड़)

क्या यह सही है कि प्राइवेट बसों के अनावश्यक व्यवधान से, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कोटपूतली आगार के प्रभारी को कोटपूतली-राजनौता-कराना या कोटपूतली नारेडा-दांतिल पावटा शटल चलाने में बाधा पड़ रही है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो कब तक उक्त मार्गों पर पथ परिवहन निगम की बसें उपलब्ध हो सकेंगी?

उत्तर

कोटपूतली-राजनौता-कराना तथा कोटपूतली-नारेडा-दांतिल-पावटा दोनों ही अराष्ट्रीयकृत मार्ग हैं।

इन मार्गों पर निगम वाहन संचालन की स्थिति निम्नानुसार है:-

1. कोटपूतली-राजनौता-कराना-नारायणपुर

उक्त मार्ग पर वर्तमान में निगम के चार एकल परिचक्र संचालित हैं।

2. कोटपूतली-नारेडा-दांतिल-पावटा

उक्त मार्ग अराष्ट्रीयकृत है एवं इस मार्ग पर निजी बसों का संचालन हो रहा है।

विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में निगम की बसों का संचालन

159. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अलवर से अजरका तक बस संचालित की जाती थी? यदि हां, तो उक्त बस को क्यों बन्द किया?

(2) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कहां कहां बसें संचालित हैं?

(3) क्या उक्त मार्गों पर जब पहले बसें चलती थी को भी बन्द किया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। अलवर-अजरका मार्ग पर पूर्व में निगम बस सेवा का संचालन नहीं किया गया।

(2) मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में निगम द्वारा निम्न मार्गों पर बस सेवाएं संचालित की जा रही है :-

क्र. सं.	मार्ग का नाम	एकल परिचक्र
1	2	3
1.	अलवर-मुण्डावर	2
2.	अलवर-मुण्डावर-मुण्डनवाड़ा	2
3.	जयपुर-हरसौली	2
4.	तिजारा-अजरका	2
5.	तिजारा-सराय	4
6.	तिजारा-बहरोड़ वाया मुण्डावर	3
7.	बहरोड़-खैरथल वाया-मुण्डावर	50

(यातायात मंत्री)

1	2	3
8.	बहरोड़–मुण्डावर वाया–सोडावास	2
9.	खैरथल–निहालपुर वाया–मुण्डावर	2
10.	कोटपूतली–खैरथल वाया–बहरोड़–मुण्डावर	13
11.	ततारपुर चौराया–खैरथल वाया मतोर	2
12.	कोटपूतली–खैरथल वाया ततारपुर चौराया–मातोर	31

(3) जी हां। वर्तमान में मुण्डावर क्षेत्र के अन्तर्गत तिजारा–बहरोड़ वाया मुण्डावर के 3 परिचक्र वाहनों के अभाव में संचालित नहीं किये जा रहे हैं।

प्रतापगढ़/अरनोद हेतु आबंटित राशि का प्रयास संस्था को हस्तान्तरण

160. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि "जवाहर रोजगार योजना तृतीय" प्रतापगढ़/अरनोद हेतु वर्ष 1999-2000 में केन्द्र सरकार ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को तीन करोड़ की राशि आबंटित की थी? यदि हां, तो अभिकरण चित्तौड़ ने किन मानदण्डों एवं किसके निर्णयानुसार प्रयास संस्था को 58.80 लाख की राशि हस्तान्तरित की गई? प्रयास संख्या को हस्तान्तरित अग्रिम राशि का उपयोग किसकी देखरेख में किया गया और किन-किन तकनीकी अधिकारियों को अभिकरण ने कब-कब भौतिक सत्यापन के लिये भेजा? मौके पर निरीक्षण कर अभिकरण को दिये गये प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त तीन करोड़ की राशि में से प्रयास संस्था को अग्रिम दी गई राशि का संस्था से उपयोगिता प्रमाण प्राप्त कर लिया है? यदि हां, तो बाकी राशि 241.15 किस प्रयोजन में किनके निर्णयानुसार व्यय की गई?

उत्तर

(1) दिनांक 30.3.1999 को भारत सरकार ने अरनोद प्रतापगढ़ अभिनव परियोजना रु. 300 लाख की स्वीकृत की थी एवं प्रथम किस्त के रूप में भारत सरकार ने रुपये 80 लाख आबंटित किये गये थे तथा रुपये 20 लाख राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया गया, इस प्रकार कुल 100 लाख रुपये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चित्तौड़गढ़ को आबंटित किये गये।

जिला स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार "प्रयास" संस्था को योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 58.50 लाख अग्रिम दिये गये। "प्रयास" संस्था को अग्रिम हस्तान्तरित राशि का उपयोग जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चित्तौड़गढ़ की देखरेख में किया गया।

अभिकरण के अधिकारियों द्वारा दिनांक

(ग्रामीण विकास मंत्री)

25.10.2002, 26.10.2002, 29.10.2002 तथा 24.12.2002 को प्रयास संस्था द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चित्तौड़गढ़ को प्राप्त रुपये 100 लाख में से 58.80 लाख ही ''प्रयास'' संस्था को अग्रिम दिये गये जिसके विरुद्ध जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चित्तौड़गढ़ को रुपये 23.12 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। शेष राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र ''प्रयास'' संस्था से प्राप्त होने बकाया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को दी गई 100.00 लाख की राशि में से शेष बची 41.20 लाख की राशि के कार्य राजकीय विभाग एवं पंचायती राज के माध्यम से कराये जा रहे हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

डूंगर कालेज बीकानेर द्वारा डिग्री जारी करने में विलम्ब

161. श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्री गोपालराम विश्नोई पुत्र श्री बरसिंगाराम विश्नोई को डूंगर कालेज (आटोनामस) बीकानेर (एफिलिएटेड टू-यूनिवर्सिटी) आफ अजमेर, द्वारा एलएल.बी. तृतीय वर्ष फाइनल में वर्ष 1989 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था, जिसके रोल नं. 3918 थे और उसे इस सम्बन्ध में दिनांक 23.1.2001 को प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया था व इसके यह नोट दर्ज कर दिया गया था कि प्रिंटेड डिग्री/सर्टिफिकेट बाद में जारी किया जायेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर द्वारा अब तक फाइनल डिग्री/सर्टिफिकेट उक्त विद्यार्थी को व अन्य बहुत से ऐसे विद्यार्थियों को जारी नहीं किया है?

(3) क्या उक्त कारण ऐसे व्यक्तियों को कई विभागों में नियुक्ति पाने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है? यदि हां, तो अब कब तक फाइनल डिग्री/सर्टिफिकेट इस विद्यार्थी व अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को जारी कर दिया जायेगा?

(4) क्या उक्त सम्बन्ध में अभी तक देरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाई की जावेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री गोपालराम विश्नोई पुत्र श्री बरसिंगाराम विश्नोई विधि तृतीय वर्ष परीक्षा 1989 अनुक्रमांक 3918 पर छात्र का परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण कर परिणाम रोका गया था। अत: बिना उत्तीर्ण हुए

(ग्रामीण विकास मंत्री)

प्रोविजनल सर्टिफिकेट/उपाधि जारी करना सम्भव नहीं था।

(2) जी हां। स्वायत्तशासी महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा परिणामों के सम्बन्ध में रिकार्ड विश्वविद्यालय को विलम्ब से प्रेषित किये जाने के कारण उत्तीर्ण छात्रों की उपाधियां जारी नहीं हो सकी। विश्वविद्यालय द्वारा उपाधियां तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।

(3) जी नहीं। उत्तीर्ण छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री तैयार होते ही उपलब्ध करवा दी जावेगी।

(4) जी नहीं। उपाधियां तैयार होने में विलम्ब का कारण उक्त महाविद्यालय का वर्ष 1995 से स्वायत्तशासी दर्जा समाप्त होना रहा है, जिसके कारण रिकार्ड प्रेषण में विलम्ब हुआ।

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में वित्तीय अनियमितताएं

162. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पी.जी. आफ सोशियल साइंस राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधि विभाग के प्रो.टी. भट्टाचार्य के संयोजन में एक जांच समिति गठित की हुयी है, जिसकी रिपोर्ट आना शेष है।

(2) जांच समिति की रिपोर्ट आना शेष है।

कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर में जमा राशि

163. श्री अमराराम (धोद): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत तीन वर्षों में कृषि उपज मण्डियों में कितनी आय हुई?

(2) कृषि उपज मण्डियों की आमदनी की कितनी प्रतिशत राशि कृषि विपणन बोर्ड जयपुर में जमा होती है तथा वर्तमान में कृषि विपणन बोर्ड में कितनी राशि जमा है?

(3) गत तीन वर्षों में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा उक्त राशि में से कितनी राशि व्यय की गई?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में कृषि उपज मण्डी समितियों की मण्डी शुल्क से प्राप्त आय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(कृषि विपणन मंत्री)

(2) कृषि उपज मण्डी समितियों से बोर्ड अंशदान के रूप में राशि निम्नानुसार प्राप्त होती है:-

1. 'विशिष्ट ए' श्रेणी की मण्डियों की आय का 30 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में प्राप्त होती है।

2. 'ए' श्रेणी की कृषि उपज मण्डियों की आय का 20 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में प्राप्त होती है।

3. 'बी' श्रेणी की कृषि उपज मण्डियों की आय का 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में प्राप्त होती है।

4. 'सी' एवं 'डी' श्रेणी की मण्डियों से कोई अंशदान प्राप्त नहीं होता है।

गत तीन वर्षों में अंशदान के रूप में बोर्ड में प्राप्त राशि का बिवरण निम्न है:

वर्ष	राशि (करोड़ों में)
1999-2000	29.86
2000-2001	24.05
2001-2002	21.60

प्राप्त अंशदान राशि में से राज्य सरकार की स्वीकृति के अनुसार राशि व्यय की जाती है। वर्तमान में बोर्ड में 28.88 करोड़ रुपये जमा शेष है।

(3) गत तीन वर्षों में बोर्ड द्वारा उक्त राशि में से व्यय की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यय की गयी राशि (करोड़ों में)
1999-2000	39.20
2000-2001	29.38
2001-2002	34.66

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अपूर्ण सड़क निर्माण कार्य

164. **श्री कन्हैया लाल (बस्सी):** क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जिला जयपुर में कुल कितनी लम्बाई की सड़कें कितनी-कितनी राशि व्यय करके बनाई? वर्ष 1999 से दिसम्बर, 2000 तक विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में उक्त अवधि में कितनी-कितनी राशि की कौन कौनसी सड़कें बनाई गई? क्या उक्त सड़कें पूर्ण कर दी गई हैं? यदि नहीं, तो शेष सड़कें कब तक पूर्ण करा दी जायेंगी?

(3) उक्त अवधि में कृषि विपणन बोर्ड को विधान सभा क्षेत्र बस्सी के क्षेत्रीय विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा सड़क निर्माण के कौन-कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुए? प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री कन्हैया लाल)

(4) क्या उक्त सभी प्राप्त प्रस्तावों के अनुरूप सड़क निर्माण करवा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और शेष प्रस्तावित सड़कों को कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जिला जयपुर में वर्ष 1999 से दिसम्बर, 2002 तक विधान सभा क्षेत्रवार बनाई सड़कों की लम्बाई व किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 1999 से दिसम्बर 2002 तक कुल सड़कें 35.12 कि.मी. बनवायी गयी, 10 सड़कें पूर्ण हो गयी है तथा 12 सड़कों का कार्य प्रगति पर है। सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है, जिसमें निर्माणाधीन सड़कें कब पूर्ण कर दी जावेगी, की सम्भावित तिथि दी गयी है।

(3) उक्त अवधि में क्षेत्रीय विधायक एवं जन प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव परिशिष्ट 'स–1' से 'स–10' पर संलग्न है।

(4) चूंकि उक्त समस्त प्रस्ताव विशेष कोष से प्रस्तावित थे और विशेष कोष में बचत प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त सड़कों की स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं था। आगामी वर्षों में मण्डी समिति की बचत के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र दीगोद में विधायक अनुशंसा के तहत निर्मित सड़कें

165. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला कोटा में कृषि विपणन समिति द्वारा कौन–कौन सी सड़कों पर डामरीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया है? किलोमीटर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र दीगोद में कितने किलोमीटर की कौन–कौनसी सड़कों का डामरीकरण कार्य स्वीकार किया गया है?

(3) मण्डी समिति द्वारा डामरीकरण हेतु स्वीकृत सड़क कार्य में स्थानीय विधायक द्वारा अनुशंसा की कितनी किलोमीटर कौन–कौनसी सड़क का कार्य लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला कोटा में कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा 48 सड़कों की 119.40 कि.मी. लम्बाई हेतु डामरीकरण (विशेष मरम्मत) कार्य के लिए

(कृषि विपणन मंत्री)

स्वीकृति प्रदान की गई है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र दीगोद में सड़कों का डामरीकरण कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है, परन्तु सड़क उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण योजना (आर.यू.पी. प्रथम चरण) में 11 सड़कें 40.00 कि.मी. लम्बाई की डामरीकरण के कार्यों की स्वीकृति राज्य सरकार से कृषि विपणन बोर्ड को प्राप्त हुई है, जिनका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर है।

(3) डामरीकरण हेतु स्थानीय विधायक की कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई तथा मण्डी समिति कोटा द्वारा पूर्व निर्मित सड़कों की प्राथमिकता को आधार मानकर भेजे गये प्रस्तावों पर राज्य सरकार राज्य डामरीकरण (विशेष मरम्मत) की स्वीकृति जारी की गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल द्वारा अपूर्ण सड़क निर्माण

166. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी खैरथल ने जोणायचाखुर्द से सिरयानी सड़क का निर्माण अपूर्ण छोड़ दिया था?

(2) उक्त अपूर्ण निर्माण (मिसिंग लिंक) कार्य को मण्डी कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह कार्य विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत था। भूमि अवाप्ति नहीं होने के कारण तथा बाद में विश्व बैंक परियोजना की योजना समाप्त हो जाने एवं समय अवधि समाप्त हो जाने के कारण यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

(2) मण्डी समिति खैरथल के मुख्य मण्डी यार्ड के परियोजना सम्बन्धी कार्य पूर्ण होने तक मण्डी समिति द्वारा सम्पर्क सड़क निर्माण कराया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के ग्राम लोधपुरियाजी स्थित राजीव गांधी पाठशाला के पैराटीचर को हटाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से आयुर्वेद विभाग द्वारा आयुर्वेद चिकित्सक के साथ की जा रही कथित ज्यादती के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

1. श्री रतन लाल जाट एवं 3 अन्य

(श्री अध्यक्ष)

सदस्यों की ओर से राज्य के सहकारी क्षेत्र की तीनों स्पिनिंग मिलों के बन्द होने की सम्भावना के सम्बन्ध में।

उक्त स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है, अत: इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी। बोलिए।

(12.01 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल लिमिटेड, स्पिन फैड की राजस्थान में तीन इकाइयां हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में गंगापुर मिल, हनुमानगढ़ मिल और गुलाबपुरा मिल, इन तीनों मिलों के बारे में 92 में एक स्पिन फैड बनाया गया था। उस स्पिन फैडरेशन के बनाने के बाद खास तौर से गंगापुर मिल जो 1988 से 1994-95 तक भारत में लाभ की प्रथम इकाई मानी जाती रही है, आज दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि स्पिन फैड के बनने के बाद आज ये सभी तीनों मिलें घाटे की स्थिति में चल रही हैं। घाटे की स्थिति यह है कि गुलाबपुरा स्पिनिंग मिल आज 18 करोड़ के घाटे में चल रही है। गंगापुर मिल जो देश में प्रथम स्थान लगभग 8-10 साल तक प्राप्त करती रही (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय...

श्री धर्मपाल चौधरी : दो मिनट का समय दिया और एक आदमी अपनी जगह पर नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

डा. रतन लाल जाट : मुझे दो मिनट का समय मिला था, मैं अपनी बात...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सदन में व्यवस्था बनाये रखें। (व्यवधान) वो भी सदस्य हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : वन मंत्री को देखो, कैसे लग रही हैं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, थोड़ी व्यवस्था बनाये रखें।

श्री धर्मपाल चौधरी : इनको देखो, जब तो कह रही थीं सैर-सपाटा क्या होता है, अभी भी देखो, आपके कहने के बाद भी। (व्यवधान)

डा. रतन लाल जाट : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था, माननीय सहकारिता मंत्रीजी, विराजमान हैं, राजस्थान स्पिन फैड की तीन इकाइयां हैं- गंगापुर, गुलाबपुरा और हनुमानगढ़।

श्री धर्मपाल चौधरी : ये उप मुख्य मंत्रीजी क्या कर रहे हैं, इनकी स्थिति देखो। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन की व्यवस्था का मंत्रियों पर कोई असर नहीं है।

डा. रतन लाल जाट : माननीय सभापति महोदय, हाउस को तो आर्डर में लाएं।

श्री धर्मपाल चौधरी : ये उप मुख्य मंत्रीजी क्या कर रहे हैं?

डा. रतन लाल जाट : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था राजस्थान में स्पिन फैड बनने के बाद इसकी तीन इकाइयां गंगापुर स्पिनिंग मिल, गुलाबपुरा और हनुमानगढ़, इन तीनों मिलों में लगातार घाटे की स्थिति पैदा होती जा रही है। वर्तमान में घाटे की स्थिति में गुलाबपुरा 18 करोड़ के नुकसान में चल रही है, गंगापुर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल 5 करोड़ के नुकसान में चल रही है और हनुमानगढ़ दो करोड़ के नुकसान में चल रही है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत गंगापुर मिल के बारे में निवेदन कर रहा था। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, यहीं डिजायरें दे रहे हैं, यही स्थानान्तरण करवा रहे हैं। हमारी बात तो सुनें। इस हाउस को तो आर्डर में लाएं। हमें केवल दो मिनट का समय दिया और इसमें भी हाउस गम्भीर नहीं है। (व्यवधान) मैं तो बोलूंगा बराबर जब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, गंगापुर मिल जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में 1988 से 1994-95 तक भारतवर्ष में इस प्रकार की इकाइयों में प्रथम स्थान प्राप्त करती रही है...

श्री धर्मपाल चौधरी : सदन गम्भीर नहीं है। इतनी बार आपके कहने के बाद भी क्या हो रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने आर्डर कर दिया...

श्री सभापति : सदन बहुत गम्भीर है।

श्री धर्मपाल चौधरी : कहां गम्भीर है।

श्री सभापति : सदन बहुत गम्भीर है, बहुत गम्भीर है, आप बिराजिए।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपके कहने के बाद भी एक माननीय सदस्य चुप नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, सदन कितना गम्भीर है, माननीय मंत्री महोदया अफसर के साथ गैलरी में बतिया रही हैं। (व्यवधान) हाउस की कोई गरिमा ही नहीं है।

श्री सभापति : बिराजिए। सदन की गम्भीरता में बाधा मत पहुंचाइए। सदन बहुत गम्भीर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन की व्यवस्था तो मानी नहीं जा रही है और सदन गम्भीर है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आसन की व्यवस्था तो कोई मान नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो मानें। और नहीं मानें, आप तो मानें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं तो मान लेती हूं।

श्री सभापति : बस, ठीक है।

डा. रतन लाल जाट : माननीय सभापति महोदय, मैं स्पिन फैड की तीनों इकाइयों के बारे में आपसे निवेदन कर रहा था, पिछले कुछ वर्षों से लगातार घाटे की स्थिति में ये चल रही हैं। इन परिस्थितियों को मद्दे-नजर रखते हुए तत्कालीन सहकारिता मंत्री आदरणीय खेतसिंहजी ने अपने सहकारिता न्यायालय के निर्णय दिनांक 2.5.2000 को अपने फैसले में स्पिन फैड को समाप्त करके इन तीनों स्पिन फैड की इकाइयों को स्वतंत्र चार्ज देकर वहां के अधिकारियों को मौके पर ही निर्णय करने के अधिकार दिये हैं। यह फैसला सहकारिता न्यायालय के माध्यम से किया गया है। इस फैसले की क्रियान्विति हो, इस हेतु माननीय मंत्री महोदय ने स्पिन फैड की इन तीनों इकाइयों का दौरा किया। दौरा करने के बाद 2 जून, 2002 को उन्होंने अपने चैम्बर में एक विभागीय बैठक ली, उस विभागीय बैठक में उन्होंने स्पिन फैड की इन तीनों इकाइयों के जी.एमस. हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार प्रदान करने की बात की। उसका एक पत्र उन्होंने सैक्रेटरी के माध्यम से सभी चेयरमैन व सी.एम.डी. को लिखा। वह पत्र 8.10.2002 को लिखा, उसमें छठे बिन्दु में बताया है "Regarding delegation and decentralisation, no compliance has been submitted." इसकी किसी प्रकार से कोई पालना नहीं की। जब-जब भी इन जी.एमस्. को तीनों मिलों में स्वतंत्र चार्ज देने का उन्होंने निर्णय लिया तब ये मिलें घाटे से उबर कर थोड़े समय के लिए फायदे में आ गई थीं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मैं कहूंगा विडम्बना ही है, कि राज्य सरकार का 2.5.2002 को जो निर्णय था जिसमें स्पिन फैड को समाप्त करने की बात कही थी, उस निर्णय को लागू करने की बात के विपरीत, राज्य सरकार के निर्णय के विरुद्ध अधीनस्थ संस्थान को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने न्यायालय में रिट याचिका पेश करके वहां से स्थगन आदेश ले लिया। जिस आदेश को सरकार लागू करके इन मिलों को घाटे से उबारना चाहती थी, उस निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करके वहां से स्टे प्राप्त कर लिया गया। एक दुर्भाग्य की स्थिति है। इन मिलों में जो धागा बनता है और उसमें भी खास तौर से रिवर्स ट्विस्ट वाला, यानी 2:40 के काउंट वाला धागा, कुछ धागे ऐसे हैं जिनमें फायदा होता है और कुछ धागे ऐसे बनते हैं जिनमें नुकसान होता है। उन्होंने एक व्यक्तिगत आदमी को फायदा देने के लिए, खास तौर से दिल्ली की एक सुमन एजेंसी को फायदा देने के लिए 2:40 काउंट वाला धागा है उसका सर्वाधिक निर्माण कराया और बराबर करोड़ों रुपये घाटे में रहे। राजस्थान पत्रिका में 30 अक्टूबर, 2002 को जब इस प्रकार से सुमन एजेंसी के साथ किये गये घाटे की बात, जिसमें मिल को

(डा. रतन लाल जाट)

निरन्तर नुकसान हो रहा था, छपी, उसके बाद जो सौदा इस कम्पनी के साथ आगे आठ महीनों के लिए किया गया था, उसको तीन महीने के बाद ही निरस्त कर दिया गया।

यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, इस मिल में लगातार कई ऐसे काम किये जा रहे हैं जिनकी वजह से यह मिल बराबर घाटे की स्थिति में चली जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है, खास तौर से गंगानगर कोआपरेटिव स्पिन मिल के बारे में, कि 1994-95 में इस मिल में उस समय के प्रबन्धन ने दो करोड़ 25 लाख रुपये की एक गोम्बर मशीन जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उस मशीन को खरीदा गया है। माननीय मंत्री महोदय ने भी उस मिल में जाकर देखा होगा। 2 करोड़ 25 लाख रुपये की वह गोम्बर मशीन खरीद कर 1994-95 से आज दिन तक उस मिल में पड़ी हुई है और उसका किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसकी वर्किंग कैपिटल का भी कम से कम 5.5 करोड़ रुपये का उसमें नुकसान हो चुका है।

मेरा दूसरा निवेदन है, सभापति महोदय, इस स्पिन फैड की जो गुलाबपुरा यूनिट है उस गुलाबपुरा यूनिट में गंगापुर मिल से 1996-97 में तीन करोड़ 12 लाख रुपये साढ़े 17 परसेंट ब्याज की दर से उधार दिये गये थे, जिनका आज दिन तक न ब्याज मिला है, न किसी तरह के इस मिल को मूल की प्राप्ति हुई है। साथ ही साथ, एन.सी.डी.सी. से 4 लाख रुपये प्रति माह का जो ऋण स्वीकृत होना था वह भी स्वीकृत हो चुका था 4 करोड़ 82 लाख का, उस 4 करोड़ 82 लाख रुपये के ऋण में से केवल मात्र एक करोड़ रुपया ही दिया गया है। मेरा निवेदन है कि जब तक इस मिल को उसकी वर्किंग कैपिटल बराबर नहीं मिलेगी तब तक यह मिल फायदे में नहीं हो सकती। सी.एम.डी. ने राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना करके, और इस प्रकार से व्यक्तिगत फायदा देने के काम उन्होंने किये, राज्य सरकार के निर्णय के विरुद्ध उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की है, यह जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से जांच करवाई जाए और इन तीनों मिलों की आर्थिक स्थिति सुधारी जाए ताकि इस मिल में कार्यरत लगभग तीन हजार परिवार जो रोजी-रोटी के लिए इस पर निर्भर हैं, उनको आगे जाकर फायदा मिल सके। धन्यवाद।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री सभापति : (1) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जालौर के कस्बा माण्डवला की जर्जर टंकी को गिराने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की

(श्री सभापति)

ओर राज्य में अल्पसंख्यकों द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रमों का उपहास कर उनका कथित बहिष्कार करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से ग्राम सुल्ताना में 8 वर्ष पूर्व बनाये गये बस अड्डे को चालू करवाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के एक भी विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री सांवर लाल, सदस्य की ओर निर्वाचन क्षेत्र भिनाय में कतिपय सड़कों के नहीं बनने के कारण जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(6) श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय, तारानगर चूरू को नये भवन में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रमेश खींची, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम को क्रियान्वित कर ग्रामीण जनता को लाभान्वित करने के सम्बन्ध में।

(8) डा. करण सिंह यादव, सदस्य की ओर से सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र बहरोड़ को 100 बिस्तरों के अस्पताल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली के मीठड़ी बांध का पानी एक वर्ष सिंचाई हेतु व एक वर्ष नदी में छोड़ने के सम्बन्ध में।

(10) श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों के भवन जर्जर होने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा की गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय श्री गणेशीराम।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जालौर के कस्बा माण्डवला की जर्जर टंकी

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जालौर के कस्बा माण्डवला की जर्जर टंकी को गिराने के क्रम में निवेदन है कि कई वर्षों से माण्डवला ग्राम की पुरानी टंकी जर्जर है तथा उसका कोई उपयोग नहीं है। यह टंकी आम रास्ते पर एक मठ के पास आई हुई है। आम रास्ते पर आने से टूट कर गिरने की सम्भावना हमेशा बनी रहती है। इस सम्बन्ध में कई बार टंकी गिराने हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से निवेदन भी किया जा चुका है। कस्बों में पानी सप्लाई हेतु नई टंकी बनी

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

हुई है तथा उसी से गांव में पेयजल की सप्लाई की जाती है। पुरानी टंकी का इस समय कोई उपयोग नहीं है।

मेरा उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से श्रीमान् जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जालौर के कस्बा माण्डवला की जर्जर टंकी जो बिल्कुल नाकाबिल है, टूट-फूट गई है, इसे शीघ्र जांच करवाकर गिराने की कार्यवाही करावें ताकि भविष्य में होने वाले बड़े हादसे से बचा जा सके एवं टूटने पर गिरने से जन हानि से भी बचा जा सके।

श्री सभापति : माननीय मदन दिलावर।

अल्पसंख्यकों द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रमों की उपेक्षा

श्री मदन दिलावर (अटरू) : महोदय, राजस्थान एक गरीब प्रदेशों की श्रेणी में आता है तथा यहां अक्सर अकाल की छाया पड़ती ही रहती है। विकास निरन्तर होने के बाद भी विकास छोटा पड़ जाता है क्योंकि लगातार जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। परन्तु यह सरकार करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के खर्च करने के बाद भी अल्पसंख्यकों को बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने हेतु नहीं समझा पायी है। हिन्दू और मुस्लिम एक ही भारत मां के लाल हैं अत: जनसंख्या नियंत्रण भी सामूहिक जिम्मेदारी है, परन्तु यह राज्य सरकार अल्पसंख्यकों को जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करने पर भी प्रोत्साहन देकर उनके बी.पी.एल. कार्ड बनाकर नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध करा रही है, नि:शुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा रही है, अन्त्योदय अन्न योजना व पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन देकर जनसंख्या बढ़ाने के लिए उकसा रही है। जबकि राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को नहीं अपना कर, उसका उपहास कर अनाप-शनाप बच्चे पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं से वंचित करना चाहिए था। सरकार ने मेरे द्वारा बजट सत्र 2002 में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2282 के प्रत्युत्तर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह बताया कि चेतना का अभाव, गरीबी, मजहबी भावना व संख्या बल सीमित न करने की सोच के कारण ये निरन्तर जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और +++ यह सरकार मुस्लिमों के आगे नत मस्तक होकर उपरोक्त कारणों के कारण जनसंख्या बढ़वाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित कर उनको सम्मानित कर रही है।

यदि सरकारी आंकड़े उठाकर देखते हैं तो अप्रैल, 1991 से 31 दिसम्बर, 2001 तक राज्य में परिवार कल्याण विभाग द्वारा कुल 6 लाख 30 हजार नसबन्दी आपरेशन किये गये हैं, उसमें मुस्लिम समाज के स्त्री पुरुषों द्वारा मात्र 28 हजार 260 आपरेशन करवाये गये हैं। यदि इनका प्रतिशत आंकड़ा निकालें तो हिन्दुओं की तुलना में मात्र 4.58

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

प्रतिशत ही आपरेशन करवाये गये हैं। यदि हम बूंदी, झालावाड़, जैसलमेर, बाड़मेर व जालौर जिलों का उल्लेख करें तो जहां हिन्दुओं में उक्त समय में बूंदी में कुल आपरेशन 11534 हुए, मुस्लिमों में 591, इसी प्रकार झालावाड़ में 15483 आपरेशन हुए इसमें मुस्लिमों में 866, जैसलमेर में 4119 में से 285 बाड़मेर में 10463 में से मुस्लिमों में 185, जालौर में 14598 में से मुस्लिमों में 590 नसबन्दी आपरेशन हुए। यदि हम इसका प्रतिशत निकालें, तो बूंदी में 0.051, झालावाड़ में 0.055, जैसलमेर 0.061, बाड़मेर 0.017 तथा जालौर में 0.013 प्रतिशत रहा। इससे साफ जाहिर है कि राजस्थान का मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रीय मुख्यधारा में न होकर इस जनसंख्या के बल पर राज्य को अस्थिर करने का षड्यंत्र कर रहा है। यदि हम देखें तो उपरोक्त जिलों में काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। 2001 की जनसंख्या का अवलोकन करें तो हिन्दुस्तान में लगभग 24 करोड़ मुस्लिम निवास करते हैं तथा इसी अनुपात में राजस्थान में भी मुस्लिम निवास कर रहे हैं इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि राजस्थान में लगभग एक करोड़ मुस्लिम समाज की संख्या है। उसके हिसाब से कम से कम 20 प्रतिशत नसबन्दी आपरेशन पूरे नहीं हुए हैं।

जिनके मन में खोट हो इस राज्य को अस्थिर करने का, नुकसान पहुंचाने का, जनसंख्या के आधार पर सत्ता हथियाने का मूर्खतापूर्ण भूत सवाल हो ऐसे लोगों के बारे में सरकार द्वारा नसबन्दी आपरेशन कराने में दबाव नहीं बनाना मूर्खतापूर्ण कृत्य है। यदि जनसंख्या इसी प्रकार से बढ़ती रही तो एक दिन मुसलमान हिन्दुओं को निश्चित रूप से गुलाम बनाकर राज करने में सक्षम हो सकते हैं। या तो हिन्दुओं को भी मनमाने ढंग से बच्चे पैदा करने की छूट दे दी जाए या फिर मुसलमानों में भी सख्ती से रोक लगी चाहिए। मेरे कथन का लोग चाहे उपहास करें, लेकिन यह तार्किक सत्य है कि योजनाबद्ध तरीके से विदेशी ताकतें इन मुस्लिमों द्वारा निरन्तर जनसंख्या बढ़ाकर राज्य को हड़पने का प्रयास कर रही हैं। मुस्लिमों को नसबन्दी हेतु मजबूर करने के लिए न्यायसंगत कई रास्ते हैं, जैसे कि अधिक बच्चे पैदा करने वाले का राशन कार्ड नहीं बनाना, बी.पी.एल. परिवार में चयन नहीं करना, सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में शिक्षण शुल्क पच्चीस गुना करना, हथियारों का लाइसेंस नहीं देना, किसी भी कीमत पर भूखण्ड उपलब्ध नहीं करवाना, किसी भी वाहन का लाइसेंस नहीं देना व वाहन खरीद की अनुमति नहीं देना, मकान बनाने की अनुमति नहीं देना, बस व रेलवे टिकट उपलब्ध नहीं कराना, किसी भी प्रकार की दुकान लगाने से रोकना, कृषि योग्य भूमि को सिवाय चक कर देना, किराने की दुकान व अन्य दुकानों से सामान नहीं खरीदने देना तथा किसी भी प्रकार का धंधा करने से

(श्री मदन दिलावर)

रोकना। यदि उपरोक्त रोक नसबन्दी नहीं कराने वाले अल्पसंख्यकों पर लगा दी जाए तो निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय मजबूर होकर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को अपनाएंगे। इसके कारण जो लोग जनसंख्या के आधार पर गलत तरीके से राज करने का षड्यंत्र रच रहे हैं उस पर भी रोक लग सकती है।

यह काफी लोक महत्व का मामला है। अत: मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री श्रवण कुमार। (अनुपस्थित) माननीय श्री धर्मपाल चौधरी।

मण्डावर में विद्यालयों का क्रमोन्नयन

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि राज्य सरकार ने राजस्थान में एक हजार प्राथमिक शाला से माध्यमिक विद्यालय में और 200 स्कूल माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये हैं। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में एक भी स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किया, यह सरकार की भेदभाव की नीति है। सरकार ने स्कूल खोलने में भी राजनीति की है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं विपक्ष के विधायक हैं वहां अधिकांश जगह स्कूलों को क्रमोन्नत नहीं किया। सरकार को प्रजातंत्र व्यवस्था में ऐसा अन्याय उन क्षेत्रों की जनता के साथ नहीं करना चाहिए था। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में सब डिवीजन हैडक्वार्टर है, यहां पर बालिका माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करें। ग्राम जिन्दोली में माध्यमिक विद्यालय है, आसपास के बीस गांवों में उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है और यहां पर बालिकाओं को पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती है इसलिए यहां पर भी माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का काम करें। ग्राम मातोर में उच्च प्राथमिक विद्यालय है, यहां पर 480 लड़के व लड़कियां शिक्षा ग्रहण करती हैं। लगभग 10 किलोमीटर तक कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं होने के कारण लड़के-लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी होती है। अत: आपसे निवेदन है कि उन स्कूलों को क्रमोन्नत करने की कृपा करें जिससे इस क्षेत्र के लड़के व लड़कियों को पढ़ाई का पूरा लाभ मिल सके और उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके।

श्री सभापति : माननीय श्री सांवर लाल। श्री सांवर लालजी।

श्री अरुण सिंह (डीग) : माननीय सभापति महोदय, मैं भी शिक्षा मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं...

श्री सभापति : आप बिराजिये। बार-बार यह उठने वाला तरीका ठीक नहीं है। आप बिराजें। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : माननीय, मेरे साथ भी ऐसा ही भेदभाव किया जा रहा है।

श्री सभापति : आप बिराजिये। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अरुण सिंह : ×××

श्री सभापति : कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री अरुण सिंह : ×××

श्री सभापति : माननीय मिर्धा साहब, बिराजिये। माननीय मिर्धा साहब, आप सहयोग कीजिये। (व्यवधान) माननीय अरुण सिंहजी, सहयोग कीजिये। बिराजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री सभापति : अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री सभापति : आप बिराजिये। आप बिराजिये। (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री सभापति : डीग से आने वाले माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री सभापति : आप तो यहां बैठो। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला (शिक्षा मंत्री) : ×××

श्री सभापति : माननीय कल्ला साहब, माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) बिराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

डा. बी. डी. कल्ला : ×××

श्री सभापति : कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब, बिराजिये आप। बिराजिये आप। आप बिराज जाओ। (व्यवधान) माननीय सदस्य, एक बार बिराज जाओ। नहीं, नहीं, मैंने आपका नाम बोल लिया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री सभापति : माननीय अमरारामजी, मैंने सांवर मलजी को बुला लिया है। कुछ

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सभापति)

भी अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, सहयोग कीजिये। माननीय सदस्य, सहयोग कीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री सभापति : माननीय अमरारामजी, मैंने सांवर लालजी को बुला लिया है। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, सहयोग कीजिये। माननीय सदस्य, सहयोग कीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री सभापति : धोद से आने वाले माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित तो हो नहीं रहा है। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

डा. बी. डी कल्ला : ×××

श्री अरुण सिंह : ×××

श्री सभापति : अंकित कुछ हो नहीं रहा है। माननीय मंत्रीजी। आप बिराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये आप। अब तो बिराजिये न।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री सभापति : ये कुछ नहीं कह रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कह रहे हैं। (व्यवधान) धोद से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान) कोई डिबेट नहीं हो रही है। कोई डिबेट नहीं हो रही है। यह डिबेट नहीं हो रही है। बिराजिये आप।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री अरुण सिंह : ×××

श्री सभापति : बिराजिये। यह डिबेट नहीं है। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं, आप बिराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, वैसे खड़े होकर कहने का न तो मन था...

श्री सभापति : आपको अधिकार है पूरा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन मैं आपको और सारे सदन को आपके माध्यम से इस बात का आमंत्रण देता हूं कि मेरे कार्यकाल में कोई यह सिद्ध कर दे कि मैंने राजनीतिक आधार पर किसी को दिया, नहीं दिया, तो मैं त्यागपत्र देकर कल यहां से जा सकता हूं। कल, परसों का दिन भी नहीं। अगर कोई इस आधार पर कह दे, मेरे सारे कार्यकाल में...

डा. बी. डी. कल्ला : बीकानेर में एक भी स्कूल पांच साल में नहीं खुला।

*××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने जिस क्राइटेरिया को तय करके बनाया, रेवेन्यू विलेज जिसकी आबादी ढाई सौ होगी, अगर स्कूल से वंचित रहा तो वहां स्कूल खुलेगा। और वह ढाई सौ की आबादी का कोई भी रेवेन्यू विलेज प्राइमरी स्कूल से वंचित नहीं रहा। कोई पंचायत ऐसी नहीं रहीं जिसमें एक मिडल स्कूल उस पंचायत हैडक्वार्टर पर नियम के तहत नहीं दिया। मैं सोचता हूं कि अगर आपने चुनौती दी है तो मैं कल आपको रिकार्ड इस सदन के पटल पर रख सकता हूं कि मैंने किस विधायक को मेरे पांच साल के कार्यकाल में कितने सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी, प्राइमरी, मिडल दी हैं। एक भी वंचित रह जाए तो मैं कल यहां से त्यागपत्र देकर छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं।

श्री सभापति : यही ठीक रहेगा। (व्यवधान) आप बिराजिये। माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, ये स्कूल खोल कर बन्द कर रहे हैं। भेदभाव कर रहे हैं।

श्री सभापति : बिराजिये आप। आप बिराजिये। (व्यवधान)

डा. रतन लाल जाट : मेरे यहां स्कूल खोलकर फिर बन्द कर दी बी.जे.पी. का एम.एल.ए. हूं इस नाते। यह भेदभाव तो कर रहे हैं। कटारिया जी बिलकुल सही कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजो न।

श्री हीरासिंह चौहान : ...एक-एक क्लास में 100-100 लड़के हैं वहां 10वीं, 11वीं नहीं खोली। जहां 5-5 लड़के पढ़ रहे हैं वहां खोले हैं इन्होंने। स्कूल की जहां जरूरत नहीं है वहां पर खोले। मैं यह कहना चाहूंगा कि जबरदस्त भेदभाव हुआ है राजस्थान की जनता के साथ। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : मुझे बता दे कि 1993 से लेकर 1998 तक बीकानेर शहर में कौनसे खोले? बता दें आप। (व्यवधान) आप इस्तीफा देने की कह रहे हैं, तो नहीं खोले हैं तो क्या इस्तीफा देंगे आप?

एक माननीय सदस्य : ...एक भी अध्यापक नहीं है। मंत्रीजी, राजस्थान में जहां-जहां उप चुनाव हुए उस...(व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : मैं यह कह रहा हूं 1993 से लेकर 1998 तक आपने बीकानेर में कोई स्कूल नहीं खोला। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : बीकानेर में तो भा.ज.पा. का विधायक था, उस समय आप विधायक ही नहीं थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बीकानेर में 26 स्कूल तो ऐसे थे जिनमें एक भी बच्चा नहीं था और वहां के अध्यापक तनखाह उठा रहे थे। 26 स्कूल तो ऐसे निकले, क्या खोलेगा स्कूल, किसको खोलेगा? एक बच्चे ने भी वहां शिक्षण नहीं लिया, ऐसे 26

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

स्कूल निकले। और उनके अध्यापक वेतन उठाते चले गये थे, यह है बीकानेर की स्थिति। (व्यवधान)

डा. बी.डी कल्ला : आपने वहां स्कूल एक भी नहीं खोला कोई भी, आप क्या बात करते हो? (व्यवधान) और सी.पी. जोशी जी के समय में और धारीवाल जी के समय में विपक्ष के अनेकों विधायकों के यहां स्कूल खुले हैं। (व्यवधान) इन स्कूलों के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह तो हम भी कहते हैं कि हमारे यहां स्कूल नहीं खुले। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ये सिर्फ सी.पी. जोशी के टाइम में खुले हैं, धारीवाल जी के समय में एक भी नहीं खुला। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : बीकानेर में तो आप विधायक नहीं थे, भाजपा का विधायक था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमने तो स्कूल खोल खोलकर बन्द कर दिये। हम लोगों ने तो स्कूल खोल खोल कर बन्द कर दिये। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : ये सब मैरिट के आधार पर खुलते हैं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : हमने एक भी जगह कोई भेदभाव किया है...

श्री धर्मपाल चौधरी : इस वर्ष भी खुले हैं, इसमें आपने भेदभाव बरता। पिछली बार आपके सी.पी. जोशी साहब थे लेकिन उसमें भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो स्कूल खुले उसमें पूरा राजनैतिक भेदभाव किया गया। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : सी.पी. जोशी जी ने तो स्कूल खोले मगर ये धारीवाल जी शिक्षा मंत्री थे, न तो वे अपने चैम्बर में मिले, एक दिन भी कभी भी, न सैक्रेटेरियेट में, न अपने आफिस में मिले और न स्कूल खोली। जो गांवड़ा में प्राइमरी स्कूल खोली उसमें 275 बच्चे थे, वहां पर भी स्कूल नहीं खोली। माननीय सभापति महोदय, ऐसी स्कूल खोली है जहां पर केवल मात्र पांच बच्चे हैं। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मेरा क्षेत्र ऐसा है, जहां बहुत क्राइम होते हैं। हमने बार–बार सदन में अवगत कराया है, शिक्षा के अभाव में क्राइम होते हैं। वहां पिछले 40 सालों में स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुए, जहां शिक्षा के अभाव में क्राइम होते हैं। मैं बाड़ी की बात कर रहा हूं। उसी की तकलीफ है हमें, सभापति महोदय। वहां क्राइम होते हैं, वहां डकैत पैदा होते हैं, वहां चोरियां होती हैं केवल शिक्षा के अभाव में।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से जानना चाहता हूं कि यह शिक्षा की डिमांड पर बहस हो रही है क्या?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : क्या ऐसी जगह स्कूल खोलने का या क्रमोन्नत करने का विचार रखती है, कृपया मुझे बताएं।

श्री सभापति : यह शिक्षा की डिमाण्ड पर बहस हो रही है क्या? (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मंत्रीजी, आये दिन चोरियां होती हैं शिक्षा के अभाव में, ऐसी जगह स्कूल खोलने का विचार रखते हैं? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह शिक्षा पर भेदभाव हो रहा है। शिक्षा का राजनीतिकरण हो रहा है यहां। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : मंत्रीजी, राजस्थान में उप चुनावों के समय विधान सभा क्षेत्र में स्कूल नये खोले और कांग्रेस पार्टी...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : आप अपने स्तर पर सर्वे करवाइये कि क्या वास्तव में क्राइम होते हैं वहां शिक्षा के अभाव में। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी स्कूलों को चिन्हित करके उन्हें क्रमोन्नत कराया जाए जहां आये दिन चारियां होती हैं, जहां शिक्षा के अभाव में लोग डकैत बनते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी स्कूलों को क्रमोन्नत कराया जाए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, बार-बार मंत्रीजी कह रहे हैं, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं कि हमने भेदभाव नहीं किया। आप सबसे ज्यादा उन स्कूलों को खोलकर उन लोगों के साथ बेइंसाफी कर रहे हैं। एक अध्यापक लगाया नहीं और बार-बार यों खड़े हो रहे हैं जैसे बड़ा कल्याण कर दिया है आपने। जहां पर भी स्कूलें खोली हैं वहां के बच्चे इनको रो रहे हैं, माननीय सभापति महोदय। उन बच्चों को गणित पढ़ाने वाला नहीं है, अंग्रेजी पढ़ाने वाला नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप 295 पढ़ रहे हैं क्या?

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, आप मेरा निवेदन तो सुनिये, पीड़ा है हमें। ये कह रहे हैं कि स्कूल खोल दी, एक लैक्चरर नहीं लगाया किसी स्कूल में, क्या तीर मार दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप 295 पढ़ रहे हैं क्या?

श्री सांवर लाल : कागजों में स्कूल खोल रहे हैं, हमने यह कर दिया, वह कर दिया। ये धर्मशालाएं खोलना बन्द कर दो आप, लड़कों का भविष्य तो बने। कहीं दूर जाकर पढ़ लेंगे, मां-बाप पढ़ा देंगे उनको।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऐसा मत करो, ऐसे डिबेट होगी नहीं।

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य 295 पढ़ रहे हैं और यह सरकार नौ दो ग्यारह।

श्री सांवर लाल : बिना बजट के स्कूल खोल रहे हैं जबरदस्ती, न लेना न देना, सभापति महोदय।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि जब मैं शिक्षा मंत्री था तो मैंने किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं बरता...

श्री सभापति : आप बिराजिये, आपकी बात अंकित नहीं हो रही है। आप बिराजिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री सभापति : आप बिराजिये, आपकी बात अंकित नहीं हो रही है। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन आपकी बहुत इज्जत करता है, बिराजिये आप। (व्यवधान) अब तो बिराजिये आप।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री सभापति : श्री सांवर लाल जी।

भिनाय में कतिपय सड़कें न बनने से आवागमन में परेशानी

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र भिनाय में कोटड़ी से हरपुरा, मनोहरपुरा के बीच, गोयजा से शेरगढ़, नीमेड़ा से घणा भिनाय बुकलिया, राममालिया से रघुनाथगढ़ के मध्य डामर (पेवर) सड़क न बनने के कारण जनता को भयंकर परेशानी हो रही है, कृपया इस सड़क के निर्माण पर अविलम्ब कार्यवाही करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री अमराराम जी धोद।

तारानगर (चूरू) राजकीय महाविद्यालय का नये भवन में स्थानान्तरण

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, मैं विधान सभा के कार्य संचालन के नियम 295 के तहत राजकीय महाविद्यालय तारानगर (चूरू) को नये भवन में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपका क्या लेना–देना है चूरू जिले से?

श्री अमराराम (धोद) : आपका जिला है, आप तो करते नहीं हो, मिल गये दोनों तरफ से।

राजकीय महाविद्यालय, तारानगर (चूरू) पिछले चार वर्षों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तारानगर के चार कमरों में चल रहा है। विद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं एवं स्टाफ को भवन की कमी से असुविधाएं हो रही हैं तथा बोर्ड की परीक्षाओं में विद्यालय स्टाफ को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं का परीक्षा केन्द्र भी तारानगर घोषित कर दिया गया है, लेकिन भवन की कमी के कारण परेशानियां आ रही हैं। एक प्रवासी तारानगर ने लाखों रुपये की लागत से महाविद्यालय का आलीशान भवन बनाकर पूर्ण करा दिया है लेकिन 10 माह

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अमराराम)

बाद भी महाविद्यालय को नये भवन में स्थानान्तरित नहीं किया गया है, जिससे आने वाली बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं पुराने भवन में सम्भव नहीं हो पाएंगी तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का केन्द्र अन्यत्र करना पड़ेगा और तारानगर के विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

अतः मेरा उच्च शिक्षा मंत्रीजी से नम्र निवेदन है कि उच्च महाविद्यालय को नये भवन में स्थानान्तरित करने के तुरन्त आदेश देकर नये भवन में स्थानान्तरित करके तारानगर के विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करें।

श्री सभापति : श्री रमेश खींची।

(अनुपस्थित)

डाक्टर करण सिंह यादव।

बहरोड़ के सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र का क्रमोन्नयन

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र (रैफरल अस्पताल) बहरोड़ को 100 बिस्तरों के अस्पताल में क्रमोन्नत करने के क्रम में माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अलवर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अग्रणी स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला बहरोड़ का सामुदायिक केन्द्र, रोगियों की बढ़ती संख्या व राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारण अब क्षेत्र की जनता की जरूरत से छोटा पड़ता जा रहा है। वर्तमान में उपलब्ध 50 शैयाएं पूर्ण रूप से उपयोग हो रही हैं तथा इस अस्पताल में रोगियों को जमीन पर लेटना पड़ता है। गत वर्ष यहां 50,000 से अधिक रोगियों ने ओ.पी.डी. की सेवाएं लीं तथा अस्पताल में 2000 से अधिक आपरेशन किये गये। अस्पताल में जनरल सर्जरी, मेडिसिन, स्त्री रोग शिशु रोग व नेत्र रोग विभागों में कनिष्ठ विशेषज्ञ हैं तथा यहां पर होने वाले आपरेशनों की संख्या कतिपय जिला अस्पतालों से भी अधिक है। जैसे बारां जिले से ज्यादा।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने से दुर्घटनाओं व अन्य एम.एल.सी. केसेज की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। सिर्फ बहरोड़ नहीं, यह अस्पताल बानसूर, मुंडावर, कोटपूतली व निकटवर्ती हरियाणा के कई गांवों को अपने सुलभ सेवाओं के लिए लोकप्रिय है। नसबन्दी व संस्थागत प्रसूति की भी संख्या यहां जिले में सर्वाधिक है। इस अस्पताल को यहां के दानवीर सेठ श्री राजनारायण जी ने बनवाया था और राज्य सरकार ने गत वर्षों में यहां अलग से नेत्र चिकित्सा केन्द्र (आपरेशन थियेटर वार्ड एवं ओ.पी.डी.) को निर्माण करवाया है। हाल में राज्य सरकार ने पांच लाख रुपये से एक

(डा. करण सिंह यादव)

वार्ड व 4.30 लाख रुपये से आपरेशन थियेटर वार्ड की स्वीकृति प्रदान की है।

जनहित को देखते हुए इस अस्पताल को 100 बिस्तरों के अस्पताल में क्रमोन्नत करें तथा यहां वरिष्ठ विशेषज्ञ, सर्जरी, मेडिसिन, कनिष्ठ विशेषज्ञ, आर्थोपेडिक, नाक-कान-गला व चर्म रोग विशेषज्ञ के पद स्वीकृत कर यहां रक्त बैंक की स्थापना करवाएं। इस मामले में यहां की जनता जन सहयोग में भी पीछे नहीं रहेगी।

श्री सभापति : माननीय श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

बाली के मीठड़ी बांध के पानी का विन्यास

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव करना चाहता हूं।

बाली विधान सभा क्षेत्र के मीठड़ी बांध का निर्माण 1969 में हुआ था। इस बांध से बीजापुर, सेवाड़ी, गुढ़ा, गुमानसिंह, गुढ़ा देवीसिंह, पादरला, मिरगेशर आदि गांवों की लगभग 10 से 11 हजार बीघा भूमि की सिंचाई होती है। इस बांध से नदी निकलती है जो जालौर, आहोर तहसील, सुमेरपुर व सिवाना तहसील तक जाती है। काश्तकार इस बांध के पानी को एक वर्ष सिंचाई हेतु व एक वर्ष नदी में खोलना चाहते हैं जिससे नदी के क्षेत्र में आने वाले हजारों कुओं को रिचार्ज किया जा सके, जिससे उक्त क्षेत्र के निवासियों को पेयजल का पानी सुलभ हो सके। हाल ही के उप चुनावों में मुख्य मंत्री सहित कांग्रेस के कई मंत्रियों ने इस बांध के पानी को एक वर्ष नदी में व एक वर्ष सिंचाई हेतु छोड़ने का आश्वासन दिया था परन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

कोट बालियान बांध जो 2001 में भारी वर्षा के कारण टूट गया था, इस बांध के टूटने से कोट बालियान गांव पूरा डूब गया जिससे वहां के निवासियों के मकान टूट गये, कुएं ढह गये और जमीन खराब हो गई। राज्य सरकार द्वारा पीड़ितों को नाममात्र की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की गई है। इसी बांध से कोट बालियान की लगभग 400 बीघा जमीन की सिंचाई होती है। इसी बांध के नीचे मुण्डारा की पेयजल योजना 66.5 लाख की स्वीकृत हुई है। मुण्डारा गांव की आबादी 2001 की जनसंख्या के आधार पर दस हजार से भी ज्यादा है। इस बांध के मरम्मत होने पर कोट बालियान, सादलवा, टीपरी, पुनाड़िया, लालराई का पेयजल और भू-जल का स्तर भी बढ़ेगा और किसानों को बहुत फायदा होगा।

अत: मैं विशेष उल्लेख के जरिए माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मेरी पर्ची है।

श्री सभापति : अभी तो वह बोल रहे हैं, 295 बोल रहे हैं।

बांसवाड़ा में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की स्थिति

श्री रमेश चन्द पण्ड्या (बांसवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की व्यवस्था के सम्बन्ध में सदन का ध्यान बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में संचालित छात्रावासों की तरफ दिलाना चाहता हूं। समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के नाते मैंने पिछले दिनों बोरी, गढ़ी, खोड़न, सरेड़ी बड़ी लोहरिया आदि गांवों के छात्रावासों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देखने में आया कि छात्रावासों के भवन काफी जर्जर हो चुके हैं। बोरी व खोड़न में हरदम हादसे की आंशका बनी रहती है। बालिका छात्रावास, गढ़ी का भवन नाकारा घोषित कर दिया गया है एवं वर्तमान में यह किराये के भवन में चलाना पड़ रहा है। महोदय, मेरा अनुरोध है कि या तो असुरक्षित भवनों को उपयोग में लाने से रोका जाए अथवा अविलम्ब मरम्मत कार्य करवा कर छात्रों को हादसे की आशंका से उबारा जाए। वर्तमान में अधिकतर छात्रावास किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं और ये भवन सुविधायुक्त नहीं हैं। छात्र-छात्राओं को हवा, पानी एवं रोशनी की व्यवस्था भी ठीक ढंग से नहीं। इसके अलावा खिड़कियों में मच्छर जाली एवं कमरों में पंखों का भी अभाव मिला। किराये के भवनों में जो सुविधाएं छात्रों को मिलनी चाहिए वे नहीं मिल पातीं, साथ ही उनकी सुरक्षा भी प्रभावित होती है। वहीं इन परिस्थितियों में न तो उचित संरक्षण मिल पाता है, न पढ़ाई का उचित वातावरण मिल पाता है।

मेरा सुझाव है कि विद्यालय विकास में अभिभावकों से समय-समय पर सहयोग लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार छात्रावासों को सुविधा-सम्पन्न बनाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने की योजना बनाई जानी चाहिए ताकि छोटी-मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति ग्राम स्तर पर ही हो सके। इसके बदले छात्रों को गांव स्तरीय किसी आयोजन में सहयोग करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। फिल्मों में दर्शाएं जाने वाले हास्टल की स्थिति की अपेक्षा तो भले हम न करें, पर रंग-रोगन व साफ-सफाई आदि की इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि अभिभावक बच्चे से मिलने आएं तो कम से कम एक संतोष का भाव लेकर जाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री श्रवण कुमार।

पिलानी के ग्राम सुलताना में बस स्टैण्ड की व्यवस्था

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करना

(श्री श्रवण कुमार)

चाहता हूं कि ग्राम सुलताना में बस स्टैण्ड की बड़ी भारी दिक्कत है। ग्राम सुलताना में पन्द्रह हजार जनसंख्या की पंचायत है, इसके लिए सुलताना के बाहर बस स्टैण्ड बना हुआ है, परन्तु उसको डी.टी.ओ. आफिस वालों ने चालू नहीं कराया है। जहां पर बसें खड़ी होती हैं वह जगह बहुत ही कंजेस्टेड है। बरसात में पानी भर जाता है, आदमियों का आना-जाना बहुत ही कठिन है। यहां पर बस स्टैण्ड तो आठ वर्ष पूर्व ही बन गया है, परन्तु अभी तक उसको चालू नहीं करवाया गया है। अत: नये बस स्टैण्ड को चालू करवाने की कृपा करें। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री अमराराम चौधरी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बालोतरा को जिला बनाया जाना

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापतिजी, मैं पर्ची के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज पचास साल से पहले से बाड़मेर जिले के बालोतरा शहर में जुडीशियरी का जिला न्यायालय है। सन् 1973 से पहले यानि नई सी.आर.पी.सी. बनी उससे पहले बालोतरा ही जिला लगता था जालौर का भी जुडीशियरी का। मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान में बाड़मेर जिले से और जैलसमेर जिले से जो भी जिले बने हैं, उनका क्षेत्रफल बहुत ही कम है। बाड़मेर का क्षेत्रफल, माननीय सभापतिजी, 28173.32 वर्ग किलोमीटर है। इतना बड़ा जिला है और करीब 19 लाख की आबादी है। 19 लाख की आबादी और इतना क्षेत्रफल। हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल 9703.15, राजसमन्द का मैं अर्ज कर रहा हूं 4550.93, दौसा का है 3405, करौली का है 5052.17 और सिरोही का है 5179.47। इन जिलों का क्षेत्रफल इतना कम है, माननीय सभापति महोदय, और उनको जिला बनाया गया है। हनुमानगढ़ हुआ, राजसमन्द हुआ, दौसा हुआ, करौली हुआ, तत्कालीन सरकार ने ये जिले बनाये। मेरा आपसे यह नम्र निवेदन है कि बाड़मेर जैसे इतने बड़े जिले के दो जिले बनाये जाएं-एक बालोतरा बनाया जाए और दूसरा जिला बाड़मेर हो जाएगा आटोमेटिक। चूंकि बाड़मेर का आज भी जुडीशियरी का जिला है न्यायालय बालोतरा के अन्दर है, इस सब दृष्टि से मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, कि बहुत ही उपयोगी है। मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि हरियाणा के अन्दर सब छोटे-छोटे जिले हैं और छोटे-छोटे जिले होने से वहां विकास हुआ। इतना बड़ा जिले का क्षेत्रफल होने से जो विकास होना चाहिए था उस विकास से हमें महरूम रहना पड़ रहा है। आज बाड़मेर की पूरी जनता चाह रही है कि बाड़मेर के दो जिले बने, वहां की जनता की यह भावना है। इस ओर कई बार मेमोरेण्डम के जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं आपके माध्यम से

(श्री अमराराम चौधरी)

निवेदन करना चाहूंगा कि आज कोई भी जिला बनाया जाए, सबसे पहले जनसंख्या के आधार पर, भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर बालोतरा को ही जिला घोषित करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय डाक्टर रामप्रताप।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : माननीय सभापति महोदय, 24 तारीख से सदन चल रहा है और हमारे को जिला बैठकों में बुलाने के लिए क्रमशः एक लैटर, दो, तीन और चार लैटर बराबर मिल रहे हैं...

श्री सभापति : क्या? किस बारे में, क्या है?

श्री केसाराम चौधरी : सदन चल रहा है, माननीय...

श्री सभापति : एक सैकण्ड। हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। सदन आहूत होने के साथ ही ये निर्देश गये थे कि माननीय विधायकों को जिन जिला स्तरीय बैठकों में बुलाते हैं, उनकी बैठकें आयोजित न की जाएं। उक्त निर्देश के पश्चात् भी जिला स्तर पर पाली जिले के अन्दर तीन बैठकें आयोजित की जा रही हैं जिनके लिए इनको समन किया गया है, नोटिस दिया गया है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसको गम्भीरता से ले। सरकार ने जो पहले निर्देश दिये हैं, निर्देश तब दिये जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने यहां से निर्देशित किया कि सदन आहूत होने के पश्चात् और 15 दिन के पहले से बैठकें नहीं बुलायी जाएं। तो इस चीज की व्यवस्था फर्माएं।

श्री सभापति : यह ठीक हो जाएगा जब सरकार का नियम है, आदेश है, निर्देश हैं। उनकी पालना हो जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पालना कहां हो रही है?

श्री केसाराम चौधरी : पालना कहां हो रही है, सर, मीटिंग तो होती है।

श्री सभापति : उनकी पालना करा दी जाएगी।

श्री केसाराम चौधरी : अच्छा-अच्छा। धन्यवाद साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अपनी तरफ से फर्मा दो क्योंकि सरकार तो है नहीं, सरकार तो गायब है। तो भी जितनी सरकार (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : सरकार बातों में मशगूल है, माननीय सभापति महोदय...(व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर बैठे हुए हैं।

श्री केसाराम चौधरी : सरकार तो बातों में मशगूल है...(व्यवधान)

श्री सभापति : सुन तो लो आप हमारी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सभापति महोदय एक मिनट दिलाएं, साहब, एक मिनट में कह दूंगा।

श्री सभापति : सुन तो लो मेरी बात। अभी निर्देश दे दिये जाएंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं, अभी गम्भीर सूचना है, साहब वह तो सबसे पहले सुननी चाहिए आपको। एक मिनट, एक मिनट भी नहीं चाहिए, साहब।

श्री सभापति : मैंने आपसे निवेदन किया है कि बिराजें आप, पहले पर्ची वाले मामले हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इतनी देर में तो मेरी बात खतम हो जाती।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, कोई खतम नहीं होगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एक मिनट।

श्री सभापति : कोई खतम नहीं होगी, श्रीमान्‌जी, आप बिराजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एक मिनट, साहब। एक मिनट का समय दे दो, साहब।

श्री सभापति : मैं कह रहा हूं न, आपको एक मिनट नहीं पांच मिनट देंगे, लेकिन बात हो जाए पूरी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैं आपको, सभापति महोदय, यह बताना चाह रहा हूं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो प्रायोरिटी है, पहले उनको ही बुलाया जा रहा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : तो साहब कोई सूचना गम्भीर होगी तो नहीं देंगे प्रायोरिटी तोड़ कर?

श्री सभापति : आपकी बात सुनी जाएगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं, प्रायोरिटी तोड़ कर दें, साहब। पाइंट ऑफ आर्डर है, साहब, मेरा।

श्री सभापति : माननीय डा. रामप्रताप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पाइंट आफ आर्डर।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पाइंट आफ इंफोर्मेशन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पाइंट आफ आर्डर।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, आसन की तो कृपा रही है हमेशा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैं पाइंट आफ आर्डर तो उठा सकता हूं, साहब।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप जानते हैं कि इस वक्त पाइंट आफ आर्डर कहीं होता नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : ...(व्यवधान)... पाइंट आफ आर्डर शून्यकाल में नहीं होता, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। पहले ही वरिष्ठ हो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पाइंट आफ इंफार्मेशन।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, यस।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने आपको निवेदन कर दिया कि आपको समय दिया जाएगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मुझे समय पहले चाहिए, गम्भीर सूचना है, साहब।

श्री सभापति : दो मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं, साहब, एक विधायक के साथ 5–5 मंत्रियों के सामने मारपीट हो और वो जयपुर में भर्ती हो अस्पताल में, आप कह रहे हो, सूचना नहीं है। (व्यवधान) बारां के विधायक श्री शिव नारायण नागर को...(व्यवधान) पुलिस ने पीटा...(व्यवधान) गम्भीर हालत में बारां जिला हास्पिटल से उनको जयपुर के लिए रैफर कर दिया है। आज वो आपनी जान के लिए जूझ रहे हैं। उन पर सीवियर अटैक हुआ है।

श्री अरुण सिंह : विधायक महोदय को पिटवाया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : श्री शिवनारायण नागर बारां के विधायक को 5–5 मंत्रियों के सामने पुलिस ने सर्कट हाउस में जोर–शोर से पीटा...(व्यवधान)

श्री सभापति : ...(व्यवधान)...मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि आपको समय दिया जाएगा। पहले पर्ची वाले बोल लें उसके बाद में समय देंगे। क्या फर्क पड़ता है?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : हां, ठीक है, साहब।

श्री सभापति : माननीय डा. रामप्रताप।

श्री अरुण सिंह : कोटा में कांग्रेस की फूट है।

श्री सभापति : आप बिराजिये। बिराजिये।

श्री अरुण सिंह : वो रामकिशन गुट का होगा।

श्री सभापति : कहीं तो कांग्रेस आपको अच्छी लगती है और कहीं बुरी लगती है।

राजस्थानी भाषा को राज्य की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) **:** माननीय सभापति महोदय, राजस्थानी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता मिले, यह मुद्दा इस सर्वोच्च सदन में किसी न किसी रूप में

(श्री रामप्रताप)

बार-बार आया है, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि इसके ऊपर आज तक हम कोई निर्णय नहीं ले सके। माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह कोई भाषा को सिर्फ मान्यता का सवाल नहीं है, इसके पीछे हमारे संस्कार और संस्कृति भी छुपी हुई है। इसके साथ-साथ, आप जितने प्रदेशों में जाएं उनकी अलग-अलग भाषाओं की मान्यता मिली हुई है, वहां पर पाठ्यक्रम में शामिल किया हुआ है और वे ही लोग सरकारी नौकरी में आ सकते हैं जो कि कम से कम 10वीं पास हों उन भाषाओं के अन्दर। कहने का भाव एक ही है, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश होने की वजह से बाहर से आकर लोग नौकरियां लग रहे हैं और अगर यह कम्प्लसरी कर दिया जाए कि राजस्थानी भाषा में दसवीं पास जरूरी होगा तो एक तो दूसरे लोग बाहर से नहीं आएंगे।

दूसरा माननीय सभापति महोदय, किसी भी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह कितने क्षेत्र में बोली जाती है और कितने लोगों द्वारा बोली जाती है। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि राजस्थानी भाषा कम से कम 13 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। पहली दफा इसका जो ग्रंथ लिखा गया वह आज से 12 सौ साल पूर्व लिखा गया। दूसरे जितने भी लेखक हुए हैं, मैं एक-दो नाम आपके सामने रखना चाहता हूं, भाषा के जो विज्ञानी हुए जैसे जार्ज ग्रियेशन जिन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया 1907 में लिखी थी, इसी तरीके से 5-6 भाषा विज्ञानी और हैं उन्होंने कहा है कि राजस्थानी भाषा जितनी समृद्ध है और जितनी वजनदार है उतनी दूसरी भाषाएं नहीं हैं। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि इतनी मजबूत भाषा होने के बावजूद हम इसको सम्मिलित नहीं कर रहे हैं इसमें हमारा स्वार्थ है उसको भी हम नजर अन्दाज किये जा रहे हैं।

मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, सभापति महोदय, हिन्दी भाषा है वो भी इतनी विशाल रूप से समृद्ध नहीं है जितनी राजस्थानी है। राजस्थान भाषा में एक मैं आपको उदाहरण दूंगा, जैसे बछड़े का है, अकेले, बछड़े को ही हम तोगड़ियो, बाछड़ो, बाछड़ी, नारो, बैल, सांड, नाल्डी इन विभिन्न रूपों में नाम लेते हैं। इतनी समृद्ध भाषा है। और पहले जब राजा और रजवाड़े थे उस वक्त में वहां का राजकाज का काम राजस्थानी भाषा में होता था। मेरे को जानकारी मिली है कि राजस्थान का एकीकरण हुआ, रियासतों को विलय किया गया उस वक्त में भी तत्कालीन गृह मंत्री, भारत सरकार के सामने यह मुद्दा आया था, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया गया। इसलिए मेरा आपके माध्यम से पुरजोर आग्रह है, माननीय सभापति महोदय, कि यह राजस्थानी भाषा है इसको दूसरे दर्जे की

(श्री रामप्रताप)

भाषा घोषित किया जाए और साथ ही गवर्नमेंट आफ इंडिया को भी यहां से लिखा जाए कि वो सैकण्ड शिड्यूल में इसको शामिल करे। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : पहले तो मैं इनका भी समर्थन कर रहा हूं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाए। अब मेरे विषय पर आ रहा हूं।

श्री सभापति : ये बहुत समर्थ हैं पहले से ही। मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि अकाल के बारे में आपका और आपका नाम बोलने वालों में है, यदि उस वक्त आप लेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री मदन दिलावर : नहीं, वो अकाल का नहीं है, अकाल राहत श्रमिकों का दुरुपयोग किया है उस पर है।

श्री सभापति : वह सब ठीक है। आपका नाम है, आपको बोलने का अधिकार है, मैं इंकार नहीं करता हूं लेकिन अकाल की चर्चा के वक्त इसको ले लें तो ठीक रहेगा मेरे खयाल से।

श्री मदन दिलावर : नहीं, अभी ले लूंगा, उस समय नहीं बोलूंगा। देख लूंगा, मेरी पार्टी क्या कहती है मेरे से, उस आधार पर देख लेंगे।

श्री सभापति : फरमाओ।

अकाल राहत श्रमिकों की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु पर दिये गये मुआवजे में वृद्धि

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, किशनगंज तहसील में एक गांव है छीणोद और छीणोद नहर पर अकाल राहत कार्य चल रहा है। शनिवार को माननीय मुख्य मंत्रीजी बारां जिले के दौरे पर पधारे थे। छीणोद गांव के मस्टररोल पर कार्यरत जो श्रमिक थे उनके यहां कुछ नेतागण जाते हैं और कहते हैं, आपको आज की उपस्थिति बिना काम के दे दी जाएगी और जहां आप हमारे नेताजी का भाषण सुनने चलेंगे वहां आपको अच्छा भोजन कराया जाएगा। आना नहीं चाहते थे श्रमिक वहां के, श्रीमान्, परन्तु धौंस दी कि यदि आप आज नहीं चले तो अकाल राहत के इस मस्टररोल में कभी आपका नाम नहीं लिखा जाएगा। इसलिए ट्रैक्टर ट्राली में भर कर जबरदस्ती प्रलोभन देकर उनको जहां मुख्य मंत्रीजी भाषण करने वाले थे वहां पर लाया गया।

अब अकाल पीड़ित मजदूरों का दुःख सोचिये कि वो कैसे मिट्टी खोद कर अपने भूखे बच्चों का पेट पालना चाहते थे, लेकिन उनके साथ दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जो जबरन और अपहरण करके मजदूर लाये गये थे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, उनकी ट्रैक्टर ट्राली पलट गयी और पलटने से चार लोगों

(श्री मदन दिलावर)

की मौके पर मृत्यु हो गयी। हेमराज पुत्र हीरालाल रैगर, गर्भवती महिला बच्ची बाई पत्नी मोहनलाल सहरिया, बिरधीलाल पुत्र गेंदी लाल सहरिया तथा फूलवती पुत्री कालूलाल सहरिया की मौके पर मृत्यु हो गयी तथा एक दर्जन से ज्यादा लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये। छीणोद गांव के हैं ये सभी। मुरारी पुत्र हीरालाल सहरिया, मोहन पुत्र लालब, रामलाल, पुत्र नाथूलाल, प्रेमबाई पत्नी केसरी लाल रैगर, भूरया पुत्र रामनाथ सहर, नन्दकिशोर पुत्र जयकिशन, राजू पुत्र बद्री लाल, घनश्याम पुत्र मदन लाल, जितेन्द्र पुत्र हेमराज, पुष्पा बाई पत्नी माधोलाल रैगर, सोनू पुत्री जगदीश, मंसूरी बाई, चुन्नी बाई, शकुन्तला पुत्री रामनारायण रैगर, शांतिबाई पत्नी राजेन्द्र, ओमप्रकाश पुत्र राजेन्द्र रैगर

(13.00 बजे)

ऐसे अनेक लोग उसमें घायल हो गये। यह 11 बजे के आसपास की घटना है, प्रलोभन देकर उनको लाया जा रहा था।

दूसरी तरफ हम देखते हैं तो बारां सर्कट हाउस में माननीय मुख्य मंत्रीजी विराजमान थे उनको यह सूचना प्राप्त हो गई। सूचना प्राप्त होने के बाद वहां के माननीय विधायक शिवनारायणजी नागर मुख्य मंत्रीजी से निवेदन कर रहे थे, मुख्य मंत्रीजी, आप वहां न जाएं जहां श्रीकृष्ण गौशाला को कुछ भूमिखोरों ने जबरदस्ती विधिसम्मत कार्यवाही न कर हड़प लिया है। करोड़ों की जमीन है, वहां पर न जाएं क्योंकि वह भू-माफियाओं का गिरोह है। माननीय विधायक शिवनारायणजी नागर इस प्रकार की चर्चा उनसे कर रहे थे, इधर चार लोग मर गये। मुख्य मंत्री जी को सूचना मिलने के बाद भी, शिवनारायणजी नागर के आगाह करने के बाद भी मुख्य मंत्रीजी अड़े रहे, मरने वाले मरते रहते हैं, मुझे वहां लोकार्पण करना है, माला पहनना है, भाषण देना है इसलिए जाऊंगा। शिवनारायणजी नागर बहुत आहत हुए कि मेरे जिले के इतने लोग घायल हो गये हैं, मर गये हैं फिर भी मुख्य मंत्रीजी एक +++ मंत्री के इशारे पर वहां जा रहे हैं। वह कार के आगे लेट गये। लेटने के बाद 4-4 मंत्रियों की उपस्थिति में पुलिस ने उनको इतना बेइज्जत किया कि उठा कर गेंद की तरह उनको एक तरफ फेंक दिया। उसके कारण से उनको हास्पिटल में एडमिट होना पड़ा और उनको आक्सीजन गैस चढ़ानी पड़ी। उनको सीने में जबरदस्त दर्द हुआ। कल उनको बारां से कोटा रैफर किया और कोटा से मुझे जानकारी मिली है कि आज उन्हें जयपुर के हास्पिटल में रैफर कर दिया है। उनकी आज की स्थिति कैसी है यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन कल मैं उनको हास्पिटल में मिलकर आया था तो उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। मैं घायलों को भी मिलकर आया था। वहां बहुत सारे

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

घायल कराह रहे थे, चिकित्सा की कोई उचित व्यवस्था नहीं। मैंने पी.एम.ओ. से बात की तो कहते हैं, दिलावर साहब, इनकी छुट्टी कर देते हैं। मैंने कहा कि ऐसा कौनसा कारण आ गया कि इनकी छुट्टी करोगे तो मुस्करा गये। मौन स्वीकृति उनकी यह थी कि मुख्य मंत्रीजी का भी ऐसा ही कहना है कि इनकी छुट्टी कर दी जाए। वे वहां से उनकी छुट्टी करने पर आमादा हैं।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, हो गया। बात आ गई आपकी।

श्री मदन दिलावर : नहीं हुआ। श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से प्रलोभन देकर, मजदूरों का अपहरण करके ले जाना यह कहकर कि तुम्हें हाजरी भी दे दी जाएगी, और फिर उन लोगों के लिये केवल 10–10 हजार की सहायता अंधेरे में जाकर देना क्या उचित है? 10 हजार रुपये की सहायता उनको दी जाती है जो गरीब परिवार का व्यक्ति सामान्य मौत से मर जाता है। यह सामान्य मौत नहीं है, यह कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भीड़ इकट्ठी करने के लिये उन मजदूरों का अपहरण करके लाया गया है। अपहरण करके लाने पर इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिये था, आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिये।

श्री सभापति : बस कीजिए।

श्री मदन दिलावर : मुख्य मंत्रीजी, जो आपने आप को संवेदनशील कहते हैं, अमानवीय संवेदना मर गई है, इनको मृतकों के पास जाना चाहिये।

श्री सभापति : बस कीजिए, समाप्त कीजिए। पर्ची पर बहुत टाइम लगा दिया। माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री मदन दिलावर : लेकिन वहां गये नहीं। गलत तरीके से करोड़ों रुपये की, मैंने वहां आगाह कर दिया था कि वह गौशाला नहीं है, वह भूमिखोरों का अड्डा है, वह +++ है और वहां अनैतिक कार्य हो रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है वह गम्भीर पाइंट है।

श्री मदन दिलावर : शांति धारीवाल जी बार–बार जाकर वहां +++ करते हैं। फिर भी उस +++ पर मुख्य मंत्री जी ने जाकर मोहर लगाई है, यह निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि शिवनारायणजी नागर के साथ जिस प्रकार की निंदनीय घटना हुई है उसकी सदन को निंदा करनी चाहिये। और ऐसे चार–चार मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिस बात को उठाया है, सरकारी मस्टररोल पर जिन लोगों ने हस्ताक्षर किये उन लोगों को भरकर अगर कांग्रेस की मीटिंग में ले जाया जाए और उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो उनको एक-एक लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिये। सभापति महोदय, इससे ज्यादा गम्भीर कोई बात नहीं है।

श्री सभापति : अभी अकाल पर बात होगी जब और कह देना। आप अपनी पर्ची वाली बात कहो।

श्री मदन दिलावर : बात का मामला नहीं है।

श्री सभापति : मैं आपसे नहीं कह रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : यह गम्भीर आपराधिक मामला बनता है, उन एस.डी.एम. के खिलाफ, उस पटवारी के खिलाफ, इस सरकार के नुमाइंदों के खिलाफ 302 में आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिये। आज उनके बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है उन लोगों का?

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, फेमिन पर काम कर रहे लोगों को मुख्य मंत्रीजी की सभा में लाना जरूरी है क्या? सभापति महोदय, यह परम्परा बन गई, मुख्य मंत्रीजी की सभा को सफल बनाने के लिये उन लोगों को लाया जाता है। उसके बाद यहां ला-ला कर...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप जानते हैं आपने अपनी बात कह दी, प्रशासन ने सुन ली, यह सदन किसी को एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करता है। माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ साहब।

श्री मदन दिलावर : केवल सुनने के लिये नहीं है, कार्यवाही करने के लिये सदन है।

श्री सभापति : आप बिराजिए, आप बिराजिए। राठौड़ साहब, अपनी पर्ची पर बोलिए।

खाड़ी देशों में मजदूरी के लिए गये राजस्थानी श्रमिक

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) **:** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिससे राजस्थान और विशेष तौर पर जिस क्षेत्र से आप बिराजते हैं उस क्षेत्र सहित चूरू के हजारों परिवारों का जीवन-यापन जुड़ा हुआ है। सभापति महोदय, आपको अच्छी तरह मालूम है कि विगत कई वर्षों से खाड़ी प्रदेशों में चूरू, झुंझुनूं, नागौर और सीकर से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक और शिड्यूल्ड कास्ट के लोग नौकरी के लिय जाते रहे हैं। सभापति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, लगभग 35 हजार लोग चूरू जिले से खाड़ी देशों में आज भी मजदूरी करने–कारपेंटर के रूप में, वाहन चालक के रूप में, कारीगर के रूप में और मजदूर के रूप में गये हुए हैं। इसी तरह झुंझुनूं जिले के लगभग 40 हजार लोग आज कई वर्षों से वहां काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, विश्व में जिस तरह का वातावरण बना है, अमरीका के इराक पर हमले की सम्भावना को देखते हुए यू.ए.ई. सरकार ने अपने श्रम कानून में संशोधन किया है। राजस्थान से इसलिए लोग वहां जाते हैं कि उनके पास जमीन नहीं है, यहां मजदूरी के साधन नहीं हैं। अपना सब कुछ बेचकर एक मजदूर राजस्थान से जब खाड़ी देश में जाता है तो लगभग 60 से 80 हजार रुपये खर्च होते हैं। सभापति महोदय, उन सबको नोटिस दिया गया है, लगातार हमारे पास दूरभाष से सूचना आ रही है और उन्हें यह कहा गया है कि आप 1 अप्रैल तक इन देशों को छोड़कर अपने–अपने देश में जाएं क्योंकि उन्होंने श्रम कानून में संशोधन कर लिया। जो मजदूर जिस एम्प्लायर के पास जाएगा, अगर उस एम्प्लायर के पास वह काम नहीं कर रहा तो अनधिकृत निवासी के रूप में मानकर उसे वापस भेजने के लिये सरकार कार्यवाही कर रही है। सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि यह बड़ा गम्भीर मामला है। हजारों लोग वहां से आएंगे, वे लोग जो विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं। उनका और उनके परिवार का जीवन–यापन इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह अति संवेदनशील और गम्भीर विषय है। जिस सरकार की आदत पड़ गई केन्द्र सरकार को हरेक मामले में पत्र लिखना, केन्द्र सरकार को पत्र तो बाद में लिखते हैं पहले अखबारों में देते हैं, मैं उस सरकार में बैठे लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, विशेष तौर से गृह मंत्रीजी से और माननीय सी.पी. जोशीजी से जो यहां विराजमान हैं, कि विदेश मंत्रालय के पास पत्र जाना चाहिये। विदेश मंत्रालय के पास पत्र इसलिए जाना चाहिये कि आज इन खाड़ी देशों में, सऊदी अरब में, यू.ए.ई. में सबसे ज्यादा अगर मजदूरी पेशा आदमी कहीं को है तो वह राजस्थान का है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह विषय गम्भीर विषय है, इस विषय पर सरकार को समय रहते हुए निश्चित तौर पर विदेश मंत्रालय से सम्पर्क करना चाहिये, विदेश मंत्रालय को पत्र लिखना चाहिये। मैं चाहूंगा, गृह मंत्रीजी आप आज ही मुख्य मंत्रीजी से बात करें, वरना ये लोग जब एक अप्रैल को यहां आ जाएंगे, एक तरफ तो अकाल से पीड़ित राजस्थान है, उनके पास कोई काम नहीं है, इन लोगों के हालात क्या बनेंगे इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते।

सभापति महोदय, यह विषय राजस्थान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय है। राजस्थान में विदेशी मुद्रा के अर्जन में इन लोगों का अगर सहयोग मानें तो हिन्दुस्तान में जो विदेशी मुद्रा आती है उसमें राजस्थान का जो योगदान है उसमें 25 परसेंट योगदान इन मजदूरों का है जो वर्षों से वहां जाकर मजदूरी करके अपने परिवारों का जीवन-यापन करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस संदर्भ में सरकार को सावचेत रह कर भारत सरकार को पत्र लिखना चाहिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : निश्चित रूप से पत्र लिखना चाहिये, आपकी बात जायज है। लेकिन क्या भारत सरकार फिर उस पत्र के ऊपर कोई कार्यवाही करेगी?

श्री धर्मपाल चौधरी : आप लिखो तो सही, आपक ही तो सपोर्ट कर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप सुनिए। मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश तो करो। (व्यवधान) मैं सही कह रहा हूं कि राजस्थान से जो लेबर सऊदी अरब और दूसरे अरब कंट्रीज में गयी है, चार पांच साल पहले भी ऐसा मामला हुआ था। अभी तक तो यह होता था कि उसको अगर एक एम्प्लायर हटा देता था तो वह दूसरी जगह काम कर लेता था। अब यह है कि वह जिसके कांट्रेक्ट पर गया है वह कह दे कि तेरा काम पसन्द नहीं आया तो वह चाहे कितना ही कर्जा लेकर गया हो, कितना ही पैसा खर्च करके गया हो उसको वापस पैक कर देते हैं, हिन्दुस्तान भेज देते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : राजस्थान से जो विदेशी मुद्रा कमाकर ला रहे थे उनके सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या है। माननीय श्रम मंत्रीजी यहां मौजूद नहीं हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह भारत सरकार के श्रम मंत्रीजी को निश्चित रूप से पत्र लिखें। (व्यवधान) माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय भी यहां विराजमान हैं, इनसे भी अपेक्षा करूंगा कि राजस्थान सरकार तो पत्र लिखेगी, पर आप भी अपने स्तर पर भारत सरकार और श्रम मंत्रीजी से कार्यवाही इस सम्बन्ध में...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय प्रताप सिंह सिंघवी। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी यहां बैठे हैं और राजस्थान के...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। चूरू, झुंझुनूं और सीकर इन तीनों जिलों से भारी तादाद के अन्दर लोग साठ-साठ हजार, सत्तर-सत्तर हजार, बल्कि लाखों रुपये देकर बाहर जाते हैं, उनको इस तरह से नोटिस मिल गया। हो सकता है इराक

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

को अमरीका की वजह से खतरा हो, यह भी एक कारण है, लेकिन असली कारण है श्रम कानून के अन्दर परिवर्तन। सचमुच में कहना चाहिए यह संवेदनशील मामला है क्योंकि वे हजारों की तादाद में यहां आएंगे और हमारी जो विदेशी मुद्रा है उसमें कमी आएगी। वे इस समय अकाल के वक्त यहां क्या करेंगे, यह बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए निश्चित तौर से राजस्थान सरकार को भारत सरकार को लिखना चाहिए और इस मामले में कुछ न कुछ करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय प्रताप सिंहजी सिंघवी। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : पत्र लिखने में क्या तकलीफ है? (व्यवधान) कौनसा भार पड़ा रहा है? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय सभापति महोदय, सरकार रोज पत्र लिखती है, और एक पत्र की बात अगर गृह मंत्रीजी कर दें, मजदूरों से आपकी विधायक योजना से...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पत्र लिखने में क्या तकलीफ है? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गृह मंत्रीजी क्यों नहीं कहते हैं? (व्यवधान) गृह मंत्री जी लिखेंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपके क्षेत्र की बात करने लग रहे हैं, आपके जिले की बात करने लग रहे हैं, उन गरीब मजदूरों के लिए अगर एक पत्र लिख दें...(व्यवधान) केन्द्र सरकार को पत्र ही तो लिखना है, पत्र लिखना आपकी रोज की आदत है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पत्र लिखने में क्या आपत्ति है? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के आधार पर जो मामला उठाया, उसके बाद नगर व दूसरे विधायकों ने मामले को उठाया है। श्रम कानून में क्या संशोधन किया गया है, क्या नहीं किया गया है, चूरू से आने वाले विधायक या अन्य विधायक के पास में अगर उसकी कोई जानकारी हो तो उपलब्ध कराएं ताकि तथ्यों के आधार पर भारत सरकार को लिखा जा सके। हमें लिखने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन तथ्यों की जानकारी करने पर ही लिखा जा सकता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सारी जानकारी, आप सरकार में बैठे हैं आप मालूम कराइये कि उन्होंने क्या किया। (व्यवधान) आप हमसे क्या जानकारी चाहते हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने कहा है कि आपके पास है तो दीजिए, बाकी भारत सरकार से जानकारी प्राप्त करके कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

बारां से निर्वाचित विधायक के साथ पुलिस द्वारा मारपीट

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान विशेष घटना की ओर दिलाना चाहूंगा, बारां के पूर्व कलक्टर ने झालाड़ा की श्री कृष्ण गौशाला के नाम की जमीन नगरपालिका बारां को हैण्ड ओवर की है वह रियासत के समय कोटा स्टेट ने श्री कृष्ण गौशाला के नाम पर दी थी। इस मामले को लेकर बारां के विधायक शिव नारायणजी धाकड़, किशनगंज के प्रधान मनोज चौधरी और उनके साथी, मुख्य मंत्रीजी से रविवार को दिन के 11.30 बजे के करीब सर्कट हाउस में मिलने पहुंचे। उन्होंने आग्रह किया कि इसमें बहुत ज्यादा करप्शन हुआ है, कुछ लोगों ने नकली ट्रस्ट बना कर तथा ऐसे लोगों को सम्मिलित कर 250–300 बीघा जमीन हड़पने का षड्यंत्र रच रखा है, आप वहां पर नहीं पधारें। यह विवादित मामला है, इसमें करप्शन हुआ है, इसकी जांच करवाइये। उसके उपरान्त भी किसी मंत्री के कहने से शिवनारायणजी की बात नहीं मानी गई। कार में बैठकर मुख्य मंत्रीजी जाने लगे तो शिव नारायणजी और उनके साथी चौधरी वगैरह कार के आगे लेट गये। कार के आगे लेटने के बाद जैसे ही मुख्य मंत्री ने गाड़ी स्टार्ट की, पुलिस ने उनके साथ धक्का–मुक्की की, डंडे मार। उनके साथियों को डंडे मार। वह काफी उम्र के हैं, सभापतिजी, आपकी उम्र के हैं, करीब 60–70 की उम्र के हैं। हमसे बड़े उनके बच्चे, बच्चियां, नाती, पोते हैं। (व्यवधान) उनको इस तरह पीटा गया, धक्के दिये गये। उनको आत्मग्लानि हुई कि उनको सीवियर अटैक आया। उनको तुरन्त जिला चिकित्सालय बारां में भेजा गया, वहां से कोटा लाया गया और कल जयपुर के लिए रैफर कर दिया गया। हमको विशेष चिंता है। चिंता इस बात की है कि माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य हैं। इसमें कोई पार्टीबाजी का सवाल नहीं होना चाहिए। उनके साथ चार मंत्री और थे–श्रीमती कमलाजी, रामकिशनजी थे, शांति धारीवालजी थे, राम गोपाल बैरवा थे, इनके आपस की कोई ग्रुप बाजी हो बात अलग है। इस तरह सरे आम विधायक को पीटना, मुख्य मंत्री के सामने विधायक को पुलिस द्वारा पीटा जाना, यह घोर निंदनीय है। हम सबको मिलकर इसकी निंदा करनी चाहिए। कोटा, बारां पुलिस के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव सदन में पारित करना चाहिए। एक वरिष्ठ विधायक जो सन् 1972 से इस विधान सभा के सदस्य बनते आ रहे हैं, पहले दो बार प्रधान रहे हैं, उन्हें मुख्य मंत्री के सामने पुलिस द्वारा इस तरह डंडे मारना उनके साथ दुर्व्यवहार करना, धक्का–मुक्की करना घोर अशोभनीय है, मैं और मेरी पार्टी इस मामले की घोर निंदा करते हैं। मैं कांग्रेसी सदस्यों से भी चाहूंगा कि वह आपकी पार्टी के सदस्य हैं, आप भी इस बात की घोर निंदा करें। इतने सीनियर सदस्य को मुख्य

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

मंत्रीजी के सामने, पांच मंत्रियों की मौजूदगी में पीटा जाए, धक्का मारा जाए और उनको इतनी आत्मग्लानि हो कि उनके सीवियर अटैक हो जाए। उनका लड़का डाक्टर है मनोहर नागर, मैंने उससे बात की, वह मेरे साथ पढ़ा हुआ है। लड़के ने बताया कि मेरे पिताजी उद्वेलित हो रहे हैं, इतने अपसैट हैं कि शायद एक दो दिन में विधान सभा से भी इस्तीफा दे दें। खैर, यह उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन एक विधायक के साथ इस तरह का व्यवहार हो और उनकी पूरी धाकड़ जाति को अपमानजनक शब्द बोले जाएं, उनको गुरगुलिया किया जाए, यह बहुत ही अशोभनीय है। हाड़ौती की जनता, विशेषकर बारां जिले की जनता इस बात को बरदाश्त नहीं करेगी। मैं सभी माननीय सदस्यों, विशेष कर कांग्रेस के सदस्यों से यह चाहूंगा कि इस मामले में उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करें जिन्होंने शिव नारायणजी के साथ इस तरह का बर्ताव किया है। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात इस लोकतंत्र में कुछ हो ही नहीं सकती। (व्यवधान) एक सत्तारूढ़ दल का विधायक अपनी न्यायसंगत मांगें मुख्य मंत्रीजी के सामने रखे और मुख्य मंत्री व चार-चार मंत्रियों की उपस्थिति के अन्दर उसकी इतनी निर्मम पिटाई हो कि वह जीवन और मृत्यु के बीच में राज्य के सवाई मानसिंह अस्पताल में है। सभापति महोदय, यह एक विधायक का अपमान नहीं है, यह सारे सदन का अपमान है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : इस सदन को बताया जाए कि उनकी हालत कैसी है। (व्यवधान) सदन इस बात के लिए बड़ा भारी चिंतित है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहूंगा, गृह मंत्रीजी वक्तव्य दें। इस बात के लिए सरकार का वक्तव्य आना चाहिए, यह छोटी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : 6-6 एम.एल.ए. पहले पिटा दिये, यह सातवें एम.एल.ए. का नम्बर है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अवगत कराइये। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : यह पार्टीबाजी का मामला नहीं है, यह पार्टी बाजी छोड़कर सारे सदस्यों का सवाल है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सदस्य की हालत कैसी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकार की तरफ से वक्तव्य होना चाहिए। (व्यवधान) यह लोकतंत्र की हत्या है। 4-4 मंत्रियों की उपस्थिति में और मुख्य मंत्री के निर्देशन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर एक हरिजन विधायक को पिटाया जाए, यह पूरी हरिजन जाति का अपमान है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : सात-सात विधायक पिट चुके...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ओल्ड एज का है, सज्जन आदमी है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : 70 साल की उम्र है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ये सारे एम.एल.ए. को पिटवाना चाहते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : उनकी हालत कैसी है, उनकी हालत क्या है...(व्यवधान) यह सदन को बताया जाए, सदन की जानकारी चाहता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमें चिंता है, उनकी हालत क्या है। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी पूरी घटना पर वक्तव्य दें और स्वास्थ्य मंत्रीजी यह बताएं कि आज उनकी हालत क्या है। जीवन-मृत्यु के बीच वह संघर्ष कर रहा है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय सभापति महोदय, जो विषय माननीय सदस्य द्वारा सदन के सामने आया है, गृह मंत्रीजी को शायद इसकी जानकारी पूर्व में होगी। यह सदन यह जानना चाहता है कि वास्तव में क्या स्थिति थी, इस समय विधायक की शारीरिक स्थिति क्या है, उनका इस समय किस प्रकार का स्वास्थ्य है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी है और आपका यह दायित्व होता है। उसका क्या पक्ष और विपक्ष हो सकता है, वह अलग बात है लेकिन वस्तुस्थिति, इस सदन के माननीय सदस्य के साथ जो कुछ हुआ उसकी जानकारी सदन के प्रत्येक सदस्य को जानने की इच्छा है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि वह इस सारे घटनाक्रम को सदन के सामने रखें जिससे हम सब लोग जान सके और उसके आधार पर हम अपनी कोई बात कहने की स्थिति में रहे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैंने यह बहुत गम्भीर मामला उठाया है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पुलिस किसी के भी साथ, किसी भी विधायक के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करे। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। (व्यवधान) आप वक्तव्य दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं, आप सुनिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक के सम्बन्ध में जो तथ्य यहां रखे गये हैं, मैं समझता हूं ऐसा कोई मामला नहीं था। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सुने ना, आप सुने। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह सही है कि माननीय विधायक ने मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध किया था कि उस कार्यक्रम में न जाएं। यह तो सही है। वह उनकी कार के आगे आ गये थे, अधिकारियों ने उनको वहां से अलग कर दिया। पिटाई की बात निरर्थक है। यदि माननीय विधायक कहते हैं कि पिटाई हुई तो मैं उसकी जांच कराने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप जांच करा लें। उनके लड़के ने मेरे से कहा है। (व्यवधान) वह मेरे साथ पढ़ा है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उनका लड़का वहां मौजूद था क्या? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस वक्त अस्पताल में हैं या कहां हैं? (व्यवधान) अस्पताल में हैं क्या? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय गृह मंत्रीजी, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा है।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, इनके पास बहुमत बहुत है, इन्हें एक एम.एल.ए. की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) अभी कहा गया कि पिटाई की गयी है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं कहता हूं कि कोई पिटाई नहीं की गयी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम यह जानना चाहते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : कितनी चोटें लगी हैं, मंत्रीजी बताएंगे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय सदस्य चाहेंगे कि मुख्य मंत्रीजी के सामने बात रखें। एक एम.एल.ए.....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : वह सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती हैं और स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट बिराजिये आप। (व्यवधान) विपक्ष के नेता महोदय ने...(व्यवधान) सुनो तो सही आप, सुन तो ले।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, क्या यह बताने की बात है? वह कुछ नहीं बताएं? (व्यवधान) इस समय क्या स्थिति है उनकी? (व्यवधान) अस्पताल में क्या बीमारी है, कितने बीमार हैं, क्या स्थिति है, क्या डाक्टरों का कहना है, क्या डाक्टरों की रिपोर्ट है, यह तो बता नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने...(व्यवधान) आप नहीं बैठेंगे क्या? आप सुनिये, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : लीपापोती कर रहे हैं, कार के आगे आ गये। आ गये, या लेट रहे थे? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मुख्य मंत्रीजी के आगे लेटने से तो स्थिति और गम्भीर हो गयी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक भ्रष्ट मंत्री को...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कोई पिटाई नहीं की गयी, मैं फिर कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप कहते हैं उठाया है। पुलिस ने और वहां से लाकर सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करा दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बात सुन लें आप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ मंत्री को बचाना चाहते हैं आप। एक भ्रष्ट मंत्री को तो, गऊ शाला के गाय के चारे को तो खा गये लोग +++ लेकिन यहां का एक मंत्री खा गया। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेवजी, बिराजिये। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, ऐसे नहीं चलेगा सदन। मन में आये जो आरोप लगाएंगे क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : खा गये गौशाला के पैसे को। (व्यवधान) एक गौशाला के पैसे को खा गये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये, बिराजिये। मंत्री महोदय, बिराजिये।

डा. सी. पी. जोशी : मन में आये जो बोलते जा रहे हैं, यह स्थिति ठीक नहीं है। (व्यवधान) मन में आये जो बोलते रहे, यह कोई तरीका है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : खा गये गौशाला के पैसे को। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, मंत्री महोदय। बिराजिये, आप भी बिराजिये, माननीय

+++ नाम/ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सभापति)

सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान) माननीय श्रवण कुमारजी, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जो पैसा खा गये, गौशाला का चारा खा गये, गौशाला की जमीन बेच खायी। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : रिकार्ड में है, मन से जो बोलते हैं। माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अपनी जगह से बोलो। (व्यवधान)

श्री सभापति : एक मिनट, बिराजिये। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, हर सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ ने जमीन बेच खायी। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : कभी कोई सदस्य कुछ कह देते हैं, यह तो कोई तरीका नहीं है। आप प्रोसिडिंग उठाकर देख ले, माननीय ज्ञानदेवजी हर एम.एल.ए. पर आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान) पागल कहते हैं किसी को। (व्यवधान) यह उस जिले का केस है क्या? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एक माननीय सदस्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार उचित है क्या? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप कम से कम इतना तो रखिये कि कोई बात को हम कहें...(व्यवधान) मन में आए जैसे आरोप लगाना...(व्यवधान) यह तो कोई तरीका नहीं हुआ।

एक माननीय सदस्य : आपसे ज्यादा सीनियर हैं ये...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक भ्रष्ट मंत्री चारा खा गये, गौशाला की जमीन को खा गये। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मंत्री के इशारे पर एक विधायक को पिटवाया गया। यह घोर निन्दनीय है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, आप बिराजिये। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : 5 दिन से देख रहे हैं जो मन में आए बोल रहे हैं। (व्यवधान) यह माननीय सदस्य +++ हैं,...(व्यवधान) यह ऐसे नहीं चलेगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : +++ की तरह मंत्री यहां की जमीन खा गये, चारे को खा गये। (व्यवधान)

+++ नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : आप बिराजिये, बिराजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एक एम.एल.ए. पिट रहा है और आप बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिये, आप आसन को मजबूर मत कीजिए, आपकी बात आ गयी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भ्रष्टाचार का विरोध सत्तारूढ़ पार्टी का एम.एल.ए. कर रहा है। (व्यवधान) सत्तारूढ़ पार्टी का एम.एल.ए., उसको मारा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये मैं कह रहा हूं, आप बिराजिये। माननीय सदस्य, एक बात उठी पहले भी एक माननीय सदस्य ने उठाया प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैंने उनकी बात को कोई...(व्यवधान) उनकी बात को दुबारा दोहराया नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये ना। (व्यवधान) कुछ अंकित नहीं हो रहा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। एक बात आयी, माननीय सदस्य की स्थिति क्या है, हमें चिन्ता है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने एक बात कही। गृह मंत्रीजी ने कहा इस मामले की मैं जांच करा लूंगा। जांच कराने के बाद में आपके सामने सब स्थिति आ जाएगी, अब और क्या चाहते हैं इस वक्त? इस वक्त और क्या चाहते हैं और क्या हो सकता है?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री रामप्रताप : ×××

श्री सभापति : मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से जानना चाहता हूं, इससे अधिक और क्या चाहते हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक विषय जो था वह यह है कि जांच करके आप सदन की जानकारी में दे दें। लेकिन दूसरा एक विषय जो पूछा है उसके बारे में आप मौन रह गये। अभी उनका स्वास्थ्य कैसा है, यह भी जानकारी आप दे। आधी बात आपने बतायी नहीं। (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : उनका स्वास्थ्य ठीक है। सवाई मानसिंह अस्पताल में उनका सब परीक्षण चल रहा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री सभापति : क्या एक मिनट के लिये माना जाए, जो कुछ प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा है और जिस प्रकार से आज प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने गृह मंत्रीजी को कहा, उन्होंने उस बात को मान लिया? उससे

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सभापति)

संतुष्ट हैं? प्रतिपक्ष के नेता महोदय की संतुष्टि के बाद में आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कुछ अंकित नहीं हो रहा है। बिराजिये। मंत्रीजी ने यह कहा है कि उनकी जांच चल रही है। आप सब बातें तो सुनते नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री सभापति : धोद से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराजिये। यह बात जो आप कह रहे हो...(व्यवधान) गृह मंत्रीजी कोई यहां जानकारी दे, उसके बाद में आप सब पूछ लेना। इस वक्त तो प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा, गृह मंत्रीजी ने वे सब बातें मान लीं। (व्यवधान) आप बैठ जाइये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री सभापति : यह बरदाश्त नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से पुकारता हूं। मैं आपको नाम से पुकारता हूं। क्या ले लिया यह? यह नहीं होगा, नहीं चलेगा ऐसा। सदन की कार्यवाही सदन के हिसाब से चलेगी। (व्यवधान) मैं आपको नाम से पुकारता हूं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपका नाम भी जानता हूं। मैं आपको भी नाम से पुकारता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

डा. महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, आपके नाम से पुकारे जाने के बावजूद भी यह आसन का...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से पुकारता हूं और अगला स्टैप लेने के लिए मुझे बाध्य मत कीजिए। वह भी लेने में कोई हिचक नहीं आएगी। अब आप बिराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

डा. बी. डी. कल्ला : कोई पीटा नहीं गया। फालतू की बात कर रहे हो आप। कोई पीटा नहीं गया।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, थोड़ी-सी मेहरबानी कर लीजिए मेरे पर आप। (व्यवधान) यह मामला शांत होने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री सभापति : उनकी जांच चल रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने कहा कि उनकी जांच चल रही है। जांच के लिए उनको...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री सभापति : आप बिराजिए न। माननीय सदस्य, उनकी जांच चल रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सदन को आज...(व्यवधान) आप बिराजिए न, बहुत महत्वपूर्ण विषय सामने आने वाला है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री रामनारायण विश्नोई : ×××

श्री सभापति : आप तो बहुत सीनियर हो, आप बिराजिये। (व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि गम्भीर विषय हमारे सामने आ रहा है। अकाल, पेयजल और पशु संवर्द्धन के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा होने वाली है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि आप बिराजिए।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री सभापति : आप बिराजिए।

डा. बी. डी. कल्ला : यह गलत है, यह बिलकुल गलत है। गलत है। कोई उसकी पिटाई नहीं हुई है।

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) : यह आरोप गलत है। माननीय गृह मंत्रीजी ने स्वयं ने कहा है कि उनकी कोई पिटाई नहीं हुई और यह अभी...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री बनवारी लाल बैरवा : आप यह असत्य फरमा रहे हैं। यह बात सत्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री बनवारी लाल बैरवा : पिटाई नहीं की गई, यह गृह मंत्रीजी ने कहा है अभी। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, अंकित नहीं हो कम से कम यह आरोप। (व्यवधान)

श्री सभापति : अंकित नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह आरोप निराधार है।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

डा. महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये आरोप हैं, मेहरबानी करके वे अंकित नहीं कराएं। (व्यवधान)

श्री सभापति : हां, बिराजिये। बिराज जाएं आप।

श्री रामनारायण विश्नोई : ×××

श्री सभापति : मैं आपसे विनय करता हूं कि आप बिराज जाइये।

डा. सी. पी. जोशी : यह चर्चा समाप्त करिये आप अब।

श्री सभापति : समाप्त कर दिया न।

डा. सी. पी. जोशी : आप आगे शुरू करिये।

श्री सभापति : समाप्त कर दिया। माननीय अकाल राहत मंत्री।

श्री रामनारायण विश्नोई : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

राज्य में अकाल, पेयजल एवं पशु संवर्द्धन की स्थिति पर विचार

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता एवं पुनर्वास मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में अकाल, पेयजल एवं पशु संवर्द्धन की स्थिति पर विचार किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सभापति : माननीय श्री संयम लोढ़ा। (व्यवधान) मैंने उनको काल कर लिया, आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : ×××

श्री सभापति : आप बिराज जाएं, उनको काल कर लिया। विषय ही दूसरा आ गया। माननीय सदस्य, विषय दूसरा आ गया है। माननीय सदस्य, सदन के विचार में दूसरा विषय आ गया है। लोढ़ा साहब, आप चालू रखिये। करिये-करिये।

श्री रामनारायण विश्नोई : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी, माननीय सदस्य द्वारा कागजात सदन पटल पर रखे गये)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, 55 साल पहले जब देश को आजादी मिली तो देश के बहुत-से इलाकों में और बहुत-सी आबादी के वर्ग में भूख की समस्या विद्यमान थी। भूख की समस्या, माननीय सभापति महोदय, इन 55 वर्षों के बाद में भी विद्यमान है। यद्यपि, खाद्य भण्डारों के लिहाज से भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर, भारत की उपलब्धियों को लेकर कई बार चर्चा होती है लेकिन

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री संयम लोढ़ा)

उस उपलब्धि का मूल्यांकन हमारी आंखों से देखे हुए, यथार्थ की रोशनी में करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, आजादी से पहले भारत की कृषि ठहराव की हालत में थी, लेकिन उसके बाद भारतीय कृषि के क्षेत्र में तकनीक का उपयोग किया गया। तकनीक के उपयोग के क्षेत्र का विस्तार किया गया और उसका लाभ देश को मिला। भारत खाद्य उत्पाद की दृष्टि से आत्मनिर्भर बना। आज, सभापति महोदय, भारत के लोगों के सामने जो कठिनाई है, भारत के गरीब लोगों के सामने जो समस्या है, खाद्य उत्पादन व उपलब्धता की दृष्टि से तो हम कह सकते हैं कि देश के अनाज भण्डार भरे हुए हैं।

(13.36 बजे)

(मोहम्मद माहिर आजाद, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से, एक मिनट की अगर आप आज्ञा दे दे तो...(व्यवधान)

श्री सभापति : क्या विषय है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, अभी सदन में जो विषय आया था उसमें आपने पहले यह व्यवस्था दी थी कि गृह मंत्रीजी पूरी बात की जानकारी करके इस सदन को सूचित करेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : वह तो खतम हो गया न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह समय हो बता दे, आज सूचित करेंगे शाम को चार पांच बजे तक तो हमारी जिज्ञासा समाप्त हो जाए। हमारे साथ का एक आदमी जिन्दगी–मौत से जूझे तो मन में पीड़ा रहती है, इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप समय निश्चित करवा दीजिए। हम इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कह दिया आपकी...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय गृह मंत्री ने कह दिया, आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे, जल्दी से जल्दी सदन को अवगत करा देंगे। आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज दे देंगे वक्तव्य? कब देंगे?

श्री सभापति : आप बिराजिये। संयम लोढ़ाजी। जारी रखिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज, सभापति महोदय, यह...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : यही तो पूछ रहे हैं कि स्टेटमेंट कब देंगे। सभापति महोदय, आपसे इतनी ही गुजारिश है कि माननीय गृह मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय डाक्टर रामप्रतापजी, आप सदन के वरिष्ठ सदस्य

(श्री सभापति)

हैं, मंत्री रहे हुए हैं, आपको पता है कि सरकार की तरफ से स्टेटमेंट कब आता है।

श्री रामप्रताप : कब आता है?

श्री सभापति : इसलिए आप...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : हमें कल का कह दे। बताएं तो सही कम से कम।

श्री सभापति : वह गृह मंत्रीजी बता देंगे। गृह मंत्रीजी बता देंगे, आप बिराजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कब आएगा, समय बता दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम आसन का आदर करते हैं, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप समय ही बता दीजिए। और कोई नहीं पूछ रहे हैं।

श्री रामप्रताप : हम आपकी बात का कोई प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं। समय बता दें सिर्फ। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप समय बता दे, सभापति महोदय।

श्री रामप्रताप : आप समय बता दे।

श्री रामनारायण चौधरी : समय 11 से 5 का है।

श्री सभापति : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी। माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सभापति महोदय, यह स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि कोई पिटाई नहीं की गई, फिर ज्यादा से ज्यादा इसमें और क्या...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप वक्तव्य दे दें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ठहरिये, ठहरिये आप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप वक्तव्य दे दो, आप पूरे तथ्य बता दो। वक्तव्य दे दे, समय बता दीजिए।

श्री रामप्रताप : इसमें क्या दिक्कत है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरी बात सुनिये। जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता हूं। आप बीच-बीच में क्यों बोलते हैं?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप कोई टाइम तय कर दीजिए, साहब।

श्री रामप्रताप : माननीय सभापति महोदय, अगर उनको कुछ नहीं हो रहा है तो वे...(व्यवधान)

श्री सभापति : इस पर खूब चर्चा हो चुकी है। आपने अपनी बात कह दी, माननीय गृह मंत्रीजी ने अपनी बात कह दी। प्रतिपक्ष के नेता के बोलने के बाद आपके बोलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सभापति महोदय, मैंने विषय को इसलिए

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पूरा कर लिया, आपने कहा था कि हम जानकारी करके जानकारी देंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने उसके बावजूद भी...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने यह कहा था कि...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उसके बावजूद भी प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जब यह कहा तो मैं पूरे तथ्यों की जानकारी करके मैं इस सदन को अवगत करा दूंगा, मैं यह कह चुका हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ठीक है बस, वही तो बात पूछ रहे हैं हम।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : लेकिन कब?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप आज ही करवाएंगे या कल बताएंगे?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरे पास सारे तथ्य आने पर मैं जानकारी दे दूंगा सदन में। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, नहीं सारे तथ्य नहीं हैं। एक तरफ वे मौत से जूझ रहे हैं। हास्पिटल में क्या खुशी से रख रखा है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ऐसा है कि मैंने अभी जानकारी की...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सवाल, एक माननीय सदस्य का हास्पिटल में भर्ती रहना, यह सारे सदन के लिए चिन्ता का विषय नहीं है क्या? हम यह जानकारी चाहते हैं इसीलिए तो कह रहे हैं कि डिले करने की क्या जरूरत है। आपके पास जब तथ्य हैं तो शाम तक दे दीजिए कि क्या स्थिति है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य मंत्रीजी ने बताया कि उनका परीक्षण किया गया है और वे स्वस्थ्य हैं। लेकिन जो चार्ज लगाये गये...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम अभी कुछ नहीं चाहते हैं, आप समय तय कर दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप समय तो तय कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह चार्ज लगाया गया है कि उनकी पिटाई की गई है, वह...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप तो समय तय कर दीजिए। आप अपनी सारी जांच करके हमको कब तक, शाम तक सदन समाप्त होने के पहले पहले इस सारे विषय की जानकारी दे देंगे। यही तो चाहते हैं और क्या, इसमें बात क्या है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, इसमें तीन मुद्दे

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

आपने उठा दिये। एक तो क्या पिटाई की पुलिस ने, पिटाई हुई या नहीं हुई? (व्यवधान) सुनिये तो सही मेरी बात को। आपने मुद्दा उठाया पिटाई करने का और बड़े जोर-जोर से इस मामले को उठाया गया जबकि मैंने उसको डिनाई किया कि पिटाई नहीं हुई। यह सही है...(व्यवधान) धक्का-मुक्की की तो आप जो कह रहे हो, वह बात उन्होंने कही लेकिन चार्ज लगाया कि पिटाई की गई वह...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यस। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हां, तो ठीक है इसकी मैं...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : धक्का-मुक्की भी की और पिटाई भी की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो आरोप लगाया है उस आरोप पर हम अब भी खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय, यह...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसकी मुझे जांच करनी पड़ेगी कि पिटाई किसने की, कब हुई, किस तरह से हुई। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : साथ-साथ, किसने कराई?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हां, अमराराम जी, साथ-साथ किसने करायी? उसके बाद उनका वहां स्वास्थ्य किस कारण से बिगड़ा, उनको हास्पिटल में रैफर किया गया या वहां डाक्टर को बुलाया गया और फिर उसके बाद उन्होंने कोटा क्यों रैफर किया और कोटा से जयपुर क्यों किया-इसमें ये सारे तथ्य हैं, मैं इनकी निश्चित जानकारी करके कल स्टेटमेंट दे दूंगा।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री सभापति : माननीय संयम लोढ़ाजी।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि खाद्यान्न के भण्डार के लिहाज से कोई समस्या नहीं है। लेकिन गरीब लोगों के सामने समस्या यह है कि उनकी क्रय शक्ति नहीं है। उस उपलब्ध खाद्यान्न को खरीदने की क्षमता उनकी नहीं है, उनकी स्थिति वैसी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे यहां आम नागरिक ही हालत पोषण की दृष्टि से कोई अच्छी नहीं है। हमारे देश के आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उनको सामान्य पोषाहार भी नहीं मिल पाता। हमारी आधी वयस्क महिलाएं जब अपने गर्भ में बच्चे को धारण करती हैं, उस

(श्री संयम लोढ़ा)

वक्त भी वे कुपोषण का शिकार होती हैं। आंकड़े गवाह हैं, माननीय सभापति महोदय, हमारे देश की आधी महिलाएं एनिमिया से पीड़ित हैं और जिन बच्चों को वे जन्म देती हैं, वे कुपोषण की हालत में पैदा हुए बच्चे होते हैं। कुपोषण की स्थिति में जब गर्भवती मां अपने बच्चे को जन्म देती है, उनमें से अधिकांश बच्चे बड़े होकर दिल के मरीज हो जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, 55 वर्ष की आजादी के बाद भी देश की बहुत बड़ी आबादी के लोगों का जीवन स्तर सामान्य बनाने की दिशा में भी हम सक्षम नहीं हो पाये और हमारा रिकार्ड इस मामले में दुनिया के दूसरे मुल्कों से खराब है। अफ्रीका में जहां हमसे भी भयावह और खतरनाक अकाल पड़ते हैं, सहारा रेगिस्तान है, कुपोषण के मामले में अफ्रीका के देशों का रिकार्ड हमारे से भी अच्छा है। पिछले कुछ समय में देश में जुडीशियल एक्टिविज्म का दौर शुरू हुआ और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह सोचा, यह विचार किया कि देश के आम आदमी, देश के आम बच्चे के लिये रोटी उसके अधिकार में हो, खाद्य पदार्थ लेने का उसको अधिकार दिया जाए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए, माननीय सभापति महोदय, सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि वे करोड़ों बच्चे जो कुपोषण का शिकार हैं, उनको भोजन मिलना चाहिये। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को, कि उन्होंने अपनी तरफ से पहल करते हुए उस फैसले को स्वीकार किया। आप और पूरा देश जानता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है, आज राज्य इस स्थिति में नहीं है कि इन जिम्मेदारियों का दायित्व निर्वहन कर सके। लेकिन तमाम वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने 120 करोड़ रुपये खर्च करके राजस्थान में मिड-डे-मील योजना लागू की और वे लाखों बच्चे जो कुपोषण का शिकार हो सकते हैं या होने की सम्भावना हो सकती है, उनको पोषाहार उपलब्ध कराने की कोशिश की। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला पूरे देश के लिये दिया था, कुपोषण के शिकार देश के लाखों बच्चों के लिये दिया था लेकिन देश की सरकार इस फैसले को लागू नहीं करा सकी। हो सकता है बहुत-से राज्यों की आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि वे इस अतिरिक्त खर्च का भार नहीं उठा सकते हों, लेकिन क्या भारत वर्ष की जनता द्वारा निर्वाचित सरकार का यह दायित्व नहीं कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की पालना वह सुनिश्चित करे? देश के लाखों बच्चे जो कुपोषण का शिकार हैं, उनके लिये पोषाहार प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें?

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार कृषि के क्षेत्र में हर साल 21 हजार करोड़

(श्री संयम लोढ़ा)

रुपये की सब्सिडी देती है। इसलिये देती है कि देश की पैदावार बढ़े, देश खाद्यान्न उत्पादन में मजबूती के साथ दुनिया के बीच में खड़ा हो सके। माननीय सभापति महोदय, 1998 के आंकड़ों को आधार माने तो भारत सरकार के गोदामों में करीब डेढ़ करोड़ टन अनाज था और आज का आधार रखे तो पांच करोड़ टन के आस पास पहुंचता है, कुछ आगे-पीछे भी हो सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ज्यांडेज के एक रूपक को आधार माने तो गेहूं की इन बोरियों को आप एक कतार में खड़ा रखे तो 10 लाख किलोमीटर तक वे गेहूं की बोरियां ऊंचाई छूती हैं। माननीय सभापति महोदय, आप एक बार चन्द्रमा को छूकर उन बोरियों के सहारे वापस आ सकते हैं। देश के गोदामों में इतने करोड़ टन अनाज पड़ा हुआ है। पर देश की सरकार की उपलब्धि क्या है? इस पूरे एक साल के अन्दर भारत सरकार सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्दर मात्र 70 लाख लोगों को लाभान्वित कर सकी है। माननीय सभापति महोदय, 100 करोड़ से ज्यादा बड़ी आबादी के मुल्क में 70 लाख की आबादी को लाभान्वित करना और वह भी तब जब अनाज का करोड़ों टन स्टॉक आपके पास पड़ा हो, क्या दर्शाता है? जो लक्ष्य निर्धारित किया, उस लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर सके। माननीय सभापति महोदय, आपकी तो जानकारी में है कि राजस्थान लगातार अकाल का सामना कर रहा है। आपकी जानकारी में यह भी है कि अकाल राहत के काम में 10 किलो गेहूं दिया जा रहा है। वे कौनसे कारण थे कि जब भारत सरकार के गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं तब राजस्थान के गरीब आदिवासी को, दलित को, मजदूर को, जरूरतमंद को 10 किलो अनाज देने के मामले में कटौती करने का फैसला करना पड़ा? आज राजस्थान सरकार को इस बात के लिये बाध्य किया जा रहा है कि उस मजदूर को छह किलो गेहूं दिया जाए और जो संवेदनशील ब्लाक छांटे गये, उनमें 8 किलो गेहूं दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, इस तकलीफ के मौके पर, इस कठिनाई के मौके पर किसी भी दृष्टि से इस तरीके की राजनीति करना उचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अकाल को लेकर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान भी बहुत चर्चाएं हुईं। उस दौरान भी कई आरोप लगाने के प्रयास किये गये। पूर्ववर्ती समय में जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था, मैं पूछना चाहूंगा कि उस दौरान भी अकाल रहा, लेकिन आपने अकाल की घोषणा कब की? माननीय सभापति महोदय, 1991-92 में जब राजस्थान के 30,041 गांवों में अकाल था, तब इन्होंने अकाल की घोषणा 22 फरवरी को की। 1992-93 में अकाल की घोषणा की गयी 2 अप्रैल को। 1993-94 में 31 जनवरी को, 1995-96 में 30 नवम्बर को, 1996-97 में 12 मार्च को, 1997-98 में

(श्री संयम लोढ़ा)

4 अप्रैल को और 1998-99 में 30 सितम्बर को की गयी। इसलिये की गयी कि वह चुनाव का वर्ष था, इसलिये इतने समय पहले उसकी घोषणा की गयी। लेकिन सरकार ने लगातार अकाल को देखते हुए 29 जुलाई को राजस्थान के अन्दर अकाल की घोषणा की।

अकाल को लेकर यहां बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि 1991-92 में इन्होंने अकाल राहत कार्यों पर कितना पैसा खर्च किया? जब राजस्थान के 30,041 गांव अकाल से प्रभावित थे, इन्होंने राहत गतिविधियों पर खर्च किया 5 करोड़ 75 लाख। आप अन्दाजा लगाइये कि अकाल को लेकर या आम-आदमी की समस्या को लेकर, आम-आदमी की कठिनाई को लेकर इनकी क्या सोच रही होगी। और तब गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इनको पैसा कितना दिया था? 93 करोड़। 93 करोड़ रुपये देने के बावजूद, राजस्थान के 30,041 गांव प्रभावित होने के बावजूद उस वक्त अकाल राहत पर इन्होंने खर्च किये 5 करोड़ 75 लाख। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से 1993-94 में जब राजस्थान के 22,586 गांव अकाल से प्रभावित थे, और तत्कालीन भारत सरकार ने इनको 93 करोड़ रुपये दिये थे, इन्होंने खर्चा कितना किया? सभापति महोदय, सिर्फ 34.19 करोड़ रुपये। ये सब बातें अपने आप में इस बात को जाहिर करती हैं कि अकाल को लेकर इनका सोच क्या रहा।

सभापति महोदय, आज इस शताब्दी के इतिहास में पहली बार राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने कितनी पहले राहत कार्य शुरू किये, इस बात की सब को जानकारी है। अकाल राहत की गतिविधियों के माध्यम से कई सकारात्मक संदेश देने की इस सरकार ने कोशिश की। आरोप तो कई लोग लगा सकते हैं, मुझे पूरे राजस्थान में घूमने का अवसर नहीं मिला लेकिन मैं अपने जिले के आधार पर कह सकता हूं कि पूरे जिले में किसी भी गांव में एक भी परिवार ऐसा नहीं है कि जिस को रोजगार की जरूरत हो और रोजगार नहीं मिल रहा हो। पूरी तरह सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक गांव में अगर कोई जरूरतमंद परिवार अकाल राहत के काम पर लगना चाहता है तो उसको अकाल राहत के अन्दर मजदूरी उपलब्ध हो। विगत 50 सालों में और उससे भी पूर्व से महात्मा गांधी, पण्डित जवाहर लाल नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य महापुरुषों ने जो सामाजिक परिवर्तन का रास्ता बनाया था उस सामाजिक परिवर्तन के रास्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश इस सरकार द्वारा अकाल राहत में कामों के माध्यम से भी की जा रही है।

सभापति महोदय, जो फेमिन के काम खुलते हैं उसके अन्दर इस बात की भरसक

(श्री संयम लोढ़ा)

चेष्टा की जाती है कि अगर महिला पढ़ी लिखी उपलब्ध हो तो मेट उसको लगाया जाए। उसके माध्यम से मैं समझता हूं, सरकार का यह संदेश पूरे आमो-अवाम तक जाता है कि पढ़ी-लिखी होना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वह लड़की पांचवीं पास हो, चाहे आठवीं पास हो। पढ़ी-लिखी को ढूंढ़ कर मेट लगाया जाता है तो सारी दूसरी महिलाओं को इस बात का एहसास होता है कि वह मेट इसलिए लगी है कि वह पढ़ी-लिखी है। इसके माध्यम से पूरे समाज में शिक्षा के प्रसार का एक प्रयास सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। हमारी नेता सोनिया गांधीजी का यह संकल्प रहा है कि हमारी जो महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, जो हमारे समाज की आधी ताकत है उसका पूरा उपयोग होना चाहिए। अकाल राहत के काम में जब महिला श्रमिक को मेट लगाया जात है तो उस मेट के मार्गदर्शन में, उस मेट के निर्देशन में पूरा श्रमिक वर्ग काम करता है, इस तरीके से निचले स्तर पर अकाल राहत की गतिविधि के माध्यम से महिला नेतृत्व को भी आगे बढ़ाने का काम इस सरकार द्वारा किया जा रहा है।

सभापति महोदय, आलोचना करने को बहुत की जा सकती है, लेकिन जब अकाल राहत के काम पर जाकर आप श्रमिकों से मिलते हैं तो उनकी क्या भावना होती है, उनके क्या वचन होते हैं वे अपने आप में संदेश देते हैं कि सरकार के प्रति उनकी क्या भावना है। वे यह कहते हैं कि राम रूठा पर राज नहीं रूठा। आज इस तकलीफ के समय में अगर सरकार की मदद नहीं होती तो लोगों का जीवन-यापन करना मुश्किल हो जाता। सभापति महोदय, गेहूं और नकद द्वारा जो सहायता सरकार के माध्यम से उनको मिल रही है, पूरी तरह से एक संतोष का वातारण राजस्थान के आमो-अवाम में है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले चार साल में अकाल राहत का प्रबन्धन जिस वैज्ञानिक तरीके से सरकार द्वारा किया गया, वह अपने आप में एक मिसाल है। पहले अकाल राहत के काम चलते थे तो मजदूर काम कहीं करते थे, उनका पेमेंट होता था या नहीं, इन सारी बातों को सुनिश्चित करने का कोई प्रबन्धन नहीं था। आज काम करने वाली एजेंसी दूसरी है, मजदूर लगाने वाली एजेंसी दूसरी, उनका भुगतान करने वाली एजेंसी तीसरी। इस तरीके से प्रबन्धन किया गया है कि किसी भी तरह की अनियमितता और भ्रष्टाचार की कोई सम्भावना ही नहीं बची। सरकार ने जो यह प्रबन्धन किया है, एक आम श्रमिक को उसका पूरा फायदा सुनिश्चित किया है। और वह मिल रहा है, इसलिए मैं अपनी ओर से, राजस्थान के राहत मंत्रीजी को, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, राजस्थान के इन अकाल कार्यों के प्रबन्धन की सराहना पूरे देश

(श्री संयम लोढ़ा)

में महामहिम राष्ट्रपतिजी ने महामहिम उप राष्ट्रपतिजी ने, लोक सभा में प्रतिपक्ष की नेता सोनिया गांधीजी ने की है। समय-समय पर सब ने राजस्थान में इन गतिविधियों का अवलोकन किया है और राजस्थान सरकार के बेहतरीन प्रबन्धन के लिए उसकी सराहना की है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज अकाल राहत के तहत राजस्थान में करीब 87086 कार्य चल रहे हैं जिन पर 18 लाख 82 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। हर नौ दिन के पखवाड़े के बाद श्रमिकों का परिवर्तन किया जाता है और उसके माध्यम से करीब 55 लाख लोग इन अकाल राहत कार्यों से लाभान्वित हो रहे हैं। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने 15 फरवरी तक करीब 17 करोड़ 5 लाख मानव दिवस का संकलन इन अकाल राहत कार्यों के माध्यम से किया है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत के काम पर जब तक हम लोग सरकार में नहीं आये थे तब जो मजदूरी का भुगतान होता था वह 32 रुपये था और उसमें भी कट-कटाकर 24 या 26 रुपये एक श्रमिक को मिलते थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत को कि उन्होंने सरकार सम्भावना के बाद तमाम वित्तीय कठिनाइयां होने के बावजूद, भारी-भरकम कर्जा होने के बावजूद न्यूनतम मजदूरी को पहले साल में 32 से बढ़ाकर 44 किया और दूसरे साल में 44 से बढ़ाकर 60 रुपये किया जो आज पूरे देश में सर्वाधिक मजदूरी है। हमारे ये जो अकाल राहत के काम चल रहे हैं, सभापति महोदय, इसको लेकर भी प्रतिपक्ष के लोग कई बार अनर्गल आरोप लगाते हैं, लेकिन आप आंकड़ों का अवलोकन करे, आप भुगतान का अवलोकन करे तो पूरे राजस्थान में औसत मजदूरी का जो भुगतान हो रहा है वह 53.97 रुपये है, जो एक अच्छी मजदूरी का भुगतान हो सकता है।

सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी की लोक सभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधीजी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि अकाल की विषम परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान के बहुत-से मवेशियों ने पलायन किया, राजस्थान के भेड़ और ऊंट मध्य प्रदेश के इलाके में गये, और जहां एक भेड़ का चराई शुल्क 40 रुपये था और ऊंट का चराई शुल्क 100 रुपये था, उस शुल्क को मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत के आग्रह पर माफ किया है। 20 लाख मवेशी मध्य प्रदेश में चराई के लिए गयी हुई हैं, उसके माध्यम से हमारे लोगों को लाभ मिला।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि भेड़ और बकरी के टीके पर जो एक रुपये का शुल्क था, राजस्थान की इस लोक कल्याणकारी सरकार ने उसको घटा कर एक रुपये से चार आना किया और इस तकलीफ के समय में हमारे पशु–पालकों को एक राहत प्रदान की। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी बात को लेकर समस्या पैदा हो सकती है। किसी भी गांव में कठिनाई पैदा हो सकती है। किसी भी गांव में कोई व्यक्ति तकलीफ से ग्रसित हो सकता है और भूख से भी पीड़ित हो सकता है। लेकिन इसका प्रबन्धन सुनिश्चित कैसे किया जाए कि किसी गांव में किसी व्यक्ति को भूख से पीड़ा हो, वह भूखा हो तो उसकी मदद कैसे की जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने हर गांव में, हर पंचायत में मुख्यालय पर और हर तहसील मुख्यालय पर निर्धारित मात्रा में गेहूं का इन्तजाम किया है जिसके माध्यम से किसी भी गांव में किसी व्यक्ति की यह स्थिति हो कि उसके पास खाने को नहीं हो तो हमारे वार्ड पंच, हमारे सरपंच को, हमारे ग्राम सेवक को, हमारे पटवारी को, तहसीलदार को, हमारे बी.डी.ओ. को इस बात के लिए अधिकृत किया है कि वे उनको उसके माध्यम से गेहूं उपलब्ध करवा सकते हैं।

(14.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कई बार ऐसे सामाजिक कारण होते हैं कि बाप बूढ़ा हो गया, असहाय हो गया। जिन अपेक्षाओं के सहारे, जिन आकांक्षाओं के सहारे, जिन सपनों के सहारे उसने बच्चों को बड़ा किया कि वे बुढ़ापे में उसका ध्यान रखेंगे, वे बच्चे नालायक निकल जाएं, अपने मां बाप पर ध्यान नहीं दें, मां–बाप को अकेला छोड़ दें। या कोई ऐसा व्यक्ति अशक्त हो, निःशक्त हो, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हो और उसकी खाने–पीने की स्थिति नहीं हो। राजस्थान की संवेदनशील सरकार का सोच कितना गहरा और व्यापक है कि उन्होंने इतने निचले स्तर की उस तकलीफ को भी महसूस किया और पूरे राजस्थान में ऐसे व्यक्तियों का सर्वे करवाया गया। मुझे खुशी है कि राजस्थान में आज तीन लाख पचास हजार ऐसे दरिद्र, कमजोर एवं बीमार लोगों को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के माध्यम से हर महीने पचास किलो गेहूं और तीस रुपये दिये जा रहे हैं। सरकार का सोच कितना फैला हुआ और व्यापक है कि शहरी क्षेत्रों में आज तक यह योजना लागू नहीं की गयी थी, शहरी क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों को आज तक लाभान्वित नहीं किया गया था, इस सरकार ने शहरी क्षेत्र के भी उन व्यक्तियों को जो दरिद्र, कमजोर और असहाय हैं, इस योजना के माध्यम से चिन्हित किया और उनको लाभान्वित किया।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार के माध्यम से 4854 चारा डिपोज का संचालन किया जा रहा है जिनमें से 4451 डिपो क्रियाशील हैं। अब तक इनके माध्यम से 70.62 लाख क्विंटल चारा वितरित किया गया है। सभापति महोदय, राज्य की कांग्रेस सरकार ने चारे की उपलब्धि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से पहले चारा डिपो खोले और जहां-जहां ग्राम सेवा सहकारी समितियां उपलब्ध नहीं हैं वहां ग्राम पंचायतों के माध्यम से ये खोलने की कोशिश की। जहां ग्राम पंचायतें इस बात के लिए तैयार नहीं हुई वहां गांव के लोगों की कमेटी बनाकर चारा डिपो स्वीकृत किया गया। उन स्थानों पर जहां दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति है या जल ग्रहण समिति है, जहां ग्राम पंचायत और सोसायटी के माध्यम से सम्भव नहीं हुआ वहां उनके माध्यम से चारा डिपो खोलने की कोशिश की। चारे के लिए सरकार की ओर से अनुदान भी उपलब्ध करवाया गया। हमारे जन प्रतिनिधियों ने, हमारे अधिकारियों ने जगह-जगह पर जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप लोगों को प्रेरित किया कि इस अकाल की कठिनाई के समय में, इस तकलीफ के समय में वे सहयोगी बने, समभागी बनें। उसके माध्यम से कई स्वयंसेवी संस्थाओं को चारा डिपो स्वीकृत किये गये। उनमें भी सरकार की ओर से अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है और उनके द्वारा चारा डिपो का संचालन किया जा रहा है।

मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, कई ऐसे गांव हैं जो पानी के लगातार नीचे जाते स्तर के कारण ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि जहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य की कांग्रेस सरकार कितनी संवेदनशील है इसे जानने लिए छोटा-सा उदाहरण ही काफी होगा कि उन सारे गांवों में जहां पेयजल उपलब्ध नहीं है उन गांवों के पशुओं को वहां से हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया और वहां पशु शिविर लगाये गये जिससे उन पशुओं के दाना-पानी का इन्तजाम किया जा सके। अकेले पाली जिले में करीब छह हजार ऐसे पशुओं को पशु शिविरों पर शिफ्ट किया गया और आज वहां पशु शिविरों के माध्यम से उनका पालन पोषण किया जा रहा है, उनके दाना-पानी का इंतजाम किया जा रहा है।

सभापति महोदय, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी 1686 पशु शिविर राज्य में संचालित किये जा रहे हैं। 756 गौशालाओं के माध्यम से सात लाख सोलह हजार पशुओं का संधारण किया जा रहा है। सरकार की ओर से इन पशुओं के लिए जो बड़े पशु हैं उनके लिए 12 रुपये और छोटे पशुओं के लिए छह रुपये अनुदान दिया जा रहा है। और तो और,

(श्री संयम लोढ़ा)

सांडों की सेवा भी सरकार कर रही है और ऐसे प्रत्येक सांड के लिए 12 रुपये प्रतिदिन का अनुदान राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस कठिनाई के समय में भारत सरकार से राज्य सरकार द्वारा बार–बार आग्रह किया गया कि भारत सरकार अकाल के इस समय में राजस्थान सरकार की खुले दिल से मदद करे। सभापति महोदय, 1987–88 में जब अकाल पड़ा था, वह भीषण अकाल था और उस समय जितना खर्च किया गया, आज के मूल्य के आधार पर अगर उसकी गणना करे तो वह 4287 करोड़ रुपये होता है। अब आप अन्दाजा लगाइये कि देश की सरकार राजस्थान के साथ किस तरह का सलूक कर रही है। राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि में से सहायता के लिए 21 जनवरी को ज्ञापन दिया गया जिसमें 6115 करोड़ रुपये की मांग की गयी। उसके बाद जब केन्द्रीय अध्ययन दल राजस्थान के दौरे पर आया तब एक सितम्बर को फिर ज्ञापन दिया गया और 7519.76 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की गयी। 14 जनवरी, 2003 को जब फिर अध्ययन दल आया तो फिर उनको ज्ञापन दिया गया। राहत गतिविधियों के सम्बन्ध में अवगत करवाया गया और 4160.87 करोड़ रुपये और 42.25 मीट्रिक टन गेहूं की मांग की गयी। अभी दो दिन पूर्व ही अभिभाषण के दौरान सरकार की ओर से उत्तर देते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि जो सहायता अब तक मंजूर की है उसमें से डेढ़ सौ करोड़ रुपये इस बात के एडजस्ट कर लिये गये कि वे पहले के फेमिन कार्यों पर खर्च हुए थे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय राजस्थान की जनता को उदार दिल से मदद की जरूरत है और हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को प्रधान मंत्रीजी से अपने रसूखात का प्रयोग करते हुए इस समय खुले दिल से मदद दिलवानी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में पानी की जो स्थिति है, जुलाई में ही मालूम पड़ गया था कि मानसून ने दम तोड़ दिया है। तभी सरकार ने अभावग्रस्त इलाकों की घोषणा कर दी थी और हमारे जलदाय विभाग ने उसी समय कंटिन्जेंसी प्लान बनाकर सितम्बर माह में भारत सरकार को ज्ञापन भेज दिया था। सदन में अभिभाषण के दौरान जब चर्चा हुई तो यह कहा गया कि पानी के क्षेत्र में जब भारत सरकार धन उपलब्ध करवाती है, उसका समुचित उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन सरकार पर यह आरोप पूरी तरह मिथ्या है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1999 और 2000 में भारत सरकार ने कितना पैसा कब जारी किया है। ए.आर.एस.

(श्री संयम लोढ़ा)

डब्ल्यू.पी. नार्मल में 28 मार्च, 2000 को 1861 लाख रुपये जारी किये गये। 12 जनवरी को 3802 लाख रुपये जारी किये गये। सभापति महोदय, पांच दिन की अवधि में या तीन महीने की अवधि में इस सारे पैसे का उपयोग कैसे सम्भव है? इस तरीके से ए.आर.एस.डब्ल्यू.पी. डी.डी.पी. में वर्ष 2000 के अन्दर 13 जनवरी को 1369 रुपये जारी किये गये। वर्ष 2000-2001 में 17 नवम्बर, 2000 को 8180 लाख रुपये जारी किये गये। 17 नवम्बर को 2075 लाख रुपये जारी किये गये। इसी तरीके से 2001-2002 में 5566 लाख 58 हजार रुपये की राशि एक फरवरी को जारी की गयी और डी.डी.पी. में 2897.32 लाख रुपये की राशि एक फरवरी, 2002 को जारी की गयी। इस वर्ष का लें तो 2002-2003 के ए.आर.एस.डब्ल्यू.पी. में 1200 लाख रुपये अभी 18 फरवरी को जारी किये गये। डी.डी.पी. में 1761 लाख 16 हजार रुपये 7 जनवरी को जारी किए थे। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब पैसा ही इतनी देरी से जारी किया जाएगा तो उस पैसे का तत्काल उपयोग कैसे सम्भव है? मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस बारे में जो गाइड लाइन गवर्नमैंट आफ इण्डिया की है, 1998 तक बैलेंस के पच्चीस प्रतिशत की छूट भारत सरकार ने दी हुई थी, 1999 में उसको बीस प्रतिशत किया गया और आज वह मात्र पन्द्रह परसेंट है। जैसा कि गवर्नमैंट आफ इण्डिया ने अपनी गाइड लाइन में कहा है–

"While releasing the central assistance, the quantum of unutilised funds available with the States/Union Territories in relation to the total allocation for the financial year will be kept in view. From 1.4.1999, a carry over of funds to the extent of 20% of the total allocation for the year will only be allowed. The maximum carry over of funds on 1.4.1999 from 1998-99 to 1999-2000 permissible is 20% of the total allocation." 25 परसेंट से वह 20 परसेंट किया और अब–"However, from 1.4.2000 a carry over of funds only to the extent of 15% of the total allocation for the year will be allowed. The final instalment for the year will be reduced by the amount the carry over funds exceed this limit." खुद भारत सरकार ने अपने मानदण्ड में परिवर्तन किया। जब इनका शासन था तब पच्चीस प्रतिशत का कैरी ओवर अलाउ था, आज वह पन्द्रह प्रतिशत तक ले आये। वह पैसा जो साल की शुरूआत में मिलना चाहिए, अप्रैल में मिलना चाहिए, जब आप वह पैसा जनवरी में देंगे,

(श्री संयम लोढ़ा)

फरवरी में देंगे तब उस फण्ड का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, यह प्रतिपक्ष के नेता बेहतर ढंग से बता सकते हैं। सरकार ने सितम्बर में ही पेयजल की गम्भीर स्थिति को देखते हुए अपनी कार्यवाही शुरू की, अपने कंटिन्जेंसी प्लान बनाये और पचास करोड़ रुपया जारी कर दिया।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जलदाय विभाग ने इन वर्षों में किस रूप में बैटर परफार्म किया है। अगर कुल ग्राम और ढाणियों को लाभान्वित करने का मामला आप लें तो राजस्थान में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1993 से 1998 के बीच में 20034 गांव और ढाणियों को लाभान्वित किया था। कांग्रेस की सरकार ने 1998 से लेकर अब तक उनके 20034 के मुकाबले 41460 गांवों और ढाणियों को लाभान्वित किया है। अगर आप हैण्ड पम्प खोदने का मामला लें तो 1993 से 1998 के बीच में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 91671 हैण्ड पम्प खोदे थे और इसी अवधि में 1998 से लेकर अब तक कांग्रेस की सरकार ने उनके 51 हजार के मुकाबले 63,749 हैण्ड पम्प खोदे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की हमारी सरकार लोगों को पेयजल आपूर्ति के प्रति पूरी तरह गम्भीर है। उसी का नतीजा है कि जहां 1993 से लेकर 1998 के बीच तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में 3928 नलकूप खोदे थे, इनके पांच वर्ष के 3928 की तुलना में राजस्थान की सरकार ने 5487 नलकूप खोदे हैं। ये सारे आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार किस रूप में जनता की अपेक्षा और उम्मीदों के अनुरूप काम कर रही है। सभापति महोदय, ग्रामीण व शहरी योजनाओं की स्वीकृति के मामले में भी तत्कालीन सरकार की तुलना में राजस्थान की इस मौजूदा सरकार का प्रदर्शन कहीं बेहतर है। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1993 से 1998 के बीच में मात्र 22030 ग्रामीण व शहरी योजनाओं को स्वीकृत किया था, जबकि 1998 से अब तक भारतीय जनता पार्टी की 22 हजार की तुलना में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने 45,292 ग्रामीण व शहरी योजनाओं को स्वीकृत किया है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप, महोदय, यह बताने की कोशिश करें, 1993 से 1998 तक केन्द्र सरकार ने कितना भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया था और अब केन्द्र ने कितना पैसा आपको दिया है।

श्री सभापति : माननीय धर्मपालजी, वह जो बता रहे हैं उनको बोलने दीजिए। आपका बोलने वाली सूची में नाम है, आप अपना नम्बर आए तब बता दीजिए। आप उनको निर्देश मत दीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : बोलने वाले हैं क्या? सभापति महोदय, हाउस तो खाली पड़ा है। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा है अकाल के ऊपर, पेयजल मंत्री गायब हैं और फिर कह रहे हैं कि बोलने वाले हैं।

श्री सभापति : दोनों तरफ की स्थिति यही है।

श्री देवीसिंह भाटी : बड़ी बीमारी का असर तो आएगा इधर भी। उधर रोग ज्यादा बड़ा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हम बैठे हुए नोट कर रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या बैठे हैं, पीछे देखो हाउस में, कितने आपके माननीय सदस्य हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपके कितने हैं?

श्री देवीसिंह भाटी : यह सचेतक महोदय का तो डंडा चलता नहीं है। व्हिप बेकार है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के लोगों को तो अकाल की चिन्ता इसलिए नहीं है कि उनके लैटर पैड का एक पन्ना दस हजार रुपये से कम में नहीं बिकता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आज पेयजल की डिमांड पर चर्चा हो रही है और पेयजल मंत्री नहीं। मतलब, सरकार गम्भीर नहीं है इस पूरे मामले में। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : संयुक्त जिम्मेदारी है।

श्री सभापति : आप स्वयं कई बार कहते हैं, सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। (व्यवधान) कई केबिनेट मंत्री बिराज रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : Chairman Sir, itisa collective responsibility. We are here.

श्री सभापति : आप बिराजिये...(व्यवधान) डोंट डिस्टर्ब, आप बिराजिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आज पूरा राजस्थान अकाल से ग्रस्त है। आज एक-दो नहीं, हजारों गांवों में पानी नहीं और सरकार इतनी गम्भीर है कि...(व्यवधान)

श्री सभापति : वह आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पेयजल मंत्री आराम फरमा रहे हैं, अलमस्त हो रहे हैं और आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, सभापति महोदय, इनको। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सरकार गम्भीर है और गम्भीरता से सारे मामले को ले रही है। सभी विचार जो प्रकट किये

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

जा रहे हैं, उनको नोट किया जा रहा है और उनका उत्तर दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : अपनी जगह से बोलिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ऐसे वक्त पर भी नहीं हैं मंत्रीजी, संवेदना...(व्यवधान) एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और सरकार को चिंता नहीं है। लोग तड़प रहे हैं पानी के लिए, जानवर मर चुके हैं सैकड़ों...

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, कृषि मंत्री नहीं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पशुपालन मंत्री नहीं, पी.एच.ई.डी. मंत्री नहीं।

एक माननीय सदस्य : यह पशुपालन मंत्रीजी दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको?

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, आज पीने के पानी की बहुत गम्भीर समस्या चल रही है राजस्थान में।

श्री सभापति : पी.एच.ई.डी. के स्टेट मिनिस्टर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : स्टेट वालों के पास कोई पावर नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, हमारी प्रार्थना है कि आप प्रताड़ित कीजिए। (व्यवधान) और सदन के अन्दर पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर तत्काल आएं, इसकी व्यवस्था कीजिए।

श्री सभापति : माननीय जलदाय मंत्रीजी को बुलवाइये।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों का खड़ा होना बहुत वाजिब था। इनके प्रदर्शन की तुलना में आंकड़ों में पूरी तरह इनकी दुकान उठ रही थी तो इनका इंटरवीन करना बहुत वाजिब था। फिर अभी दो दिन पहले महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक तरफ तो देशवासियों को इस बात की खुशी थी कि भारतवर्ष ने पाकिस्तान की ठुकाई की और दूसरी तरफ देश को इस बात की खुशी थी कि जनता ने इनकी ठुकाई की। तो उस सदमे की हालत से बाहर आने में निश्चित रूप से, सभापति महोदय, समय लगेगा।

श्री मदन दिलावर : आप ऊर्जा मंत्री की उपस्थिति में यह कहना चाहते हो कि शिवनारायणजी की ठुकाई की? शर्म तो आए कुछ आपको। शिवनारायणजी के साथ कितनी ज्यादती हुई है।

श्री सभापति : यह टापिक खतम हो चुका है, आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : काहे का खतम हो गया, माननीय सदस्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो गया...

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब बोल चुके, प्रतिपक्ष के नेता जी ने कह दिया, गृह मंत्रीजी जवाब देंगे, फिर उसी मुद्दे को उठाते हो आप, यह अच्छा तरीका नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : आप ऐसे मत बोलो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गौरीगंज में किसी की ठुकाई हुई, यह भी तो बताओ।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापतिजी, आप जैसे यहां बैठते हो ऐसे मत बोलो, धीरे थोड़ा-सा वोल्यूम कम। नो, नो प्लीज धीरे, धीरे प्लीज।

श्री सभापति : माननीय देवीसिंहजी भाटी साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं, आप सुनिये।

श्री देवीसिंह भाटी : आपका आदेश शिरोधार्य।

श्री सभापति : आसन पैरों पर है।

श्री देवीसिंह भाटी : आप अपने व्यवहार से, अपनाइयत से हाउस को चलाने की करें, सब सहयोग करेंगे। थोड़ा-सा...

श्री सभापति : कृपया बिराजें। मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक टापिक आपने उठा लिया, प्रतिपक्ष के नेताजी ने भी अपनी बात रखी, गृह मंत्रीजी ने कह दिया कि कल इस पर स्टेटमेंट देंगे। फिर अकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और आप बार-बार इंटरवीन कर रहे हैं। इसलिए, माननीय सदस्य, आप उनको बोलने दीजिए।

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न भी है।

श्री मदन दिलावर : अकाल के ही सम्बन्ध में हुआ और वह अकाल के कारण ही हुआ है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : चेयर कम बोले, यही चाहते हैं।

डा. महेश जोशी : कोई कहीं चला गया और कोई कहीं जाकर बोल रहा है, इनको सदन की गरिमा का खयाल नहीं है। अपने स्थान पर नहीं हैं।

श्री मदन दिलावर : वाह ! गरिमामय मानव।

श्री देवीसिंह भाटी : थोड़े दिनों में हम उधर आकर बोलेंगे फिर आप रोक लेना।

डा. महेश जोशी : आप अपने स्थान पर आकर बोलिये। वहीं से बोलिये जो आपका स्थान है।

श्री सभापति : माननीय संयम लोढ़ाजी, जारी रखिये।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारे जलदाय विभाग ने राजस्थान में इस रूप में लगातार अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा है।

इस सरकार ने शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिये दूरस्थ स्थानों पर राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं कि ढाणियों में, मंजरों में जहां से स्कूल दूर पड़ती है उन्हीं स्थानों पर बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था की जाए और प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। इसमें योगदान करने में हमारा जलदाय विभाग भी पूरी तरह अग्रणी है। राजीव गांधी पाठशालाओं

(श्री संयम लोढ़ा)

में पेयजल की व्यवस्था के लिये 78.69 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इसके माध्यम से 15,739 राजीव गांधी पाठशालाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 10,847 हैण्ड पम्प खोदे जाएंगे, 4892 राजीव गांधी पाठशालाओं को पाइप लाइन से जोड़ा जाएगा। गांव–गांव और ढाणी–ढाणी में धार्मिक संस्कार में तालाब पूजन की प्रवृत्ति थी, इन्होंने सारे तालाब, बांध और जितने भी एनीकट हैं, अकाल राहत के अन्दर खुदवाये थे। हमारे जलदाय विभाग ने भी पारम्परिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार का काम हाथ में लिया। पूरे राजस्थान में 33,563 पारम्परिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार कार्य स्वीकृत किये और इनमें से 19,280 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इन सारे कार्यों की कुल स्वीकृति जो जारी की गयी वह 9327 करोड़ रुपये है और जलदाय विभाग ने इसमें से 67.65 करोड़ की राशि का हस्तान्तरण भी कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लगातार यह बात उठायी जाती रही है कि हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। पर हमें यह भी देखना चाहिये कि सरकार ने किस योजनाबद्ध तरीके से, किस प्रतिबद्धता के साथ हैण्ड पम्पों की दुरुस्ती का कार्यक्रम चलाया और एक एक जगह पर हैण्ड पम्प की दुरुस्ती सुनिश्चित की। अगर मैं मरम्मत का भी आंकड़ा आपको बताऊं तो 1993 में इन्होंने 42,734 हैण्ड पम्पों की मरम्मत की थी और 2002 का अगर आप आंकड़ा देखें तो 1,88,281 हैण्ड पम्पों की मरम्मत इस एक साल में की गयी है। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से सरकार ने प्रत्येक गांव में पेयजल की उपलब्धि सुनिश्चित की।

माननीय सभापति महोदय, विकास को लेकर दावे, प्रतिवाद तो किये जाते हैं लेकिन इस सरकार ने कितनी–कितनी बड़ी योजनाओं को भी स्वीकृत किया। जयपुर–बीसलपुर परियोजना 1100 करोड़ रुपये, चम्बल–धौलपुर–भरतपुर योजना 166 करोड़, आर.जी.एल.सी., जोधपुर योजना 94 करोड़, मानसी वाकल, उदयपुर योजना 60 करोड़, फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजेक्ट केकड़ी–सरवाड़ 44 करोड़, फ्लोराइड कंट्रोल प्रोजेक्ट नसीराबाद 61 करोड़, भिनाय–मसूदा 43 करोड़ चूरू–बिसाउ परियोजना 119 करोड़, आपणी योजना 402 करोड़, शहरी सम्वर्द्धन जल परियोजना, भीलवाड़ा 29 करोड़, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना 424 करोड़, चूरू–झुंझुनूं परियोजना 405 करोड़, चम्बल–सवाई माधोपुर–नादौती परियोजना 240 करोड़, बीसलपुर–फुलेरा परियोजना 216 करोड़, बघेरी का नाका–राजसमंद 128.40 करोड़ रुपये।

माननीय सभापति महोदय, मैं यही आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज कई गांवों में कुओं का जल स्तर नीचे चला गया है, वहां पर पानी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस सरकार ने यह

(श्री संयम लोढ़ा)

सुनिश्चित किया कि जहां पानी उपलब्ध नहीं है वहां टैंकर की व्यवस्था की जाए। अगर आस पास के इलाकों में पानी उपलब्ध न हो तो रेल से पानी लाया जाए। आज रेल के वैगन के जरिये पाली जैसे शहर में जो कभी औद्योगिक नगरी हुआ करता था, पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। दूरस्थ इलाके जहां पानी उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलक्टर को इस बात के लिये अधिकृत किया गया कि वह अपने स्तर पर पानी के टैंकर की व्यवस्था करे।

अकाल के इस समय में जहां हमारे ये विभाग अपने दायित्व निभा रहे हैं, सहकारिता विभाग भी पीछे नहीं है। इस विपत्ति के समय जब पशुधन को बचाना कृषकों के लिये भारी काम पड़ रहा है, दुष्कर पड़ रहा है, सहकारिता विभाग के माध्यम से उनके बैंक इस दिशा में आगे आये। उन्होंने सूखा चारा क्रय योजना के तहत ऋण दिये हैं और जिस पशुपालक के दो पशु भी हैं उसको भी इसके अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 9,171 लोगों को 1122.12 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया है और चारा योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ रुपये का ऋण 708 मामलों में वितरित किया गया।

नियमित गतिविधि तो चलती रहती है जिसमें हम अकाल राहत के तहत नाड़ी खुदवाते हैं, एनीकट बनवाते हैं, मेड़बंदी करवाते हैं, पटरी निर्माण का काम कराते हैं, पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अकाल राहत मंत्रीजी और हमारे माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत को कि उन्होंने अकाल राहत के काम के लोगों का पूरा सहकार मिले, उनका पूरा सहयोग मिले इसके लिये इसको व्यक्तिगत लाभ से भी जोड़ा है। आज अकाल राहत के माध्यम से किसानों के कुएं गहरे करवाये जा रहे हैं। आप अपना कोई मकान बनाना चाहते हैं तो इसके लिये सरकार ने अकाल राहत के अंतर्गत लोगों को गेहूं उपलब्ध करवाये हैं। व्यक्तिगत रूप से भी इस तकलीफ के मौके पर लाभान्वित करने की कोशिश की है। इस सबका लोगों के बीच में बहुत अच्छा संदेश है और लोग यह महसूस कर रहे हैं कि सरकार हमारी इस विपत्ति के समय कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि प्रतिपक्ष ने अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा, मैं उस बात का गवाह था माउंट आबू में मुख्य मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ, अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जितनी सादगी से सम्भव हुआ, उसका आयोजन किया गया। जिस जगह वह आयोजन रखा गया वह कोई फाइव स्टार होटल नहीं था। वह एक ट्रेडिशनल रिसोर्ट था जिसमें यह आयोजन हुआ। उस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और लोक सभा में प्रतिपक्ष की नेता सोनिया गांधी ने सारे दूसरे प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों से यह आग्रह किया कि राजस्थान की जनता की इस

(श्री संयम लोढ़ा)

कठिनाई में मदद करें। मुझे खुशी है इस बात की कि पंजाब के मुख्य मंत्री ने उनके निर्देशों की पालना करते हुए राजस्थान की जनता के लिये गेहूं भेजा...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह सोनियाजी कहां पैदा हुईं? इटली में। इटली की रहने वाली हैं क्या? हमारे पर राज करना चाहती हैं। नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, कदापि नहीं करने देंगे। कदापि सम्भव नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : यह वसुंधराजी कहां पैदा हुई थीं? (व्यवधान) वसुंधरा राजे कहां पैदा हुई, बताइये? (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : गृह मंत्रीजी कहां पैदा हुए? आडवाणी साहब कहां पैदा हुए, बताइये आप? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : वसुंधरा राजे कहां पैदा हुईं? (व्यवधान) आडवाणीजी कहां पैदा हुए? (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : आडवाणी साहब भारत में पैदा हुए हैं? क्या बात कर रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आडवाणी साहब भारत देश में उस समय...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : पाकिस्तान में...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : वसुंधराजी ग्वालियर में पैदा हुईं और धौलपुर में शादी हुई...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : यह क्या मतलब हुआ? वह वहां पैदा हुईं और यहां शादी कर रही हैं, इसमें क्या बात आ गयी?(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ग्वालियर में पैदा हुईं और धौलपुर में उनकी शादी हुई है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : राजस्थान में राज करना चाहती हैं...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : राजस्थान की भावी मुख्य मंत्री हैं...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : कांच में शक्ल देखो, भरपूर शक्ल देखो...(व्यवधान) गफलत में रहो इसी तरह से...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हिन्दू राष्ट्र की कल्पना...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : लगातार पांच बार झालावाड़ से सांसद हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : वसुंधराजी भारतीय नारी हैं...(व्यवधान) वह कहीं से आयातित होकर नहीं आयी हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : प्रतिपक्ष की नेता हैं सोनिया गांधी। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : वसुंधरा राजे भारतीय नारी हैं, वह कहीं से आयातित करके नहीं लायी गयी हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हिन्दू राष्ट्र में पैदा हुई हैं श्रीमती वसुंधराजी। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इस प्रदेश की मुख्य मंत्री बनने वाली हैं।

श्री सभापति : माननीय मदन दिलावर, बहुत हो गया, अब बिराजें। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : भाभड़ाजी से पूछ लेना, भाभड़ाजी से पूछना आप। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आठ महीने बाद देख लेना। आठ महीने बाद देखना जब वसुंधराजी यहां की मुख्य मंत्री होंगी। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : वह भाभड़ाजी से और घनश्यामजी से पूछ लेना, फिर बात करना। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : भाभड़ाजी से और घनश्यामजी से तो पूछ लिया, अब आपको समझा रहे हैं। वसुंधराजी भारतीय नारी हैं...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, जब हम कांग्रेस अध्यक्ष और प्रतिपक्ष की नेता सोनिया गांधीजी से माउंट आबू में मिले थे, हमारे पशु पालकों का एक प्रतिनिधि मण्डल साथ था। हमारे जो मवेशी मध्य प्रदेश में चराई करने में असमर्थ थे, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी को निर्देश दिया और राजस्थान के बीस लाख मवेशियों को सोनिया गांधीजी ने लाभान्वित करने का काम किया। जितना खर्चा वहां पर हुआ उसका भुगतान कांग्रेस पार्टी ने किया। सभापति महोदय, इनकी नेता जब यहां जयपुर में कार्यकारिणी की बैठक में आयी थीं तो पांच सितारा से कम होटल में नहीं रुकी और यह सोनिया गांधी जी ने जन्म कहां लिया, इसको लेकर बात करते हैं। देश की जनता क्या कहती है? इस अकाल की विपत्ति के समय सोनिया गांधी वह एक मात्र नेता हैं देश के अन्दर जिसने सड़क मार्ग से पूरे राजस्थान की यात्रा की, राजस्थान के लोगों की तकलीफ को देखा, उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश की और राजस्थान की सरकार को इस बात के लिए निर्देश दिया कि वह लोगों की मदद करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : क्या बार-बार माननीय सदस्य आप खड़े हो रहे हैं?

श्री मदन दिलावर : सभी सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं, कौनसी बड़ी बात कर दी है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, और वह अटल बिहारी वाजपेयी जो सर्दियों में छुट्टियों मनाने मनाली गये थे...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : रोज सड़क मार्ग से आते-जाते हैं, सड़क मार्ग से आ गयीं सोनिया गांधीजी, क्या तीर मार दिया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : कांग्रेस की नेता उन लोगों के दु:ख दर्द में वहां पर खाक छानते हुए घूम रही थीं। उन्हें उस सोनिया गांधीजी की जरूरत है जो उनकी तकलीफ को

(श्री संयम लोढ़ा)

समझती है, उनकी पीड़ा को समझती है। उनकी कठिनाई में मददगार होना चाहती है। उस नेता की उन्हें जरूरत नहीं है जो तकलीफ के समय में मनाली में और गोवा में छुट्टियां मनाता घूमता हो।

श्री धर्मपाल चौधरी : पता है कि बाजरा कैसा होता है सोनिया गांधी का? (व्यवधान) गांव को समझती हैं कि दु:ख दर्द और मजबूरी क्या होती है? इटली से चलकर आ गयीं और कह दिया कि वह गांव का दु:ख दर्द समझती हैं। वह तो हवाई जहाज से उड़ती है, वह समझती हैं कि इटली से आकर, +++ करो उसकी।

श्री मदन दिलावर : सोनिया गांधी बाजरा और घाघरा में अन्तर नहीं समझती हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप अकाल पर चर्चा कर रहे हैं, माननीय धर्मपालजी। माननीय सदस्य, बिराजें...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अकाल पर बोल रहे हो या +++ पर बोल रहे हो, +++ की फोटो उतार दो, सोनिया गांधी पर ही बोल दो फिर। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इतने राज्यों के मुख्य मंत्री आये, देश की प्रतिपक्ष की नेता आयीं और किसी भी जगह पर वह भोंडा प्रदशंन, वह वैभव का प्रदर्शन, सत्कार की चीजों का प्रदर्शन, किसी भी चीज का कोई प्रदर्शन नहीं किया गया, सादगी के साथ वह पूरा समारोह सम्पन्न हुआ। लेकिन मैं सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि झालावाड़ से निर्वाचित सांसद जब अपनी पार्टी का कार्यभार ग्रहण करने जयपुर आ रही थीं तो ये हाथी लेकर गये थे, हाथियों की सवारी लेकर गये थे। क्या राजस्थान की गरीब जनता का, राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता की मजाक उड़ाना चाहते थे? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हाथी गणेशजी की प्रतिमूर्ति है। हम कोई भी काम प्रारम्भ करते हैं तो गणेशजी की पूजा करके करते हैं और हाथी गणेशजी की प्रतिमूर्ति है, हम तो प्रत्येक जीव मात्र में भगवान के दर्शन करते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : जिस महारानी का आप स्वागत करने गये थे, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता यह जानती है कि कौनसा नेता है जो गांव और गरीब की पीड़ा समझने वाला है। कौनसा नेता है जिसने मिर्ची और रोटी का स्वाद चखा हुआ है। राजस्थान की जनता जानती है कि अशोक गहलोत ही वह नेता है जो इस तकलीफ और पीड़ा को जानता है।

श्री धर्मपाल चौधरी : सोनिया गांधी खाती है मिर्ची के साथ में रोटी?

+++ शब्द/नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मदन दिलावर : राजस्थान में कौनसा आदमी है जिसने रोटी और मिर्ची का स्वाद नहीं चखा? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान की जनता इस बात को देख लेगी कि वह गरीब तबके से उठा हुआ आदमी, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी को अपनी सत्ता सौंपे।

श्री मदन दिलावर : राजस्थान में कौनसा आदमी है जिसने रोटी और मिर्ची का स्वाद नहीं चखा?

श्री संयम लोढ़ा : ये हेलीकाप्टर में उड़ने वाली उस नेता को...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ज्योतिरादित्य कौन है?

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, जिसने नौ दिन के अपने चुनाव प्रचार में एक दिन भी हैलीकाप्टर से नीचे पैर नहीं रखा...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ज्योतिरादित्य कौन है?

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के माध्यम से बेहतरीन ढंग से अकाल राहत के काम चलाये जा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से आम जनता में कांग्रेस पार्टी के प्रति, इस सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है। साथ ही मैं हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों से आग्रह करना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : भरोसा बढ़ा है आपके ऊपर...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप आ जाएं बोलने के लिए।

श्री सभापति : धर्मपालजी, बार-बार अच्छा नहीं है। एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, आप बार-बार खड़े हो रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : मैं प्रतिपक्ष के हमारे मित्रों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तकलीफ के समय में वे अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों को छोड़कर दिल्ली में बैठी हुई सरकार को गुमराह करने से बाज आएं, जो गेहूं की कटौती दस किलो से छह किलो, आठ किलो की है, उस कटौती के आदेश को वापस लिवाएं और राजस्थान सरकार की ओर से जो ज्ञापन चाहे वह गेहूं के रूप में होता हो, चाहे नकद राशि के रूप में होता हो, उस ज्ञापन के आधार पर राजस्थान की जनता को मदद दिलवाएं जिससे जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप आगे कार्यवाही की जा सके।

सभापति महोदय, एक छोटा-सा मामला मेरे क्षेत्र का है, मैं राहत मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। आपने एक अच्छा फैसला किया कि हम फेमिन के काम पर बी.पी.एल. और एस.सी.-एस.टी. को 60 प्रतिशत एम्प्लायमेंट देंगे और 40 प्रतिशत एबव पावर्टी लाइन लोगों को देंगे। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस

(श्री संयम लोढ़ा)

फैसले को करने से पहले उसके परिणाम का आकलन नहीं कर पाये कि वह किस रूप में निचले स्तर पर अव्यवस्था की स्थिति पैदा करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा। उसका आकलन आप नहीं कर पाये। मेरे क्षेत्र में शिवगंज में 7480 मजदूर जनवरी में काम कर रहे थे, आपके इस नये फैसले से वह संख्या 4200 पर आ गयी है। मेरे सिरोही खण्ड में जो मजदूर जनवरी में 7979 थे, वह आंकड़ा आज 4428 पर आ गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो जिले की श्रमिक सीमा दे रहे हैं, ब्लाक के आधार पर श्रमिक सीमा का निर्धारण भी आप यहां से कीजिये, वरना कठिनाई का सामना जनता को करना पड़ेगा, हम लोगों को करना पड़ेगा। हमको आपके पास ही आना पड़ेगा, आपके पास ही पुकार करनी पड़ेगी। माननीय राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारी इस कठिनाई का भी समाधान करें। आपने जो बेहतरीन राहत कार्यों का प्रबन्धन किया है, उसके लिये अपनी ओर से, राजस्थान की जनता की ओर से आपको और मुख्यमंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : सभापति महोदय, आज इस राजस्थान विधान सभा में अकाल और पेयजल पर चर्चा हो रही है, ये दोनों बहुत ही महत्व के मुद्दे हैं। राजस्थान में हर चौथे साल अकाल पड़ता है लेकिन अब की बार लगातार चार साल से अकाल पड़ा हुआ है। इस अकाल को चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बी.जे.पी. की सरकार रही हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने गम्भीरता से नहीं लिया। यदि गम्भीरता से लिया होता तो आज अकाल की नौबत नहीं आती। हमारा काफी जल का हिस्सा बेकार में जाता है, यदि उस जल का प्रबन्धन करके नहरों से सिंचाई करें तो हम अकाल का मुकाबला कर सकते हैं। हमारा हजारों करोड़ रुपया इस अकाल पर खर्च हो गया। मैं नहीं कहता कि अशोक गहलोत की सरकार ने अकाल का मुकाबला नहीं किया, उन्होंने सीमित आर्थिक संसाधन होते हुए भी इसका बखूबी मुकाबला किया है और कर रही है। हर गरीब आदमी तक सहायता पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। हर आदमी को रोजगार देने की गहलोत सरकार ने व्यवस्था की है। हर व्यक्ति जो काम पर नहीं जा सकता उसका सर्वे कराकर असहाय लोगों को, कमजोर आदमियों को, बुजुर्ग आदमियों को 50 किलो गेहूं और 30 रुपये देने की व्यवस्था की गयी है। हर आदमी को एक महीने में 10 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया है। यह गहलोत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा कोई व्यक्ति रह जाता है तो राज्य सरकार की मंशा यह है कि कोई भी आदमी शाम को भूखे पेट नहीं सोये। हर पंचायत

(श्री नन्दलाल पूनिया)

हैडक्वार्टर पर, तहसील हैडक्वार्टर पर, हर गांव में अनाज का प्रबन्ध कर रखा है। और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी स्थानीय जन प्रतिनिधियों की कर रखी है। यह भी बहुत कुशल प्रबन्धन है जो राज्य सरकार ने किया है।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जो व्यवस्था की है उसमें सार्वजनिक हित में भी काफी काम किये हैं और व्यक्तिगत हित के काम भी चालू किये हैं, चाहे सार्वजनिक कुण्ड हों, चाहे टांके हों, व्यक्तिगत टांके हों, चाहे व्यक्तिगत मकान हों। मैं मेरे क्षेत्र राजगढ़, चूरू जिले की बात कर रहा हूं, पिछले साल साढ़े सात हजार टांके बने थे और इस साल भी करीब 10 हजार टांकों का जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार ने बनाने का मन बनाया है। कुछ स्वीकृतियां जारी की हैं और कुछ चालू भी हो गये हैं। इससे बहुत बड़ी पानी की समस्या का समाधान हो सकता है और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कुछ कमियां हो सकती हैं। प्रबन्ध में, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने सीमित साधन होते हुए भी इस अकाल के समय में इतना कुशल प्रबन्ध किया है जो काबिले तारीफ है। मैं अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 60 और 40 की सूचियां बनाकर पेश की हैं लेकिन मैं कल कुछ गांवों में गया था, अभी तक वे सूचियां सही रूप में लागू नहीं हुई है। लोग–बाग वहां कुछ समस्या और शिकायतें कर रहे थे कि पिछली बार भी अमुक आदमी लगा था और अबकी बार भी यह लगा है। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि अकाल राहत कार्यों में उन्हें नियोजित किया गया था लेकिन तीन–तीन हफ्ते से भुगतान नहीं हुआ है, इसकी शिकायतें भी आई हैं। हो सकता है कि किन्हीं कारणों से मैं अधिकारियों से नहीं मिल सका, लेकिन मैं राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस व्यक्ति को जो गरीब है, अकाल के समय में जोहड़ पर जाता है, सड़क पर जाता है, उसको समय पर भुगतान नहीं होगा तो उस आदमी की क्या स्थिति होगी? राहत मंत्रीजी, आप इसको सुनिश्चित कीजिए।

इसके पहले किसी सरकार ने ऐसा निर्णय नहीं लिया था। गिरदावरी होती थी उसके बाद में फेमिन डिक्लेयर होता था, अभावग्रस्त गांव घोषित किए जाते थे और उसके बाद में फार्मेलिटी–सी करके सरकार अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। इस अशोक गहलोत की सरकार ने बिना गिरदावरी किये 16 अगस्त से राहत कार्य इस स्टेट में चलाये जो वाकई बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया गया है कि जो कमजोर और दूसरे असहाय लोग हैं वे भी कोई सहायता से वंचित न रहें।

हमारे राजस्थान की आय का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। पशुओं को

(श्री नन्दलाल पूनिया)

सरकार नहीं बचाएगी तो पशुधन खतम हो जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, काश्तकार और गांव में रहने वाले की वह खतम हो जाएगी तो देहात में रहने वाला आदमी स्वत: ही खतम हो जाएगा। अशोक गहलोत सरकार ने पशुधन को बचाने के लिए बहुत बड़ा कार्य अपने हाथ में लिया है। चारा डिपो खोले है, गौशालाओं को अनुदान दिया गया है, साण्डों के झोटों को अनुदान दिया गया है और इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि कहीं से भी लाना पड़े चारा लाकर पशुधन को बचाया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की है। राज्य सरकार ने करीब 1686 चारा डिपो खोले हैं जिनसे करीब 463206 पशु लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार पशु शिविरों और गौशालाओं में कैम्प लगाकर 756 गौशालाओं में करीब 7 लाख 16 हजार पशुओं को लाभान्वित किया जा रहा है। इनमें प्रत्येक पशु पर 12 रुपए और छोटे प्रत्येक पशु पर 6 रुपए दिए जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे हमारा पशुधन बचेगा ताकि आने वाले अच्छे दिनों में हमारे काम आ सके।

इसके अलावा मैं निवेदन कर रहा था कि इस अकाल के समय में जहां पानी की समस्या है वहां पर राज्य सरकार टैंकरों से पानी पहुंचा रही है। हमारे राजगढ़ तहसील में 24 ऐसे गांव हैं जहां टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। यह है कुशल प्रबन्ध अकाल का।

अकाल से भी ज्यादा भयंकर समस्या पीने के पानी की है। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने पानी के मामले में दूरगामी सोचते हुए कंटीन्जेंसी प्लान बनाया है और उस कंटीन्जेंसी प्लान में अपने कार्य भी शुरू किये हैं, जो सराहनीय है। जो कमियां हैं, जिला लेवल की कमेटियां, डी.आर.डी.ए. की बैठकों, जिला परिषद् की बैठकों में इनको उठाया है, लेकिन वहां पर इन समस्याओं का निराकरण नहीं होता। यह राजस्थान का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, मैं इस कुशल प्रबन्धन के लिए, चाहे अकाल का काम हो, चाहे पेयजल की समस्या हो, राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन कामों में जो कमियां हैं उनकी ओर भी मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उनको गम्भीरता से लेकर पूरा कराएं।

हमारे जलदाय मंत्रीजी डाक्टर सी. पी. जोशी सफलतम मंत्रियों में से हैं, उनके मार्गदर्शन में हमारे पानी की समस्या काफी हद तक साल्व होगी, मैं इसी विश्वास के साथ यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक बढ़िया आकस्मिक योजना बनाई है, राजस्थान की जनता को पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1518 करोड़ रुपए की, जिसमें करीब 180800 हैण्ड पम्पों की मरम्मत का काम कराया है। जो परम्परागत

(श्री नन्दलाल पूनिया)

जल स्रोत टूट गये थे, फूट गये थे उनका पुनरुद्धार करके उन्हें इस योग्य किया कि उनका उपयोग हो सके। ऐसे 18532 स्रोत पूर्ण किये गये, यह एक बहुत अच्छी योजना है। इस योजना का भारत सरकार ने भी अनुकरण किया है, वह भी लागू करना चाहती है। इसके अलावा 1132 नए ट्यूबवैल इन्होंने स्वीकृत किए, 9000 हैण्ड पम्प बनवाए हैं और 3140 गांवों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार ने हर कलक्टर को अधिकृत किया है कि वे आकस्मिक योजना में जहां जरूरत पड़े वहां 10-10 लाख रुपए के कार्य करवा सकेंगे।

इसके अलावा कुछ कमियां हैं उनकी ओर भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पानी की कमी है और जल स्तर नीचे जा रहा है। आज करीब 29 देशों के 50 करोड़ लोग पानी की समस्या का मुकाबला कर रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : कांग्रेस का स्तर गिर रहा है वैसे ही जल स्तर गिर रहा है।

श्री नन्दलाल पूनिया : वह तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसका स्तर गिर रहा है। आप दो-तीन दिन पहले राजी हो रहे थे कि हमारी इतनी सीटें आ गईं पर हिमाचल में क्या हुआ? उसको देखकर तो आपका ग्राफ भी गिरना चाहिए।

आज 29 देशों में 50 करोड़ लोग पानी की समस्या से प्रभावित हैं और संसार की 8 प्रतिशत आबादी इसका सामना कर रही है। इस पानी के मामले में यदि अभी से काम नहीं हुआ तो आने वाले समय में ज्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि भू-जल स्तर नीचे जा रहा है।

मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, हमारे यहां "आपणी योजना" है। यह योजना मैं समझता हूं कि संसार की सबसे अच्छी योजना है, आज हमारे 37 गांवों में उसका पानी जा रहा है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस द्वितीय चरण का कार्य जल्दी से जल्दी चले ताकि हमारे क्षेत्र राजगढ़ की जनता को उस योजना से ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके।

इसके अलावा हमारे राजगढ़ शहर में करीब 42 साल पहले पाइप लाइन डाली गई थी। आज जमीन की ऊंचाई बढ़ गई और पानी की जो सप्लाई होनी चाहिए थी वह सुचारू रूप से नहीं होती है, इसलिए राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस शहर की जो पाइप लाइन डाली गई है उसका दुबारा सर्वे करके दुबारा डलवाने की कोशिश करें।

इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण मामला है जिसकी ओर जलदाय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एम.एल.ए. हैड से और एम.पी. हैड से जो कार्य स्वीकृत कराये जाते हैं उन कार्यों में हम एम.एल.ए.

(श्री नन्दलाल पूनिया)

खुद अपनी डिजायर से पैसा देते हैं। वो कार्य दो-दो साल तक पूरे नहीं होते। मैं खुद इंदौरिया जी का उदाहरण देता हूं। इन्होंने ट्यूबवैल मंजूर कराये थे, दो साल तक इनके ट्यूबवैल नहीं हुए तो इन्होंने पिछली मीटिंग में अधिकारियों को यहां तक कहा कि यदि आप दो साल में भी नहीं करा सकते तो हमारा पैसा वापस दे दीजिए। इसी प्रकार का उदाहरण हमारे राजगढ़ में भी है। कुछ ट्यूबवैल ऐसे थे उनको एम.एल.ए. हैड से पैसा दे दिया, लेकिन साल भर हो गया, वे ट्यूबवैल आज तक नहीं बने। यह बहुत बड़ी समस्या है। मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक टाइमबाउण्ड प्रोग्राम तय करके समयबद्ध योजना के तहत अधिकारियों को निर्देशित करें कि जो एम.एल.ए. हैड से कार्य हों उनकी समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए ताकि आकस्मिक स्वीकृति होती है उसका लोगों को फायदा मिल सके।

श्री केसाराम चौधरी : आप तो एक साल की कह रहे हो, दो-दो साल तक नहीं करते।

श्री नन्दलाल पूनिया : मैं दूसरा और निवेदन करना चाहता हूं कि लोकल सोर्स जो गांवों में चालू किये जाते हैं, जितनी जनसंख्या आदमियों की है उतनी संख्या पशुओं की भी है, उनको भी पानी चाहिए, जिन गांवों में पीने लायक पानी है वहां के लोकल सोर्स चालू करके उनको वह सुविधा दी जानी चाहिए। लेकिन लोकल सोर्स चालू करने के लिए यदि विभाग एप्लाई करता है तो बिजली वाले काफी दिन बाद कनेक्शन देते हैं, यह एक समस्या सामने आती है। दूसरा, कुछ गांवों में लोकल सोर्स से पानी सप्लाई किया जाता है वहां मोटरें जल जाती हैं तो 10-10, 15-15 दिन तक मोटरें उपलब्ध नहीं करायी जातीं जिससे उस गांव वालों को दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता है। मैं जलदाय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप जहां पर यह व्यवस्था है वहां पर स्टैंड बाई मोटरें अलग से तैयार रखें ताकि जहां भी मोटरें जलें तो दूसरी मोटरें, हाथों-हाथ उपलब्ध करायी जा सकें। गांवों में और कोई सोर्स है नहीं, जो लोकल सोर्स है उसमें मोटर डाल दी तो लोग-बाग दूसरे साधनों से, जो नैचुरल साधन थे, लाव-बरे से भी पानी नहीं निकाल सकते। उनको जब तक मोटरें दुबारा उपलब्ध नहीं होतीं तब तक दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं माननीय मंत्रीजी को इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें और डिवीजन या सब डिवीजन में मोटरों की व्यवस्था एक्स्ट्रा कराएं ताकि लोग-बाग उनका फायदा उठा सकें।

दूसरा, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो नलकूप विभाग द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं उनके खोदने में भी समय लगता

(श्री नन्दलाल पूनिया)

है। हमारे राजगढ़ तहसील की चर्चा मैं करूं, 18 ट्यूबवैल मंजूर हुए थे, उनमें अभी तक दो ही ट्यूबवैल बनाये जा सके हैं। एक ही मशीन है, एक मशीन पर कितना काम करें? तो मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप टेंडर इंवाइट करके यह काम भी प्राइवेट एजेंसी से करवाएं ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी इस योजना का

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

फायदा मिल सके। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा।

दूसरा, जो हमारी रीजनल स्कीम्स हैं उनके टेल एंड पर भी पानी नहीं पहुंचता है। कई गांवों की समस्या है। हमारे बुढ़ावास, कालेड़ी योजना है, कालेड़ी कानावासी कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें पानी नहीं पहुंचता है। इसका प्रमाण यही है कि आज 24 गांवों में पानी टैंकर से पहुंचाया जा रहा है। इसका मतलब उन गांवों में पानी नहीं पहुंचता तभी तो वहां पानी पहुंचाया जा रहा है। तो मैं इस ओर भी माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो रीजनल स्कीम हैं उनमें पानी नहीं पहुंचता है तो अधिकारियों को निर्देशित करें कि उनकी जो रैगुलर स्कीम हैं उनमें तो कम से कम पानी पहुंचाएं।

मेरा एक छोटा-सा निवेदन और है, माननीय जलदाय मंत्री महोदय कि चाहे किसी योजना में जी.एल.आर. बनी हो, हमारे काफी गांवों में जी.एल.आर. बनी पड़ी हैं जिनको आज तक नहीं जोड़ा गया, उनकी जीर्ण-शीर्ण अवस्था हो गई। आज तक नहीं जोड़ा इसलिए वे खण्डर भी हो गईं। सरकार का पैसा लगता है, तो मेरा माननीय मंत्रीजी से यही निवेदन है कि आप चाहे किसी भी योजना से जोड़ें, दूसरों ने तो बनायीं नहीं, सरकार के अधीन किसी विभाग ने बनायी हैं, चाहे पी.एच.ई.डी. ने बनायी हैं, चाहे डी.आर.डी.ए. ने बनायी हैं, आज यदि उनको नहीं जोड़ेंगे तो वे खण्डहर हो जाएंगी और सरकार का पैसा व्यर्थ में जाएगा।

मैं दूसरी बात अकाल राहत मंत्रीजी से और निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सालों में जो अकाल पड़े उसमें हमारे टांके (कुण्ड) बने थे। उन कुण्डों में कुछ कुण्ड ऐसे खराब हो गये जिनमें क्रैक आ गये, उनमें पानी ठहरता नहीं है। लोगों ने खुद पैसा जुटाकर उनको बनवाया था, यदि आज फेमिन से उनकी मरम्मत के लिए कुछ व्यवस्था कर दें तो उसकी लागत के चौथे हिस्से से कम में उनका पुनद्धार हो सकता है, ताकि वे दुबारा काम में आ सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ गहलोत सरकार को धन्यवाद देते हुए कि इन्होंने अकाल राहत कार्यों का अच्छा प्रबन्धन किया और पानी के क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक कार्य आकस्मिक योजना बनाकर कर रहे हैं, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय प्रो. सांवर लालजी।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : सभापति महोदय, लगातार पांचवें वर्ष भयंकर अकाल से राजस्थान की जनता और पशुधन जूझ रहा है। इस राजस्थान की विधान सभा में भूख से लोगों के मरने की, पशुओं के मरने की कई बार चर्चा हुई है। माननीय सभापति महोदय, सरकार माने या न माने, सरकार उसको कुपोषण बताए, अगर जानवर बाड़मेर, जैसलमेर में मर रहे हैं या और कहीं मर रहे हैं उसके लिए कुछ भी बताए, पर आम जनता यह मान रही है कि राजस्थान की सरकार को जो व्यवस्था करनी चाहिए लोगों को रोजगार देने के लिए, चारे और पानी की व्यवस्था करने के लिए, उसमें वह बिलकुल नाकामयाब रही है।

सत्ता पक्ष की तरफ से अकाल पर चर्चा में सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने भाग लेते हुए शुरूआत की। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि पिछली सरकारों में अकाल राहत कार्य कौन–कौनसे महीने में शुरू हुए, कितना–कितना पैसा लगा और हमारी सरकार ने अगस्त में अकाल राहत के काम खोल दिये। माननीय सभापति महोदय, मारवाड़ी में कहावत है "भैरू को काकड़े चाहिए, सरकार को आंकड़े चाहिए।" इन आंकड़ों से जनता संतुष्ट होने वाली नहीं है। (व्यवधान) मंत्रीजी बैठे हैं न, आपके पास महकमा ही नहीं है, काहे को +++ कर रहे हो। हकीकत आती है तब तकलीफ होती है।

(15.00 बजे)

सभापति महोदय, इन चार सालों में जिस प्रकार की सिवियर पोजिशन राजस्थान की जनता और पशुधन झेल रहे हैं इनको अपने आप 1987–88 याद आ गया। इनको पता है कि हमारा राज आते ही ऐसे भीषण अकाल पड़ते हैं। और भीषण अकाल के समय हम उसी भीषण अकाल के आधार पर मेमोरेंडम तैयार करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आप देख लीजिए, इन्होंने आधार बनाया, एक्सटेंट आफ ड्राट 1987–88 एण्ड 2002–2003, ये दोनों ही वर्ष इनके काम में आये। मैंने कई बार कहा था, लोगों में यह चर्चा है कि राज में आते ही जनता का भाग फूट जाता है, भगवान राजी नहीं होता। अपने मारवाड़ी में कहते हैं "रहीमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून, पानी गये न ऊबरे मोती मानस चून।" अब इनके जमाने में पानी बरसता ही नहीं। सारे तालाब खाली हैं। भैरोंसिंहजी के जमाने में बाढ़ आई थी, उस जमाने में तालाब टूटे थे, पांच साल में इन्होंने ठीक कराने की आवश्यकता महसूस नहीं की। ये जानते हैं कि हमारी नीयत खराब है, हम जनता का भला करने के लिए नहीं आये। हमको तो सरकार की कोई योजना हो उसका राजीव गांधी नाम करना है, विधान सभा में चर्चा हो, सोनियाजी का नाम लेना है। अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा सोनियाजी आईं। सोनियाजी क्या आईं,

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सांवर लाल)

सोनियाजी करके +++ चली गईं। उसका पता ही नहीं, जनता ने क्या कहा, उसने क्या समझा। सभापति महोदय, बहुत बड़ी चिन्ता की बात है और इस देश का दुर्भाग्य है कि उनको पता नहीं। उनको पता चला कि राजस्थान में भूख से लोग मर रहे हैं, मैं तारीफ करना चाहता हूं मीडिया वालों की, चाहे इलैक्ट्रोनिक मीडिया हो, चाहे प्रेस मीडिया हो, जहां जहां पर मौतें हुई प्राकृतिक कारण से उन्होंने फटाफट अखबारों में प्रमुखता दी और जब सोनियाजी को मालूम पड़ा कि मैं तो घूमकर आ गई, राजस्थान में तो लोगों के पास खाने का अनाज ही नहीं है, पीने का पानी नहीं है और लोग मर रहे हैं तो मुख्यमंत्रीजी को तलब किया। सत्ता पक्ष के सब लोग जानते हैं, भाई, यह कैसे हमको गुमराह कर दिया। अब गुमराह तो होना ही था, माननीय सभापति महोदय, जब कुछ जानें नहीं–न मरवाड़ी जानें न हिन्दी जानें, न रहन–सहन जानें न खान–पीन जानें। तो ऐसी स्थिति यहां पर बन रही है। (व्यवधान) सभापति महोदय, सत्ता पक्ष का बोलता है तो हमने तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, इनको क्या तकलीफ हो रही है? (व्यवधान) सभापति महोदय, इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों ने राज किया। आपको पता होगा, एक बार खबर छपी थी, जब लोगों ने कहा कि, साहब, लाल मिर्च महंगी है तो प्रधानमंत्री ने कहा हरी क्यों बोते हो, लाल ही बोने लग जाओ। ऐसे लोग यहां पर राज कर चुके इस देश में। इस प्रकार +++ सोनिया सोनिया, अब इनकी हैसियत कुछ नहीं है, इनको वोट नहीं मिलते उनके नाम से। इस देश का दुर्भाग्य है। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने आंकड़े दिये। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : हिमाचल में कौन–से नम्बर पर रहे? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : 1987–88 में नम्बर आफ डिस्ट्रिक्ट अफैक्टेड 27 और अभी नम्बर आफ डिस्ट्रिक्ट अफैक्टेड 32... (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : इनके सारे के सारे नेता और नरेन्द्र मोदी एक जैसे हैं। (व्यवधान)

श्री के. सी. विश्नोई : हिमाचल में इसलिए ही गिरे हो क्या आप? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इनकी कोई हैसियत नहीं है, यह तो नाम से ही यहां बैठे हुए हैं। गुणगान करेंगे, जनता की तकलीफ की चर्चा नहीं करेंगे। नम्बर आफ विलेजेज अफैक्टेड... (व्यवधान) अभी बताऊंगा वह भी आपको। जितने गांव 87 में थे उनकी संख्या दी है, 35252, इस वर्ष की संख्या दी है इन्होंने 40689 तहसील 208, अब की 239, पापुलेशन 317.37 और इस साल 446.79, कैटल अफैक्टेड 372.30 और 450.95, रेनफाल–45, यह 87 में रिकार्ड बना था जब ये राज करते थे और इस साल तो, माननीय सभापति महोदय, डबल मामला बैठ गया अशोकजी के आने के बाद–64... (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : हिन्दुस्तान में किसका राज है?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सांवर लाल : अच्छा, आपके मंत्रीजी जवाब नहीं देंगे?

श्री आर. पी. शर्मा : यह सारा अटल बिहारी जी वाजपेयी महाराज की वजह से हुआ है, वह कुंवारे हैं।

श्री सांवर लाल : उनकी माला फेरो आप।

श्री आर. पी. शर्मा : उनसे चला नहीं जाता, वह आपके यहां राज कर रहे हैं। हिन्दुस्तान को बेचकर खा गये, पूरे देश को बेचकर खा गये। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : आपने तो किसानों के लिए क्या किया? आपने डी.ए.पी. खाद की, यूरिया की रेट बढ़ाई, आपने डीजल की रेट बढ़ाई।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, हर चीज की रेट बढ़ाई। अशोक गहलोत के राज में तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, जनता को राहत मिली है। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : माननीय सभापति महोदय, इन्होंने किसानों के काम में आने वाला डी.ए.पी. खाद की रेट बढ़ाई, यूरिया खाद की रेट बढ़ाई, डीजल की रेट बढ़ाई, किसान विरोधी इन्होंने बजट दिया है, किसान को मारने वाला बजट दिया है, फिर किस मुंह से बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री संजीव बेनीवालजी, बिराजिये। माननीय सांवर लालजी, जारी रखिये।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, अब आप भी जानते हैं, कोई कड़वी दवा हो तो बड़ी मुश्किल से ली जाती है और मीठी हो तो गटागट पी जाते हैं। अब आपको इतनी तकलीफ हो रही है। सभापति महोदय, इस राजस्थान का दुर्भाग्य है। भारत सरकार ने जब राजस्थान और हिन्दुस्तान के अन्य राज्य सूखे से प्रभावित हुए, पहल करके वहां पर मीटिंग बुलाई। पर राजस्थान की कोई तैयारी नहीं थी। कई माननीय सदस्य कह रहे थे हमने अगस्त में चला दिया। भले आदम! आपने क्या चला दिया, वह तो भारत सरकार ने कहा उसके बाद गेहूं दिया। अगर वह गेहूं नहीं मिलता तो, माननीय सभापति महोदय, ये कुछ भी नहीं कर सकते थे।

इन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित करने के मामले में भेदभाव बरतती है। भले आदमी! हमने कब भेदभाव बरता? बरता हो तो बता दीजिये। आपको भेदभाव बरता है। आपने गंगानगर जिले के कुछ क्षेत्रों को घोषित नहीं किया है। नहीं किया तो वहां की जनता ने एजीटेशन किया, माननीय सभापति महोदय, और उस एजीटेशन के बाद में उन गांवों को आपको अभावग्रस्त घोषित करना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, खरीफ की फसल में जो आकलन होता है उसके हिसाब से अकालग्रस्त घोषित किया जाता है, पर यहां भैरों बाबा की कृपा से खरीफ का नुकसान 50 परसेंट से ज्यादा होते ही फेमिन अफैक्टेड डिक्लेयर, और उसके बाद में प्रकृति की ऐसी मेहरवानी कि बरसात हुई और ज्वारे काट काट कर लोगों ने चने और सरसों पैदा किये। माननीय सभापति महोदय,

(श्री सांवर लाल)

ऐसी भीषण स्थिति नहीं हुई, कभी भी अभावग्रस्त या अकालग्रस्त घोषित कराने के लिए हमको किसी प्रकार के एजीटेशन का सहारा नहीं लेना पड़ा, उनका दबाव नहीं झेलना पड़ा। मैं आरोप लगाता हूं यह सरकार इंसाफ नहीं कर पाई इसलिए वहां के लोगों को एजीटेशन करना पड़ा और उस एजीटेशन के बाद में इन्होंने अकालग्रस्त। अभावग्रस्त घोषित किये।

सभापति महोदय, इन्होंने आगे दिया है, 1700 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि अकाल पर खर्च कर अकाल से ग्रसित लोगों को रोजगार प्रदान किया। बहुमूल्य पशुधन को विभिन्न प्रदेशों से चारा मंगवाकर बचाया। अकालग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था की। वृद्धों और अपाहिजों को आर्थिक सहायता दी। मरम्मत के जरिये स्थायी महत्व के कार्य को तरजीह दी। नतीजा यह हुआ कि पंचायत घर, पटवार घर, विद्यालय भवन, औषधालय भवन, सामूहिक मनोरंजन केन्द्र, पानी के टैंक दिखाई देने लगे। कांग्रेस ने अकाल पीड़ितों की सेवा में कमी नहीं रखी, कोई भेदभाव नहीं किया। सभापति महोदय, चार साल से तो हम झेल रहे हैं। गांवों में आप जाइये, एक भी पटवार घर बनाया हो तो हमको बता दें। अगर एम.एल.ए. फण्ड, एम.पी. फण्ड का मटीरियल में पैसा नहीं दिया हो तो कोई एक भी पक्का काम कराया उसका तो बता दीजिए। सहायता मंत्रीजी, अगर किसी पंचायत ने गलती से करा दिया तो बात अलग है। 25 परसेंट मैटीरियल कम्पोनेंट पर इन्होंने रखा था, 25 परसेंट मटीरियल कम्पोनेंट से, माननीय सभापति महोदय, पक्का काम नहीं हो सकता है। कुछ पंचायतों ने करवा दिया उनका आज तक पेमेंट नहीं हुआ। सभापति महोदय, ये आज तक कच्चे काम के अलावा कुछ नहीं कर पाये। मैं आपको बताना चाहता हूं, मंत्रीजी, चाहे सांधोया ले लो, चाहे कालावाड़ा ले लो, मनोहरपुरा ले लो, तीनों पंचायतों की सामग्री का भुगतान दो वर्ष से लम्बित है, और आप बातें करते हो हमने विकास में बदल दिया। मुख्य मंत्रीजी कहते हैं हमने अकाल को विकास में बदल दिया, कौन-सा पक्का काम किया? एक भी पक्का काम नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, 1987-88 में जितना घोटाला चारा सब्सिडी के अन्दर हुआ, ये आधार बना रहे हैं, हमको राजीवजी ने बहुत पैसा दिया, आपको याद नहीं, उस जमाने में स्कूटरों के नम्बर से ट्रकों की बिल्टियां पास करा रहे थे आपके कार्यकर्ता लोग। जितना भ्रष्टाचार हुआ उनमें से कई फाइलें तो आज तक दबी हुई हैं, उनका पेमेंट तक नहीं हो पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इस राज के अन्दर अजमेर जिले के अन्दर आज चार साल की सब्सिडी बाकी है एक करोड़ की, उन पशुपालकों का दोष है क्या, मंत्री महोदय? आपके प्रभारी मंत्रीजी

(श्री सांवर लाल)

वहां घोषणा करके आये, हम कर देंगे भुगतान तत्काल। मंत्रीजी ने तीन बार जवाब दे दिया, हम शीघ्र भुगतान कर देंगे, आप मंत्री हो या इन ब्यूरोक्रेट्स से गाइड होते हो? मुझे समझ में नहीं आया, आप जनता के लिए बैठे हैं कि इनकी राय से ही काम करते है? अगर ये ना कर देंगे तो आप जनहित में कोई काम करने की ताकत नहीं रखते, फिर राजस्थान की जनता ने 153 आदमी जिताकर भेजे उसका मतलब क्या है? मंत्रीजी, कुछ हिम्मत दिखाओ, और कुछ अन्याय अगर हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करो। अब तो यह श्रेय ले लो, नहीं तो फिर यह हमको करना पड़ेगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह मौका आपको नहीं मिलेगा।

श्री सांवर लाल : वह मौका तो हमको मिल गया जब हमने बोल दिया। आप कितना ही प्रचार करना, लोग यही कहेंगे कि सांवर लाल की भभकी से पेमेंट हुआ है। आप करके देख लेना।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सांवर लाल की भभकी से डरने वाले नहीं हैं।

श्री सांवर लाल : नहीं हैं तो फिर देखते हैं कि करते हो या नहीं करते हो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह तो आपको पता है कि हम फैसला कर चुके हैं इसलिए आप बोल रहे हो।

श्री सांवर लाल : अब आप कर चुके तो मुझे तो बताया नहीं।

श्री मदन दिलावर : चार साल से सांप सूंघ गया था क्या आपको?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं बीच में इंटरवीन नहीं करना चाहता इसलिए आपको रोका नहीं।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, अकाल के प्रति ये कितने गम्भीर हैं, मैंने एक चिट्ठी मुख्य मंत्रीजी को लिखी थी कि राजस्थान अकाल में जा रहा है, पशुधन और जनता मर गई तो आप राजस्थान अर्थव्यवस्था और जनता को चौपट कर देंगे। मैंने कहा कि आप राजस्थान विधान सभा का विशेष सत्र आहूत कीजिये। मेरी चिट्ठी गई थी 19.7 को। उसके बाद में पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण पर चर्चा कर ली, पर इसमें यही लिखा है–12.8 को प्राप्त हो गई, मानसून के प्रभावी नहीं होने के कारण राज्य के समक्ष सूखे की विकट समस्या है, इस समस्या से निपटने हेतु सरकार संकल्पित है। अगर सरकार संकल्पित होती तो, माननीय मंत्री महोदय, उस टाइम राजस्थान विधान सभा का विशेष सत्र आप आहूत करते।

बार-बार मुख्य मंत्रीजी अखबारों में छपाते रहे हैं कि भारत सरकार सहायता नहीं कर रही है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। सभापति महोदय, भगवान ने सद्बुद्धि दी और उस दिन यहां राजस्थान विधान सभा में अभिभाषण के जवाब में मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि भारत सरकार बहुत दे रही है पर और दिलवाइये। हमारे पास एक रुपया खर्च करने को नहीं है, हमारा मैनेजमेंट बेहतर है। माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र के अन्दर

(श्री सांवर लाल)

जन कल्याणकारी सरकार केवल मैनेजमेंट के लिए नहीं होती। मैं आरोप लगाना चाहता हूं इस सरकार के ऊपर, यह लोक कल्याणकारी सरकार नहीं है। मैनेजमेंट करना है तो इन ब्यूरोक्रेट्स को बना दीजिये। आपको व्यवस्था करनी चाहिए। भारत सरकार जो दे रही है इसके अलावा अगर राजस्थान की जनता को, राजस्थान के पशुओं को बचाना है तो यह आपका भी कर्तव्य बनता है। राजस्थान की जनता ने यों 153 इसलिए नहीं भेज दिये कि आप यहां आकर अकाउंटेंट या बाबू की तरह मैनेजमेंट करें। शर्म आनी चाहिए आपको। सभापति महोदय, इन्होंने आज तक लोगों को बचाने की कोई व्यवस्था अपने बजट से नहीं की और भारत सरकार पर आरोप लगाते हैं। मैं, मंत्री महोदय, आपको चुनौती देता हूं कि 9वें वित्त आयोग के बाद में राजस्थान सरकार ने कब कब भारत सरकार को कितनी-कितनी सहायता के लिए ज्ञापन दिये और भारत सरकार ने केन्द्रीय प्राकृतिक आपदा कोष से, प्रधानमंत्री कोष से या अनाज के पेटे कितनी कितनी सहायता कब-कब उपलब्ध करवाई। अगर आप यह बता देंगे तो हम मानेंगे कि भारत सरकार ने आपके साथ भेदभाव किया। हमने पांच साल राज किया, दो बार हमने ज्ञापन दिया। एक बार 21 करोड़ रुपये हमको मिले और दूसरी बार के 21 करोड़ रुपये आपके खाते में लिखे हुए हैं। आपने जब-जब ज्ञापन दिया, भारत सरकार ने आपको पैसा देने में कमी नहीं रखी। आपको केन्द्रीय प्राकृतिक आपदा कोष से 21.98 करोड़ रुपये हमारे ज्ञापन के पेटे मिले। आपको 102.93 करोड़ रुपये बाद में दूसरे वर्ष मिले, 85 करोड़ रुपये फिर मिले, 78.97 फिर मिले और 155.68 अभी सब्सिडी के पेटे मिले। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपने फण्ड से प्रधानमंत्री के लिए पूरा हिन्दुस्तान है उसके बावजूद भी उन्होंने सहायता में कोई कमी नहीं रखी, प्रधानमंत्रीजी ने अपने कोष से 20 करोड़ रुपये एक बार दिये, 50 करोड़ रुपये एक बार दिये, और फिर 11.66 करोड़ रुपये और दिये। इसके अलावा ये योजनाएं हैं भारत सरकार की...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 11.66 करोड़ रुपये किसमें दिये, जरा हिसाब वापस देख लीजिये।

श्री सांवर लाल : गौशालाओं के लिए दिया। फण्ड तो दो ही हैं न।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : प्रधान मंत्री सहायता कोष से मिले या किसी और फण्ड से मिले, यह देख लीजिये।

श्री सांवर लाल : ऐसा है, मैंने कह दिया कि आप आंकड़े और काकड़े में मत पड़ो। आपको पैसा मिला या नहीं मिला, यह बता दो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आंकड़े तो आप पढ़ रहे हो इसलिए पूछ रहा हूं कि यह हिसाब-किताब की गलती क्यों कर रहे हो।

श्री सांवर लाल : आपको पैसा मिला या नहीं मिला, यह बता दीजिये। यह आपको है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह 11 करोड़ आपका है? ये 11 करोड़ रुपये जिनका जिक्र माननीय सदस्य ने किया, ये केन्द्रीय सरकार से नहीं मिले क्या? 11.6 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार से आपको नहीं मिले क्या? चाहे प्रधानमंत्री कोष से मिला हो या एन.सी.सी.एफ. से मिला हो। एन.सी.सी.एफ. से मिला होगा, है तो केन्द्रीय सरकार का पैसा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं तो यह पूछ रहा हूं कि यह करैक्ट कर लें।

श्री सांवर लाल : केन्द्रीय सरकार का ही है। माननीय मंत्री महोदय, आपको 50 करोड़ रुपये नहीं दिये, सीधे गौशालाओं को दिये, इस बात की तकलीफ है आपको।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कौन मना करता है?

श्री सांवर लाल : मारवाड़ी में कहते हैं न कि सेठों के गाड़ी बलै, मरदों कै टचकारा, उठने दो फटकारा। भारत सरकार का पैसा, मजे लो आप, गांव-गांव में झगड़ा करवाओ आप, फेमिन में मांडेंगे कांग्रेस को वोट दिया या नहीं।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : सीधे गौशालाओं को पैसा भेजना न्यायसंगत है? सीधे गौशालाओं को पैसा देना क्या न्यायसंगत है?

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, यह सारा पैसा भारत सरकार से आ रहा है उसके बावजूद...

श्री गोवर्द्धन कल्ला : राज्य सरकार गौशालाएं चला रही है। राज्य सरकार गौशालाएं क्यों चला रही है, सीधे पैसा देना है तो फिर?

श्री केसाराम चौधरी : पशुओं को चारा नहीं देना है क्या? आपके जैसों को पैसा भेज दिया, पानी का पड़ा है उसका तो उपयोग करते नहीं और बातें करते हैं फालतू की।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : फिर राज्य सरकार क्यों चला रही है गौशालाएं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : संघीय ढांचे के खिलाफ काम कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : राज्य के खिलाफ नहीं, राज करने की जिम्मेदारी...

श्री केसाराम चौधरी : सारा पैसा बचा कर ब्याज कमा रहे हो। आप पैसा बचा कर ब्याज कमा रहे हो वह तो ठीक है और सीधा गौशालाओं को पैसा भेज दिया उसमें संघीय विचाराधारा की बात कर रहे हो।

श्री सभापति : माननीय केसारामजी, माननीय सांवर लालजी जवाब देने में सक्षम हैं, आप बिराजिये।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है

(श्री सांवर लाल)

कि जिस प्रकार का विश्वास राजस्थान की जनता ने आप में करके 153 यहां पर बिठाये हैं, आप केवल बाबू के आगे नहीं बढ़े हो। आप गैरजिम्मेदाराना सरकार हो, आपने राजस्थान की जनता को और पशुओं को बचाने के लिए अपने कोष से कोई व्यवस्था नहीं की है। लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी सरकार के लिए...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं उत्तर दूंगा जब बताऊंगा कि हमने क्या किया।

श्री सांवर लाल : आप बाद में हीं बता देना, बीच बीच में क्यों बताओ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप चले मत जाना, बैठे रहना कल जवाब के वक्त।

श्री सांवर लाल : आपकी बातें सारी रिकार्ड पर आएंगी, मंत्रीजी, और राजस्थान की जनता देख रही है आपको। सभापति महोदय, अभी +++ कह रहे थे कि इतना अन्न पैदा कर दिया। अन्न किसान पैदा करता है, किसानों के लिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपने नहीं किया। भारत सरकार के दरवाजे खुले हैं। माननीय सभापति महोदय, 30 लाख टन के लगभग गेहूं दिया है इनको, वह अनाज उठाकर आप बांट दें तो राजस्थान के घर-घर में बोरियों के ढेर लग जाएंगे। पर नहीं ला सकते। भारत सरकार ने 6 किलो कर दिया, हमारे मजदूर कम हो गये। देख लो न इस सरकार की करामात। ये मजदूरी का भुगतान करें, उसके काबिल नहीं हैं। यह सरकार नहीं चाहती कि रोकड़ पैसा किसान के हाथ में पहुंचे। ये केवल गेहूं लेकर काम चलाना चाहते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता इनके लिए। 30 हजार टन गेहूं पशुओं के लिए मिला और लिख देते हैं अभी तीन हजार समथिंग टन ही उठा। उठाने हम आएं क्या? या हमको कह दो कि आप उठा-उठाकर बांटे। (व्यवधान) चारा और पानी लाने के लिए...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो टैस्ट कराया वह खाने लायक गेहूं नहीं था। उसको गाय खाती तो मर जाती।

श्री सांवर लाल : भले आदमियों ! राज कर रहे हो, कुछ तो राजधर्म निभाओ। 40 हजार करोड़ का कर्जा एक दिसम्बर, 1998 के बाद ले लिया। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आरोप लगाना चाहता हूं, 40 हजार करोड़ रुपये का, और उस दिन मुख्य मंत्री बड़ी गैर जिम्मेदारी से बात कर रहे थे कि हम कर्जा नहीं ले सकते। और सब काम के लिए कर्जा ले सकते हैं, गरीबों की बात आते ही कर्जा नहीं ले सकते।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उसमें 30 हजार करोड़ तो आप ही छोड़कर गये थे।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सांवर लाल : यह वह आंकड़ा नहीं बता रहा हूं। मंत्रीजी, पढ़ा-लिखा करो, केवल यहां बोलने से काम नहीं चलेगा, दिसम्बर, 1998 के बाद...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, आप तो जवाब देंगे न। सी. पी. जोशी को दे देंगे।

श्री सांवर लाल : 1 दिसम्बर, 1998 के बाद में जब से राज में आये उसके बाद 40 हजार करोड़ का कर्जा आपने ले लिया। हिसाब-किताब देखना, वित्त मंत्रीजी से पूछ लेना आप। किसानों के लिए कर्ज की बात आए, कामकाज के लिए, पशुओं को बचाने के लिए, तो मुख्य मंत्री जी खड़े होकर कहें कि हम नहीं ले सकते। किसकी पाबन्दी है आप पर कर्जा लेने की? आप विदेश से कर्जा लोगे तो भारत सरकार की अनुमति की जरूरत है। आप राजस्थान की जनता को पालने के लिए हिन्दुस्तान में कहीं से कर्जा लो, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। राजस्थान सरकार डिबेंचर जारी करे, जनता खरीदेगी, राजस्थान में बहुत से लोग हैं खरीदने वाले। पर आपकी नीयत नहीं है। सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि पांच साल लगातार आपकी वजह से अकाल पड़ा, उस जमाने में किसानों का कर्जा माफ करने का काम भैरोंसिंह शेखावत ने किया। आप भी पांच साल लगातार हैं, आप जवाब दें तो यह बता देना कि पांच साल से जो किसान पीड़ित है...

श्री संजीव कुमार : माननीय सभापति महोदय, किसानों के हित की आप बात कर रहे हो, किसानों को तो आपने मारा है। किसान विरोधी बजट आपने दिया है। डी.ए.पी. के आपने रेट बढ़ाये, यूरिया के आपने रेट बढ़ाये, डीजल के आपने रेट बढ़ाये। किसानों को आपने मार दिया और आज किसानों की बात करते हो। माननीय सांवर लालजी, आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, अब यह बात कर रहे हैं डीजल की, खाद की। अब राजस्थान में खाद के कट्टों की कहां जरूरत पड़ रही है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

श्री संजीव कुमार : राजस्थान में कहां जरूरत नहीं पड़ती? राजस्थान का किसान डी.ए.पी. और यूरिया खाद का इस्तेमाल करता है, माननीय सभापति महोदय।

एक माननीय सदस्य : बिना किसान के आप क्या करेंगे और आपकी सरकार क्या करेगी? (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : पूरे गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, कहां जरूरत नहीं पड़ती डी.ए.पी. और यूरिया खाद की? किसान के काम में आने वाली ज्यादातर चीजों के दाम बढ़ा रहे हैं, डीजल के भाव ज्यादा बढ़ा रहे हैं, फिर किसानों के हित की बात करते हो आप, माननीय सभापति महोदय।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, आये तब कहा था कि 37 पैसा यूनिट देंगे। हमने तो घोषणा पत्र में नहीं लिखा कुछ, आपने तो घोषणा पत्र जारी किया था, साहब ये फोटो हैं, देख लो आप चाहो तो, परसरामजी, दूसरी तरफ माननीय अशोकजी और बीच में सोनियाजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौन है बीच में?

श्री सांवर लाल : सोनिया जी हैं। अब पता नहीं, कैसे यह आईं, आप जानते हो, सोनियाजी। हिन्दुस्तान की नेता बना रहे हो, नेता तो ये बना सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। सभापति महोदय, यह मेरी चुनौती है, आप कितनी ही कोशिश कर लो, राजस्थान की जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप तो अकाल पर बोलो। ना, यह विषय ही नहीं है।

श्री सांवर लाल : सब्जैक्ट तो नहीं है पर ये बोल रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इनके पास बोलने के लिए है ही नहीं तो ये क्या बोलें?

श्री कय्यूम खान : किस मुंह से बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपके मुंह से बोलेंगे। आज हम नहीं बोल रहे हैं तो ज्यादा बोल रहे हैं सब लोग, आराम से बैठो आराम से। आराम से बैठ जाओ, हमने नहीं टोका है आज तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बोलने के लिए आप लोगों ने इतना दे रखा है। माननीय सभापति महोदय, पांच साल में लगभग 15000 करोड़ की फसल नष्ट हो गई है, आपको मैं कहना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना जो भारत सरकार ने लागू की है, वह अगर लागू कर देते तो आज किसानों की यह हालत नहीं होती, मंत्रीजी। इलेवंथ फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है- "Ministry of Agriculture has stated that a comprehensive crop insurance scheme called the Rashtriya Krishi Bima Yojana covering the failure of certain crops is already in operation. The scheme provided compulsory insurance coverage for crop." मंत्रीजी, आपके खजाने में किसानों के लिए कुछ नहीं है। आपके खजाने में अशोक गहलोत गार्डन के लिए है, राजस्थान में सेठों का सम्मेलन करवाने के लिए है, उनसे मिले चाहे एक धेला नहीं। किसानों की बीमा की बात की गई। 50 प्रतिशत प्रीमियम राजस्थान सरकार को देना है, 50 प्रतिशत भारत सरकार को देना है, भारत सरकार तैयार है, प्राकृतिक आपदा कोष आपका तैयार है। आप बार बार जो बात कह रहे हैं, यह स्कीम लागू कर देते तो राजस्थान का किसान आपका मोहताज नहीं होता, वे बीमा कम्पनियां इनको पैसा दे देतीं। पर इनकी नीयत नहीं है। नीयत इसलिए नहीं है, ये नहीं चाहते कि किसान का भला हो। इनका बस चले तो बारानी जमीन का लगान वसूल कर लें। एक ही चीज हमने माफ नहीं की, जाते-जाते बोल गये, 15 वर्ष का सिंचाई विभाग का पैसा है, इन्होंने राज आते ही पैसा वसूल किया। ये खजाना गरीबों से भरना चाहते

(श्री सांवर लाल)

हैं दिशा देना चाहते हैं गरीबों की, किसानों की। माननीय सभापति महोदय, प्रजातंत्र में लोक कल्याण की दृष्टि से सरकार का यह दायित्व है कि जहां से ले सकते हो, वहां से लीजिये और जिसको जरूरत हो वहां पर आपको देने की कोशिश करनी चाहिए। यह आपका सोच होना चाहिए, पर आपका सोच कभी भी ऐसा परिलक्षित नहीं होता, सभापति महोदय।

अब ये कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरा। भूख की बात करेंगे कि भूख से कोई नहीं मरा, पर मुख्य मंत्रीजी ने बारां में बोलकर कल्याण कर दिया। ये फेमिन पर काम कर रहे थे, मुख्य मंत्रीजी की मीटिंग है, प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में तो प्रजा का विश्वास होगा तभी प्रजा आएगी। लेकिन प्रजा का विश्वास नहीं है क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ, प्रजा के साथ धोखा दिया है। राज में आने के बाद बड़े उलटे उलटे काम किये हैं। प्रजा नहीं आए, मुख्य मंत्रीजी गौशाला का उद्घाटन करेंगे। वहां पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य लेट जाएंगे, उनको पता नहीं है क्या? भगवान जाने, ये इनकी पार्टी के हैं पर माननीय सदस्य हैं सदन के, हमको भी तकलीफ है। वहां पर ट्राली पलट गयी और फेमिन से लेबर भर-भरकर लाये, गांव में लगे हुए हैं, इसकी भी जांच करवा लो, सहायता मंत्रीजी। अगर वे श्रमिक फेमिन के थे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, पहले तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो जो उनको लेकर आये थे। वे अकाल राहत कार्यों पर इसलिए नहीं हैं कि मुख्य मंत्री की मीटिंग की शोभा के लिए खड़े हो जाएं, आपकी मीटिंग में जाएं। प्रजातंत्र में लोग मन से आएंगे, उसी से आप मान सकते हैं कि वे आपको सुनने के लिए आये हैं। अगर ऐसा हुआ है तो, मंत्री महोदय, इससे गम्भीर बात इस प्रजातंत्र में नहीं हो सकती। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप बड़े संजीदा मंत्री हैं, बहुत पुराने हैं, इस प्रकरण को आप दिखवाओ। अगर वे फेमिन में हाजिर थे और एक्सीडेंट में मर गये तो आपको निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनती है कि उनके परिवार को आप मुआवजा जितना दे सकें, दें।

अभी बिजली की बात आई, सभापति महोदय, जब बिजली बोर्ड था हमने बहुत कहा था, समझ में नहीं आया। मैंने कहा, इस तरह मत भंग करो, एक बोर्ड काबू में नहीं आ रहा है, तीन-तीन कम्पनियां कैसे आएंगी। बोर्ड घाटे में है, इसको नफे में ले आएंगे, 1000 करोड़ का घाटा आज 1600 करोड़ तक पहुंच गया। ये कम्पनियां जिस गति से दर बढ़ा रही हैं, किसानों को, गांव वालों को मार रही हैं। अकाल का गम्भीर समय और रात में 10 बजे के बाद बिजली आप देते नहीं हो। आप कहते हैं कि हमने प्रोक्योरमेंट बढ़ा लिया, इतना उत्पादन बढ़ गया। आज राजस्थान के किसानों को बहुत कम बिजली की आवश्यकता है, बहुत कम

(श्री सांवर लाल)

एरिया है वहां पर भी आठ बजे से बिजली नहीं दे पा रहे हैं। बिजली की रेट आपने बढ़ा दी। बच्चों को पढ़ने-लिखने के लिए बिजली नहीं है। गांव में 8.30 बजे के बाद हवाएं सुनसान पड़ती हैं। वहां पर ज्यादातर महिलाएं रहती हैं, लोग गांव छोड़ छोड़ कर चले गये, आप क्या व्यवस्था कर रहे हो वहां बिजली की? रात में अगर चोर आ गये और वहां पर कुछ गड़बड़-सड़बड़ हो गई-लोगों के साथ मारपीट, लूट-खसोट, तो उसकी क्या व्यवस्था करेगी सरकार, यह भी आपको यहां पर संदेश देना चाहता हूं।

अभी पीने के पानी के बारे में चर्चा हुई। मंत्रीजी बात करेंगे तो ये एकदम उफन जाएंगे। पानी तो आ नहीं रहा है, हैण्ड पम्प इतने लगा दिये। लोग तो रो रहे हैं उन हैण्ड पम्पों को, उन हैण्डपम्पों से हवा निकल रही है। भगवान जाने कैसे राज में आ गये? पानी नीचे जा रहा है, हैण्ड पम्प खोदा फिर पानी नीचे। कहीं पर पीने के पानी का संकट नहीं है, सभापति महोदय, यह किताब से पढ़ दिया अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने, यह-यह योजना चालू कर दी। योजना बनाकर भेज दी भारत सरकार को, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और जो पहले की योजनाएं हैं, उनका क्या किया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पैसा कितना खर्चा हुआ उन योजनाओं पर?

श्री सांवर लाल : पैसा कितना खर्च किया? उन योजनाओं का क्या किया? बीसलपुर की योजना 1992 में जब यह सरकार थी, गुलाब जी वगैरह ने बनवाई थी, उस योजना में 1900 के लगभग गांव हमारे जमाने में जोड़े थे। चार साल से एक गांव में पानी नहीं पहुंचा, केवल गुलाबपुरा और विजयनगर को जोड़ा। जहां से लाइन गुजर रही है वहां पर केवल एक टूंटी दे दी और कह रहे हैं कि हमने 12 गांवों को लाभान्वित कर दिया। ऐसे लाभान्वित करते हो आप गांवों को? क्यों उस गांव में अन्दर टंकी नहीं बनवाओगे? टूंटी रोड पर लगा दी और वह लाभान्वित हो गया गांव, माननीय सभापति महोदय, यह इस सरकार की सोच को प्रकट करता है कि यह सरकार की गांव है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य, मुख्य मंत्रीजी तो कहते हैं कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, आप कहां बीसलपुर की बात कर रहे हो?

श्री सांवर लाल : अब मुख्य मंत्रीजी तो कहते हैं कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ, और सबको पढ़ाओ। भगवान ने सुन लिया और पानी इन्द्रदेव ने अपने पास ही रख लिया, और ये छटपटाते रहे हैं कि पानी खेत में कहां से रोको, गांव में कहां

(श्री सांवर लाल)

से रोको। अगर भगवान पानी नहीं बचाता तो गांव गांव में जाकर झगड़वा देते पानी रोकने के मामले में, क्योंकि इनका काम ही यही है। हालत बहुत खराब कर रखी है। अब उस दिन जब पेयजल का सवाल आया, मंत्रीजी ने जवाब नहीं दिया ढंग से। वह तो ऐसे हैं जैसे क्लास रूम में पढ़ा रहे हैं। लड़कों को मालूम होगा कि ये तो हमारे प्रोफेसर हैं, ये जैसे बोलेंगे सुनना पड़ेगा। पर यहां पर तो आपका जवाब जनता के लिए है, यहां सारे जनप्रतिनिधि हैं। आप यहां डिक्टेट करना चाहते हो किसी को? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो वास्तविक तथ्य है, यहां पर रखो, राजस्थान की जनता को मालूम पड़ेगा कि सरकार कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कमी रही है तो कहां रही है। आप तो केवल यह कहते हैं कि मैं कहूं वह सुन लो। वह तो कालेज के लड़के भी नहीं सुनते, वे भी बड़े हो गये। इन्होंने जितना पैसा बचाया, माननीय सभापति महोदय...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये सत्ता पक्ष के विधायकों की सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, क्या इनके यहां पर अकाल नहीं है? ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि इनके यहां पर अकाल नहीं है। (व्यवधान) अकाल होता तो सब यहां मौजूद रहते। ऐसा लग रहा है कि इनके यहां पर अकाल नहीं है।

डा. के. सी. चौधरी : आप पीछे भी देखिये, विधायक ही बैठे हैं। पीछे भी तो विधायक बैठे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ये सिर्फ मुख्य मंत्रीजी की खुशामद करने में लगे हुए हैं, अकाल की परवाह नहीं कर रहे हैं, अपने गांव की, क्षेत्र की परवाह नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो हारेंगे। और हारेंगे इसलिए कि अपने क्षेत्र की, गांव के अकाल की और पानी की चिंता नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुख्य मंत्रीजी की खुशामद में लगे हुए हैं।

श्री सांवर लाल : अकाल पर भी चर्चा करेंगे तो बस सोनियाजी का गुणगान करेंगे। सभापति महोदय, कहां पानी के लिए इतने हैण्ड पम्प खुद गये। एम.एल.ए. के फण्ड के तो 4-4 साल से बाकी हैं, कौनसे खोद दिये, हम तो गांव में घूमते हैं? आपकी सरकार की कोई योजना नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रतनगढ़ वाले पण्डितजी की पीड़ा।

श्री सांवर लाल : पण्डितजी को पानी पिलाओ। (व्यवधान) बहुत बड़े आदमी ने आश्वासन दे दिया तो संतुष्ट हो जाते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि पण्डितजी ध्यान में रखेंगे, आठ महीने में क्या ध्यान रखेंगे, आप समझदार हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पण्डितजी, आप मुगालते में मत आओ। पण्डितजी, आप भी अपनी आत्मा से सोचो।

श्री सांवर लाल : अब दो-तीन महीने

(श्री सांवर लाल)

में तो सम्भाल ही नहीं पाएंगे। 113 करोड़ रुपये इन्होंने बचाये ए.आर.पी. मरुस्थल के, 14.82 करोड़ प्रधानमंत्री योजना के, 14.12 करोड़ रुपये, आपको तकलीफ तो नहीं, लाखों को करोड़ में कर दिया? त्वरित शहरी पेयजल आपूर्ति योजना 7.21 करोड़, बिसाऊ योजना 1.07 करोड़। और यह राइजेप सेलेरी कम्प्यूटराइजेशन मय टेपिंग, और एक योजना, माननीय सभापति महोदय, इनकी तरफ से बनाई हुई है उसका नाम है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसके अन्दर पैसा बचा हुआ है 70.5 करोड़। अब यह कब लगाओगे, यह बरसात आने के बाद? या इन्होंने यह मान लिया कि बरसात आएगी ही नहीं हमारे राज में? पूरा जाब्ता कर रखा है तो भगवान जाने। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शहरी क्षेत्र में 48.70, इतना पैसा इन्होंने पेयजल में बचा रखा है, माननीय सभापतिजी और बातें करते हैं कि हम बड़े संवेदनशील हैं।

श्री जयदेवद प्रसाद इन्दौरिया : माननीय राठौड़ साहब, मैंने कोई गलत बात कह दी क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, अच्छी बात कही।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने ठीक कही।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : पानी की कमी के लिए मैंने निवेदन किया मुख्य मंत्रीजी से कि हमको भी पानी पिलाओ, कोई गलत बात कह दी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने अच्छी बात कही, पर आपकी बात सुनी नहीं जा रही, इसकी तकलीफ है मुझे। ऐसे लोगों से क्या प्रार्थना करो, पण्डितजी, जो कुछ देने लायक है ही नहीं खुद ही। इनको खुद को पता नहीं इनको क्या देना है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : ऐसा है कि जो पदासीन है, उसी से तो कहा जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह मजबूरी है आपकी, आप कहना नहीं चाहते।

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब। सांवरलालजी, जारी रखिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैंने तो सारे हाउस की भावना उनके सामने सूत्र के रूप में रख दी, अब इसका आप विश्लेषण करो। विस्तार से कुछ अपने विचार करो, वह सब उसी में निहित है। उस सूत्र में ही निहित है, पानी पिलाओ।

डा. के. सी. चौधरी : सब को पिलाओ।

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, पशु आहार अनुदान देने की बात आती है। आज जानवरों की हालत बड़ी गम्भीर है, गांव में लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है। इनकी पर्चियां ले लेकर घूम रहे हैं, गेहूं नहीं पहुंचा पा रहे हैं। गेहूं पहुंचाने की जिम्मेदारी इनकी

(श्री सांवर लाल)

और बात करेंगे कि गेहूं नहीं आ रहा। अब गेहूं कौन लाएगा, सभापति महोदय? आज चारा नहीं है, सभापति महोदय, और अभिभाषण में दे दिया कि 4210 चारा डिपो स्वीकृत किये गये। चारा डिपो स्वीकृत करने का क्या क्राइटेरिया है? आप क्या चाहते हैं, किसान एक–एक बोरी, एक–एक कट्टा चारे का कहां से लेकर आएगा।? मंत्री महोदय, प्रैक्टिकल बनिये। आपको मालूम है आजकल आदमी को खाने की कैलोरीज नहीं मिल रहीं। गांवों के अन्दर साधन नहीं, साधन है तो डीजल–पैट्रोल नहीं। अगर दस कोस दूर आपने चारा डिपो खोल दिये तो कैसे लाएगा वह? एक गांठ लेकर आएगा, फिर दूसरे दिन फिर गांठ लेकर आएगा। क्या आपको कोई चिंता नहीं इन किसानों की? मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, अगर सरकार व्यवस्था करना चाहती है, हर रेवेन्यू विलेज के अन्दर चारा डिपो खोलिये आप, गांव का आदमी वहां से चारा ले। आपका एक ट्रक आता है उस दिन सैकड़ों लोग आ जाते हैं, फिर बेचारे माथे पर पटक कर दस किलोमीटर पैदल जाते हैं। यह बहुत चिंता की बात है, माननीय सभापतिजी। माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, आपकी सरकार का कानून है कि सब्सिडी काट कर ही आप चारा देंगे। अब सब्सिडी तो काटेंगे, माननीय सभापति महोदय, लेकिन पैसा कहां से लाएंगे? आपका पेमेंट नहीं होता दो–दो महीने तक। एक ट्रक आता है पचास हजार का, गांव में कोई रईस या जागीरदार है जो उनकी सब्सिडी का पेमेंट दे देगा और वह उसके बाद में ले लेगा? मेरा निवेदन है कि इसको प्रैक्टिकल बनाइये आप। आप यह व्यवस्था कीजिये कि हर तीसेर दिन आपकी बिल्टी पास हो जाएगी। आज भी राजस्थान का तो मेरे पास आंकड़ा नहीं है, अजमेर जिले के अन्दर कम से कम एक करोड़ के लगभग चारा बिल्टी इस वर्ष की बकाया है। तो आपके माध्यम से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इसको थोड़ा साइंटिफिक बनाएंगे। अगर आप नहीं बनाएंगे तो लोग जानवरों को खुला छोड़ देंगे। गौशालाएं कई जगह गांवों के अन्दर हैं, उसमें सब्सिडी सैंक्शन करने के अन्दर महीने–महीने भर आपके आफिसेज के चक्कर लगाते हैं, बिलकुल ब्यूरोक्रेसी और बाबूशाही हावी है। कोई लेकर जाता है, थोड़ी मात्रा की गलती रह गई तो वापस एस.डी.ओ. और तहसीलदार के पास भेजते हैं। गौशाला है और नीचे लिख दिया कैटल कैम्प, तो कलेक्टर तक उसको रैक्टिफाई नहीं कर सकता। गौशाला और कैटल कैम्प में फर्क क्या है? गौशाला आपकी परमानेंट हो गई, कैटल कैम्प टैम्परेरी है। तो कम से कम ऐसा कोई आ जाए कि विषय अलग लिख दिया, नीचे अलग लिख दिया तो कलक्टर को यह तो पावर कर दीजिये कि उसको काट कर कैटल कैम्प के नाम से सैंक्शन कर दे।

(श्री सांवर लाल)

जानवरों को बचाना परम कर्तव्य है, माननीय मंत्री महोदय, और जानवर नहीं बचे तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा ये भी जानवर हैं और विशेष रूप से भेड़े और बकरी, ऊंट से काफी रेवेन्यू भी मिलता है। एक जाति विशेष, रायका समाज इनको ज्यादा पालता है, लेकिन राजस्थान की बाकी कौमें भी अपनी–अपनी हैसियत के अनुसार भेड़, बकरी, ऊंट जो भी होता है, रखती हैं। इनको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप इस बारे में विचार कीजिये और विचार करके इनको भी इसमें सम्मिलित करवाइये।

आपने एक योजना शुरू की थी व्यक्तिगत कुएं और मकान की योजना। आपने वाहवाही लूटने का प्रयास किया और योजना में रखा क्या? गेहूं 75 प्रतिशत, जो भी मजदूरी का होगा, सारी मजदूरी का गेहूं दिया जाएगा। अगर मजदूरी रोकड़ देनी है तो जो मकान बनाएगा या कुआं खुदवाया वह देगा। जो सामग्री है जो कुआं खुदवाएगा, मकान बनवाएगा, वह देगा। तो आपकी गांठ से क्या लग रहा है, मुझे यह तो बता दो? सारा भारत सरकार का और मजे ले रहे हैं आप, और उसमें भी भेदभाव। ऐसे छोटे अफसरों को सैंक्शन करने के अधिकार आपने दे दिये कि आपका अदना–सा कार्यकर्ता वहां जाता है वह धौंस देता है, यह हमारा...

डा. के. सी. चौधरी : यह अच्छी योजना थी, माननीय सदस्य, आपने बन्द क्यों करवा दी?

एक माननीय सदस्य : यह तो आप लोगों ने की।

डा. के. सी. चौधरी : बन्द आप लोगों ने करवाई है दिल्ली से, हम तो इसको चालू रखना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, अब इनको कहते हैं काम चलाओ, चारे–पानी की व्यवस्था करो, ये कह रहे हैं कि हमारा राज है। मारवाड़ में कहते हैं न कि टांडे क्यों है कि सांड हूं, गोबर क्यों करता है कि गऊ का जाया हूं। अब इनको कहते हैं कि हर घर में आदमी को रोजगार दो, पशुओं के चारे–पानी की व्यवस्था करो। पहले तो टांडते हैं कि हमारा राज है। फिर कहते हैं कि व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं कि खजाना खाली है, दिल्ली वाले नहीं दे रहे। यहां कोई +++ बैठे हैं क्या, कुछ तो करो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक्टिंग अच्छी कर लेते हो।

श्री सांवर लाल : बहुत चिंता की बात है। अगस्त में काम चलाओ भारत सरकार के दबाव में, भारत सरकार के पैसों से...

डा. के. सी. चौधरी : प्रोफेसर साहब, इतना समझाओ, +++ क्या होता है।

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सांवर लाल : अब आप नहीं समझे हो और डाक्टरी कर ली तो यह डिग्री ही कैंसिल करवा लो आप।

आज, सभापति महोदय, इतना आतंकित कर रखा है, बीस–बीस, तीस–तीस मजदूर हों गांव में, मंत्रीजी, हम चाहते हैं चैक हो, काम पर मजदूर नहीं मिले उनके खिलाफ एक्शन हो। पर आप भी जानते हो कि तीस आदमी अगर किसी काम पर सैंक्शन हैं, और सारे गांवों में काम नहीं है तो वहां पर भ्रष्टाचार है ही नहीं। कोई पानी–पेशाब करने मजदूर चला गया, चैक करने जाएगा बी.डी.ओ., तहसीलदार, एस.डी.ओ., कलेक्टर, पता नहीं कौन–कौन से, यहां से रिलीफ सैक्रेटरी। एक दिन मुझे मिल गये सैक्रेटरी साहब, मैंने पूछा कि कैसे आये हो, अकाल राहत के काम चैक करने। मैंने कहा कि भले आदमी, मजदूरों से दुश्मनी है क्या थारी, तीस–तीस तो काम कर रहे हैं। कोई पानी–पेशाब करने चला गया तो उनकी ही हाजिरी पर नाम फेर दिया। कई जगह तो, मंत्रीजी पूरे हफ्ते के नाम फेर देते हैं। हफ्ते की भी आपने परिभाषा बदल दी। पखवाड़ा पहले होता था पन्द्रह दिन का, सभापति महोदय, अब इन्होंने पखवाड़ा कर दिया दस दिन का। भले आदमी, यह तो डेफिनिशन दी हुई है, यह दस दिन का क्या पखवाड़ा होता है, मेरी समझ में नहीं आता। उनके नाम काट देते हैं। मैंने कहा भले आदमी, इतने बड़े अधिकारी हो, पूरी जानकारी करके काम करो। और कम से कम यहां आये हो तो यह देखो कि चारे–पानी की व्यवस्था है या नहीं, पशु आहार अनुदान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यह नहीं देखेंगे कि यहां पर बिलकुल व्यवस्था नहीं है और वे गरीब आदमी जहां पर लगे हुए हैं उनको परेशान करने के लिए जाते हैं, सभापति महोदय। मंत्री महोदय, आप इंसट्रक्शंस दीजिये कि चारे और पानी की पुख्ता व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है वहां पर। अगर नहीं हो रही है तो उसकी व्यवस्था के बारे में आप सुनिश्चित नहीं करेंगे तो यह तीन–चार महीने का संकट का समय निकलना बड़ा मुश्किल है। आप यहां जवाब दे देंगे, हमने बोरी रख दी। बोरी तो दिल्ली से आ गई जो रख दी। पर वह बोरी सही लोगों तक जा रही है या नहीं जा रही है, यह भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। आज मारवाड़ में जिस प्रकार से गायें मर रही हैं, जैसलमेर और वहां मैं जाकर आया हूं, माननीय सभापति महोदय, अगर सरकार संवेदनशील होती, सेवण घास की वहां व्यवस्था है। पर न तो वन विभाग ने चिंता की, न सहायता मंत्रीजी ने की। वह सेवण घास अगर समय पर कटाई जाती तो आज यह हालत देखने को नहीं मिलती, वहां गायें नहीं मरती। माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि कुछ तो गम्भीरता रखिये। आप जिस तरीके से

(श्री सांवर लाल)

जवाब देंगे, दिल्ली ने नहीं दी, अब दिल्ली ने तो आप बता दें, सन् 1990 के बाद किस को कितना दिया? अगर आप आरोप लगाना चाहते हैं प्रजातंत्र में, तो सही तरीके से आइये। 1990 से लेकर 2002 के आंकड़े बता दीजिये, दिल्ली ने पांच साल में आपको दिया उससे ज्यादा अगर पहले किसी को दिया हो तो बता दीजिये। आज तक आपने किसानों के नाम से कुछ नहीं किया। किसानों का भला करने की आपकी मंशा नहीं है। मेरा आपसे सवाल है, किसानों ने जो पांच साल से कर्जा लिया, कई जगह एस.सी./एस.टी. के लोगों के ट्रैक्टर कुर्क हो रहे हैं। ट्रेक्टर ले लिया, जमीन गिरवी रख दी और आप कहते हैं, बड़ा काश्तकार है। एक बैरवा समाज का आदमी जिसकी 20 बीघा जमीन नहीं है, बारानी जमीन है, उसका ट्रेक्टर कुर्क कर लिया। जब तक बरसात नहीं होगी, आप तो काम-काज नहीं चलाओगे तो ट्रैक्टर से आमदनी क्या होगी? सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी प्रकार की कुर्की नहीं होनी चाहिए, आप रोक दीजिये इसको। आपने लगान कितना वसूल किया, इसका भी हिसाब दे देना। ऐसे ही अगस्त में आपने राहत कार्य चला दिये, अगस्त के बाद में अगर राजस्व अधिकारी ने किसानों से लगान वसूल किया तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने का इरादा है आपका? अपने-आप सस्पैंड होना चाहिए। मुझे दु:ख है, कई जगह पर आपके पटवारियों ने गरीब आदमी से अकाल की हालत में भी पैसें वसूल करने का काम किया है। बारानी जमीन का हाल है यही सिंचित का है। अब सिंचित में पानी नहीं है, सिंचित आप किस हिसाब से मानते हैं? सरकार कह देगी, हमारे राज में भ्रष्टाचार नहीं है। अब भ्रष्टाचार किस बात का जब 30 आदमी आपने लगा रखे हैं? गांवों के अन्दर क्या भ्रष्टाचार करवाना चाहते हो? सभापति महोदय, हमारे जमाने के अन्दर एक रुपये का अगर मजदूर लगता था तो एक रुपये सामग्री के देते थे। अब आप कह देंगे हमने इतने मजदूर लगा दिये। आपने अपने खजाने से कुछ नहीं किया। हमारे जमाने में कहीं पर यह व्यवस्था नहीं थी कि मजदूरों की कोई कमी रह जाए। मैं सहायता मंत्री था, जोधपुर में गया था खेतसिंह जी, मंत्री जी नहीं हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं मीटिंग में जा रहा था, रास्ते में मिल गये। मुझे कहा कि अरे भाई राज्य मंत्री हैं, मुख्य मंत्री जी ने क्या अधिकार दिये, क्या कर दोगे? मैंने कहां, मीटिंग में बैठो, खेतसिंह जी, जो आप चाहेंगे वो करके बताऊंगा। उन्होंने कहा कि यह काम मेरे होना चाहिए, जिले में 10 हजार लेबर बढ़नी चाहिए। मैंने मीटिंग के बाद तुरन्त कहा कलक्टर को कि 20 हजार लेबर बढ़ा दो, और खेतसिंह जी यह कह रहे हैं कि सारे काम कर दिये। मुझे शर्म आती है, माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी अभी अजमेर

(श्री सांवर लाल)

गये, आपको भी शायद ध्यान होगा, अखबार में छपा है। एक जगह कहीं निकल रहे थे, कोई नाड़ी का काम चल रहा था, मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि 20 मजदूर बढ़ा दो। शर्म आनी चाहिए, माननीय सभापति महोदय। जहां लाखों लोगों को काम की जरूरत है वहां पर मुख्य मंत्रीजी जैसे जिम्मेदार राजस्थान के मालिक केवल 20 श्रमिक अजमेर में एक तालाब के ऊपर बढ़ाते हैं। यह असलियत में जनता के प्रति चिन्ता नहीं है। मेरा निवेदन है, मंत्रीजी, थोड़ा गम्भीर होइये। इस किताब में जो योजनाएं लिखी हुई हैं, कोई भी योजना अभी तक चालू नहीं हुई है। बीसलपुर में चार साल में तो आपने मोरियां की नहीं। चार साल में तो कुछ किया नहीं, अब ताबड़–तोड़ लग रहे हो 10–5 गांवों में पानी पहुंच जाए तो ठीक है। पर जो योजनाओं की गिनती करवायी है इस योजना में कि कितनी तो सैंक्शन हो गयी हैं, कितनी पर आपने काम चालू करवा दिया है, कब–कब कौन कौनसी योजना पूरी करोगे, अगर ये चीजें आप बता देंगे तो आपको हम मान जाएंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ऐसे नहीं मानेंगे।

श्री सांवर लाल : वो तो जनता मानेगी। हम तो क्यों मानेंगे। जनता भी देख रही है और नहीं मान रही है।

सभापति महोदय, घोषणा पत्र में इन्होंने दिया कि हमारा राज आएगा तो हम किसानों को मुआवजा देंगे। मुआवजा तो देना दूर, एक रुपये का कोई फायदा नहीं किया किसानों का। भारत सरकार ने 155 करोड़ रुपये एडिशनल दे दिये इनपुट सब्सिडी के, तो अब कह रहे हैं कि हमने 600 मांगे थे। भले आदमी! यह घोषणा पत्र बनाया तब भारत सरकार को पूछा था क्या? यह जनता को गुमराह करने के लिए बनाते हो। यहां इसलिए बैठे हो कि चुनाव में जाएं तब कुछ कह दो और यहां पर आकर उलटा–उलटा ही काम करो गैर जिम्मेदाराना? आज तक आपने मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं की। आपने कहा हम उद्योग का दर्जा देंगे कृषि को। अगर कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाता तो, मंत्रीजी, आप बता देना हमको कि क्या फायदा मिला किसानों को। आपको पता भी है कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद में किसान क्या–क्या बेनीफिट्स उठाएंगे? आपने आज तक तो दर्जा दिया नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने चलायी है। आपको यह भी चिन्ता नहीं है, अगर गांवों में किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड बना देते तो मेरे खयाल से किसान पशुओं को बचाने के लिए लोन लेकर पशुओं को बचा सकता था। अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने लोन की योजना चारा खरीदने के लिए लागू की है। शर्म आनी चाहिए, माननीय सभापति

(श्री सांवर लाल)

महोदय, मेरे पास एक जवाब आया था, इतना बड़ा केवल अजमेर जिले का, जिसमें जितने लोगों ने एप्लाई किया उसमें से 10% लोगों को चारे का लोन दिया। सभापति महोदय, एक पारां सहकारी समिति है, वहां के किसानों को हजार-हजार रुपये का लोन दिया है। अब आप बताइये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछता हूं कि हजार रुपये में कितना चारा खरीदेगा? हजार रुपये में ढाई सौ रुपये तो उस समिति की जो फीस होती है सदस्यता की, वह कटेगी, साढ़े सात सौ रुपये में जानवर बचा लेगा क्या? इसलिए इन बातों पर आप चिन्ता कीजिये और काम पुख्ते करवाइये। आप केवल नाम ले लोगे कि हमने अकाल को विकास में बदल दिया, उससे काम नहीं चलने वाला, मंत्री महोदय।

अब आपका आखिरी साल चल रहा है और यह बजट आखिरी है, इस बजट में जो पांच तारीख को आ रहा है, आप राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी को, वित्त मंत्रीजी को राजस्थान की जनता की तरफ से अनुरोध करिये। अनुरोध नहीं माने तो आप सब एम.एल.एज. को ले जाकर हुक्म दीजिये कि आप दिल्ली कूच कर रहे हैं उसकी जगह अपने बजट की तरफ कूच करें। अपने दिमाग को दौड़ाएं। जब कहें खजाना खाली है। इस प्रजातंत्र में खजाना भरा हुआ नहीं मिलता है। अब अक्ल खजाने की व्यवस्था करने की नहीं है तो अक्ल लेने के लिए या तो और किसी को बैठा लीजिये, पर माननीय सभापति महोदय, यह सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। मेरा निवेदन है कि हम भी यहां पर बैठेंगे बजट भाषण में, जवाब देंगे मंत्रीजी पर हम जवाब सुनने के लिए नहीं हैं। जवाब तो आप हमारा दे नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास वह आंकड़े नहीं हैं जो हमने सवाल उठाया है। आप मना नहीं कर सकते हो कि भारत सरकार ने इतना दिया जितना इन 10 वर्षों में हमको कभी नहीं मिला। मेरा निवेदन है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हैं, चाहे आपका पांचवां साल है, आपने राज्य की योजना का आकार घटा दिया। कितना घटाया, यह भी मैं बताऊं या आप बताएंगे? लगभग 1900 करोड़ रुपये। अब ये 1900 करोड़ रुपये कहां गलगप हो रहे हैं, यह भी बता देना। जनता के पास तो पहुंच नहीं रहे। किसानों के पास पहुंच नहीं रहे। नौकर-चाकर के पास पहुंच नहीं रहे। उनके मेडिकल बिल चार साल के पैंडिंग हैं, उनको कहीं ड्यूटी करने का डी.ए. नहीं मिलता है। ये 1900 करोड़ रुपये अकाल राहत कार्य में काम नहीं आ रहे हैं, किसी जनता के किसी वर्ग के काम नहीं आ रहे हैं तो आखिर इस पैसे का आप कर क्या रहे हो? ये सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए।

आपकी प्राथमिकताएं जिस दृष्टि से आप कहते हो, मेरा आपसे अनुरोध है कि आज राजस्थान की साढ़े चार करोड़ जनता और पशु आपकी तरफ देख रहे

(श्री सांवर लाल)

हैं, इस बजट में कुछ लाइये आप, कर्ज लेवें कुछ भी करें। भारत सरकार से और जितना मिल सकता है यह करेंगे। भारत सरकार ने जो दिया है वह कम नहीं दिया है, उसको आप बांट दो चार महीने में तो भी कमी नहीं रहेगी। माननीय सभापति महोदय, 29-30 लाख टन बहुत होता है वह इनसे उठ नहीं रहा है। अब इनको तकलीफ तो यही है कि 5-6 किलो कर दिया, रोकड़ पैसे कैसे दें। तो रोकड़ पैसे की भी व्यवस्था करो। गरीब जनता के लिए उनको चारा भी खरीदना पड़ता है, नमक-मिर्च भी लाना पड़ता है, तेल भी लाना पड़ता है, केवल सूखे गेहूं की रोटी तो जाती नहीं, या केवल गेहूं को खा लेंगे? माननीय सभापति महोदय, जो डिफरेंस है उसका पैसा दीजिये और खजाने में व्यवस्था कीजिये। राजस्थान की जनता के लिए लेबर सीलिंग बढ़ाइये। हर घर में से एक आदमी को रोजगार दीजिये। अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य घूघरी योजना की तारीफ कर रहे थे कि मिड-डे मील हमने लागू कर दिया, कोई एहसान कर दिया क्या? गेहूं तो आ रहा है भारत सरकार का, घूघरी के लिए पकाने का ही तो काम कर रहे

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हो आप। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सभापति महोदय, जब भूख से मौत का मामला पहुंचा तो राजस्थान सरकार को आगाह किया और मुख्य सचिव की जिम्मेदारी लगायी...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : घूघरी का पैसा भी गवर्नमेंट आफ इण्डिया का है।

श्री सांवर लाल : वो ही कह रहा हूं मैं।

डा. के. सी. चौधरी : गवर्नमेंट आफ इण्डिया है किसकी?

श्री सांवर लाल : गवर्नमेंट आफ इण्डिया तो अपनी ही है सबकी...(व्यवधान) ये आई.ए.एस. ब्यूरोक्रेट...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : गवर्नमेंट आफ इंडिया में राजस्थान प्रदेश नहीं है क्या? गवर्नमेंट आफ इण्डिया की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि राजस्थान की जनता की अकाल में मदद करे। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भारत में ही तो है। राजस्थान भी भारत में ही है।

डा. के. सी. चौधरी : नैतिक जिम्मेदारी है भारत सरकार की कि इस अकाल में राजस्थान की मदद करे।

श्री संजीव कुमार : राजस्थान भारत में ही है। भारत सरकार कर रही है, कौन सा एहसान कर रही है?...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, मैं तो यह नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान भारत

(श्री सांवर लाल)

का अंग नहीं है, मैं तो यह कह रहा हूं कि भारत सरकार ने 90 के बाद में जो सहायता इन पांच वर्षों में दी है हमारे मांगने पर, किसी भी भारत सरकार ने नहीं दी। हम आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के शुक्रगुजार हैं कि इस राजस्थान की जनता को संकट के समय इतनी सहायता दे रहे हैं। हमारे यहां पर फटकार सुनी सुप्रीम कोर्ट की, चीफ सैक्रेटरी को जिम्मेदार बनाया कि लोग मर रहे हैं भूख से, आप कुपोषण बता दो, बीमारी बता दो। ये डाक्टर-कम्पाउण्डर तो ट्रांसफर से डरते हैं, अगर बोर्ड भी बना देंगे तो कहेंगे कि तुमको वहां बाड़मेर दिखा देंगे। अब उस लू की चपेटों में कहां जाए वह बेचारा यहां जयपुर का रहने वाला? वह बचता है, वह डरता है और इसलिए भयभीत होकर मुख्य मंत्रीजी कहें उनके अनुसार दस्तखत कर देता है। यह व्यवस्था अगर चलाओगे तो इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है। जो सच है सच रहेगा। चोर चोरी करे, घर में बोले सांची। आज राजस्थान की जनता के लिए आप बैठे हो, आप केवल मैनेजमेंट करने के लिए बैठे हो तो जनता को कह देंगे कि ये तो बाबूगिरी करने के लिए आते हैं और यहां राज के अन्दर जैसा प्रोजेक्ट ये बना देते हैं उस पर दस्तखत कर देते हैं। फिर वोट किस बात के लिए लेते हो? इसलिए आपकी महती जिम्मेदारी बनती है, लोकतांत्रिक सरकार में जनता ने जिस आशा के साथ बैठाया, तीन महीने का समय तो ढंग से निकलवा दो। तीन महीने का समय अगर सही निकलेगा तो हम आपकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी मान लेंगे।

मंत्री महोदय, आज गांवों की बहुत दयनीय स्थिति है, रोना आ जाता है। इनके लोगबाग तो जाते नहीं हैं। यहीं नहीं सुन रहे हैं, अभी बोलेंगे तो कहेंगे, सोनिया जी आईं और अकाल राहत देख गईं। वह क्या जानें नाड़ी, तालाब? वे कहें कि भूखे मर रहा हूं और इनमें से कोई दुभाषिया कह देगा कि नहीं, मैडम, बहुत सैटिसफाइड है चारे, पानी, दवाइयों की व्यवस्था से। इस तरीके से करना है तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ निवेदन कर रहा हूं कि आपने ये चार साल बड़ी गैरजिम्मेदारी से निकाले हैं। राजस्थान की जनता के साथ अन्याय किया है। जो भी वायदा किया है उसका उलटा-उलटा काम किया है और केवल भारत सरकार को कोसा है। पर कोसने के लिए आपके पास वह नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी सहायता दी है हर योजना को, अगर मैं पढ़ूं तो पांच घंटे तक खतम नहीं हो। सभापति महोदय, 350 योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को भी क्रियान्वित नहीं कर पाये। मंत्री महोदय, इसको आप गम्भीरता से लीजिए और अजमेर जिले को एक करोड़ दिलवा दीजिए तो थोड़ी बहुत हमारी भी रहेगी। आप यह मत सोचना कि सारा श्रेय आपको ही चला जाएगा, क्योंकि हम ही बोल रहे हैं, आपके लोग कोई बोल नहीं रहे हैं। ये

(श्री सांवर लाल)

चौधरी साहब पीछे से धीरे धीरे ही करते होंगे, बाकी उस जनता की पैरवी नहीं की किसी ने। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 7-8 महीने में अगर श्रेय लेना है तो ले लीजिए, बाकी यह पेमेंट तो होगा, मैं बता रहा हूं। आप नहीं करोगे तो आने वाला करेगा, उनका जायज अधिकार बनता है। आप बार बार कहते हो कि हम जल्दी कर देंगे, जल्दी का अंत कीजिए। इस विधान सभा सत्र के समापन से पहले पहले आदेश जारी कर दीजिए तब तो जानेंगे कि सरकार है, नहीं बाकी जानेंगे कि चीफ सैक्रेटरी ही सब कुछ है, उसके भरोसे ही रहना पड़ेगा। यह समय बड़ा संकट का है, इसको आप हल्केपन से मत लीजिए। भारत सरकार, राजस्थान सरकार केवल आरोप-प्रत्यारोप में मत लीजिए। आपको और सहायता चाहिये तो उसका तरीका होता है, उससे लीजिए, और मिलेगी। भारत सरकार के पास तो सैकड़ों राज्य हैं फिर भी राजस्थान की जितनी मदद हो सकेगी वे करेंगे। इतनी ही करी तो और भी करेंगे। मारवाड़ी में कहते हैं कि भरी गाड़ी में छाजला को बोझ नहीं, 30 लाख टन दे दिया तो 2-5 लाख टन की और कर लेंगे। पर अपनी भी कुछ जिम्मेदारी देखो। केवल उधर से आएगा तभी देंगे, यह करने के लिये आपको नहीं बैठाया है जनता ने। यहां दर्शक दीर्घा में तो कम है, राजस्थान की जनता को पता है कि आप कुछ नहीं कर रहे। इसलिए मेरा निवेदन है कि थोड़ा गम्भीरता से इसको देखिए।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए, माननीय सांवर लालजी।

श्री सांवर लाल : रोजी-रोटी के लिये एजीटेशन करोगे तो पुलिस का महकमा आपने अपने पास रख लिया। ये कहते हैं कि धर्म की बात करोगे तो कार्यवाही करेंगे। कल हम कहेंगे पानी पिलाओ तो कह दोगे कि कानून और व्यवस्था भंग कर रहे हैं। पानी मांगना, रोजी-रोटी मांगना भी अपराध है क्या, मंत्री महोदय? आप पुलिस के महकमे का डर बता कर राजस्थान की जनता को दबाना चाहोगे, यह नहीं दबेगी, मैं आपको चुनौती देता हूं। आप व्यवस्था कीजिए और पुख्ता व्यवस्था कीजिए कि हर घर में से रोजगार मिले। पक्के काम आप नहीं कर सकते, वह हमको पता है। आपके विधायकों को भी थोड़ा कहें कि यहां पर बैठें, बड़ा गम्भीर मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द जी जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) **:** सभापति महोदय, मेरे चोट लगी हुई है, कृपया अगर मुझे बैठकर बोलने की आज्ञा दें तो मैं बैठकर बोलना चाहूंगा।

श्री सभापति : बैठकर बोल लीजिए।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सभापति महोदय, व्हील चेयर पर बैठाकर दिलवा दो। व्हील चेयर मंगाकर दिलवा दो भाषण।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। आज तक तो कोई बैठा नहीं है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आज तक किसी माननीय सदस्य ने विधान सभा में बैठे बैठे भाषण नहीं दिया, माननीय सभापति महोदय। किसी माननीय सदस्य ने दिया है क्या?

श्री सभापति : बुजुर्ग सदस्य हैं वह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कितने भी बुजुर्ग होंगे, लेकिन 50 साल के इतिहास में कोई बैठकर नहीं बोला है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब चर्चा कर रहे थे, धड़ल्ले से चर्चा कर रहे थे...(व्यवधान)

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के सदस्यों ने भी सहमति व्यक्त की थी इसलिए आसन ने उनको इजाजत दी।

श्री श्रवण कुमार : जैन साहब जैसे आदमी बोल सकते हैं क्योंकि बुड्ढे हो गये हैं, ये दिन आपके और हमारे भी आएंगे।

श्री सभापति : आपको और हमको सबको एक दिन इस स्थिति से गुजरना है।

श्री श्रवण कुमार : तो फिर दुःख के मारे भी खड़े होना।

श्री सभापति : माननीय वृद्धिचन्दजी, आप बोलिए, बैठकर बोलिए। (व्यवधान) माननीय धर्मपालजी।

श्री धर्मपाल चौधरी : चुनाव लड़ने के लिये आपने कहा था क्या कि चुनाव लड़ो? साहब, यहां से निमंत्रण भेजा था किसी ने?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह स्वस्थ परम्परा तो नहीं है, वैसे आपकी अलग बात है। यह परम्परा स्वस्थ परम्परा नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपने पहले सहमति व्यक्त की थी या नहीं की थी? तब नियम कायदे कहां गये थे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, असहमति अब भी नहीं है...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, ने जैन साहब को रैस्ट के लिये टाइम दिया हैं। (व्यवधान) क्यों दुःख पा रहे हैं यह? बाड़मेर में अकाल है...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : परम्पराओं में यह अलाउ थोड़े ही करते हैं, यह अलग प्रकार की व्यवस्था है। (व्यवधान) आप रूलिंग दे रहे हैं, यह अलग नहीं है। (व्यवधान) यह परम्परा बढ़ेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय प्रोफेसर सांवर लालजी, एक मिनट बिराजिए। माननीय हीरासिंह जी, बिराजिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं खड़े होकर बोल देता हूं, चोट लगी हुई थी इसलिए कहा था।

श्री सभापति : यह मानवता की बात थी, इसको इतना मुद्दा नहीं बनाना चाहिये। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सभापति महोदय, आप अलाउ करो उनको, बुजुर्ग सदस्य हैं।

श्री सभापति : आसन ने उनको इजाजत दे दी थी, आसन अपनी इजाजत पर कायम था, वह स्वयं खड़े होकर बोलें या बैठ कर बोलें, यह उन पर निर्भर करता है। आप बिराजिए, आप बिराजिए, नन्दलालजी।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : नहीं, मैं खड़े होकर बोलता हूं।

सभापति महोदय, राज्य में अकाल पेयजल और पशु सम्वर्द्धन विषय के बारे में चर्चा चल रही है, मैं इस बारे में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। 50 वर्ष से तो मैं देख रहा हूं और 100 वर्ष से ऐसा भीषणतम अकाल कभी नहीं आया। इस वर्ष में सबसे कम वर्षा हुई है, यह अकाल सबसे भीषणतम अकाल है और राजस्थान की जनता को यह अपेक्षा है कि सभी पार्टियां मिलजुल कर इस राष्ट्रीय आपदा का मुकाबला करें। इसमें कोई राजनीति नहीं हो, यह दृष्टिकोण अपनाएं। विशाल दृष्टिकोण को अपना कर इस कार्य को करने की आवश्यकता है। जब इतनी बड़ी विपदा है। आपदा है और हम एक दूसरे पर दोषारोपण करें, यह उचित नहीं लगता। यह तो आप जानते हैं कि राज्य के साधन बहुत सीमित हैं। पीने के पानी की भयंकर समस्या है। सारे देश में सबसे ज्यादा पीने के पानी की समस्या राजस्थान में है। यहां का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, रेगिस्तानी क्षेत्र भी बहुत फैला हुआ है और प्रकृति की कृपा भी नहीं है। वर्षा नहीं होने के कारण से हमें बड़ी भारी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। इस विपत्ति के समय में केन्द्र सरकार भी हमें मदद कर रही है–गेहूं के रूप में मदद कर रही है, 29 लाख मीट्रिक टन अनाज देने जा रही है, यह स्वागत योग्य है। साथ साथ में हमारी राजस्थान सरकार की जो क्षमता है उस शक्ति के अनुसार वह भी कर रही है। इसके बारे में मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालेंगे, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस विपत्ति के समय हमारी समस्या है विशेष तौर से लोगों को बचाने की, पशुओं को बचाने की। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में अभी जो राजस्थान सरकार कर रही है, 1.10 लाख गायें पशु शिविर में हैं। प्राणी मित्र संस्थान, भंसाली ट्रस्ट और अन्य संस्थाएं भरसक कोशिश कर रही हैं और गायों को बचा रही हैं। मैं उन केटल कैम्प्स में गया हूं, गायों की बहुत ही अच्छी स्थिति है। पशु आहार के रूप में वे संस्थाएं मदद दे रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से 6 रुपये, 12 रुपये मिल रहे हैं।

(16.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं चलती हुई डिबेट में दखलंदाजी नहीं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करना चाहता, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ है कि आज अकाल पर चर्चा है और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का अकाल है सदन के अन्दर। यहां सचेतक नहीं हैं, उप मुख्य सचेतक नहीं हैं। विधान सभा का सत्र है, सदन अकाल, पानी पर चर्चा कर रहा है, लाखों-करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। पूरा राजस्थान निगाहें लगाकर देख रहा है, सत्तारूढ़ दल के गिने चुने 5-7 लोगों के अलावा है ही नहीं। अगर हम इधर वाले लोग नहीं हों...(व्यवधान) अगर हम लोग नहीं हों तो कोरम पूरा नहीं हो। (व्यवधान) सभापति महोदय, सचेतक महोदय को कहना चाहिए कि अपने मैम्बर्स यहां लाएं। (व्यवधान) अगर आप इस परम्परा को उचित समझते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तो सिर्फ आसन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज अकाल की चर्चा में सत्तारूढ़ दल के लोगों का अकाल है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपने आसन का ध्यान आकर्षित कर दिया, आप बिराजिए। (व्यवधान) वृद्धिचन्दजी जैन, जारी रखिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : इनको अपनी बैंच दिखती है, वह बगल में नहीं दिख रहे? वहां तक सत्तापक्ष है। (व्यवधान)

श्री सभापति : इनका ध्यान सिर्फ सामने जाता है, साइड तक नहीं जाता है। (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : वर्ष 1987-88 में जब मैं लोक सभा का सदस्य था...(व्यवधान) भयंकर अकाल की स्थिति थी, परन्तु यह अकाल उससे भी दुगना भयंकर है। पहले तो पूरे राजस्थान में ऐसा अकाल नहीं था, परन्तु अब राजस्थान के सभी गांव अकाल से प्रभावित हैं। उस समय राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो मदद की वह आपको कहना चाहता हूं। बाड़मेर जिले में 50,000 पीने के पानी के टैंक बने, हजारों सिंचाई के कुएं बने। पटवार सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, रेवेन्यू सर्कल...(व्यवधान) उनके भवन बने। गरीब आदमी के लिए कोठरी बनी, एक छोटा कमरा बना। पूरी कृषि बदल गई, पूरे पशुओं को बचाया गया। कभी किसी की सरकार आती है, कभी किसी की आती है, यह परिवर्तन तो होता ही रहता है। अब फर्ज है, इसको राष्ट्रीय आपदा मानकर सबको मदद करने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार को मदद करने की आवश्यकता है। इसके अन्दर किसी को श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है कि यह हमारी सरकार ने किया, यह उनकी सरकार ने किया। यह तो हमारा मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण अपना कर हमें पूरी तरह से इन गरीब आदमियों की मदद करने की आवश्यकता है, किसानों को मदद करने की

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

आवश्यकता है। अनुसूचित जाति-जनजाति के जो गरीब आदमी हैं उनको मदद करने की आवश्यकता है। इसके अन्दर हमारी राज्य सरकार के जो सीमित साधन हैं उनके अनुसार बहुत करने की कोशिश करें।

आप कहते हैं कि 10 दिन की पारी बना दी, इस सम्बध में अगर इनके पास साधन ज्यादा होते तो 10 दिन की नहीं बनाकर 15 दिन की पारी बनाते। आज साधन सीमित हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय प्रताप सिंहजी।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आप केन्द्र सरकार से भी मदद लाइये। राजस्थान सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन देखिए, बजट प्रस्तुत हो जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन देखिए। साथ ही यह कहना चाहता हूं, मार्च से लेकर 15 जुलाई तक, यह तो बड़ा संकट आये जा रहा है...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, राजेन्द्र राठौड़ साहब उपाध्यक्ष थे क्या सदन के? (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : भयंकर संकट पैदा हो रहा है। पीने के पानी का भयंकर संकट पैदा होने वाला है। इस स्थिति में पूरी तरह से यह देखना है कि इस संकट का मुकाबला करना है। पीने के पानी के लिए अभी तक जो व्यवस्था की गई है, मैं बाड़मेर जिले के लिए कह रहा हूं, जहां संकट है, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था की जा रही है। परन्तु मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जे.ईएन. के बहुत-से पद खाली हैं, 10 वर्षों से कोई भी पद हमने नहीं भरा। हैल्पर्स के नहीं भरे फिटर्स के नहीं भरे। इस सम्बन्ध में लेबर लगाकर व्यवस्था कीजिए। ए.ईएन. को जीपों की व्यवस्था कराइये जहां एरिया बड़ा है। व्यवस्था करके पीने के पानी का हल करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने को समझने की आवश्यकता है, जब तक अकाल का स्थाई हल नहीं होगा, पीने के पानी का स्थाई हल नहीं होगा जब तक हमारे कर्तव्य को अदा नहीं कर सकते।

रेगिस्तानी क्षेत्र में, मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं एम.पी. था, हमने कोशिश की थी पीने के पानी के लिए। मोहनगढ़ और बाड़मेर की योजना बनाई थी वह 1994 में स्वीकृत हो जाती। उस समय मैं न तो एम.एल.ए. था न एम.पी. था। अब आठ साल हो गए हैं, पानी पहुंच जाता। अभी आपने 423.91 करोड़ की स्कीम मंजूर की है, बाड़मेर जिले के उसमें 160 गांव हैं, जैसलमेर जिले के भी गांव उसमें सम्मिलित हैं। 460 और 160 गांव इस प्रकार से सम्मिलित हैं, बाड़मेर शहर भी सम्मिलित है। सैंक्शन तो कर दी परन्तु जब तक सुपरीन्टेंडिंग इंजीनियर का पद, दो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद, असिस्टेंट इंजीनियर के पद को कायम नहीं करते हैं

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

और तीव्र गति से काम नहीं करते हैं तब तक टैक्निकल सैंक्शन नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में मैंने सुझाव दिया है कि जोधपुर के अन्दर राजीव गांधी लिफ्ट योजना है उसके अन्दर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का वही आफिस हो जाए, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लगा दिया जाए ताकि परमानेंट इसका सोल्यूशन हो। पीने के पानी के लिए परमानेंट सोल्यूशन करने के लिए आपको कोशिश करने की आवश्यकता है।

नर्मदा का पानी बाड़मेर जिले के गुढ़ामालानी, चौहटन, ईसरदा तक आता है उस योजना को आप तीव्र गति दीजिए ताकि पानी पहुंच सके। राजीव गांधी लिफ्ट योजना है, जोधपुर की योजना है, जोधपुर से लूणी तक पानी पहुंचा है, बालोतरा तक पानी पहुंचाइये। ऐसा करने से पीने के पानी की माकूल व्यवस्था होगी और स्थाई हल होगा तब जाकर यह व्यवस्था हो सकेगी। पशुधन को आज हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कैटल कैम्प में गया हूं, स्थिति यह है कि जहां 500 हैं उसके लिए 700 या 500 की मंजूरी हुई है। कहीं 700 हैं, कहीं 500 हैं। बहुत से लोगों ने दरखास्त भी दे रखी हैं, और बहुत-सी पैंडिंग हैं। इसलिए 1 लाख 10 हजार की संख्या बढ़ाकर 1 लाख 75 हजार करें, पशुओं को बचाया गया है, अच्छी स्थिति में हैं।

सभापति महोदय, मैंने यह कोशिश की है कि पशु शिविर में अच्छे सांड हों। अच्छे सांड प्राप्ति के लिए कोशिश की है, कुछ सांसदों को भी कहा है कि सांडों की व्यवस्था करें। गवर्नमेंट को भी कहना चाहता हूं कि चौहटन, सूरजगढ़ से अच्छे सांड उपलब्ध करें–गौशालाओं में भी दें, शिविरों में भी दें ताकि इनकी संतान अच्छी हो और यह अच्छी गाएं...(व्यवधान) पांच किलो, छह किलो दूध दे सकें, इस प्रकार की व्यवस्था हो। इस सम्बन्ध में आपको कोशिश करने की बहुत आवश्यकता है।

हमारे यहां थारपारकर का ब्रीड है चांदना में ब्रीड है, सेंट्रल ब्रीडिंग सेन्टर है। वह ब्रीडिंग सेंटर बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में है, मैं वहां जाकर देखकर आया हूं; वहां अच्छी व्यवस्था नहीं है, राजस्थान सरकार उसे अपने कब्जे में ले। साथ ही बाड़मेर जिले के मुख्यालय में भी ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करें, चौहटन में ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करें। यहां की जो गाएं हैं थारपारकर ब्रीड की, पहले महाराष्ट्र के लोग ले गये, मध्य प्रदेश के लोग ले गये। ब्रीड को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, ब्रीड को इम्प्रूव करने से इसका परमानेंट सोल्यूशन होगा। जब अच्छी गाएं होंगी तो अच्छा दूध देंगी जिससे अपने आप किसान, पशुपालक अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। जैसलमेर में राठी ब्रीड है उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, परमानेंट सोल्यूशन करने की आवश्यकता है ताकि हम व्यवस्था

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

कर सकें कि हम अपने पशुधन को बचा रहे हैं।

इसके साथ साथ आज चारे के बारे में बात की, सेवण घास के बारे में बात की। मैं एम.पी. था, जैसलमेर जिले में फोडर कैम्प स्थापित किये गये थे, शिव में भी डिपोज स्थापित किये गये थे। जब अच्छा जमाना आए तो ये डायरेक्शन दिए जाने चाहिए फोरेस्ट डिपार्टमेंट को कि वह सेवण घास के डिपो, फोडर डिपो स्थापित करे ताकि जब हमारे इस तरह का समय आए तो वह हमारे काम आए। इस सम्बन्ध में हमें परमानेंट सोल्यूशन के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। फोडर बैंक स्थापित होंगे वे बहुत ही लाभदायक होंगे और इस संकट के अन्दर हम मुकाबला कर सकेंगे।

मैं इस बात पर आना चाहता हूं कि पीने का पानी के लिए जो व्यवस्था सरकार ने की है और करने जा रही है, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, जितनी भी राजीव गांधी पाठशालाएं हैं उनमें पानी का प्रबन्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, इस सम्बन्ध में जो गति है वह बहुत धीमी है। राजीव गांधी पाठशालाओं में, मैं मेरे क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं, 70 प्रतिशत क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। न वहां हैण्ड पम्प की व्यवस्था है न किसी प्रकार की पाइप लाइन से जोड़ा गया है। हमने इस सम्बन्ध में जो निर्णय ले लिया है निर्णय को क्रियान्वित करने की कोशिश करें।

इसके साथ साथ एक जो सुझाव श्री सांवरलालजी ने फसल बीमा योजना के बारे में दिया है, फसल बीमा योजना पहले कायम हुई थी और बहुत ही सफलीभूत हुई थी। कोआपरेटिव बैंक्स के द्वारा, सहकारी विभाग के द्वारा वह चलायी गयी और बहुत ही लाभदायक हुई। इसलिये फसल बीमा योजना को लागू करने की पूरी कोशिश करें। हमारा जो चुनाव घोषणा पत्र है उसके अन्दर भी हमने यह ले लिया है कि हम इसको कायम करेंगे। अपन यह नहीं सोचे कि 50 प्रतिशत सेंट्रल गवर्नमेंट 50 प्रतिशत राज्य सरकार दे। इस मामले के अन्दर तो देना ही चाहिए क्योंकि यह भी अपने को फेमिन का मुकाबला करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इसलिये इस सम्बन्ध में भी हमें कोशिश करने की बहुत आवश्यकता है।

इसके साथ ही रेगिस्तानी क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, मैं जब एम.पी. था हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना में 245 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की थी। शत-प्रतिशत की यह योजना थी, उस योजना को अभी जो गवर्नमेंट है उसने 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार का और 25 प्रतिशत राज्य सरकार का कर दिया है। उस योजना के लिये अपन कोशिश करें, हिल एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम के साथ साथ में यह डैजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम भी प्लान में शामिल था, हिल एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम की तरह ही हम डैजर्ट डवलपमेंट

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

का प्रोग्राम भी करें। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 245 करोड़ था तो अब दसवीं पंचवर्षीय योजना में एक हजार करोड़ रुपये की योजना बनाने की आवश्यकता है।

अभी जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें बताया गया है कि चारागाह विकास के लिये सौ करोड़ की योजना करने जा रहे हैं। हमारे डैजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम के अन्दर एफोरेस्ट्रेशन का प्रोग्राम था। वह विकास का प्रोग्राम था सैण्ड ड्यून स्टेबिलाइजेशन का प्रोग्राम था वह नष्ट हो गया। अब उस प्रोग्राम में कोई प्रगति नहीं चल रही है। जो नर्सरी थी वह नर्सरी बन्द हो गयी, हमारे वन विकास का कार्य ठप्प हो गया। इस सम्बन्ध में हमें कोशिश करनी चाहिए। जो प्रोग्राम सातवीं पंचवर्षीय योजना में 245 करोड़ रुपये का बनाया गया था उस प्रोग्राम को एक्सटेंड करके 10वीं पंचवर्षीय योजना में एक हजार करोड़ रुपये का बनाकर हम डैजर्ट डवलपमेंट प्रोग्राम के जरिये रेगिस्तानी क्षेत्र के विस्तार को रोक सकते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी जो ट्रैक्टरों से खेती होती है, मैंने यह पाया है कि ट्रैक्टरों से खेती करने से बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। ट्रैक्टरों से खेती करने से पाला नष्ट हो गया है। पाला, बोरड़ी जिसे कहते हैं वह पाला बिलकुल नष्ट हो गया है। पाले के साथ साथ सेवण घास, दमण घास और बहुत सा इस ट्रैक्टर से खेती करने से भयंकर नुकसान हो गया है। मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में जांच कराएं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुविधा के लिये किसान ट्रैक्टरों से खेती कर रहा है लेकिन उससे बहुत-सी औषधियों के पौधे, महत्वपूर्ण पौधे नष्ट हो रहे हैं। बोरड़ियां नष्ट हो रही हैं, अरण्डी नष्ट हो रही है, बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है। इस सम्बन्ध में शोध कराएं और शोध कराके निर्णय लें कि हम बैलों की जोड़ी से खेती कराएं। हम जैसे पहले करते थे वैसे ही खेती कराएं। इस सम्बन्ध में अपने को स्टैप लेने की आवश्यकता है।

अब मैं अधिक नहीं कह कर यही कहना चाहता हूं कि इस भयंकर अकाल का मुकाबला करने के लिये अगर कोई आवश्यकता है तो विधान सभा के सभी सदस्यों को एकजुट होकर जाना चाहिए और जाकर इस सम्बन्ध में हल करना चाहिए। यदि हमने यह जिम्मेदारी अदा नहीं की और राजनीति में पड़े रहे, राजनीति के भेदभाव के चक्कर में पड़े रहे और हमने अपना कर्तव्य अदा नहीं किया तो और तो कोई नहीं, भगवान भी अपन को माफ नहीं करेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नन्दलालजी बंशीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह एकजुट होने के लिये अपने को क्या करना चाहिए?

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एकजुट होने के लिये एक सवाल है। वयोवृद्ध सदस्य बोले हैं और अच्छे सुझाव दिये हैं, यह एकजुट होने के लिये अपने को क्या करना चाहिए?

श्री अमराराम (धोद) : वह बता देंगे। सभापति महोदय, आपकी इजाजत हो तो पाइंट आफ इंफार्मेशन है।

श्री सभापति : क्या पाइंट आफ इंफार्मेशन है?

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, भयंकर अकाल पर चर्चा चल रही है। इस समय सीकर जिले में 75-75 साल के 5 किसान साधुराम 75 साल, जोधाराम 76 साल, भूराराम 70 साल, बेगाराम 70 साल और लच्छाराम 70 साल, ये बिजली बोर्ड के नाजायज बी.सी.आर. भरने, बिजली की सप्लाई नहीं मिलने और नाजायज रूप से कनेक्शन, बड़ी संख्या में लाखों रुपये लेने के विरोध में पिछले 6 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। महामहिम उप राष्ट्रपति का जन्म-स्थल है खाचरियावास, उसके जी.एस.एस. और सहायक अभियन्ता कार्यालय को घेरकर 5 हजार किसान बैठे हैं लेकिन 6 दिन से संवेदनशील कम्पनी का एक भी अधिकारी, छोटे से छोटा जे.ईएन. भी उनकी बात सुनने के लिये नहीं गया। कम्पनी इस जिद पर अड़ी हुई है कि सरकार ने जब घोषणा कर दी तो किसान क्यों अपनी बात को रखने के लिये एजीटेशन कर रहे हैं। 75-75 साल के किसान, अनशन किये हुए 6 दिन हो गये, आप अंदाजा कीजिए। यह बी.सी.आर. मेरे पास है मैं कल शाम को 5 बजे उनके पास जाकर आया हूं। अभी ढाई बजे तक सरकार का बिजली कम्पनी का छोटा...

श्री सभापति : आप चाहते क्या हैं?

श्री अमराराम (धोद) : मैं यह चाहता हूं, सरकार डाइरेक्शन दे कि बिजली के जो अधिकारी हैं तुरन्त उनके पास जाएं, और कोई नहीं। उन्होंने यह कहा है कि यह बिजिलेस बनी है, जितनी भी बिजिलेस है हमारे सामने चैक कर लें और जितनी मोटर हैं हमारे सामने वह बताएं, हम चार्ज देने के लिये तैयार हैं। लेकिन जहां साढ़े 7 एच.पी. का कनेक्शन है उनको 15 एच.पी. का कनेक्शन बताकर इस अकाल में नाजायज रूप से 30-30 हजार रुपये उनके लगा दिये गये। उनके कनेक्शन काट दिये गये इस अकाल में। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सीकर जिला कलक्टर को निर्देश दे कि उन अधिकारियों को वहां भेजें। जो नाजायज रूप से किसानों के कनेक्शन काटे हैं, आज हजारों की संख्या में घेरे बैठे हैं, एक आतंक का माहौल बिजली कम्पनी के अधिकारियों ने पूरे जिले में पैदा कर रखा है और दातारामगढ़ में आज हजारों...

श्री सभापति : आपने अपनी बात कह दी, माननीय अमरारामजी, बिराजिये। नन्दलालजी बंशीवाल। बिराजिये आप, आपने अपनी सूचना दे दी। अब आप बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : वे 75-75 साल के हैं, उप मुख्य मंत्रीजी। इस अकाल में हजारों लोग हैं, जिनमें आतंक फैला हुआ है, 30-30 हजार रुपये...

श्री सभापति : अब यह क्या विषय है? आपने सूचना दे दी, अब आप बिराजिये। माननीय नन्दलालजी बंशीवाल।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अकाल के समय इनके कनेक्शन कट रहे हैं, बहुत बेजा बात है।

श्री सभापति : माननीय सुमित्रा सिंहजी, आप बिराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य ने सूचना दे दी। नन्दलालजी बंशीवाल। राठौड़ साहब, बिराजिये। यह डिबेट का विषय नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापतिजी, हम यहां सदन के अन्दर सूचना देने के लिये बोल रहे हैं, क्या?

श्री सभापति : आप बिराजिये, आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम यहां सूचना देने के लिये थोड़े ही बैठे हैं। उप मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, 70-70 साल के किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं।

श्री सभापति : आप बिराजिये, यहां अकाल पर चर्चा हो रही है, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको कहना चाहिए, हम सूचना देने के लिये थोड़े ही बात करते हैं। (व्यवधान) 6 दिन से अनशन पर हैं।

श्री सभापति : आप 6 दिन से कहां थे?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोई आदमी मर जाएगा, 75 साल की उम्र है, मर जाएगा तो क्या होगा?

श्री अमराराम (धोद) : अनशन कर रहे हैं, कोई नहीं जाए, कोई मर जाएगा...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय अमरारामजी, आपने सूचना दे दी, आपने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। माननीय नन्दलालजी बंशीवाल, जारी रखिये। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : सूचना तो दे दी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय जसवन्त सिंहजी, आप बिराजिये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मैं बैठूंगा ही, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति : नन्दलालजी बंशीवाल के अलावा किसी का अंकित नहीं हो।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ×××

श्री सभापति : आप बिराजिये, सरकार ने सुन लिया। सरकार को जो करना है, वह करेगी। हर बात का जवाब तो यहां पर नहीं दिया जाएगा। आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ×××

श्री सभापति : धर्मपालजी आप बिराजिये, आपका नम्बर आएगा। नन्दलालजी बंशीवाल, जारी रखें। आप बिराजिये, धर्मपालजी। माननीय धोद से आने वाले सदस्य ने अपनी बात रख दी, आप बिराजिये। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) नन्दलालजी बंशीवाल के अलावा किसी का अंकित ही नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ×××

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, आसन पांवों पर हैं। आप बैठिये, आप शुरू कीजिए। यह क्या तरीका हुआ? धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सूचना सदन को दे दी। सरकार के जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने सुन ली। उसके बाद बात खतम हो गई। सरकार का काम है, जवाब दे या नहीं दे, मैं सरकार को बाध्य तो नहीं कर सकता। आपने सूचना दे दी और सरकार ने बात सुन ली आपकी। माननीय नन्दलालजी बंशीवाल, आप जारी रखिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) **:** माननीय सभापति महोदय, यह पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री सभापति : आपने बोलना शुरू कर दिया अकाल पर?

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्री सभापति : आपका नाम नहीं पुकारा आसन ने। आपका नाम नहीं पुकारा गया है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : ×××

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री सभापति : अमरारामजी, आपने अपनी बात कह दी। आप कृपया, बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री सभापति : आप रिपीट कर रहे हैं, आपने अपनी बात कह दी।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री सभापति : अमरारामजी, अब आप बिराजिये। अब आप बिराजिये। नन्दलाल बंशीवाल, जारी रखिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश की जनता जानती है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेवजी, आहूजा, आप सदन को सहयोग कीजिए। कृपया आप बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री सभापति : अभी आपका नम्बर है इसके बाद, आप अपनी बात कह देना।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भयंकर अकाल की मार सह रहा है। अकाल मंत्रीजी यहां पर बिराजमान हैं, बहुत ही योग्य और कुशल मंत्री हैं मगर राजस्थान सरकार ने पता नहीं क्या राहत मंत्रीजी से बदला लिया है। इनको जब राहत मंत्री बनाया तो प्रदेश की जनता...(व्यवधान) राहत मंत्री ही बता रहा हूं। मैं अकाल मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता आपको साक्षात अकाल के रूप में देख रही है। मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि जब से इस प्रदेश में कांग्रेस का शासन आया है तब से यह सरकार किसी न किसी रूप में किसी न किसी समस्या से जूझ रही है। आज पूरे प्रदेश में बिजली, चारा और पानी की समस्या बहुत ही भयंकर रूप ले चुकी है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपको भी कल कांग्रेस में आना है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कांग्रेस में आना है या नहीं आना है, यह तो मेरा खुद का निर्णय है। मगर मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस में आऊं या कहीं अन्य पार्टी में जाऊं, मगर हमारे को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए और जो वास्तविक स्थिति है, आज हमारे को उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

(16.24 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

आज इनकी स्थिति आप देख रहे हैं, ये 33 की संख्या में बैठे हैं। आप और मैं यहां

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

पर बैठे-बैठे देखते हैं कि ये आप पर आरोप लगाते हैं और आप इन पर आरोप लगाते हैं। इन्होंने काम नहीं किया आप आरोप लगाते हैं। आप कह रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने काम किया होता तो प्रदेश की जनता इनको 33 की संख्या में यहां नहीं बैठाती। आप भी अपनी गलतफहमी निकाल लेना। आप भी अपनी गलतफहमी निकाल लेना। अगर आपने गम्भीरता से जो भी प्रदेश के अन्दर समस्याएं हैं, उनके ऊपर समय रहते आवश्यक सुधार नहीं किये तो आपका भी यही हाल होने वाला है जो इनका है।

आज जो मुख्य समस्या है प्रदेश के अन्दर वह तीन चीजों की है-चारा, पानी और बिजली। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार ने हमारे दौसा को जिला बनाया। लेकिन जिला बनाकर इन्होंने छोड़ दिया, कोई विकास के काम नहीं कराये और न विकास के लिए कोई पैसा दिया। आपकी सरकार आयी, आपने 9 करोड़ 32 लाख रुपये की योजना एक हमारे दौसा के लिए स्वीकृत की। हमारे दौसा के लिए कहा जाता है कि दौसा के अन्दर पानी नहीं है। यह बात सत्य है कि दौसा में पानी का अभाव है। इस सरकार ने बड़ा उपकार किया, 9 करोड़ 32 लाख रुपये की योजना स्वीकृत कर दी। बड़ी मुश्किल से स्वीकृत की और दो साल के बाद काम चालू किया। काम भी कैसे चालू किया? पहले इनको प्रोडक्शन का काम करना चाहिए था, प्रोडक्शन का काम इन्होंने चालू नहीं किया और इन्होंने डिस्पैच के काम चालू कर दिये, सप्लाई के। सप्लाई में क्या किया? पूरे शहर में इन्होंने नालिया खोद दीं, जगह-जगह गड्ढे कर दिये और पाइप-लाइन बिछाने का काम किया क्योंकि उत्पादन में तो इनको कुछ मिलने वाला था नहीं। पाइप लाइन बिछाने के अन्दर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा इनको जखीरा दिख रहा था कि पाइप लाइन के अन्दर हम खरीद करेंगे तो उसके अन्दर हमारी भी बहुत कमाई होगी। और इन्होंने बिछाना शुरू कर दिया लाइनों को। मुख्य मंत्रीजी दौसा गये तो मैंने उनको अवगत कराया, मुख्य मंत्रीजी, इस तरह के घोटाले हमारे दौसा में हो रहे हैं। उसके ऊपर आप गैर फर्माएं और उस पर आवश्यक निर्देश फरमाएं। मुख्य मंत्री महोदय ने इसको बड़ी गम्भीरता से लिया और उसी टाइम उन्होंने आदेश फर्माये कि आप तुरन्त प्रोडक्शन और डिस्पैच का काम प्रभावशाली ढंग से करके इस योजना को 31 दिसम्बर तक पूरा करके दौसा की जनता को पानी पिला दो। अगर मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 3 मार्च हो गई, मगर आज तक दौसा की जनता उन पाइप-लाइनों को और उस पानी को देख रही है, मुख्य मंत्रीजी के कहने के बावजूद भी। आज सचेतक महोदय यहां पर नहीं हैं, यह गये थे वहां

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

पर नगरपालिका के चुनावों में। जनता से उन्होंने नगरपालिका चुनावों के अन्दर कांग्रेस के लिए वोट मांगे थे और यह कहा था कि आप नगरपालिका हमारी बना दो, हमारे को वोट देकर हमारा नगरपालिका मण्डल बना दो, मैं आपको पानी की जो समस्या है उससे निजात दिला दूंगा। वह क्या निजात दिलाएंगे, आज वे सदन से ही गायब हो रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समय रहते सरकार ने अगर गम्भीरता से विचार नहीं किया तो दौसा की जनता इसका जवाब देने के लिए बिलकुल तैयार बैठी है। आज गांव के हालत बद से बदतर हो गई है।

सभापति महोदय, आज सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही हैं, बी.पी.एल. लोगों को ही अकाल राहत कार्यों में हम लगाएंगे, मगर, आज ए.पी.एल. और बी.पी.एल. के जो लोग हैं उनकी एक समानता हो गई है। गांवों के अन्दर बी.पी.एल. और ए.पी.एल. के अन्दर आप कोई फर्क नहीं निकाल सकते कि यह ए.पी.एल. के परिवार खा-पी रहा है या यह बी.पी.एल. का परिवार का खा-पी रहा है। दोनों की समस्याएं एक जैसी ही हैं। उन्होंने इसके अन्दर एक बहुत बड़ी कमी छोड़ रखी है। आपने पंचायत के अन्दर कोई कच्चा काम भेजा या कोई मेड़बन्दी का काम भेजा या तलाई खुदाई का काम भेजा। पंचायत है ''एक्स'', वहां के मेट और सरपंच ने ''जैड'' वाली पंचायत के लोगों को बुलाकर ''एक्स'' की पंचायत के अन्दर लगा रखा है, जिससे लोगों के अन्दर इस तरह से भावना पैदा हो रही है कि उनके अन्दर आपस में माथे फूट रहे हैं, लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। उनके अन्दर आपकी सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त हो रहा है। वे यह कहते हैं कि जब हमारे गांव के अन्दर काम आया है तो दूसरे गांव के लोगों को बुलाकर आपके मेट और आपके बी.डी.ओ. क्यों लगाते हैं? इसके अन्दर आप व्यवस्था कराएं। उसके अन्दर सुधार कराएं कि जिस गांव के अन्दर काम जा रहा है, उसी गांव के लोगों को आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे।

मैं आज एक बात और बताना चाहता हूं कि आज अकाल की विभीषिका को झेलते हुए राजस्थान को चार साल हो गये और चार साल के अन्दर अकाल ने सबकी कमर तोड़ दी है चाहे वह किसी भी जाति का हो। मगर बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि काम जा रहा है और आपने श्रमिक सीमा निर्धारित कर रखी है कि इतना परसेंट शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को लगाएंगे, इतना परसेंट शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को लगाएंगे, इतना परसेंट किसी और अन्य को लगाएंगे, विकलांग को लगाएंगे। वहां पर लाठी लेकर काम पर लगाये जाते हैं, लाठी जिसके हाथ में होती है उसको काम पर लगा रहे हैं। एस.सी., एस.टी. के लोगों को काम पर नहीं लगाया जा रहा है, इसकी आप कोई व्यवस्था करें।

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

सभापति महोदय, अभी मैंने यह पढ़ा कि सरकार ने सम्वत् 2059 के सूखे की स्थिति एवं प्रबन्धन के लिये बड़ी-बड़ी कल्याणकारी योजनाएं बनायी हैं। पशु शिविर एवं गौशालाओं में पशुओं के रख-रखाव के लिये 1686 पशु शिविर एवं 6656 गौशालाओं में 7.16 लाख रुपये से पशुओं का संधारण किया जा रहा है, ऐसा इन्होंने इसमें लिखा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे दौसा के अन्दर पिंजरापोल गौशाला चल रही है। गौ-सदन दौसा को जिला कलक्टर दौसा द्वारा अकाल राहत अनुदान के लिये इन्होंने बारम्बार लिखा। कलक्टर दौसा को अनुदान का अक्टूबर, 2002 से भुगतान नहीं कर रहे हैं जबकि राज्य सरकार ने स्पष्ट आदेश दे रखा है। इन्होंने मुख्य मंत्रीजी को कई पत्र लिखे। मैंने एक प्रश्न भी लगाया था। पत्र क्रमांक 231 दिनांक 5.10.2002, गौ-सदन दौसा का पशु वर्गीकरण कर संख्या बतायी गयी। विशिष्ट शासन सचिव को इन्होंने पत्र लिखा। जिला कलक्टर दौसा ने अपने पत्र दिनांक 11.10.2000 को नायब तहसीलदार, दौसा को लिखा, इनसे तीन रिपोर्ट मांगी। नायब तहसीलदार, दौसा को संस्थान के पत्र क्रमांक 301 दिनांक 11.1.2002 से तीन वर्ष से छोटे व बड़े पशुओं के वर्गीकरण की संख्या के बारे में अवगत कराने के लिये लिखा। जिला कलक्टर, दौसा का पत्र दिनांक 15.1.2003 का फैक्स से भेजा तथा अध्यक्ष, गौ-सेवा की प्रति मांगी। सचिव, राजस्थान गौ-सेवा आयोग ने इस तरह से लिखा। राकेश जी वर्मा जो हमारे प्रभारी राहत सचिव हैं, उनको 4.2.2000 को पत्र लिखकर शिकायत की कि हमारी जो पिंजरापोल गौशाला चल रही है, उसके अन्दर सरकार ने अनुदान देने की बात कर रखी है, वह हमें दिलाने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि लालसोट के अन्दर गायों की मौतें हो गयीं। 500 गायों को दौसा गौशाला में वहां से शिफ्ट किया गया और यह कहते हुये किया गया कि इनको गौशाला में भेज दिया जाए, गौशाला तथा बीड़ के कुओं को गहरा कराने के लिये 58,800 रुपये की स्वीकृति जारी करेंगे। आज तक भी स्वीकृति जारी नहीं हुई है। इन्होंने मुख्य मंत्रीजी को लिखा मगर बड़े खेद की बात है कि आज तक मुख्य मंत्रीजी ने इस पर कोई गौर नहीं फर्माया।

अब आप देखिये, क्या-क्या घोटाले हो रहे हैं अकाल राहत कार्यों के अन्दर। ग्राम पंचायत नांगल चापा सरपंच द्वारा अकाल राहत कार्य में दो सड़कों के निर्माण के कार्य के पेटे क्रमशः 2 लाख 36 हजार व 6 लाख 28 हजार स्वीकृत करवाये गये, जिसमें एक लाख 32 हजार रुपये मौरम डालने के नाम पर थे। बिना मौरम डाले राशि सरपंच ने फर्जी बिल बना कर उठा ली और खुद अपना भुगतान प्राप्त कर लिया। इसकी शिकायत लिखी। सरपंच द्वारा राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला का निर्माण करवाया गया जिसमें 2 लाख 10 हजार रुपये की

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

स्वीकृति की गयी। उक्त पाठशाला निर्माण के अन्दर घोर अनियमितता पायी गयी। ग्रामीणों ने उसकी शिकायत की। जिला कलक्टर ने उसकी जांच करवाई और जांच के बाद उन्होंने आदेश दिये कि बिल्डिंग के अन्दर बच्चे पढ़ेंगे तो हमेशा दुर्घटना की आशंका बनेगी इसलिये उसको तोड़ दिया जाए। उसको उन्होंने तोड़ दिया। इसकी इन्होंने प्रशासन से शिकायत की। उन्होंने मुख्य मंत्रीजी को लिखा। रजिस्टर्ड डाक पत्र लिखे। डाक पत्र में मैं बताता हूं, कितने लिखे। 26.7.2000 को लिखा, 30.9.2000 को लिखा, 29.12.2000 को लिखा, 12.5.2001 को लिखा, 22.6.2001 को लिखा, 30.7.2001 को लिखा, 26.12.2001 को लिखा, 22.11.2001 को लिखा, 7.12.2002 को लिखा। सारे रजिस्टर्ड पत्र भेजे। मगर आज तक जिन्होंने फर्जी पेमेंट उठाया और फर्जी काम किये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह देखिए, सभापति महोदय, ये सारे डाक से भेजे पत्र, जिन पर इतना खर्चा करके रजिस्टर्ड पोस्ट से लैटर भेजे। मगर आपकी संवेदनशील सरकार, आप कहते हैं संवेदनशील, आपकी संवेदनशीलता कहां चली गयी? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। आपकी कथनी और करनी में अन्तर क्यों आ रहा है। आप कहते हैं संवेदनशील जवाब देना, आपकी जवाबदेही कहां चली गयी? आपकी जवाबदेही कहां है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं इतने सारे इन्होंने पत्र लिखे, आज तक उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है। आप कहते हैं कि हमें केन्द्र से सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। सभापति महोदय, राज्य के लिये दिल्ली सरकार ने आबंटन किया गेहूं का। गेहूं का आबंटन इस तरह से किया कि गरीब बी.पी.एल. के लिये आबंटन हुआ है 4 लाख 63 हजार 631, क्विंटल पर इनका उठाव कितना है? 2,96,192 आपने कह दिया कि हमें दिल्ली से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। अकाल के अन्दर सहायता खूब मिल रही है। आपको लताड़ मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा रही है। आपके राज्यपाल महोदय इस बात से खुश नहीं हैं। अकाल प्रबन्ध से खुश नहीं हैं। राज्यपाल महोदय खुद कह रहे हैं कि हम अकाल प्रबन्धन से खुश नहीं हैं। आप आरोप लगाते हो। आरोप–प्रत्यारोप करते रहते हो, हम यहां बैठे बैठे देखते रहते हैं। हमें यह भी दिख रहा है कि क्या होने वाला है। अगर समय रहते आपने नहीं सुधारा तो आपकी हालत यह होने वाली है जो इनकी हो गयी है। आप कहते हो कि हमारे को आबंटन नहीं मिल रहा है, दिल्ली से सहायता नहीं मिल रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

सभापति महोदय, पांच मिनट में खतम कर रहा हूं मैं। अन्य वर्गों, ए.पी.एल. के लिए आपको आबंटन हुआ 18 लाख 6 हजार 692 क्विंटल, आपका उठाव है कितना? 80,938 ऐसे ही अन्त्योदय अन्न योजना 90,237 आपका उठाव कितना? 74,068 अन्नपूर्णा योजना...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय बंशीवाल साहब, यह फेअर प्राइस शाप के आंकड़े दे रहे हो आप तो। यह जो भारत सरकार ए.पी.एल. और बी.पी.एल. की रेट पर बेचती है, किसी गांव में गेहूं और सस्ता मिलता है तो ले जाता है ए.पी.एल. परिवार वाला, इसका राहत कार्यों से क्या सम्बन्ध है?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं तो बता रहा हूं आपको।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप कह रहे हैं लेकिन...(व्यवधान) आप यह बता दीजिये कि फेयर प्राइस शाप का गेहूं है या अकाल राहत से सम्बन्धित है?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अकाल राहत से ही सम्बन्धित है, आपका यह कहना है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बिलकुल नहीं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपका यह कहना है कि भूख से कोई नहीं मर रहा है प्रदेश के अन्दर। भूख से मरा है। एक वृद्ध आदमी ने आत्महत्या कर ली। आपका यह कहना कि भूख से नहीं मरा। मैंने हरिसिंह जी महुवा से भी कहा। मैंने चैलेंज दिया था कि भूख से मरा है, मेरे दौसा जिले के अन्दर मरा है। लालसोट तहसील का शिड्यूल्ड कास्ट का बच्चा मरा है। वह विकलांग था, भीख मांगकर खाया करता था। आपका यह कहना कि हमने 20 किलो और 50 किलो पंचायतों के अन्दर गेहूं रख रखा है और हम उनको देते हैं जो गरीब लोग हैं। वह बच्चा भूख से मरा है, आपकी सरकार के एक भी मंत्री ने जरूरत नहीं समझी कि वहां जाकर जानकारी करे और उसकी जांच करे कि वह भूख से मरा है कि नहीं मरा। आपके परसादी लालजी, मंत्रीजी ने भी जाकर देखने की जरूरत नहीं समझी। मैंने हरिसिंह जी से कहा था कि अगर आपमें ताकत हो, आपकी सरकार में ताकत हो तो आप इसकी जांच करवा लो, या तो वह इस्तीफा देकर चले जाएंगे या मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। मैं फिर दुबारा आपसे कह रहा हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, इतनी सदाशयता तो माननीय सदस्य भी दिखाएं, जब यह देखें कि कोई भूखा है तो हमारी तरफ से यह व्यवस्था की हुई है कि गांव लेवल पर दो बोरी गेहूं की रखी है, पंचायत मुख्यालय पर पांच बोरी रखी हुई है और तहसील लेवल पर 25 बोरी रखी हुई है।

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

आप अगर यह महसूस करते हैं कि यहां पर यह आदमी भूख से मरने जा रहा है तो आप थोड़ा दिखाएं और कहें कि लाओ भाई, गेहूं लाओ। आपको पूरी जानकारी होने के बावजूद आप सिर्फ आरोप लगाने के लिये यह बात कह रहे हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप समय रहते फिर भी सुधार कर लीजिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा : आप आरोप लगा रहे हैं। यह बात सत्य नहीं है। जहां जहां आपने यह आरोप लगाया, सब जगह असत्य साबित हुई है। बल्कि लोगों ने आपका विरोध किया है कि न तो हम भूखे से मरे हैं और न भूख से मरने देंगे किसी को।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, आप मेरे साथ चले चलो। मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप मेरे साथ चले चलो, आपकी और मेरी मौजूदगी के अन्दर वहां के लोग कह देंगे कि भूख से मरा है, कुपोषण से मरा है, इसका क्लेरिफिकेशन हो जाएगा मौके पर। फर्मा रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमने जिम्मेदारी निभाई और हमने वहां जाकर उनको सहायता उपलब्ध कराई है। मगर आपकी तरफ से आज तक कोई सहायता वहां नहीं मिली है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात कह दें।

एक माननीय सदस्य : आप भी जिम्मेदारी निभाओ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं भी करता हूं जितना होता है मेरे से। मैं करता हूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (विद्युत मंत्री): आप करते हो तो फिर कैसे मर गया? (व्यवधान) आपकी परिवार की परम्पराओं को भूल गये? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : सभापति महोदय, पहले तो इनको कहो कि यह अपनी सीट से बोले।

श्री सभापति : अब आप अपनी सीट पर पधारें। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : नहीं, अपनी सीट पर यह पधारें। मैं तो मेरी सीट पर हूं।

श्री सभापति : नहीं, आप उनकी सीट लेना चाहते हो क्या?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : नहीं, मेरी सीट से यह बोल रहे हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह कांग्रेस में आ गये मगर विरोध करने वाली बात नहीं गयी इनकी। टिकट नहीं मिलेगा आपको। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप किसकी सीट से बोल रहे हैं?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय, यह मेरी सीट है जिस पर से यह बोल रहे हैं। यह मेरी सीट है जिस पर यह बोल रहे हैं।

श्री सभापति : माइक यूज कर सकते हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अकाल राहत कार्य में कैसी धांधली चल रही है कि हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी जी कहा करते थे कि सरकार के एक रुपये में से गरीब के पास अगर 15 पैसा भी पहुंच जाता है तो बहुत बड़ी बात है, इसको आपकी सरकार के अन्दर एक सरपंच ने सिद्ध करके दिखा दिया कि हम कितने बड़े घोटाले और गड़बड़ी कर रहे हैं इन अकाल राहत कार्यों के अन्दर। आप अगर इजाजत दें तो मैं पढ़कर सुना दूं। उप सरपंच करीगर, सरपंच पत्नी बेलदार, इस कथन को...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ठीक है जो आप आदेश करेंगे, मैं तो बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : नहीं, आपको जो कहना हो, एक मिनट और बोल लें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने समाप्त करने के लिए कहा, सभापति महोदय, कर देता हूं समाप्त।

श्री सभापति : आप अपनी बात समाप्त कर दें। बोलना चाहें तो एक मिनट और बोल लें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : चलो, एक मिनट और बोल लेता हूं।

सभापति महोदय, आज चारा, पानी, बिजली की बात है, मुख्य मंत्रीजी ने भी यही कहा है कि बिजली बचाओ, पानी बचाओ, सब को पढ़ाओ। अब आप देखिये कि आपकी बात सुन ली, पानी उसने बचा लिया। बिजली का आपने उत्पादन किया, कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया उत्पादन करके। बहुत बड़ा उत्पादन कर लिया, बी.जे.पी. वालों ने कुछ नहीं किया था। सही है, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि आपने बिजली का उत्पादन किया है। मगर सदन के अन्दर यह बात कहना चाहूंगा कि आप उस बिजली के उत्पादन को कहां कन्जूम कर रहे हो, इसका प्रदेश की जनता को पता ही नहीं है। खास कर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनता बिजली के नाम पर त्राहि-त्राहि कर रही है। सभापति महोदय, किसान को 12 महीने में सिर्फ 4 महीने बिजली चाहिये होती है। किसान को 4 महीने बिजली की जरूरत पड़ती है और मिनिमम चार्ज वह सारे साल का देता है। बिजली की दर वही देता है जो शहरी उपभोक्ता देता है, उसके बाद भी उसको बिजली देने में कंजूसी क्यों? उसको 6 घंटे बिजली देने की बात करते हैं, 4 घंटे बिजली देने की बात करते हैं और शहरों के अन्दर 24 घंटे बिजली देते है। सभापति महोदय, आप देखिये कि इससे बड़े दुर्भाग्य

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

की बात क्या होगी कि नगरपालिका की रोड लाइट्स दिन के अन्दर भी जली रहती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या उस पर बिजली का खर्चा नहीं आता? क्या सरकार को उसका पेमेंट नहीं करना पड़ता? जो किसान पेमेंट करता है, बिजली मांगता है फसल के समय उसको बिजली देने के अन्दर कंजूसी करते हैं आप। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से, बिजली मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें सुधार करें। ऐसी कोई व्यवस्था करें कि किसान को जब बिजली की जरूरत हो, फसल के समय उसको 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की बात करें। आप कहते हो हम 6 घंटे बिजली देंगे, 8 घंटे बिजली देंगे, यह क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? शहर की जनता को 24 घंटे बिजली और गांव की किसान को, जो अन्न पैदा करके हमें खिलाता है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप सुर के साथ-साथ समय भी बचाओ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं बैठ जाता हूं परन्तु मैं यह मांग कर रहा हूं कि गांव के किसानों को जब बिजली की आवश्यकता होती है, आप पूरे पैसे लीजिये-आप पैसे में कहीं कटौती नहीं करते हो, आप उनको 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे बढ़ा कर दे दो बिजली, मगर उनको 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएं जब तक उनको जरूरत पड़ती है। 8 महीने किसान को बिजली की जरूरत नहीं होती है, वह नहीं मांगता आपसे। जब फसल के समय उसको जरूरत होती है तभी बिजली की मांग करता है और तब भी आपके पास बिजली देने को नहीं। आप उद्योगों के अन्दर कटौती करें मगर किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएं।

सभापति महोदय, एक मोटी समस्या और है, आज किसान उस समस्या से जूझ रहा है। आज उसका दिन का चैन उड़ा हुआ है, रातों की नींद उड़ी हुई है। दिन का चैन इसलिए उड़ा हुआ है कि वह अन्न पैदा करके अपने बच्चों को कुछ खिलाना चाहता है, मगर सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। रातों को टार्च लेकर वह रोजड़ों के पीछे भागता है, उन रोजड़ों के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हो? उन नील गायों को मारने के लिए क्या कर रहे हो जबकि भारत सरकार से आपको परमिशन मिल गयी है कि नील गाय गाय की श्रेणी में नहीं आती है? वर्गीकरण हो चुका है इस बात का तो। उन पर कोई आप व्यवस्था करें, गांव से उनको खदेड़ कर या तो जंगलों में ले जाएं या उनको मारने की इजाजत दें। क्योंकि किसान सारी रात बैठा रहता है अपनी फसल को बचाने के लिए। अगर ये रोजड़े खेत में घुस जाते हैं तो पूरे खेत का सफाया कर देते हैं अगर किसान चौकसी करने नहीं बैठे तो। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप समय रहते इसके अन्दर गम्भीरता से ध्यान रखें।

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

मैं कोई आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता, मैं आपको समय रहते सावचेत करना चाहता हूं कि अभी भी समय है, चेत जाओ, नहीं तो आपका वह हाल हो जाएगा जो इनका हुआ है। आपने, सभापति महोदय, मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शंकर लाल अहारी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया गया।

राज्य में अकाल, पेयजल एवं पशु संवर्द्धन की स्थिति पर विचार

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : सभापति महोदय, आज सदन में महत्वपूर्ण विषय अकाल, पेयजल और पशुधन पर चर्चा चल रही है। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी, अकाल सहायता मंत्रीजी और जलदाय मंत्रीजी को अपनी तरफ से खूब-खूब धन्यवाद देता हूं कि वित्तीय संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी चार साल से अकाल से जो प्रदेश जूझ रहा है उसकी समस्या का आपने समाधान किया है, आपने अकाल की समुचित व्यवस्थाएं की हैं और जिस ढंग से व्यवस्थाएं की हैं उससे आम नागरिक अपने आप में खुश महसूस करता है। सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य यह कहते हैं कि गांवों में अकाल के कारण लोग दु:खी हैं परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं, क्योंकि हम घूमते-फिरते हैं और भाई लोगों के पास उनके दु:ख-सुख में जाकर चर्चा करते हैं, वहां ऐसा किसी प्रकार का कोई दु:ख हमको तो नहीं पाया गया। सारी जो व्यवस्थाएं है और ऐसी व्यवस्थाएं...

श्री जीतमल खांट : मान्यवर, उदयपुर के लोग गुजरात में पलायन कर रहे हैं। गुजरात में कम से कम 5 लाख लोग पलायन कर गये हैं बासवाड़ा, डूंगरपुर के।

श्री शंकर लाल अहारी : कांग्रेस सरकार के अलावा कोई भी सरकार ऐसी व्यवस्था कर भी नहीं सकती है क्योंकि पिछले समय में हमने आपके 8 सालों को देखा है और अच्छे तरीके से देखा है। लोग जब काम के लिए लगना चाहते थे तो लालायित होते थे, उनकी संख्या बतायी

(श्री शंकर लाल अहारी)

जाती थी, भेदभाव किया जाता था और वास्तव में हकीकत है कि काम पर बहुत कम लोग लगते थे। परन्तु आज जो समुचित व्यवस्थाएं प्रदेश में हैं, इसकी हम पूरी-पूरी तारीफ करते हैं।

हमारी सरकार ने 4 करोड़ 48 लाख लोगों और 4 करोड़ 52 लाख पशुधन को राहत पहुंचाने का जिम्मा लिया है। यह स्वाभाविक है कि वर्षा नहीं हुई, प्रदेश में अकाल है, इसको कोई ना नहीं कह सकता, परन्तु इस समस्या का समाधान कैसे हो? हम सबको मिल कर समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। अगर एक-दूसरे की टांग खींच कर हम समय रहते हुए समस्या का समाधान नहीं कर पाये तो शायद प्रदेश की जनता भी हम को माफ नहीं करेगी। इसलिए विपक्ष के माननीय सदस्यों से हमारा आग्रह है कि हम ऐसा काम कर गुजरें जिससे जनता अपने लिए बाद में खुशी जाहिर करे।

आज अकाल में 52 लाख लोगों को काम पर लगाया और 40990 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इसके बावजूद प्रतिदिन 60 रुपये मजदूरी देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया, हम पूरे प्रदेश में नहीं घूमे हैं, हमारे जिले की ही बात कहेंगे कि अगर 8 से 5 बजे तक हमारे घर का कोई आदमी मजदूरी करने जाए और 60 रुपये कमा कर नहीं लाए तो मैं समझता हूं कि वह मजदूर मजदूर नहीं है। हमने अधिकारियों से निवेदन किया कि हमारा भाई वहां काम पर आ रहा है, उससे पूरा काम लीजिये, आपके नाप-तौल जो भी हो उस हिसाब से लीजिये, परन्तु हम को 60 रुपये चाहिए। अधिकांश विभागों में 60 रुपये मजदूरी की रेट मिल रही है, परन्तु हम जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अगर हम जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करें तो यह हकीकत है कि उस व्यक्ति को कम पैसा भी मिले इसके बावजूद भी 45 रुपये से नीचे पैसा नहीं मिलता है। जो 10 किलो गेहूं प्रति मजदूर के बीच देने का लक्ष्य था उसके पीछे मेन उद्देश्य यही है कि अगर हम 10 दिन मजदूर को काम पर लगा देंगे तो 10 दिन के हिसाब से एक क्विंटल अनाज होता है और इस एक क्विंटल अनाज के पीछे एक महीने परिवार गुजारा कर सकता है और एक महीने के बाद उसको वापस लगाया जाना आवश्यक है। यह प्रक्रिया लागू हुई, महीने में तीन बार रोटेशन चालू हुआ और उस रोटेशन से मजदूरों की संख्या बढ़ी, ज्यादा मजदूर लगे। आपस में लड़ाई झगड़े हमने कहीं नहीं देखे।

श्री जीतमल खांट : यह बात मैं डूंगरपुर जाकर कहूंगा। मैं बोलूंगा वहां की जनता के सामने कि हमारे माननीय सदस्य इस तरीके से बोल रहे थे, और परमार साहब को इसका गवाह बनाऊंगा।

श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा) : माननीय सदस्य, मैं खुद जानता हूं कि वहां

(श्री कनकमल कटारा)

पर किस तरीके से मजदूरी दी जाती है। आज जो भी बी.जे.पी. का या कोई भी समर्थित व्यक्ति हो, किस तरह से पंचायत के सरपंच कर रहे हैं वह आप स्वयं भी जानते हैं। जब जिला परिषद् की बैठक होती है तो आपको सुनने को मिलता है। मेरा विषय नहीं है, मैं पूरा बताऊंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप बोलो।

श्री शंकर लाल अहारी : मेरा इस सम्बन्ध में विशेष आग्रह यह है कि हम जनता से वोट लेकर आते हैं, क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है? क्या हम जनता के दुःख में भागीदार नहीं बन सकते और समस्या का समाधान नहीं कर सकते? हमारा सबका फर्ज है कि उनके बीच में जाकर उनके अभाव-अभियोग सुनें और समस्या का समाधान करें।

यहां अनेक माननीय सदस्यों ने मोटी बात कही, कहा कि कांग्रेस की सरकार जब-जब सत्ता में आती है पानी नहीं आता है, बरसात नहीं होती है। यह किसने कहा? क्या गुजरात में आपकी सरकार नहीं है? अन्य प्रदेशों में आपकी सरकार नहीं है? यू.पी. में नहीं है? मतलब यह है कि आप दोष देना ही जानते हैं। मेरे खयाल से यह कोई अच्छी बात नहीं है। हम भीषणतम अकाल मानते हैं, गम्भीर समस्या मानते हैं तो हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। इसके पीछे यही कारण था कि एक क्विंटल अनाज है वह महीने में रोटेशन में हो। परिवार में यदि चार सदस्य हों तो उनका भरण-पोषण एक महीने तक चले। इसके बाद दूसरे महीने में उसका नाम अंकित हो जाना चाहिए। हमारे यहां 57-58 हजार लेबर काम कर रही है, वे रोटेशन में काम कर रहे हैं। हमारे सरपंचों के ऊपर जिम्मा है, हमने जिम्मा दिया है। हमारी कई प्रकार की मीटिंग्स हो रही हैं जिला परिषद् में होती हैं, गवर्निंग कौंसिल की होती हैं, पंचायत समिति स्तर पर होती हैं, पंचायत मुख्यालय स्तर पर होती है। किस बात की कमी है? फिर कहते हैं कि समस्या समस्या। समस्या का समाधान तो जन प्रतिनिधियों को मिलकर ही करना है। निपटारा करना है तो हमारा सरपंच पूरा जिम्मा लेता है, सभापति महोदय, और जिम्मे के साथ वे अपना काम निभाते हैं। आज वहां यह हालत है कि भूख से कोई नहीं मरा और बगैर खाये कभी कोई सोया नहीं। (व्यवधान) वह एक अलग बात है, अगर मेरी आदत पड़ी है कि गुजरात जाए बगैर मेरा काम चले ही नहीं तो जाना ही है। बाकी हमारी सरकार ने पूरा जिम्मा लिया है।

आज चारे की बात है, हमने प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर चारे का डिपो खोला है। उसके बाद भी हमने बड़े-बड़े गांव हैं वहां डिपो खोलने का निवेदन किया है, हमारे प्रभारी मंत्रीजी ने बीच-बीच में काफी दौरे किये हैं। लोगों के बीच में आये हैं और उनके अभियोगों को सुना है।

(श्री शंकर लाल अहारी)

सभापति महोदय, हमारे यहां सोयाबीन की घास बहुत अच्छी आती है, मैं अनुरोध करूंगा कि वह घास अधिक से अधिक उधर भेजी जाए। आज प्रदेश में 4210 चारा डिपो खोले हैं, कोई कम बात नहीं है। उसके बाद अभी सरकार ने एक निर्णय किया है, अभी हम पंचायत हैडक्वार्टर पर लगाते थे पंचायत में दस वार्ड या पन्द्रह वार्ड हैं, वार्डवाइज हम नहीं लगा पा रहे थे मजदूरों को, दो–तीन वार्डों में लगा रहे थे अब वार्डवाइज हम लगाएंगे। जब वार्डवाइज मजदूरों को लगाएंगे तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। सरकार ने आदेश दिये हैं हमारे कलक्टर्स को, अधिकारियों को कि आप एक सप्ताह में जितना हो सके उतना, पांच दिन–तीन दिन गांवों में जाकर सोएं और उनकी समस्या का समाधान करें, निदान करें।

श्री मदन दिलावर : कलक्टर गांवों में सोया नहीं और समस्या का समाधान हुआ नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी समस्या तो कुछ और ही है।

श्री मदन दिलावर : वहां जाकर गरीबों की सेवा करो। कलक्टर सो जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा।

श्री सभापति : बिराजो आप, आपकी समस्या और है।

श्री शंकर लाल अहारी : सभापति महोदय, हमारी सरकार ने कई प्रकार के अच्छे काम किये हैं। हम सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं और यह आशा करते हैं कि जिस ढंग से कांग्रेस की अगुवाई में काम चल रहे हैं हम मरेंगे नहीं, हमारी कांग्रेस की सरकार उनको जिन्दा रखेगी। आज हर आदमी को यह पसन्द है, हर आदमी खुश हो गया है। कांग्रेस के बगैर कोई शासन इस देश में हम नहीं मानते हैं। जब–जब ऐसा मौका आया है और कांग्रेस का शासन आया, कांग्रेस के लोगों ने एक जुट होकर एकता का रूप दिखाया है। संगठन का जो रूप दिखाया और उसके आधार पर इन लोगों ने जो मदद की है उसको जनता कभी भी नहीं भूलेगी। एक जमाना यह था कि हम मायलू लाकर खिलाते थे, आज हम गेहूं खिला रहे हैं हमारे लोगों को। तो क्या हमारे लोग कांग्रेस को अच्छा नहीं कहेंगे?

इसी ढंग से हमारी सरकार की एक व्यवस्था है। सरकार ने व्यवस्था की है कि जो जनप्रतिनिधि वाहवाही लूट सकता है और वाहवाही कैसे लूट सकता है आसानी से, यह मैं बता रहा हूं। सभापति महोदय, तहसील हैडक्वार्टर पर 25 क्विंटल अनाज रखा है, पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर पांच क्विंटल अनाज रखा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : तब ही तो आपको सागवाड़ा में बीस हजार से ठोका है।

श्री शंकर लाल अहारी : और पंचायत हैडक्वार्टर पर हमने दो क्विंटल अनाज रखा है। हमारा कोई भी प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में घूमने के लिए निकल जाए–चाहे सरपंच हो,

(श्री शंकर लाल अहारी)

वार्ड पंच हो, एम.एल.ए. हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख हो या एम.पी. हो, वहां उनके सामने अगर किसी ने कह दिया कि मेरे पास तो आज गेहूं नहीं है तो उसी समय वह कहता है कि लाओ, गेहूं लाओ और इस आदमी को अभी की अभी वितरण करो। क्या हम सस्ती वाहवाही नहीं लूट रहे हैं? हम सबको सेवा करने की आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, थोड़ा-सा बोलने दीजिए।

हमारे शिक्षा मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे यहां राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं–उन आदिवासी क्षेत्रों में, उन ढाणियों में जहां शिक्षित लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं। उन स्थानों पर राजीव गांधी पाठशालाएं खोल कर उसी एरिये में निवास करने वाले व्यक्ति को जिम्मा सौंपा कि नियमित रूप से वह काम करेगा। यह हकीकत है कि नियमित रूप से वे पाठशालाएं खुलती हैं। आज आपने लक्ष्य लिया कि प्रत्येक राजीव गांधी पाठशालाओं पर हैण्ड पम्प लगा दिए जाएंगे, हमारे यहां प्रत्येक पाठशाला पर हैण्ड पम्प खुद चुके हैं। आपने जो पानी की व्यवस्था हमको दी है– आपने हमारे वहां टैंकर लगाये हैं, आपने हैण्ड पम्प खुदवाये हैं, आपने राजीव गांधी मिशन के अन्तर्गत कुएं दिए हैं और अभी सार्वजनिक कुएं भी हमको दिए हैं। इतनी पुख्ता व्यवस्था के बावजूद अगर मैं अपने आप में अभाव-अभाव महसूस करूं तो उसके अभाव ही है, कभी भी वह ठीक नहीं हो सकता। जिस राज का मंत्रिपरिषद् हमेशा चिन्ता करता हुआ लोगों की भलाई के लिए काम करता है तो उसको भला कहना है, उसने वास्तव में भलाई का काम किया है।

(17.00 बजे)

सभापति महोदय, एक हमारा आपसे अनुरोध है, हम दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी भाई रहते हैं, हमारी जोत जमीन बहुत कम है और जोत जमीन कम है तो हमको मजदूरी पर कहीं न कहीं तो जाना ही है। हम छह महीने जो भी पकता है उसको निभा लेते हैं, उसके बाद हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है मजदूरी के लिए। हमारे जो कुएं हैं व्यक्तिगत, हमारी सरकार के बड़े मंत्री जो हमारे प्रभारी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारे व्यक्तिगत कुओं को ज्यादा से ज्यादा...

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, सदन का समय समाप्त हो चुका है।

श्री सी. पी. जोशी : बढ़ा दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, उपस्थित नहीं थे आप।

श्री शंकर लाल अहारी : इस अकाल में आप समुचित कुओं को हाथ में लेकर कार्य करावें तो हमें बड़ी खुशी होगी। हमारी

(श्री शंकर लाल अहारी)

सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से कुओं का काम तो चालू किया, पर भारत सरकार के लोगों ने हाथ खींच लिए कि हम गेहूं नहीं देंगे। हम गेहूं नहीं देंगे तो हम गेहूं के आधार पर ही तो कुओं का काम चालू कर रहे थे। उधर से गेहूं नहीं मिलने का सिग्नल आया, कुएं वे स्थगित हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे उन कुओं पर आप ध्यान देंगे, आप में वह हिम्मत है, आप में वो काम करने की ताकत है। आज तक कांग्रेस का व्यक्ति न तो कहीं झुका है न झुकेगा और अपने पथ पर आगे चलता रहेगा। हमारे प्रदेश की सरकार ऐसी सरकार है जो हर आदमी की आवश्यकता की पूर्ति करती है। हम उन्हीं में विश्वास और आस्था रखते हुए पुनः अनुरोध करते हैं कि हमारा मंत्री और हमारा मुख्य मंत्री कहीं कमजोर नहीं है, प्रजा उनके साथ है। हम कितनी भी यहां बैठकर इधर से उधर बात करें, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो सिर्फ जो काम कर रहा है उसके लिए ही है। सरकार हमारी अच्छी चल रही है, यह हमारे प्रदेश के लोगों में है, हमारी अच्छी गिनती है इसलिए हम आने वाले समय में भी पूरी निष्ठा, उत्साह और उमंग के साथ चुनकर इसी विधान सभा में आएंगे और कांग्रेस का बहुमत होगा, यह मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री हरचन्द सिंह सिद्धू।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान क्षेत्रफल के लिहाज से इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। साढ़े पांच करोड़ लोगों का यह प्रदेश जिसमें क्षेत्रफल के लिहाज से आबादी का घनत्व दूसरे प्रदेशों की तुलना में काफी नीचे है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी आबादी के अन्दर सत्तर फीसदी ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर लोग आवास करते हैं। इस प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वह एग्रेरियन है, कृषि पर आधारित है। अगर हम कृषि की बात राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा और अन्य प्रदेशों में करें तो वहां पशुधन की महत्ता ज्यादा नहीं थी। हमारे यहां पशुधन अर्थव्यवस्था के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि राजस्थान के अन्दर पशुधन की तादाद भी बहुत बढ़ी है। चार साल से अकाल और उस अकाल की वजह से कृषि प्रभावित हुई, पीने का पानी नहीं मिला। परेशानियां हुईं, सरकार को उसका प्रबन्ध करना पड़ा। जो सरकार की प्राथमिकताएं थीं उनके अन्दर व्यवधान आया। लेकिन उसके बावजूद भी दृढ़ इच्छाशक्ति से अच्छे प्रबन्धन का उदाहरण पेश करते हुए लोगों को कहीं कोई कमी महसूस नहीं होने दी गयी।

सभापति महोदय, राजस्थान प्रदेश में कृषि केवल वर्षा के ऊपर आधारित रही और जब इस प्रकृति की क्रूरता को लगातार सरकार ने महसूस किया तो विभिन्न सिंचाई योजनाएं बनाईं ताकि इस क्रूरता को कम

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

किया जा सके। लेकिन अफसोस है कि जितनी भी बड़ी सिंचाई योजनाएं बनीं, उन सिंचाई योजनाओं के हैडवर्क्स इस प्रदेश के कंट्रोल में नहीं रहे। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का बहुत बड़ा भू-भाग गंग कैनाल से सिंचित होता था। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा उसी क्षेत्र का हिस्सा सिंचित हो रहा था और इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी उसी क्षेत्र से गुजरी लेकिन परेशानी यह रही, इस सिंचाई परियोजना में रहते हुए भी उस क्षेत्र के अन्दर आज काश्तकार की हालत क्या है, उसका प्रमाण यही है कि इस प्रदेश के बत्तीस जिले सरकार को मजबूरन अभावग्रस्त जिले घोषित करने पड़े। हमेशा विवाद रहा है कि पानी नहीं आया, खेती बरबाद हो गयी और जब खेती बरबाद हो गयी तो उसका सीधा असर पशुधन पर पड़ा। चारा नहीं मिला पशुधन को बचाने के लिए, खेती फेल हो जाए, काश्तकार इतना चिन्तित नहीं होता। लेकिन अगर पशुधन तबाह हो गया, उसकी वजह से जो काश्तकार पर मार पड़ती है. वह उसके लिए असह्य है। उसकी सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, उसका रीकंस्ट्रक्शन बहुत असम्भव है। इसलिए सिंचाई योजनाएं सरकार ने अपनी तरफ से बनाईं लेकिन हैडवर्क्स हमारे कंट्रोल में न होने के कारण हम खेती को उस मयार तक नहीं ला पाये जिससे इस प्रदेश का कृषि उत्पादन अपने स्तर और मयार को कायम रख सकता। उसमें लगातार गिरावट आयी उस वजह से परेशानियां पैदा हुई हैं प्रदेश में। मजबूर होकर सरकार को पशुधन को बचाने के लिए और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए अल्टरनेटिव अरेंजमैंट्स करने पड़े जिससे इस सरकार की प्राथमिकताओं पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है।

मुझे एक बात समझ में नहीं आयी, हम बात तो मानवता की करते हैं और बड़े जोर शोर से ये बातें उठाई जा रही हैं कि इस प्रदेश में लोग भूख से मर रहे हैं और यह सरकार कुछ नहीं कर पा रही। केन्द्र सरकार बड़ी मेहरबान होकर आपको पैसा दे रही है, राजस्थान सरकार उस पैसे को खर्च नहीं कर रही। आप ऐसी बात कहिए जो तार्किक हो, अगर तर्क से परे बात कहते हैं तो मैं समझता हूं उसकी कोई कीमत नहीं है। हम सारे मानवता की बात करने के लिये तैयार हैं। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमें संवेदनशील होना चाहिये कि मिल-बैठकर जब मानवता पर इस तरीके का संकट आया हो, उस संकट का निस्तारण हम किस तरीके से कर सकते हैं। राजनीतिक भावनाएं हमारी कुछ भी हो सकती हैं, राजनीतिक सोच हमारी कुछ भी हो सकती है लेकिन राजस्थान प्रदेश का पशुधन और राजस्थान प्रदेश की जनता हमारी अपनी है। उस पर अगर कोई कष्ट आता है तो हमारा पहला नैतिक फर्ज हो जाता है कि हम उनको उस विपदा से निजात दिलाएं और इसके अन्दर राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिये।

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

यहां हम एक सरकार की तारीफ करते हैं, दूसरी सरकार पर आरोप लगाते हैं। लेकिन सरकार बनाने वाले लोग हैं कौन? इस देश के लोग हैं। भारत सरकार का अस्तित्व इस देश के परे कहीं नहीं है। कहीं यह गलतफहमी हो कि भारत सरकार कोई अपनी व्यक्तिगत खैरात बांट रही है। प्रदेश में तो खैरात नहीं है, यह इस प्रदेश की जनता का खजाना है। हमारा हिस्सा, हमें आपदा के समय में जो कुछ मिलना चाहिये वह हम अपना हक मांग रहे हैं। उसमें आपको सहयोग करना चाहिये और ऐसे आधारहीन आरोप नहीं लगाने चाहिये।

इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं, चुनावी वर्ष कह रहे हैं। आप जितनी भी बात कह रहे हैं, इस तरीके की बातें बोल रहे हैं आप कि जनमानस हमारी बात से प्रभावित होकर हमारे पक्ष में मतदान कर दे और हम सत्ता पर काबिज हो जाएं। आप अच्छे काम करेंगे, नेक काम करेंगे तो अपने आप जनमानस आपकी तरफ अपना रुख करेगा, इन ओछी हरकतों से नहीं करेगा।

मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं, एक आपने बड़ी मेहरबानी की कि आप लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि जब से कांग्रेस सरकार आयी है इसका अकाल के साथ चोली-दामन का साथ है। जब भी कांग्रेस आयी अकाल साथ आया। आज से चार पांच रोज पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आयी है...(व्यवधान) आप सुन लीजिये। आपको ध्यान नहीं है। आप एक बार जो सीखकर आते हैं, वही की वही जानते हैं। आपकी नजरें नहीं हैं देखने के लिये। उस वक्त बरसात हुई है पूरे प्रदेश के अन्दर और वहां बर्फ गिरी है। उस बर्फ का पानी पिघल कर राजस्थान प्रदेश की इस धरती को खुशहाल करेगा। यह पानी वहीं से आता है और वहां कांग्रेस ने जीतकर सरकार बनायी है। (व्यवधान) आप तसल्ली से सुन लीजिये। वहां अटल बिहारी वाजपेयी साहब पधारे थे जिनके आप गीत गा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वह वहां गये और कहा, यह मेरा दूसरा घर है। जनाजा निकल गया वहां दूसरे घर में। अगर इंसानियत के आप पुजारी हैं और इंसानियत से आपको लगाव है तो आपने खून-खराबा करके, भय और आतंक पैदा करके गुजरात के अन्दर एक वातावरण बनाकर सत्ता हासिल की थी, वही आप इस प्रदेश में...आपको कहीं अकाल की चिन्ता नहीं है, आपको कोई अकाल से पीड़ा नहीं है। आप त्रिशूल बांट रहे हैं और इस सदन के एक माननीय सदस्य यहां बिराजे हुए हैं जिनका अखबार के अन्दर नाम था कि उन्होंने त्रिशूल दीक्षा ली, उससे अकाल मिटेगा अब? अच्छा होता आप कहीं चारा बांटने जाते। आप कहीं कोई...(व्यवधान)

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। त्रिशूल शिवजी का प्रतीक है,

(श्री रामलाल गुर्जर)

शिवजी की तस्वीर है, यह लेना सबके लिये जरूरी है, अपने सबको ही लेना है। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : चांदी के सिक्के खनक रहे हैं। सभापति महोदय, ये चांदी के सिक्के खनक रहे हैं, मैंने नाम नहीं लिया था। वह खुद ही बता रहे हैं कि मैं हूं, यह बिराजे हैं। (व्यवधान)

श्री रामलाल गुर्जर : हां, बिराजे हैं और लिया है, खुले आम लिया है, कोई डर के कारण से...(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : फिर कौनसे अकाल का इलाज नहीं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : और देंगे, और देंगे, और बांटेंगे। जरूरत पड़ेगी तो रिवाल्वर बांटेंगे।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : आपको यही बांटना है और भगवान आपको यही बांटने के काबिल रखे। आपको पता है, यही बांटने के काबिल रखे क्योंकि आपका इंसानियत से कोई रिश्ता और नाता नहीं है। आप नहीं समझ सकते कि...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बंदूकें बटेंगी, बम बटेंगे आतंकवादियों के खिलाफ। तलवारें बटेंगी, रिवाल्वर बटेंगे, बंदूकें बटेंगी, सब बटेगा आतंकवादियों के खिलाफ। अगर आप आतंकवादी हो तो आपके खिलाफ बम बटेंगे, रिवाल्वर बटेंगे...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एटम बम का परीक्षण कर चुके हैं। यह देश के कुछ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, अगर एटम बम का प्रयोग करना पड़ा तो करेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराज जाएं, आपको...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : चुप बैठे हैं। यह हमारी तरफ देख कर बोल रहे हैं, हम खुद आकर बोल ही नहीं रहे हैं। जो मर्जी बोल रहे हैं। मैंने किसी को नहीं टोका...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराज जाएं। आहूजा साहब, बिराज जाएं आप। उसके बाद जब मौका मिलेगा तब बोल लेना आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सुबह से बोल ही नहीं रहा हूं।

श्री सभापति : अभी आप बिराजो। अभी तो आप अखबार पढ़ रहे थे...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह त्रिशूल कहां आ गया अकाल में? (व्यवधान) यह प्यासी मर रही जनता को...(व्यवधान)

श्री सभापति : अभी तो आप समाचार पत्र पढ़ रहे थे, आपको ध्यान ही नहीं था। आप बिराज जाओ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मुझे सब ध्यान था, पर मेरी तरफ देख कर नहीं बोलें, आपकी तरफ देखें, आसन की तरफ।

श्री सभापति : मैं देख रहा था, समाचार पत्र पढ़ रहे थे आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उनसे आप कहिये कि आसन की तरफ देखे।

श्री मदन दिलावर : इतने से त्रिशूल से इतनी बड़ी पीड़ा और जब हमारा एटम बम आएगा तो क्या होगा? तब तो यह सम्भाल ही नहीं पाएंगे।

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 84 में किसने काटा था? दिल्ली में किसने मारा था? इंदौर रजवाड़े को किसने आग लगायी थी? सिखों के कार्य में किसने आग लगायी थी? वहां किसने अत्याचार किया था पूरे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में? दिल्ली में किसने अत्याचार किया था? किसने आतंकवादियों को बढ़ाया था? (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : भा.ज.पा. ने भी बम से मारा था, आप लोगों ने भी बढ़ाया था...(व्यवधान) आप क्या बोल रहे हैं...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भिंडर वाला को इंदिरा गांधीजी ने बढ़ाया था, आप लोगों ने बढ़ाया था। आप लोग आतंकवादियों के हाथों से मारे गये, आप लोगों की हत्याएं हुईं 84 में। हमने मारा था क्या? यह त्रिशूल की बात करते हो। आसन की तरफ देखकर बात करो, काहे के लिये हमारी तरफ देखते हो? उधर देखो, हमारे को काहे को देखते हो?

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मैं तो आसन को ही देख रहा हूं। आप कहीं और कुछ देख रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, वह आसन की तरफ देख कर ही बोल रहे हैं, आप भी आसन की तरफ देखकर ही बोलो।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मैं निवेदन कर रहा था, असलियत यह है कि जो कुछ भारत सरकार को जिम्मेवारी निभानी चाहिये थी वह राजनीतिक स्वार्थ के कारण नहीं निभायी। हमारे इस आपदामयी समय के अन्दर जो हमको मदद की जानी चाहिये थी, राजनैतिक भेदभाव के कारण उसको पूरा नहीं किया गया है।

आज जो विकास की योजनाएं इस प्रदेश में लागू हैं, उनमें जो दिया गया पैसा है, बार बार आरोप लगाया जाता है कि राज्य सरकार ने केन्द्र द्वारा दी गयी मदद, वह मदद नहीं है, वह योजनाओं के नाम पर दिया गया पैसा है जो लगातार इस प्रदेश की जनता का हक है। इसके अन्दर भी सरकार ने यह सदाशयता दर्शायी है कि उनके समायोजन के प्रमाण पत्र जो पीछे के बाकी थे, वे भी आपको भेजे कि हमने उनका यूटिलाइजेशन कर दिया है। उसके बाद तो आप बरसते, आप कुछ मेहरबानी करते। लेकिन इस तरीके का माहौल बनाना, और अभी एक माननीय सदस्य फर्मा रहे थे बड़े जोर-शोर से कि किसानों की बरबादी कर दी। मैं कहता हूं आप तो मेहरबान हो,

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

किसान तो जब बरसात नहीं होती तो जमीन और पानी से इस प्रदेश के पेट को पालने के लिये कोशिश करता है कि मैं अन्न पैदा करूं, पशुओं के लिये चारा पैदा करूं। वह डीजल का इस्तेमाल करता है, आप मुझे कोई ऐसा महीना बताएं जिसके अन्दर पन्द्रह दिन बाद डीजल के दाम नहीं बढ़ाये? वाह रे किसान से प्यार करने वाले लोगों। हर रोज डीजल के दाम बढ़ाये गये। हर पन्द्रह दिन के बाद डीजल के दाम बढ़ गये। इनकी नैतिकता खतम हो गयी। जब ऐसा फाइनेंशियल कोई इम्प्लीकेट करना हो तो वह सदन के माध्यम से ही होना चाहिए। क्या दुकान बना रखी है। आज माननीय मंत्री महोदय ने सरका दिया, जब डीजल के दाम इस तरीके से बढ़ाये गये तो काश्तकार की कमर तोड़ दी। लेकिन आपको तकलीफ नहीं हुई, आप अपनी राजनीति में व्यस्त हैं। आपके ये हाथ क्यों उठ रहे हैं? कि लोगों को किस तरीके से गुमराह करके राजसत्ता पर कब्जा किया जाए। आप अच्छे, नेक काम करें। अगर आप में सदाशयता है, आपमें संवेदनशीलता है तो आप मेहरबानी करके इस प्रदेश की जनता के साथ रहें। अशोक गहलोत को आप गालियां निकालिये, हमने ठेका नहीं ले रखा है कि आपके बीच और उनके बीच में खड़े रहें। वह आपको जवाब देंगे, लेकिन प्रदेश की जनता ने क्या बुरा कर दिया कि आप इस तरीके से हरकत करें। मेरी गलती हुई, मैं इसको दुरुस्त करूंगा, वापस ले लूंगा। लेकिन इस तरीके से हम लोगों को थोड़ा-सा सदाशयता का, सदाचारिता का रवैया अख्तियार करना चाहिए। आज पूरा प्रदेश इस आपदा में हमारी तरफ आंखें लगाये बैठा है, इस महान सदन के अन्दर हम गम्भीरता से इस मुद्दे को देखें कि हम लोगों के कष्टों को किस प्रकार कम कर सकते हैं।

सीजनल बैल्टस चेंज हो रहे हैं। यह हकीकत है कि आज बरसात इतनी अनसर्टेन होती जा रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसका जो आने का टाइम है उसके अन्दर चेंज हो रहा है। जो इसका डयूरेशन का पीरियड था उसमें चेंज हो रहा है। इसको वैज्ञानिक मानते हैं, इसलिए कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। उनकी तरफ ध्यान रखते हुए इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और उससे जुड़ा जो पशुधन है उसके रख-रखाव के लिए, उसको बचाने के लिए हमें कोई न कोई तौर-तरीका अख्तियार करना होगा। हमारी गलती हुई है, चाहे माने या नहीं माने, जब अच्छा वक्त होता है, अच्छी बरसात होती है उस वक्त राजस्थान प्रदेश में जब घास बहुतायत में हो, उस वक्त हमें फोडर बैंक बनाने चाहिएं। माननीय वृद्धिचन्दजी जैन ने जो सुझाव दिया था वह बहुत बढ़िया था, उस पर गौर किया जाना चाहिए। आइंदा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि तंगी का जब भी वक्त हो, हमारे पशुधन पर जो आपदा आए उससे निपटने के लिए सरकार के पास कोई न कोई साधन होना चाहिए।

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

भूख से मरने की बात कही जा रही है, हम नेक इरादों से अगर कोई बात कहें तो गम्भीरता से सरकार को भी उस पर सोचना चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक भावना से ऐसी बातें कही जाएं तो मैं कहता हूं कि वह सही नहीं है। आज मेरे खयाल से कोई ऐसा इंसान नहीं है जो रात को भूखे पेट सोता हो और ना ऐसी परिस्थितियां हैं। ऐसे हालात नहीं है। पशुओं के जरूर हैं क्योंकि पशु बेजुबान हैं। उनके हालात खराब हैं, उनके लिए हमें और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। पडोसी प्रदेश जो हैं, जिन्होंने हमारी मदद की है, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य भावावेश में कुछ बोल कर गये हैं कि पक्के काम एक भी सरकार ने किये हों तो बता दो। मैं कहता हूं कि इस क्रूर अकाल की छाती पर विकास के पक्के कामों की अगर किसी ने लकीरें खींचीं हैं तो वह अशोक गहलोत सरकार है, और वह धन्यवाद की पात्र है इस बात के लिए। इतिहास इस बात का गवाह रहेगा। पीछे विकास के नाम पर, अकाल राहत कार्यों के नाम पर कच्चे काम हुए, लेकिन जैसे ही अकाल गया वे काम कहीं दिखाई नहीं देते थे। राजकोष और जनता का पैसा जमीन पर दिखाई नहीं दिया करता था। लेकिन आज पक्के निर्माण कार्य हुए हैं, यह आप भी जानते हैं और सारा राजस्थान प्रदेश जानता है। मैं अकाल राहत मंत्री महोदय का धन्यवाद करते हुए उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन सरकारी मशीनरी आपके विकास के निर्माण कार्यों की कई जगह खिल्ली उड़ा रही है और इस पर नियंत्रण नहीं है। मैं पंचायत समिति सूरतगढ़ का निवेदन करना चाहूंगा, वहां लेबर ओरिएंटेड काम अलाट किये गये भवानीसर पंचायत को। वहां सरपंच रामस्वरूप और बी.डी.ओ. दोनों ने मिलकर डिग्गी निर्माण के कार्य जिसमें बी.पी.एल. और ए.पी.एल. के लोग लगने चाहिए थे, ठेके पर उठाये और फर्जी मस्टररोल तैयार किये। बी.पी.एल. के लोगों के नाम दिखाकर फर्जी अंगूठे लगाये गये और पेमेंट उठा लिया गया। लेकिन वास्तविकता में उसने यह काम ठेके पर दिया था। इसकी शिकायत हुई। बी.डी.ओ. जांच पर गया और सरपंच को साथ ले जाकर उस गांव के हरिजन लोगों को डराया-धमकाया गया, कि तुम इसके खिलाफ बयान क्यों देते हो। लेकिन वे लोग मजबूती से डटे रहे। यह एक उदाहरण नहीं है कि उस बीडीओ के क्षेत्र के अन्दर, बार-बार उस पर आरोप लगे हैं। मैंने आखिर पंचायती राज मंत्री के यहां सारे आरोप लिखकर दिये, लेकिन उस विकास अधिकारी का बाल बांका नहीं हुआ। यह बात बिलकुल सही है, हकीकत है। जो हकीकत है वह कहने में कोई संकोच नहीं है, गुरेज नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप खुशामद कर रहे हैं।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मैं खुशामद नहीं कर रहा हूं, न वह मेरी आदत है। वह आप सीखें, आपको मुबारक हो।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिला कलक्टर गंगानगर और अन्य कलक्टर्स को यह हिदायत फर्माएं कि इस तरीके से अगर कोई शिकायत उनकी नजर में आती है तो सख्ती से उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। बीकानेर के चारा डिपो पर पंजाब से जो चारा आता है उसकी मैंने जिला कलक्टर, बीकानेर और जोधपुर को पर्सनल शिकायत की है कि वहां जो आपूर्ति करने वाला स्टाफ लगा हुआ है वह बेईमानी कर रहा है। यह हकीकत है कि उन लोगों से जो चारा लेकर आते हैं, उनसे पैसा मांगा जाता है कि वरना हम आपके ट्रक को अनलोड नहीं कराएंगे। इस तरीके की जो शिकायतें हैं उनका निराकरण करना हमारा फर्ज बनता है। अगर विपदा के टाइम में लोग इस तरीके से बेइमानी करते हैं तो हमारे प्रबन्धन की तरफ लोगों को अंगुली उठाने का मौका मिलता है। इसलिए आप इस व्यवस्था को थोड़ा सा चुस्त-दुरुस्त फर्माएं।

पीने के पानी का जहां तक सवाल है, उसका सरकार की ओर से अच्छा प्रबन्धन किया जा रहा है। इसको और मजबूती से देखा जाना चाहिए और लोगों को जो भी राहत दी जा सकती है दी जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र छबड़ा पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है और जिला बारां है। बारां की जनसंख्या 10,22,568 है उसके अगेंस्ट में मात्र 55,373 मजदूर काम पर लगे हुए हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि 10 लाख में 55 हजार क्या मायने रखता है। इसी प्रकार सरकार कार्य खोलने में भी भेदभाव बरत रही है। बारां विधान सभा क्षेत्र में 361 काम खोले हैं, वहां 9991 लेबर है। किशनगंज-शाहबाद में 25027 लेबर है। बारां के अटरू में 7440 लेबर है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो बारां जिले का सबसे बड़ा क्षेत्र है, आबादी के लिहाज से 9575 लेबर है, काम खोले हुए हैं 360। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काम कितने पर्याप्त हैं और कितने पर्याप्त नहीं हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2,67,066 है, उसमें मात्र 360 कार्य खोले हुए हैं और 9,575 लेबर काम कर रही है। फिर हम गांवों को खुशहाल बनाने की बात करते हैं और अकाल के समय में उनकी मदद करने की बात करते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र और बारां जिले में जो अनुग्रह सहायता दी जा रही है किसानों और गरीब-असहाय लोगों को, 50 किलो गेहूं और 30 रुपए, मेरा आरोप है कि 30 रुपए मुझे कहीं नजर नहीं आते हैं और 50 किलो गेहूं कहीं-कहीं मिल रहा है। मैं अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस मामले में वे जांच

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

करवाएं, 50 किलो गेहूं तो मिल रहा है पर 30 रुपए नकद की बात कर रहे हैं, वह कहीं नहीं दिया जा रहा है।

इसी प्रकार छबड़ा में पशु शिविरों की बात कही गई है। छबड़ा में फलिया पंचायत में कडियाचोर गांव में पशु शिविर संचालित बताया है और उसमें 40 पशु बताये हैं। दूसरा छीपाबड़ौद तहसील में ग्राम पंचायत, राई के रावा खो में संचालित बताया है, उसमें 187 पशु बताये हैं। यह बिलकुल निराधार है, असत्य है। मैं चाहूंगा कि आप इसकी भी जांच कराएं।

आप एक तरफ तो अकाल की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप लोगो को रोजगार नहीं दे रहे हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले समय बारां और झालावाड़ जिले में अकाल के कारण, भूख के कारण मौतें हुई हैं। छजावा में तोलाराम माली की मौत, झालावाड़ के पृथ्वीपुरा में नवल गुर्जर की मौत, शाहबाद के सुवास में 9 बच्चों की मौत, यह आपके कुप्रबन्धन को दर्शाता है, आप द्वारा अकाल राहत कार्य नहीं खोलने और भेदभाव बरतने का ही नतीजा है।

गांवों में पेयजल की भी बहुत समस्या है। हमने बारां जिले में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से तो अकाल देखा है लेकिन सूखे से पहली बार अकाल देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि लोग जो कहते हैं वह सही है कि सन् 1956 के बाद पहली बार ऐसा अकाल है जो सूखे के कारण पड़ा है। हमने बरसात से, गीले से तो फसल नष्ट होती देखी है पर बरसात नहीं होने से इस वर्ष हमारी जो फसल खतम हुई है, जो जमीन पड़त रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ। लोग मर रहे हैं, पशुधन मर रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, इस तरह की हालत वहां पर बनी हुई है।

महोदय किसानों की जो बची-खुची फसल थी वह अभी 18 फरवरी को ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि के कारण करीब-करीब खतम-सी हो गई है, गेहूं-धनिया और अफीम की। इसलिए मेरी मांग है कि छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में जो 9,575 मजदूर लगे हुए हैं उनकी जगह संख्या बढ़ाकर कम से कम 50 हजार की जाए। मेरा क्षेत्र पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका बहुत कम है, बारां जिले की दो-ढाई तहसीलों में तो आप मैदानी इलाका या सिंचित इलाका कह सकते हैं, बाकी हमारे यहां डार्क जोन है, एक-एक हजार फुट नीचे तक पानी नहीं है। आप मेहरबानी करके मजदूरों की सीलिंग को बढ़ाकर 50 हजार करें। मेरे यहां ट्राइबल के लोग ज्यादा बसते हैं, मीणों और भीलों की ज्यादा बसती है, शिड्यूल्ड कास्ट की ज्यादा बस्ती है इसलिए आप मेहरबानी करके यह सीलिंग बढ़ाएं।

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

दूसरा, मैं आपका ध्यान पेयजल की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस वर्ष कम बरसात होने की वजह से छबड़ा और छीपाबड़ौद तहसीलों में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। छबड़ा शहर में जहां 22 हजार से अधिक जनसंख्या है, वहां तो दो दिन से एक समय पानी दिया जा रहा है। सुन रहे हैं, मंत्रीजी?

डा. सी. पी. जोशी (नीति निर्धारण मंत्री) : बैठे हुए हैं वह।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : आप किधर देख रहे हैं?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मेरा ध्यान उधर भी है और आपकी तरफ भी है।

श्री सभापति : ध्यान है, आप बोले जाओ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : छबड़ा शहर में दो दिन में एक समय पानी दिया जा रहा है। छीपाबड़ौद कस्बा जो छबड़ा विधान सभा क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा कस्बा है, वहां पानी की सप्लाई टैंकरों के माध्यम से हो रही है, वह भी अव्यवस्थित है। टैंकरों की संख्या का पता नहीं है कि किस मोहल्ले में कितने टैंकर चले जाते हैं। कभी किसी मोहल्ले में पहुंचते हैं, कभी किसी मोहल्ले में नहीं पहुंचते हैं। स्थिति यहां तक बन गई है कि लोग टैंकरों को रोककर पानी लूटने लग गये हैं। यही हाल मेरे क्षेत्र के दूसरे कस्बों, सारथल एवं हरनावदा शाहजी का है, यहां के लिए भी पानी के टैंकरों की व्यवस्था कराया जाना आवश्यक है।

मैंने मेरे फण्ड से जो ट्यूबवैल लगवाया था उसमें बहुत कम पानी है, उससे पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो सकती। हरनावदा शाहजी की जनसंख्या करीब 9 हजार है, सारथल की जनसंख्या करीब साढ़े छह-सात हजार है। कई गांवों की स्थिति ऐसी है कि जहां दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। मैं कुछ गांवों के नाम भी आपके सामने निवेदन करूंगा, छीपाबड़ौद तहसील के देवरी मूण्ड, बिसलाई, बामनखो, झामर्‌या, बावड़ी, खेड़ा, दोबड़ा, मोतीपुरा माल, मोतीपुरा कलां, माधोपुर, सीजन्या, कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी के लिए दो-दो-तीन-तीन किलोमीटर तक लोगों को जाना पड़ता है। एक सूरड़ी गांव है उसको तो अण्डेरी नदी से पानी लाकर पीना पड़ रहा है। यही हालत छबड़ा तहसील की है। छबड़ा तहसील के कुछ गांवों के नाम मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं-नारायणपुरा, कैसौली, कछावन, उमरथाना, बामला, टहलनी, पीपल्या, सरहद चौकी, बटावड़ा, मोतीपुरा, खान्याखेड़ी, गांगियाखेड़ी, गोवर्द्धनपुरा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अच्छा होगा एक सूची बनाकर मंत्री महोदय को दे दें। यह सुविधाजनक होगा, और वे आपके सुझावानुसार काम कर लेंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : साहब, यह पढ़ना जरूरी है। नाम याद नहीं रहेंगे, नाम तो मैं पढ़कर ही बोलूंगा, वरना भूल जाऊंगा और गलती हो जाएगी।

श्री सभापति : मंत्री आपके सुझावों से काम कर लेंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नाम तो मैं पढ़कर ही बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बोल रहे हो, कभी-कभी वे गांव छूट जाते हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : बोलने से चूक जाऊंगा, कोई नाम छूट जाएगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी-कभी गांव छूट जाते हैं, आप सूची दे देंगे तो उनके लिए सुविधा रहेगी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इसके साथ-साथ मैं निवेदन करूंगा कि अप्रैल में विधायक कोटे से और अकाल राहत कोटे से कैटल ट्यूबवैल और हैण्ड पम्प के लिए जो पैसा दिया गया था, वे भी अभी तक चालू नहीं किये गये हैं। कहीं-कहीं तो हैण्ड पम्प भी नहीं खोदे गये हैं। जहां खोद दिये गये हैं वहां इंस्टालेशन नहीं हुआ है। चारे की वहां पर बहुत कमी है, पशुधन लोगों ने आवारा छोड़ दिया है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि छबड़ा और छीपाबड़ौद में कम से कम 5-5, 6-6 सैक्टर बनाकर चारा डिपो खोले जाएं, किसानों को सब्सिडी ज्यादा से ज्यादा दी जाए जिससे किसानों को सस्ती दरों पर चारा मिल सके।

यही हाल बिजली का है। कई गांवों में बिजली के पैसे जमा कराने पर भी ट्रांसफार्मर नहीं दिया जा रहा है। लोगों की फसलें सूख रही हैं। ट्रांसफार्मर लेने जाओ तो ऊपर से नीचे तक पैसा देना पड़ता है। 10 या 5 हजार रुपया जब तक नहीं दो, ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है, यह स्थिति हमारे क्षेत्र में है। कई जगह ट्रांसफार्मर जले हैं उनको बदला नहीं जा रहा है। एक तरफ तो गांव में बिजली नहीं है, दूसरी तरफ शहरों में हाइमास्ट लाइटें लगायी जा रही हैं। कोटा के एक चौराहे के सौन्दर्यकरण के लिए एक करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है।

पी.डब्ल्यू.डी. और सिंचाई के जो काम मेरे क्षेत्र में चल रहे हैं उनकी चैकिंग पर्याप्त नहीं है। सोइल कंजर्वेशन के काम का तो भगवान ही मालिक है। मजदूरों का मेडिकल चैक-अप कभी नहीं हुआ। राहत कार्यों पर झगड़े हो रहे हैं। मेरे खुद के क्षेत्र में 5-7 जगह झगड़े हुए हैं और एक जगह तो फायरिंग हुई है। बंदूक चली है, बंदूक से ग्राम सेवक के छर्रे लगे हैं। छर्रे लगने के बाद ग्राम सेवकों ने हड़ताल की, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते हैं, उनका निपटारा नहीं करते हैं, इस वजह से वहां पर कई जगह कार्य चालू करने में बहुत ही तकलीफ आ रही

(श्री प्रताप सिंह सिघंवी)

है। एस.डी.ओ. तहसीलदार पर, तहसीलदार कानूनगो पर, कानूनगो पटवारी पर डाल देता है। पुलिस उनका साथ देती नहीं है। इस तरह वहां पर कभी भी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है।

अकाल के सम्बन्ध में सबसे बड़ा दु:ख का विषय यह है कि हालांकि राज्य सरकार की तरफ से एक परिपत्र जारी किया हुआ है कि जो भी विधायक किसी अधिकारी को चिट्ठी लिखेगा उसका जवाब वो उनको जरूर देंगे। (व्यवधान) पर मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने किसी भी लेवल पर जिला अधिकारी से लेकर डिविजनल अधिकारी, यहां जयपुर तक अधिकारियों को अकाल के सम्बन्ध में चिट्ठी लिखी, आज तक मुझे एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं मिला। और बातों को तो छोड़िये आप, कोई ट्रांसफार्मर खराब हो गया उसकी चिट्ठी लिखी, उसका जवाब नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन अकाल से सम्बन्धित जो सुझाव मैंने लिखे हैं और इस बारे में जो बातें मैंने उनको कहीं, क्योंकि जितनी आप और हम अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से परिचित हो सकते हैं उतने अधिकारी नहीं हो सकते, उनके बारे में आज तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि अधिकारियों को निर्देश दें कि विधायक कोई भी पत्र लिखें अकाल से सम्बन्धित, तो उनको जरूर जवाब दें।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि गांव में लाइट देने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि 7 या 8 बजे बाजार बन्द हो जाएंगे और 9 बजे के करीब हाइमास्ट लाइटें बन्द कर दी जाएंगी। लेकिन कोटा डिवीजन में देखने में यह आया है, मैं कोटा में भी रहता हूं, मेरे गांव में भी रहता हूं, बारां जिला हैडक्वार्टर पर भी मैं जाता हूं जहां सोडियम लाइटें भरपूर लगी हुई हैं, कि वहां हाइमास्ट लाइटें मात्र कमीशन खाने के लिए जबर्दस्ती लगा दी गई हैं और वो रात भर जलती रहती हैं।

अभी संयम लोढ़ा साहब कह रहे थे कि हमारे मुख्य मंत्रीजी बहुत सादगीपूर्ण हैं और सोनियाजी माउंटआबू में आईं तो बहुत सादगी से फंक्शन निपटाया। अशोक गहलोतजी जो माननीय मुख्य मंत्री हैं, उनकी शायद नजर में होगा कि वे कैसे फिजूलखर्ची बचाने की बात कर रहे हैं, इस अकाल के समय में कोटा के सौन्दर्यकरण के नाम पर एक करोड़ रुपया एक चौराहे पर खर्च किया जा रहा है। हाइमास्ट लाइटें मात्र कमीशन खाने के लिए लगायी जा रही हैं। बारां के बेसहारा मजदूर लोगों को उजाड कर सड़कें चौड़ी की जा रही हैं इस अकाल के समय में। इस तरह की काफी बातें मैंने आपके सामने निवेदन की हैं, विशेष कर मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में मैंने आपको कहा है।

एक और बात जो मेरे सामने आयी है वह है रोस्टर की बात, कि रोस्टर का सही

(श्री प्रताप सिंह सिघंवी)

ढ़ंग से पालन नहीं हो रहा है। रोस्टर में गड़बड़ी हो रही है, वही लेबर नाम बदल कर या उसी नाम से वापस लगा दी जाती है। आप 10 दिन मजदूरी देने की बात करते हैं, 10 दिन आप मजदूरी नहीं दे रहे हैं। मजदूरी दे रहे हैं 9 दिन, क्योंकि सण्डे के दिन काम नहीं होता, सण्डे के दिन काम बन्द रहता है। इसी प्रकार पी.डब्ल्यू.डी. और इर्रिगेशन के काम चल रहे हैं। इन पर किसी जगह 15 काम खोल दिये, किसी जगह 10 काम खोल दिये और एक जे.ईएन. की ड्यूटी लगा दी। वह जे.ईएन. न तो ढंग से गड्ढे नाप सकता, न पेमेंट कर सकता। इसी प्रकार हमारे यहां इस फरवरी माह में जितना गेहूं मजदूरों के लिए मिलना चाहिए था उतना राज्य सरकार ने आबंटित नहीं किया है। मैं चाहूंगा वह गेहूं भी तुरन्त आबंटित करें ताकि मजदूरों को समय पर पेमेंट हो सके।

दूसरी एक बात और सामने आयी है कि जो मेट लगाये जा रहे हैं ये मजदूरों से 5-5, 10-10 रुपये रिश्वत लेकर मजदूर लगाते हैं। आप मेरे क्षेत्र में सर्वे करवाएं, किसी इंडिपेंडेंट अधिकारी को भेजिए, कई जगह शिकायत मिल जाएगी कि मेट को 5 रुपये देकर मजदूरी पर लगे हैं, मेट को 10 रुपये देकर मजदूरी पर लगे, गेहूं में एक किलो कम दिये। इस प्रकार की काफी शिकायतें हैं। मैं खुद हमारी पार्टी का प्रोग्राम था "गांव चलो अभियान", उसमें घूमा हूं और मुझे शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप इस पर गौर फर्माएं और इसकी भी कोई व्यवस्था करें।

सोइल कंजर्वेशन के काम का तो भगवान ही मालिक है। यह डिपार्टमेंट तो मेरे खयाल से ऊपर से ही उतरा है, इसका कोई धणी-धोरी नहीं दिखता। ये कहां काम चालू करते हैं, कब बन्द कर देते हैं, कितनी लेबर लगाते हैं, इसका किसी को कोई मालूम नहीं है। इसी प्रकार मजदूरों का मेडिकल चैक-अप होना चाहिए, मेडिकल चैक-अप नहीं होता है। डाक्टर समय पर वहां नहीं पहुंचते हैं। उनकी पेयजल की और दूसरी सुविधाओं का जहां वे काम करते हैं, साइट पर अभाव है।

इस प्रकार की जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं उनके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जवाब देते समय सबका खुलासा करें। विशेष कर मेरे क्षेत्र के बारे में जहां भाई-भतीजावाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ किशनगंज-शाहबाद में 25,027 लेबर है, और दूसरी तरफ मेरे यहां जो बारां जिले का सबसे बड़ा क्षेत्र है, 2 लाख 60 हजार से अधिक की आबादी है, वहां 9,575 मजदूर हैं। यह भेदभावपूर्ण नीति है जिसके लिए, मंत्री महोदय, मैं आपसे उम्मीद नहीं करता। आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी बुजुर्गीयत की कद्र करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह भेदभावपूर्ण रवैया जो वहां के प्रशासन ने अपनाया है या किसी

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

कारणवश गलती की है, इसको आप दुरुस्त फर्माएंगे और मेरे क्षेत्र में लेबर सीलिंग कम से कम 50 हजार की करेंगे। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री ज्ञानदेवजी आहूजा।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मेरा नाम है।

श्री सभापति : इसके बाद कर लेना आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बोलें। माननीय सदस्य, आप आपस में तय कर लें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दो दो ज्ञान हैं यहां। आपके पास तो कोई ज्ञान है नहीं, यहां तो ज्ञानवान दो-दो लोग हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, यह परिचय है दोनों ही ज्ञान का।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) **:** माननीय सभापतिजी, राजस्थान में लगातार चार साल से अकाल है, या यों कह दें कि जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से लगातार अकाल पड़ रहे हैं। इसके लिए जिम्मेवार भी आप हैं। जब जब भी आपका शासन आया, अकाल की काली छाया राजस्थान के ऊपर गिरी और राजस्थान की जनता ने इसकी पीड़ा भोगी, दु:ख भोगा। ऐसे अकाल में सरकार को जो राहत कार्य करने चाहिए, जनता के प्रति जो जिम्मेवारी निभानी चाहिए उसमें भी आप बिलकुल असफ़ल रहे हैं। भले कितनी भी हांक लें, आप कितनी ही बातें कर लें, पर यह सच्चाई है, यह हकीकत है कि न आप गांवों में जाएंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे और खुद आत्मचिन्तन करेंगे तो आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि राहत के नाम पर आपने नाम मात्र का काम किया है। जनता बहुत ज्यादा पीड़ित है, दु:खी है। वैसे आप बात कर लें कि धन का अभाव है, पैसे नहीं हैं, लेकिन जो जिम्मेवारी आपकी बनती है जनता के प्रति, यह बात कहकर आप उस जिम्मेवारी से बच नहीं सकते हैं। मान्यवर, यदि अब भी सरकार की नीयत साफ हो, मानसिकता ठीक हो और राहत के कार्यों से राजनीति को दूर कर दें तो जनता को कुछ राहत मिल सकती है। कहते हैं कि धन अर्जित करना मुश्किल नहीं इसमें ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं बल्कि अर्जित किये हुए धन का सही तरीके से उपयोग करना ज्यादा मुश्किल काम है। उसमें ज्यादा अक्ल भी चाहिए। पर इन दोनों मामलों में आप फेल हुए हैं। न तो आप जनता के लिए पैसे अर्जित कर सके, चाहे किसी योजना के तहत और न ही जो पैसे आपको केन्द्र सरकार ने दिये या आपके अपने हैं उसको जनता के हित में सही रूप से लगा सके। यदि आप सही रूप से लगा

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

देते तो इस संकट के समय भी जनता को कुछ राहत मिल सकती थी। लेकिन जनता को कुछ हासिल नहीं हुआ।

मेरा क्षेत्र है पाली, वैसे पूरे राजस्थान में अकाल है लेकिन आपके पास आंकड़े हैं कि पाली जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। पाली जिले में भी जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है, जिसमें रोहिड़ पंचायत समिति लगती है वह क्षेत्र और भी ज्यादा प्रभावित है। आपने ख़ुद ने माना है, 49 तहसीलें आपने चयनित की थी जो ज्यादा अभावग्रस्त हैं, उस सूची में भी रोहिड़ तहसील का नाम है। लेकिन ज्यादा मजदूर लगाने के लिए आपने वहां कोई व्यवस्था नहीं की। पूरे जिले की आबादी है साढ़े 18 लाख, साढ़े 3 लाख परिवार अकाल से पीड़ित हैं, ग्रस्त हैं और आपने मजदूर स्वीकृत किये मात्र 54 हजार। 54 हजार में भी अभी मुश्किल से 45 हजार से ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्यों आपने नियम बना दिया कि 60 प्रतिशत एस.सी., एस.टी., बी.पी.एल. लगेंगे। कई गांवों में मस्टररोल अभी भी खाली रह रहे हैं, आज की अकाल की स्थिति में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बी.पी.एल. श्रेणी में नहीं आता हो। लगातार चार साल का अकाल है, चार साल में खेती नहीं, फसल नहीं। हमारे गांव की ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई आदमी इतना लम्बा समय अपने पहले के बचे हुए पैसे से निकाल सके। जब रोजगार की आवश्यकता है तो आपने यहां भी राजनीति करदी, एस.टी.एस.सी.बी.पी.एल. और उच्च वर्ग को, सवर्ण वर्ग को अलग अलग कर दिया। अकाल तो आधा बीत गया, आधा बीत जाएगा लेकिन जो गांव में आपने इसके माध्यम से झगड़ा पैदा किया, ये जो दूरियां आपने बढ़ाईं, इसको पाटने में बहुत लम्बा समय लगेगा। मेरा अब भी आपसे निवेदन है कि आप समय सीमा बढ़ाएं और बेवजह के जो नियम लागू कर दिये हैं उनको आप समाप्त करें। जिस परिवार को काम चाहिए उस परिवार के एक व्यक्ति को महीने में मात्र 10 दिन का काम दे दें तो तीन महीने अकाल के वह निकाल देगा और उसमें ज्यादा लेबर भी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको अपनी नीयत ठीक करनी होगी, वरना गांव की दूरियां, गांव के ये बैर समाज को खोखला कर देंगे। माननीय मंत्रीजी, गांव में तो यह संकट चल ही रहा है, हमारा दुर्भाग्य है कि शहर भी संकट को भोग रहा है। पाली शहर में कुछ वार्ड ऐसे हैं जो नगर परिषद् सीमा का जब विस्तार हुआ था तो शहरी आबादी क्षेत्र में आ गये। ऐसे चार वार्ड हैं, आपने तृतीय श्रेणी की नगरपालिकाओं को यह अधिकार दे दिया कि अकाल राहत कार्य वहां खोल दिये जाएं। लेकिन जो बड़ी नगरपालिकाएं हैं, नगर परिषदें हैं, जहां के लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, इतना समय

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

बीत जाने के बाद भी आपने अभी तक कुछ नहीं किया। मेरे क्षेत्र का उदाहरण दे रहा हूं, हेमावास बांध पाली शहरी सीमा में स्थित है और उसके बिलकुल बाजू में मानपुरा गांव है, बिलकुल चिपता मानपुरा गांव है और थोड़ा आगे मंडिया गांव है जो नगर परिषद् की सीमा में है। हेमावास बांध की सफाई का काम चल रहा है। मानपुरा-मंडिया के लोग काम पर जाना चाहते हैं पर उनको काम पर नहीं लगाया जाता। 20 किलोमीटर दूर गांव है हेमावास, जियारामासिया, वहां के मजदूरों को पकड़ पकड़ कर लाते हैं और जबरन उनको काम पर लगाया जाता है, जबकि बिलकुल बाजू में बैठे हैं। उस बात को लेकर झगड़ा हो गया, पाली में प्रदर्शन हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों, सुनवाई अभी तक नहीं हुई। लोयला बांध की भी अभी सफाई का काम माननीय जिला कलक्टर महोदय स्वीकृत कर रहे हैं, लेकिन वहां भी लेबर बाहर से आएगी। इस तरह गांव और शहर के बीच में आप झगड़ा पैदा कर दोगे वहां की लेबर तो लगेगी नहीं और बाहर की लग जाएगी। अब बहुत कम, तीन-चार महीने और बचे हैं, इस समय के लिए भी आप शहरी क्षेत्र में कुछ काम खोल दें ताकि वहां की जनता जिसको रोजगार की आवश्यकता है, उस जनता को भी काम मिल जाए।

आपने बीच में कुओं को पक्का कराना, कुएं खुदवाना, निजी मकान बनाना, टंकी बनवाना, इस बारे में अखबारों में बहुत बड़े-बड़े आर्टिकल छपवाये थे, न्यूज भी बहुत बड़ी बड़ी आई थी। लेकिन मैं आपको सचेत कर दूं कि मेरे पूरे क्षेत्र में ऐसा एक भी काम स्वीकृत नहीं हुआ। वह इसलिए नहीं हुआ है कि पाली का जो रोहिड़ क्षेत्र है वह डार्क जोन है। उसके बाद में जब अकाल राहत समिति की बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया और राज्य सरकार को निर्णय भिजवाया। राज्य सरकार ने स्वीकृति दी उसके पहले ही बाकी कुए स्वीकृत हो चुके थे तो 200 का टारगेट पूरा समाप्त हो गया। कहीं भी मकान की परमिशन आप लोगों ने दी, उसकी मजदूरी का भुगतान मात्र गेहूं के रूप में आपको करना था। जो योजना आपने बनाई इस योजना को बहुत ज्यादा आपने प्रचारित किया, जितना लाभ लेने का प्रयास आपने किया, थोड़ा लाभ जनता को भी पहुंचा दो। मात्र आप ही लाभ लेना मत चाहो, थोड़ी राहत जनता को मिल जाए, लाभ जनता को मिल जाए, इस बात का प्रयास भी आप करें। मेरा मतलब यह है कि आप अकाल राहत में लेबर बढ़ाएं और जो आपने ये नियम बना दिये हैं ये व्यावहारिक नहीं हैं, उनको आप ठीक करें, दुरुस्त करें ताकि हर व्यक्ति को काम मिल जाए।

(18.00 बजे)

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में पानी का बहुत बड़ा संकट है, माननीय जलदाय मंत्रीजी इस

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

बात को मानते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी इस बात को मानते हैं। पर मानने के बाद भी ऐसा अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं किया...

श्री माधव सिंह दीवान (महिला एवं बाल विकास मंत्री) **:** वह पाइप लाइन लग रही है न जोधपुर से।

श्री ज्ञानचन्द पारख : आप कह दो लग गई, मैं मान लूंगा। चलो, मैं बैठ जाता हूं अभी। आप यह बात खड़े होकर कह दो कि पाली तक पाइप लाइन लग रही है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।

श्री माधव सिंह दीवान : रोहिट तक लग रही है न।

श्री ज्ञानचन्द पारख : वहां भी आपने झगड़ा पैदा किया। रोहिट और पाली में भी आपने लड़ाई करवा दी। मांग पाली तक थी। मंत्रीजी कह दें, खड़े होकर कि लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठ जाऊंगा, आपकी बात मानकर बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें, वो तो माननीय मंत्री जी बैठे बैठे ही बोल रहे थे। आप तो अपनी बात कहें।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। यही बात माननीय मंत्रीजी खड़े होकर बोलें, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप तो अपनी बात कहें, उसका जवाब नहीं दें।

श्री ज्ञानचन्द पारख : पुराने भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो जिस पाइप से, चाहे पुराना हो और भी पुराना हो, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सभापति : उनकी बात का जवाब मत दो, आप तो अपनी बोलें।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मान्यवर, पानी का बहुत बड़ा संकट हमारे क्षेत्र में है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पाली शहर पूरे राजस्थान में एकमात्र ऐसा शहर होगा जो इस संकट को सबसे ज्यादा झेल रहा है। मंत्रीजी ने खुद कहा था कि मैं बहुत चिंतित हूं। अभी दो दिन पहले मैंने शून्यकाल में यह बात मंत्रीजी को बतायी थी तो मंत्रीजी ने खुद कहा कि मैं बहुत चिंतित हूं और मैं कुछ करूंगा। मान्यवर, पानी का इतना संकट है कि एक बार अपने अधिकारियों को भेजकर पाली की सड़कों का दृश्य दिखाओ। पानी के टैंकर समाजसेवी संस्थाएं चला रही हैं वो ही मीठे पानी की आपूर्ति कर रही हैं, वरना जो पानी जलदाय विभाग दे रहा है, वे यह खुद मानते हैं कि यह पानी पीने योग्य नहीं है। फिर भी यह वितरित कर रहे हैं। जो पीने का पानी है वह पाली की समाजसेवी संस्थाएं अपने स्तर पर प्रयास करके पाली के हर गली-मोहल्ले में बंटवा रही हैं। उसका नजारा यदि आप देख लें तो जहां से टैंकर शुरू होता है वहां

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

से लोगों की भीड़ मटके लेकर उसके पीछे भागती है और जहां टैंकर रुकता है वहां टूंटी खोलकर पानी भरने का प्रयास करती है। एक नहीं, कई झगड़े हो गये, कई मुकदमे हो गये। कई ट्रैक्टर वालों की पानी को लेकर पिटाई भी हो गई। अभी तो थोड़ी सर्दी है, यदि समय रहते सरकार ने कुछ नहीं किया तो ज्यों ही गर्मी चालू होगी, संकट बढ़ेगा, आवश्यकता बढ़ेगी और पाली को सम्भालना सरकार के लिए भारी पड़ जाएगा। इतना आक्रोश पाली की जनता में सरकार की अनदेखी को लेकर है। मैं पुन: जलदाय मंत्रीजी से इस चर्चा के माध्यम से बात करूंगा। आपने बहुत उपकार किया कि रोहिट तक पानी दे दिया, चाहे जैसे भी दिया। मजबूरी में दिया, कैसे भी दिया, पर आपने दिया। यह रोहिट की जनता पर आपका उपकार है। रोहिट से खारड़ा तक पाइप लाइन का जो प्रस्ताव है, मात्र 11 किलोमीटर है। वहां के अधिकारियों ने योजना आपके पास भेज दी है, मात्र 11 किलोमीटर है, बहुत लम्बा चौड़ा काम नहीं है। अगर यह योजना आप स्वीकृत कर दो और बहुत जल्दी लागू करवा दो तो हो सकता है कि पाली की जनता इन तीन महीनों को ठीक ढंग से निकाल सके। ट्रेनों से भी पानी आ रहा है तो वह तो आपकी मेहरबानी नहीं है, वह तो केन्द्र सरकार की मेहरबानी है। विशेष तौर से महामहिम उप राष्ट्रपतिजी ने विशेष प्रयास करके दो ट्रेनें अतिरिक्त दिलवाईं, वरना और भी हालत खराब होती।

आप यह भी कह रहे हैं कि टैंकों द्वारा गांव गांव में पानी का वितरण कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति मात्र 10 लीटर पानी ही आपके नार्म्स में आता है, अब 10 लीटर पानी में क्या वे अपना गुजारा कर सकते हैं? जैसे तैसे अपना गुजारा कर भी लें तो गांव में जितने व्यक्ति हैं उनसे दुगने पशु हैं, उनको भी पीने के पानी की आवश्यकता होती है। उनका पानी आप कैसे दोगे जब आपके नार्म्स में है कि 10 लीटर से पानी ज्यादा मत दो? इस सीमा को आप बढ़ाएं। जहां आपकी पाइप लाइन नहीं जाती है, जहां आपकी जलदाय योजना नहीं हो या और कोई योजना नहीं हो, वहां प्रति व्यक्ति 10 लीटर से 30 लीटर पानी दें ताकि व्यक्ति को भी मिल जाए और साथ में जानवर को भी मिल जाए। यह व्यवस्था भी करने का माननीय मंत्रीजी से मेरा आग्रह रहेगा।

मान्यवर, चारा डिपो भी कोई सरकार के भरोसे नहीं चल रहे हैं, यह पाली जिले में आप देख लें। सरकार ने अपने स्तर पर जो चारा डिपो चलवायें हैं, पंचायत समितियों में, और दूसरी संस्थाओं, समाज सेवी संस्थाओं को छोड़ कर, वे बीच में बन्द करने पड़े। चाहे पशु शिविर हों, वे भी बीच में बन्द करने पड़े। ये तो पाली की समाजसेवी संस्थाएं हैं, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संकट के समय में पशुधन को बचाने के लिए अपनी ओर से प्रयास किये। पर मैं आपसे चाहूंगा कि जो अनुदान देने

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

की आपकी प्रक्रिया है उसको थोड़ा सरल करें ताकि जो समाजसेवी संस्थाएं इस संकट के समय पशुधन को बचा रही हैं, उनको अनावश्यक परेशानी नहीं हो। ये मेरे बहुत मामूली आग्रह थे, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में अकाल के ऊपर गम्भीर चर्चा हो रही है। हालांकि इस विषय पर गत सत्र में 29 अगस्त को भी सदन में हमने चर्चा की थी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी हमने इस पर चर्चा की। आज जो चर्चा प्रातःकाल से इस सदन में हो रही है, अच्छा होता जो सरकार ने अपना यह पत्र दिया है, उसको लेकर हम आज चर्चा करते। तो कुछ निर्णायक स्थिति में हम पहुंचते।

मान्यवर, अकाल एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने अपनी सोच से पता लगाया है कि भारतवर्ष में 30 और 40 वर्ष बाद अकाल पड़ता है। "फेमिन साइकल्स इन इण्डिया" करके एक पुस्तक है उसमें देखा है, 56 का अकाल, 96 का अकाल, 26 का अकाल और 59 का अकाल, इन चारों अकाल के समय का अध्ययन करें तो फेमिन में 9 वर्ष, 27 वर्ष इस तरह की साइकल चलती है। यह प्राकृतिक प्रभाव है उसका परिणाम है। अच्छा होता कि हमारी सरकारें, जो भी हों, अध्ययन करके इस अकाल के स्थायी समाधान के लिए चिंतन करतीं और हमेशा के लिए सोचतीं। 56 के अकाल में जिस तरह से मानव की क्षति हुई, 96 और 26 के अकाल में हम बचा पाये। आज के सन्दर्भ में जब हम इस युग में रह रहे हैं, आज देश में हरित क्रांति हुई है, अन्न के विपुल भण्डार हैं, फिर हमारे कुछ साथी कहें कि अकाल से मानव क्षति हुई, कोई मर गया तो मुझे लगता है कि यह अतिशयोक्ति है। ऐसा कहना उचित नहीं है न तो राज्य के लिए, न राष्ट्र के लिए। राष्ट्रहित में कृपा करके ऐसी चर्चाएं नहीं करें कि भारतवर्ष में भूख से कोई इंसान मर गया। भारतवर्ष की संस्कृति है की कि हम कोई मेहमान भी आता है तो पहले उसको खिलाकर फिर खाते हैं। जब इस सरकार ने वादा किया कि सूचना आपकी काम हमारा, ग्राम स्तर पर तक जब सरकार ने अनाज की व्यवस्था कर दी, हर गांव में अनाज पहुंचा दिया, फिर भूख से कोई मर जाए तो मुझे लगता है कि हमारे गांव में मानव नहीं रहते। हमको इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा।

महोदय, अकाल की राजस्थान में बड़ी गम्भीर स्थिति है, विशेष कर मेरे जिले में। अभी मेरे साथी कह रहे थे कि पाली जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, मैं कहूंगा कि

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

जैसलमेर सबसे अधिक प्रभावित है। उसका कारण है कि त्रिकाल है। सबसे बड़ा अकाल का प्रभाव है पशु पर। जहां घास नहीं है। मेरे जिले में एक मनुष्य के पीछे 6 पशु हैं। यदि पांच लाख जनसंख्या है तो 30 लाख की पशु संख्या है। तो सबसे बड़ा हमारा संकट है जो कहीं पर नहीं है, वह पशु बहुल क्षेत्र में है न कि कृषि प्रधान क्षेत्र में। जो कृषि प्रधान क्षेत्र हैं उनमें तो केवल मनुष्यों को ही श्रम से उपार्जन करके अपना पेट पालना होता है, पर हमारे क्षेत्र में, विशेष कर पश्चिमी राजस्थान और जैसलमेर में एक व्यक्ति यदि मजदूरी करके 50 रुपये ले जाता है तो खुद के परिवार के साथ में छह पशुओं को भी पालने का उसका दायित्व है, जिम्मा है, जिससे वह अपने अर्थतंत्र को बचा पाए।

वर्षा का जैसा औसत आया, मेरे जिले में केवल 29 एम.एम. पानी पड़ा है। अब कल्पना कीजिये, 29 एम.एम. पानी से हम कहां पहुंच पाएंगे। राज्य सरकार ने अभावग्रस्त घोषित किया कि यह नेशनल कैलेमिटी है। केन्द्र सरकार की चर्चा आई, अच्छा होता, इसको राज्य का विषय न बनाकर राष्ट्रीय आपदा घोषित करते तो केन्द्र और स्टेट का झगड़ा है, वह प्रायः समाप्त हो जाता। नेशनल कैलेमिटी के माध्यम से हम पूरे अकाल से कैसे लड़ा जाए, अकाल के लिए कैसी व्यवस्था की जाए, केन्द्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसकी व्यवस्था कर पाते।

महोदय, हम फेमिन कोड से प्रभावित हैं। सन् 1885 का फेमिन कोड है, आज बकरी और भेड़ की चर्चा की गई, उस फेमिन कोड में पशु में केवल गाय और भैंस की व्यवस्था है। अच्छा होता, देश की 53 वर्ष की आजादी के बाद यदि हम फेमिन कोड को अमेंड करके नया राष्ट्रीय फेमिन कोड बनाकर उसको लागू करते। मुझे लगता है कि जो भी पशु हैं, आज जैसे मेरे जिले में करीबन 20 लाख भेड़ें हैं, वे सारी मध्य प्रदेश, पंजाब, चारों तरफ चली गईं। हमारी गाय का अर्थतंत्र भी समाप्त प्रायः हो गया क्योंकि बैल का निष्कासन नहीं हो रहा, बैल की कीमत नहीं हो रही है। तो भेड़ पालक ही हमारा आर्थिक आधार बन चुका है, लेकिन फेमिन कोड के कारण वह पशु जो भेड़-बकरी है, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा होता कि इस 1885 के फेमिन कोड की व्यवस्था बदल कर हम उसको कुछ आगे करते।

अकाल के वित्तीय प्रबन्धन के बारे में चर्चा हुई, मैं भी बीच में सुनता रहा कि किस तरह से केन्द्र सरकार ने पैसा दिया है। पर जो पुस्तक हमें मिली है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि सी.आर.एफ. 228 करोड़ रुपये 1.4.2002 से हमारे बकाया थे, उसमें से केन्द्र सरकार ने 150.30 करोड़ रुपये गत वर्ष में समायोजित कर दिये। इस तरह से जो बचत 77.91 करोड़ हमारे पास रही 30 जून तक, 10 करोड़ इसमें से

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(18.12 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

समाप्त कर चुके। तो 67.91 करोड़ को लेकर हमने फेमिन शुरू किया है, छह महीने फेमिन के निकल गये, तीन महीने आगे हैं। केन्द्र सरकार ने जो भी मदद दी है, जो भी आंकड़े दिये हैं, इस पुस्तक में समायोजित हैं कि किस तरह से हम एक चौथाई मटीरियल कम्पोनेंट से आगे रहे। पर जो मजदूरी का हम पैसा देते हैं अनाज के बाद में, कैसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, उस ओर भी केन्द्र सरकार को जिम्मा लेना चाहिए। वे लोग यह कहें कि हम अनाज देते हैं, अनाज से पूरा फेमिन नहीं लड़ा जा सकता। जो आर्थिक संयोजन है फेमिन का, उस ओर केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। केन्द्र के पास जो पैसा है फैडरल स्ट्रक्चर का, वह सारा पैसा राष्ट्रीय पैसा है, देश का पैसा है और हर इंसान का हक है कि उस पैसे पर अपना अधिकार जमाए। और अकाल के समय में पहला अधिकार उनका होता है जो पीड़ित हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से राज्य सरकार ने पैसा मांगा था 7000 करोड़ रुपये और अभी 4000 करोड़ रुपये की आगामी तीन महीने की मांग है, उस ओर हम सारे हाउस से मिलकर एक प्रस्ताव पास करें कि केन्द्र सरकार उस राशि से मदद दे इसको राष्ट्रीय आपदा मानते हुए।

मान्यवर, 15.2.2003 तक के जैसे हमें आंकड़े मिले हैं, राज्य सरकार ने 335 करोड़ रुपये खर्च किये हैं और 11.66 करोड़ रुपये गौशालाओं को प्राप्त हुए हैं। कल चर्चा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि केन्द्र सरकार की जो नीति है कि सीधे ही गौशालाओं को पैसा दें, कृपया इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि दो व्यवस्थाएं हैं। मेरे जिले में 22000 पशु गौशालाओं में राज्य सरकार की व्यवस्था से चल रहे हैं जिला प्रशासन के माध्यम से, अन्य जिलों में यदि सीधा पैसा गौशालाओं को देते हैं तो यह दोहरी नीति हो जाएगी। इस ओर भी केन्द्र सरकार को विचार करना चाहिए कि यह दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए।

वित्तीय प्रबन्धन की जो व्यवस्था है, अनाज जो तीन लाख मीट्रिक टन है, कितना पहुंचा है, कितना अलाट किया है, वे सारे फिगर्स इस किताब में दिये हुए हैं, अच्छा होता उस पर चर्चा करते कि क्यों विलम्ब किया जा रहा है। स्वीकृति तो कर दी, कितनी स्वीकृति रिलीज कर दी? 3000 टन पशु आहार के लिए किया। हमने कई डाक्टर्स भी भेजे, बारावंकी से अलाट किये गये, डाक्टर्स ने जाकर वहां देखा कि वह अनाज पशुओं के लायक भी नहीं है। हमने चाहा कि वह अनाज आ जाए तो हम पशुओं को बचा पाएं पशु आहार के माध्यम से,

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

पर सर्टिफिकेट भी नहीं आये हैं एनीमल हजबेंड्री डिपार्टमेंट से। वापस थोड़ा बहुत जो वहां पर 7000 टन आया है, वह पशु आहार के लिए पशु सेंटर्स को दिया गया है, उससे मिलकर, क्योंकि सीधा देने में हमें शंका है कि कहीं उसमें मानव क्षति न हो जाए। इसलिए पशु आहार दिया गया। तो कहने को तो कह दें कि 30,000 टन अलाट हुआ पशु आहार के लिए, पर वास्तविक स्थिति क्या है, उसकी ओर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि किस तरह से सरकार की व्यवस्था है।

महोदय, 55 लाख इंसानों को राहत मिल रही है, 10 दिन की राहत। अब 18 लाख व्यक्तियों को प्रतिदिन राहत देना बहुत बड़ा काम है, मुझे नहीं लगता कि स्टेट के जो बजट्स हैं, स्टेट की जो रेवेन्यू है, स्टेट का जो फाइनेंशल स्टेटस है, उस आधार पर क्या हम 55 लाख व्यक्तियों को प्रतिदिन मजदूरी दे सकते हैं? तीन रोटेशन में देकर जो काम किया जा रहा है, मेरा राहत मंत्रीजी से निवेदन है कि विशेष कर जैसलमेर जिले में 10 दिन की बजाय यदि 15 दिन करते हैं तो डेढ़े मजदूर लग पाएंगे और कुछ आर्थिक संसाधन वहां भी होंगे क्योंकि फेमिन में मोटा काम नहीं होता है। राज्य का दायित्व होता है, केन्द्र सरकार का दायित्व होता है कि अर्थतंत्र में हम कितना पैसा फेंकेंगे जिसके आधार पर मानव और पशुओं को राहत पहुंचा सकें। तो यदि हम 15 दिन का सप्ताह करेंगे तो डेढ़े पशु उस इकोनोमी में जाएंगे और मानव के साथ में पशु राहत भी कम कर पाएंगे। कम से कम पैसे जिलों में जहां अर्थतंत्र में हमें अधिक पैसा फेंकना है, 10 दिन की बजाय 15 दिन का पखवाड़ा करेंगे तो शायद अधिक राहत मिलेगी। जो संख्या है राहत श्रमिकों की, जो गत अकाल में उस जिले में करते रहे हैं, उस संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम उस संख्या तक पहुंचने चाहिए। तीन महीने बाकी रहेंगे, छह महीने कठिनाई के हमने निकाल दिये हैं, ये तीन महीने क्रिटिकल हैं। मेरे जिले में करीबन सवा लाख पशु शिविरों में चल रहे हैं, सवा लाख पशुओं को 12 रुपये रोज के हिसाब से करीबन 4 करोड़ रुपये प्रति माह हम पशु संरक्षण पर खर्च कर रहे हैं। इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी यदि आगामी तीन महीने में जो हमारा क्रिटिकल टाइम है, यदि हम आधिक से अधिक राहत नहीं देंगे, राहत कामों के माध्यम से पैसा उस पशुपालक के हाथ में नहीं देंगे तो मुझे शंका है कि हम पशुओं को बचा पाएंगे। पांच लाख पशु हम शिविरों में नहीं रख सकते। कम से कम जितना पैसा रखा हुआ है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप मुझे बोलने का मौका दीजिये। मैं एक जिले से एक ही विधायक हूं और जैसा मैंने निवेदन किया है, इसी सदन में निवेदन किया सचेतक महोदय से, अच्छा

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

होता कि मुझे नहीं बुलाते। मुझे बुलाया है तो मेरी समस्या को तो सुन लीजिये। मेरे यहां विशेष समस्या होती है। हमेशा यही होता है कि मैं जब बोलने के लिए खड़ा होता हूं अकाल के बारे में...

श्री सभापति : आपका पांच मिनट और बोलने का टाइम है, पांच मिनट तो बोलो आप।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अच्छी बात है, आप कहें तो मैं बैठ जाऊं। नहीं, आपका आदेश है तो मैं आपका आदेश पालन करूंगा।

श्री सभापति : मैंने कहा, आप पांच मिनट तो और बोलिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मेरे यहां संख्या है 42800, मेरा अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन है कि कम से कम 50,000 की संख्या राहत पर तुरन्त कर दें जिससे कि श्रमिक खुद अपना बचाव करेगा और परिवार के पालने के साथ में उन छह पशुओं के लिए भी जो जुड़े हुए हैं उनके साथ में, चारा खरीदकर अपनी व्यवस्था कर पाएगा। इसलिए मेरा राहत मंत्रीजी से निवेदन है कि कृपया इस ओर ध्यान दें।

दूसरा, केन्द्र सरकार का आदेश आता है कि दूसरी योजनाओं पर 75 प्रतिशत गेहूं देकर 25 प्रतिशत आप उसी से समायोजित करेंगे। राहत कार्यों पर 74 ब्लाक्स को आठ किलो और दूसरे ब्लाक्स को 6 किलो, यह जो आदेश केन्द्र सरकार ने दिया है, कृपया राज्य सरकार लिखे कि यह अव्यावहारिक है। 75 प्रतिशत गेहूं देंगे जिससें 9 से 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति मिलेगा। दूसरे कामों में और राहत कार्यों में यदि आठ और छह किलो यदि आप देंगे, 74 ब्लाक्स में आठ किलो और दूसरे ब्लाक्स में छह किलो, तो यह अन्याय हो जाएगा। कृपया गम्भीरता से इस विषय को लेकर केन्द्र सरकार को लिखे राज्य सरकार, यदि दस दिन का हमने पखवाड़ा कर रखा है तो नौ से दस किलो अनाज प्रति श्रमिक मिलना चाहिए जिससे पांच आदमियों के परिवार में एक बोरी अनाज पहुंच पाए। छह महीने से हम यह गीत गाते चले जा रहे हैं, यदि आपने केन्द्र सरकार का यह आदेश माना और छह किलो गेहूं कर दिया तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा हमारे साथ में। कृपया गम्भीरता से इस विषय को करें और नौ से दस किलो अनाज प्रति श्रमिक देना तय करें, ऐसे स्पष्ट आदेश केन्द्र सरकार से ले कर आप दिलवाएं। केन्द्र सरकार नहीं देती है तो राज्य की व्यवस्था से यदि आपका दस और पन्द्रह दिन का हफ्ता है तो मिनिमम नौ और दस किलो अनाज देने की व्यवस्था रखें, केन्द्र सरकार के आदेश की मानना न करें, मेरा ऐसा मानना है।

महोदय, इनपुट सब्सिडी की बात की अभी फेमिन्स की, जैसा कि इस पुस्तक में है, हमें पांच सौ कुछ करोड़ रुपये चाहिए

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

और 155 करोड़ रुपये देकर सरकार बांधना चाहती है। अनुग्रह राशि की चर्चा मैं करूंगा, राजस्थान में यह जो व्यवस्था की है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कि जो इंसान भूखा है, जो काम नहीं कर सकता, उसको पांच-छह महीने का इकट्ठा अनाज और तीस रुपये नकद देने की, वस्तुत: यह गारंटी है हमारी कि कोई इंसान भूख से नहीं मरने दिया जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और राज्य सरकार के हम बहुत बहुत आभारी हैं। हम कह सकते हैं खम ठोककर। जो श्रमिक काम नहीं कर सकता है, उसको पचास किलो अनाज और तीस रुपये आज दिये जाते हैं तो यह जो भूख से नहीं मरने देने की घोषणा है उसका वस्तुत: क्रियान्वयन है।

मैं अन्य योजनाओं-अन्नपूर्णा योजना, अन्त्योदय योजना के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। केन्द्र सरकार से हमारी मांग होनी चाहिए कि हमारे सारे लोग ए.पी.एल. से बी.पी.एल. हो चुके हैं, विशेष कर उन जिलों में जहां अकाल की भयंकर अवस्था है। फेयर प्राइस शाप्स से जो राशन मिलता है चार रुपये साठ पैसे में और छह रुपये साठ पैसे में, दो रुपये की सब्सिडी इनको देकर सब को बी.पी.एल. के माध्यम से देंगे तो भी राहत मिलेगी।

पशु आहार के बारे में मेरा निवेदन है कि मेरे जिले के अन्दर एक लाख तीस हजार दुधारू पशु हैं, लेकिन केवल पच्चीस हजार पशुओं के पशु आहार की व्यवस्था की गई है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय हमारे साथ में है। दुधारू पशु यदि दूध नहीं देंगे तो हमारा सारा तंत्र बिखर रहा है, कम से कम पशु आहार के बारे में यह संख्या बढ़ाएं। फेमिन कोड कहता है कि पचास प्रतिशत व्यय करेगा पशुपालक और पचास प्रतिशत स्टेट वियर करेगी, इसी आधार पर ढाई लाख पशुओं का पशु आहार सैंक्शन करें। सवा लाख पशु हमारे शिविरों में हैं, कम से कम सवा लाख पशुओं को पशु आहार हम दें तो हमारा पचास प्रतिशत जो फेमिन कोड कहता है उस आधार पर हम पशु संरक्षण कर पाएंगे, यह मेरा निवेदन है।

इस केन्द्रीय बजट में जो सौ करोड़ की व्यवस्था की है और पचास करोड़ पशु चारागाह की व्यवस्था की है, ऐसी कई योजनाएं पूर्व में हमारी चलती रही हैं, फिर भी मैं केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी का आभार प्रदर्शित करूंगा कि उन्होंने पचास करोड़ की आगामी वित्तीय वर्ष में विशेष व्यवस्था की है मरुस्थल चरागाह विकास के लिए। हालांकि कई योजनाएं चलती रहीं जिनको क्रियान्विति नहीं कर पाये गत आठ वर्षों में, फोडर बैंक की इन सारी स्कीम्स को हमने उड़ा दिया। यह चर्चा इस सदन में पहले मैं कर चुका हूं, पचास करोड़ आगामी वर्ष में देंगे तो मुझे लगता है कि उस ओर हम अच्छा काम कर पाएंगे।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

पेयजल के बारे में 518 करोड़ का कंटींन्जेंसी प्लान हमने दिया है, ग्यारह सौ ट्यूबवैल खुदवा रहे हैं, नौ हजार हैण्ड पम्प खुदवा रहे हैं। सारी व्यवस्था की है, पर मूल मुद्दा हमारा यह है कि स्थाई समाधान हमारा कैसे हो। यदि राजीव गांधी लिफ्ट योजना नहीं जाती, जोधपुर प्यासा मर जाता। पाली के हमारे साथी अभी कह रहे थे, हमारा परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए पेयजल का। मेरे क्षेत्र में पोकरण पेयजल लिफ्ट योजना है, कई बार मैं इसकी मांग कर चुका हूं। ऐसी योजना बनाएं जिससे स्थाई समाधान हो सके, मुझे लगता है कि उस ओर भी हम और ध्यान दें।

जिला कलक्टर को जो दस लाख रुपये पेयजल व्यवस्था के लिए दे रखें हैं, मुझे लगता है उसका एक कंट्रोल होना चाहिए। परम्परागत जल स्रोत के माध्यम से हमने पैसा खर्च किया। पूर्व में हमारी व्यवस्था होती थी पी.आई.सी. की। गांव के अन्दर खुद ही अपने श्रम से लोग पानी निकाल कर पीते हैं, पी.आई. की व्यवस्था होती थी, इससे एडिशनल पैसा गांव में मिलता था। अभी टैंकर्स से जो पानी भेज रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें खर्चा भी अधिक आ रहा है। परम्परागत जल स्रोत हम डवलप कर चुके हैं और करोड़ों रुपये उस व्यवस्था में खर्च कर चुके हैं, यदि पी.आई. की व्यवस्था जो दस-बीस वर्ष पहले चलती थी उस ओर सोचेंगे तो जल प्रदाय मंत्रीजी उस ओर आगे बढ़ पाएंगे।

श्री सभापति : अब पूरा कीजिये, कल्ला साहब, प्लीज।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : आप दो मिनट मुझे और दीजिये, दो मिनट और मांगता हूं, साहब। मैं तो कह चुका था, मुझे आज नहीं बुलाया जाए तो अच्छा है। समय का हमेशा मेरे साथ अन्याय होता है।

श्री सभापति : बीस मिनट हो गये बोलते बोलते।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : मैं दो मिनट में पूरा कर दूंगा अब, साहब।

जैसा मैंने निवेदन किया है, अर्थतंत्र में हमको पैसा इनफ्यूस करना है। पहले स्टेट गवर्नमेंट तकावी लोन दिया करती थी, स्टेट ने तकावी लोन बन्द कर दिया। हमें फेंक दिया बैंकर्स के सामने कि आप लोन दीजिये। बैंकर्स क्या दे रहे हैं, अभी चर्चा सदन में हो चुकी है। बैंकर्स की जो मीटिंग हो उसमें आप तय करें कि जो पशुपालक और कृषक लोन लेना चाहे, भले ही किसान कार्ड आपने बनाये हुए हैं, या नहीं बने हो, आप व्यवस्था करें कि बैंक्स सब अपना खजाना खोले। अरबों रुपये बैंकों के अन्दर जमा हो चुके हैं, उनको खाते में रखने के साधन नहीं है, इस अकाल के समय में वे अपना खजाना खोले और जो त्रस्त गरीब किसान और पशुपालक हैं, उनको लोन दे।

अन्त में, मान्यवर, एक और कहूंगा, हमारे पश्चिमी राजस्थान में अकाल का

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

स्थाई समाधान था बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर और जोधपुर में इंदिरा गांधी नहर। हम चाहते थे कि हम अकाल की चर्चा न करें और इंदिरा गांधी नहर हमारे अकाल का स्थाई साधन बने किन्तु दुर्भाग्य से इन वर्षों में साधन नहीं मिल रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर मंत्री यहां नहीं हैं, अभी हमारा रेशो कम कर दिया एक और पांच का। पहले 1:3 था, अब 1:5 कर दिया। स्टेट अपने थोड़े साधन देकर और चार गुना पैसा केन्द्र सरकार से लेकर ऐसी योजना बनाए जिसके माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को अकाल के समय राहत मिल सके। यह अकाल कोई नया नहीं है, 53 वर्षों में चालीस वर्ष से अधिक मेरे जिले में अकाल पड़ा है। राजस्थान में इतने अकाल पड़े हैं, तो हमारे अकाल का स्थाई समाधान क्या हो, उस ओर हमें चिंतन करना चाहिए।

अन्त में मैं मेरे विरोधी साथियों से कहूंगा जो बैठे हुए हैं कि कृपया क्रिटिसाइज न करें, यह पुस्तक पढ़ लें कि संसाधन में क्या कठिनाई है, क्या तकलीफ है राज्य सरकार की, और उस ओर मदद करें। आज के अकाल के सन्दर्भ में छह महीने हमने काट दिये, तीन महीने हमारे सामने बाकी हैं, राष्ट्रीय आपदा कोष के माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकार मिल कर तीन वर्ष से जो अकाल हमारे सामने खड़ा है इसको पूर्ण करें और गरीब को राहत दिलाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेवजी आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में अकाल है, पानी और पशुओं के लिए भारी काल है। चर्चा चल रही है, उस चर्चा में राजस्थान सरकार ने क्या किया है, कहां कैसे हुआ है, पूरी लम्बी-चौड़ी विस्तृत जानकारी के बजाय मैं पहले अपने जिले से, अपने क्षेत्र से ही प्रारम्भ करूं, सभापति महोदय। सभापति महोदय, जो हालात हैं, पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिणी के सब लोग कह रहे हैं सदन में, माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले रहे हैं। अलवर जिले में भी पहली बार 52 बांध जो स्टेट टाइम के हैं, वे पूरे के पूरे बांध सूख गये, एक बूंद भी पानी नहीं है। अकाल की यह स्थिति है कि 453 बावड़ियां भी पूरी की पूरी सूख गई हैं और लगभग 2600 पोखर हैं, पूरी जानकारी मैंने जिले की ली है, वहां पर भी पानी की एक बूंद नहीं है। इस समय क्रिकेट के खेल हो रहे हैं पोखर और बावड़ियों में। वन्य जीव और अन्य पशुओं का हमारा टाइगर डैन है सरिस्का में, वहां पर भी पानी की स्थिति यह है कि लगभग चालीस प्रतिशत जीव या तो मर गये हैं या पानी के लिए तड़प-तड़प कर गांवों और कस्बों की तरफ दौड़ रहे हैं। यह अलवर जिले की स्थिति है।

अलवर जिले में लगाये गये केवल 7100 श्रमिक पूरे जिले में। तीन तहसीलों राजगढ़ पंचायत समिति, रैणी पंचायत

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

समिति और थानागाजी इसमें ज्यादा श्रमिक लगाए, मुझे कष्ट नहीं है क्योंकि वहां भी अकाल है, मैं उनके क्षेत्र के भी और सहयोग के लिए कहूंगा। राजगढ़ में 53 कार्य 1415 श्रमिक, रेणी में 56 कार्य–1350 श्रमिक और थानागाजी में 115 कार्य–3135 श्रमिक यानी थानागाजी, रेणी और राजगढ़ के विधायक सत्तारूढ़ पार्टी के हैं। और इधर हमारी स्थिति रामगढ़ और मुण्डावर की। मुण्डावर के माननीय विधायक धर्मपाल जी यहां बैठे हुए नहीं हैं, वे भी बी.जे.पी. के हैं। रामगढ़ की स्थिति यह है कि वहां भी अकाल है लेकिन सिर्फ 23 काम प्रारम्भ किये गये हैं, सिर्फ 23 काम, और उनमें 460 श्रमिक लगाये गये। चार काम अन्य पी.डब्ल्यू.डी. और फोरेस्ट के द्वारा जिसमें सिर्फ 160 श्रमिक। कुल मिलाकर 27 कार्य और 620 श्रमिक हैं, रामगढ़ की यह स्थिति है। जिले में यह भारी पक्षपात और भेदभाव, फिर मंजिल इस सरकार को मिले तो कैसे मिले? मैं एक शेर सुनाऊंगा, माननीय सभापति महोदय–

मंजिल का क्या कसूर है मंजिल तो थी करीब।
रहवर के पांव में ही रवानी न आ सकी।

इनमें अब तक जवानी न आ सकी, यह स्थिति है। मुण्डावर के माननीय विधायक भी अपनी स्थिति बताएंगे।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार को बार बार कौसा जाता है, केन्द्र के लिए मैंने पहले भी कहा, +++ व्यवहार नहीं करना चाहिए केन्द्र सरकार से। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दुर्योधन का एक स्वभाव था, पैदा हुआ तब गधा पैदा हुआ, गधा हंस रहा था, वो तो एक बात है, लेकिन दुर्योधन का एक स्वभाव था...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : +++

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तब भी शायद गधे ही हंस रहे होंगे। तो दुर्योधन का एक स्वभाव था कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य कितना ही अच्छा काम करें, कितने ही सेनापतियों को मार गिराएं लेकिन दुर्योधन कहता था कि तुमने कितनों को मारा? तो सेनापति भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य कहते कि हमने इतने सेनापतियों को मारा। लेकिन वो कहता, नहीं, कोई धन्यवाद नहीं, क्योंकि तुमने अर्जुन को नहीं मारा। अर्जुन को उन्होंने नहीं मारा इसलिए नुगरा, नामुराद, बेवफ़ा और कृतघ्न दुर्योधन यह कहता था। कि +++ वो यह कहता था कि कोई धन्यवाद नहीं।

केन्द्र ने आपको 30 लाख टन गेहूं दे दिया। आज लम्बी–चौड़ी हांक रहे हैं 50 किलो गेहूं और 30 रुपये, अंत्योदय और बी.पी.एल.। अकाल राहत में इतने लाखों टन गेहूं आ गया, आप केन्द्र सरकार को तो कहते। माननीय अटलजी तो बड़े भावुक

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हैं, बड़े सरल हृदय हैं और बड़े शिव की तरह दयालु हैं, मुख्य मंत्रीजी व्यक्तिगत रूप से मिलकर कहते तो सही। आपने 108 नहीं, 1008, श्री–श्री 1008 पत्र लिख दिये। अब आपकी सोनिया गांधी क्या देकर गयी? ये आपके ही समाचार हैं। सोनिया गांधी देकर गयी सिर्फ दिलासा। जब वहां श्रमिक चिल्ला रहे थे कि हमको अकाल राहत का काम नहीं मिला, तो सोनिया गांधी जिन्दाबाद, सोनिया गांधी जिन्दाबाद, दब कर रह गयी पीड़ितों, दलितों और पिछड़ों और उन अकाल राहत के श्रमिकों की आवाज। यह आपका ही समाचार है, हमारा समाचार नहीं है जो छप कर आया।

माननीय सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगायी, बताइये, इससे बड़ी और लताड़ क्या हो? हमारे उच्चतम न्यायालय ने लताड़ लगायी कि जब तुम गेहूं उठा नहीं रहे हो तो दुर्योधन की तरह गालियां काहे को दे रहे हो, पहले जो गेहूं दिया उसको उठाओ। यह चर्चा इसलिए आवश्यक हो गयी कि बार बार दुहाई देते हैं केन्द्र सरकार के नाम पर कि वो हमको सहयोग नहीं कर रही। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपको निवेदन है कि मैंने जो पक्षपात और भेदभाव बताया उसके बारे में बताएं। अकाल के प्रबन्धन में, माननीय सभापति महोदय, +++ वाहवाही लूटी है। वास्तव में तो अकाल में भारी घोटालों, भ्रष्टाचार, भेदभाव और पक्षपात के कारण शर्मसार है यह सरकार। अब इसका चलना है दुश्वार। इसलिए मेरी मांग है, महामहिम राज्यपाल महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, बरखास्त करो ये +++

माननीय सभापति महोदय, अब आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा, गेहूं का जो पटवारियों ने पक्षपात किया है, तहसीलदारों ने किया है। कहते हैं कि हमने पांच क्विंटल सरपंचों के पास रखा, तहसीलदरों के पास रखा है। 30 और 50 किलो गेहूं की लिस्ट दी है। जब पटवारियों को कहते हैं तो पटवारी कहते हैं कि हमें हर गांव में सिर्फ दो लोगों की सूची बनाने के लिए कहा है। अब यह सच है कि नहीं है, यह जवाब में माननीय मंत्री महोदय बताएं। मेरी खुद पटवारियों से बात हुई है। अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि 55 लाख लोगों को रोजगार मिला, 17 करोड़ पांच लाख श्रम दिवस और 53 रुपये मिनिमम। और वे कह रह थे कि राजस्थान में 60 रुपये सबसे ज्यादा मिनिमम है। उनको पता ही नहीं है, इण्डस्ट्रीज में और लेबर का रेट फिक्स है आज राजस्थान के अलावा। उसको मैं उद्योग और श्रम की मांग पर बोलूंगा। लेकिन 95 रुपये, 90 रुपये मैक्सिमम लेबर का पेमेंट है आज हिन्दुस्तान में कई प्रान्तों में, उसको विस्तार में बाद में बोलूंगा। लेकिन +++ और एक बात को कई कई

+++ नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

बार दुहरा कर माननीय सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य क्या कहना चाहते हैं? आखिर क्या किया है आपने?

मैं आपको निवेदन करूंगा, गौशालाओं को बरबाद किया है। हजारों–लाखों गायें हमारे क्षेत्र रामगढ़ से, तिजारा से, अलवर जिले से निकलती हैं, हरियाणा की तरफ गौकशी हो रही है। +++ यह सरकार। भेड़ और बकरियों का भी निष्क्रमण हो रहा है और साथ में गायें बड़ी मात्रा में जा रही हैं। गौमाता को हरियाणा में जाकर कटाई के लिए काम में लेते हैं। कितनी हजारों विज्ञप्तियां हैं, जिसको मैं बाद में मांग के समय बोलूंगा। लेकिन दो उदाहरण गाय की कितनी सेवा कर रहे हैं, माननीय सभापतिजी, मैं दूंगा। हमारे क्षेत्र से जुड़ी हुई दो गौशालाएं हैं, एक गौशाला है मेरे क्षेत्र में मुनिश्री सुधासागर दिगम्बर जैन गौशाला, उस गौशाला में 5–6 सौ गायें हमेशा रहती हैं और कई बार 800 और 1000 भी हो जाती हैं। उस गौशाला को माननीय मुख्य मंत्री का एक चैक गया और एक पत्र गया खुद मुख्य मंत्रीजी का। शर्म की बात है और +++ बात है पर +++ सत्तारूढ़ पार्टी के लोग।

एक माननीय सदस्य : मैं भिजवा दूंगा। +++

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अच्छा भिजवा देना।

बग्गड़ तिराहे पर मेरे क्षेत्र में गौशाला है, उसके पास 4549 रुपये का चैक गया और चैक के साथ एक अपील मुख्य मंत्रीजी की गयी कि आप 8, सिविल लाइन में आकर यह चैक मेरे से ले लें। एक गौशाला मेरे क्षेत्र से जुड़ी हुई, रामगढ़ गोविन्दगढ़ गौशाला सेवर मन्दिर भरतपुर में है वैसे, लेकिन मेरे क्षेत्र से जुड़ी हुई, उसमें 12,500 का चैक गया और साथ में मुख्य मंत्रीजी की अपील गयी कि कृपा करके आप आएं और 8, सिविल लाइंस आकर ले जावें। अब वो यहां पर आएं, उनके दो–चार हजार रुपये तो खर्च हो जाएं। उनके 5–7 हजार आने में खर्च हो जाएं, फिर यहां ठहरें कहां, खायें कहां, पीयें कहां? और उनको मुख्य मंत्री देंगे, धक्का देकर। दो बार आये मुख्य मंत्री निवास पर, उन लोगों को घुसने नहीं दिया। ये जो सुधासागर दिगम्बर जैन धर्मशाला है, मुनिश्री सुधासागर, उन्होंने तो चैक वापस कर दिया और कह दिया, राजस्थान सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि हमारे 5–6 सौ गायें हैं पर आप सिर्फ 4549 रुपये का चैक भेज रहे हैं। उन्होंने चैक वापस कर दिया। और जो सेवर मन्दिर है, सन्यासी चलाते हैं, वो है माननीय मोहम्मद माहिर आजाद जी के क्षेत्र में। उनके साधु तीन बार आये और मुख्य मंत्री के दरवाजे तक गये। सिपाहियों ने धक्का देकर बाहर कर दिया, वो चैक ले नहीं पाये। इससे बड़ी शर्म की बात गौशाला के लिए या गौमाता के लिए इस अकाल के समय में क्या हो सकती है।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

माननीय सभापति महोदय, कहते हैं कुपोषण से मौत हुई है, भूख से नहीं। अब भूख से कितने समाचार हैं, लेकिन मैं उसके बारे में कोई ज्यादा नहीं इतना ही कहूंगा कि कुओं की गहराई के लिए एक स्कीम आयी। स्कीम आयी, मुझे तहसीलदार, एस.डी.एम. साहब ने कहा स्कीम के बारे में। जैसे ही योजना बनने लगी तो कह दिया कि उस पर राजस्थान सरकार का प्रतिबन्ध आ गया। अब यह सच है कि नहीं, तहसीलदार। एस.डी.एम. झूठ बोल रहे हैं या माननीय मंत्री महोदय +++ बोलेंगे। कल बोलेंगे, आज तो नहीं बोलेंगे। यह जरा उस समय माननीय मंत्री महोदय बता दें कि इस योजना का क्या है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता मंत्री): आपने सच बोलने का ठेका ले रखा है क्या? झूठ बोलने का कहां से शब्द ले आये, साहब?

डा. सी. पी. जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : (व्यवधान)...आप +++ जो संसदीय शब्द नहीं है...(व्यवधान) ये तो आप खुद ही कह रहे हो...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कविता तो जुड़ती तो है नहीं, यों ही तुक लगाते रहते हो। कभी सीखो, कविता कैसे बनती है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अच्छा, सीख लेंगे।

डा. सी. पी. जोशी : कोई बात कहो लेकिन जो असंसदीय शब्द हैं उनका तो ध्यान रखना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संसदीय भाषा का प्रयोग लीजिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कम से कम भाषा का प्रयोग तो ठीक करें। +++ शब्द तो असंसदीय शब्द है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कवि हृदय है, यह कवि हृदय है। कविता के अन्दर कोई बात निकल आयी तो उसमें असंसदीय... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : कविता में भी असंसदीय बात लिखने का आपको...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं–नहीं, कविता के माध्यम से असंसदीय शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं?

डा. सी. पी. जोशी : (व्यवधान)...कविता में असंसदीय शब्द का प्रयोग करेंगे आप? कौनसी कविता में असंसदीय शब्द है? कविता में कोई वर्ड एक असंसदीय है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, ये मौलिक विचार हैं इनके।

डा. सी. पी. जोशी : ये मौलिक विचार अपने घर पर रखें...(व्यवधान) ढंग से बोलें। अपने मौलिक विचार ढंग से रखें। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संसदीय परम्पराओं का निर्वहन करना पड़ेगा। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): आप पल्ला झाड़ रहे हो क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति : संसदीय भाषा का प्रयोग कीजिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सभापति जी, यह +++ शब्द क्या पार्लियामेंटरी है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, राठौड़ साहब तो बढ़ावा देते हैं। इनको खुद को ही पता नहीं है कि संसदीय क्या है और असंसदीय क्या है, आपकी जनरल नालेज का मुझे पता है। इसलिए आप तो गलत चीज का समर्थन करोगे। किसी को कवि के नाम पर करो, फिर हम शायरों को क्यों आप चिल्लाते हैं? हम भी शायर हृदय हैं। हम कहें तब भी स्वीकार किया करो। फिर आपके +++ यह दोहरा मापदण्ड, राठौड़ साहब, आपको ले डूबेगा। आप सुधरें।

डा. महेश जोशी : ये वैसे ही डूबे हुए हैं और आप इनसे पल्ला झाड़ रहे हैं। इनके मौलिक विचार बता करके अपने-आपको अलग कर रहे हो इनसे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : नहीं, आप बताएं कि उप मुख्य मंत्री कमलाजी जब +++ बार बार बोल रही थीं तब...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : इनसे कहलाएं आप तो। माननीय सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय राजेन्द्र राठौड़... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, मेरा समय खराब कर रहे हैं।

श्री सभापति : प्लीज।

डा. महेश जोशी : यह सदन का समय खराब कर रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं?

श्री सभापति : माननीय आहूजा जी, चालू रखिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, यह जो +++ मैंने बोला; +++ नहीं बोलूंगा, कल असत्य बोलूंगा, मैं उसको सुधार करता हूं। इतना कर लेता हूं मैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : कल का भी आपको आज पता चल गया, आप ज्योतिषी भी हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सभापति महोदय, पानी के बारे में निवेदन है कि कुओं की गहराई बहुत ज्यादा हो गई, कुओं की सफाई का कोई अभियान चलाया नहीं। और चलाया तो हमको कह दिया गया कि ऊपर से सर्कुलर आ गया कि निजी या सार्वजनिक कुओं की सफाई के लिये किसी तरह का पैसा नहीं आएगा, इसलिए उसके लिये कोई योजना है तो वह बन्द है। मेरे जिले में सैक्टर रिफार्म्स लागू हैं। माननीय मंत्रीजी जरा ध्यान

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

दें, सैक्टर रिफार्म्स का जो पैसा अलवर, जयपुर, सीकर इन चार जिलों में जो आया वह पूरा का पूरा केन्द्र से आया है। केन्द्र से पैसा आया जल एवं स्वच्छता के नाम पर, इन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि हम कोई पैसा नहीं लगाएंगे। मैं सैक्रेटरी महोदय से मिला, मंत्री महोदय से मिला, पूर्व मंत्री जी से भी निवेदन किया था। पूर्व मंत्री जी रामसिंह जी विश्नोई फिर भी दयालु हैं। यह मैं इसलिए कहूंगा कि मैंने उनको कहा 25 हैण्ड पम्प लगाने हैं तो इन्होंने 25 हैण्ड पम्प का ही आदेश किया, 24 का भी नहीं किया। लेकिन वर्तमान मंत्री महोदय भी दयालु बनें, मैं उनसे यह अपेक्षा रखता हूं।

सैक्टर रिफार्म्स का जो पैसा है और स्वजलधारा योजना का जो पैसा है, अभी आपके यहां से ही छपा हुआ यह मिला है कि उदयपुर जिले में स्वजलधारा योजना के बारे में बताया नहीं गया है। केन्द्र से पैसा एक अरब जिसमें 100 करोड़ होते हैं, एक करोड़ में 100 लाख होते हैं, एक लाख में 100 हजार होते हैं, आप गणित तो जानते ही हैं, इतना बड़ा पैसा–एक अरब 13 करोड़ रुपया आपके पास बचा रह गया। उस दिन इस पर इतना डिस्कस हुआ, इतना झगड़ा हुआ, उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, सभापति महोदय। पर स्वजलधारा योजना या सैक्टर रिफार्म्स के बारे में आपने क्या किया? मेरी पंचायतें हैं नीकच, गढ़ीधनेटा और खोवारिसपुर। माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें, खोवारिसपुर में साढ़े चार साल से एक पिता और पुत्र पम्प चला रहे हैं। स्कीम बी.जे.पी. की सरकार के समय में माननीय भंवरलाल जी ने स्वीकृत करवाई 33 लाख 40 हजार की, उनको आज पेमेंट नहीं हो रहा है। स्कीम बनकर तैयार हुई और जैसे ही उन्होंने पम्प चलाया, मैंने उसके बारे में ध्यानाकर्षण भी दिया है, मंत्री महोदय, उन बेचारों को पेमेंट नहीं मिल रहा, साढ़े चार साल से जो छोटा-मोटा पुर्जा लगाना है वह भी जेब से लगा रहे हैं। ऐसे अन्याय अन्य पंचायतों में भी हैं। सैक्टर रिफार्म्स लागू हो गया तो जनता जल योजना के जो पेमेंट बकाया हैं, आपने घोषणा की थी कि हम पेमेंट करेंगे लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं हो रहा। मवासीराम गुर्जर नाम का व्यक्ति खोवारिसपुर पंचायत में और किथूर में कश्मीरी, ऐसी बहुत सारी पंचायतें हैं। सभापति महोदय, मुबारिकपुर, पाटा, रघुनाथगढ़, डाबरी, नोगांवा, हाजीपुर, दसगण, चीड़वा, वीजवा, खिलोरा, दोहली, रामगढ़, अलावड़ा, मिलकपुर, ये सभी पंचायतें मेरे क्षेत्र की हैं, इन्दपुर, नसवारी, मालपुर, फाहरी, खेडामहमूद, सैदमपुर, न्याणा, दोंगडी, सेमलखुर्द, भैंसवत, रामबास, निजामनगर, जहां स्कीम लागू हैं उसके अलावा बाकी जगह पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी के लिये त्राहि त्राहि हो रही है।

सभापति महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल को हम दूर करना चाहते हैं, मैं पांच मिनट और लूंगा, हम अकाल को दूर करना चाहते हैं तो, अकाल राहत मंत्रीजी, सम्पूर्ण सरकार,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

आप सुन लीजिये। ये जो दुष्ट पेड़ आपने लगवा दिये, मैं एक ही व्यक्ति की कद्र करता हूं जिन्होंने क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं आपके नेहरू परिवार में, श्री संजय गांधी की, बाकी किसी की कद्र मैं नहीं करता। उन्होंने अच्छा अभियान चलाया था-पवित्र पेड़ लगाओ, उनके सूत्रों में था। वह तो चले गये एक्सीडेंट में लेकिन पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पागल हो गये फोरेस्ट के अधिकारी। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने सफेदे के पेड़ लगा दिये, विदेशी बबूल लगा दिये। सफेदे का पेड़ जो दलदल का पेड़ है, आस्ट्रेलिया में कीचड़ को, सीम को सोखने वाला, उस पेड़ को चारों तरफ लगा दिया। रेगिस्तान में भी लगा दिया। वह सफेदे का पेड़ 6 लीटर पानी एक घंटे में सोखता है और ऊपर का पर्यावरण भी खराब करता है। अगर आपको अकाल वास्तव में दूर करना है, राजस्थान के सम्पूर्ण माननीय सदस्यों, राजस्थान की हमारी सरकार जो अभी चल रही है, 10 महीने बाद तो हम यह अभियान चलाएंगे-विदेशी बबूल को उखाड़ फेंको, इस सफेदे को उखाड़ फेंको और देशी पेड़ लगाओ-शीशम लगाओ, सागवान लगाओ, पीपल लगाओ, नीम लगाओ, फल-फूल के पेड़ लगाओ, बड़ लगाओ, इन देशी पेड़ों से पर्यावरण ठीक होने वाला है। यह मेरा कहना नहीं है, यह वैज्ञानिक तथ्य है जो कादम्बिनी में छप कर आया है। सभापति महोदय, ये जो तथ्य हैं, आपके सामने मैंने रखे हैं।

पानी की समस्या को दूर करने के लिये, पशुओं के पानी के लिये, मनुष्य के पानी के लिये और अकाल को दूर करने के लिये कम से कम 10 हजार श्रमिकों की मेरे क्षेत्र रामगढ़ में सीलिंग दी जाए, क्योंकि जितनी पंचायतें मैंने गिनायी हैं जहां पानी की समस्या है वहां पर विशेष तौर से एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोग इस समय अकाल के कारण हरियाणा में पलायन कर रहे हैं। उस पलायन को रोका जाए और उन लोगों को अकाल राहत का कार्य दिया जाए। और तो और, सड़कों के किनारे जो बर्म्स आपने नहीं बनाये हैं, मिट्टी भरने का काम पी.डब्ल्यू.डी. को ही दे दिया जाए, सड़कों के दोनों तरफ जो गड्ढे हैं वे गड्ढे पूरे हो जाएं। पी.डब्ल्यू.डी. को दिया जाए चाहे फोरेस्ट को काम दिया जाए लेकिन अकाल राहत में श्रमिक लगें, यह मेरा निवेदन है। आपको एक शेर सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं :-

"शायद इसलिए हमें मंजिल न मिल सकी,

जितने भी हमको लोग मिले वे कांग्रेसी रहबर मिले।"

सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गुरमीत सिंह कुन्नर।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : उप मुख्य सचेतकजी ने प्रस्ताव किया है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाए, क्या अनुमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

कुन्नर साहब, बोलिए। (व्यवधान)

राज्य में अकाल, पेयजल एवं पशु संवर्द्धन की स्थिति पर विचार

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपके बहरोड़ के बारे में ही बोलना है। (व्यवधान) इसका मतलब यह हुआ कि आप कितने दु:खी हो गये। ''इकबाल तेरे इश्क ने सब खम दिये निकाल, खम का मतलब टेढ़ापन, बांकापन। सर्विस में आप सुपरिटेंडेंट थे, बहुत अच्छे थे। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए, आहूजा जी, प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक शेर सिर्फ-

''इकबाल तेरे इश्क ने सब खम दिये निकाल,

मुद्दत से आरजू थी सीधा करे कोई।''

अब आप सीधे हो गये, धन्यवाद।

श्री सभापति : गुरमीत सिंह कुन्नर साहब।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (करणपुर) **:** माननीय सभापति महोदय, आज अकाल और पेयजल पर चर्चा हो रही है, दोनों ही बड़े गम्भीर विषय हैं। अकाल से प्रदेश चार साल से जूझ रहा है, विषम परिस्थितियों में अकाल को इस प्रदेश की जनता ने झेला है। राज्य सरकार ने ऐसी परिस्थितियों में जो अकाल का प्रबन्धन किया, इसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है। लगातार चार सालों में भी अकाल को अपने हाथ से न निकलने देना, हर काम के ऊपर इस तरह की निगरानी कि कहीं से कोई सरकारी स्तर पर गड़बड़ी का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। अकाल के चलते विकास के कार्यों को भी गति देना राजस्थान के इतिहास में पहली मिसाल है। इस भीषण अकाल के चलते भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने गंगानगर जिले में 446 करोड़ की जो योजना 70 साल पुरानी गंग कैनाल के पुर्ननिर्माण के लिये दी और इसके अलावा उनकी वितरिकाओं को भी पक्का करने का जो बीड़ा उठाया, यह राजस्थान के लोकतंत्र के इतिहास में पहली घटना है कि ऐसे अकाल के होते हुए भी इतना बड़ा कार्य करवाया। जैसे जैसे अकाल का साया बढ़ता गया, उतने ही धैर्य से काम तेज गति से होते गये। हमारे जिले गंगानगर में यह पहला साल है कि अकाल इस तरह से आया, अन्यथा कभी ऐसा मौका नहीं था। हमारे जिले के लोग पहली बार

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

समझने लगे कि अकाल भी कोई चीज होती है। शायद हमारे जिले की यह बदकिस्मती थी कि हमें दोहरा अकाल झेलना पड़ा। एक अकाल प्रकृति का और दूसरा अकाल हमारे केन्द्रीय नेताओं के अहम का। हम पाकिस्तान के साथ दो-दो हाथ करेंगे, आरपार की लड़ाई लड़ेंगे। उस आरपार की लड़ाई ने हमें ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि हमारे खेतों में माइंस लगा दी गईं। खेती के जो साधन थे वे सारे के सारे ठप हो गए, आउटलैट बन्द कर दिये गये। नहरों में पानी होते हुए भी हम खेतों में पानी नहीं लगा पाये। ऐसी स्थिति में हमारे जिले के लोगों ने बड़े धैर्य के साथ मुकाबला किया और सरकार ने भी बड़े धैर्य के साथ काम खोले। अकाल की स्थिति में जहां पक्की नहरों और कच्ची नहरों की डिसिल्टिंग हुई, सड़कों की मरम्मत के कार्य हुए, वहीं पेयजल के जो हमारे पुराने स्रोत थे जोहड़, उनकी सफाई हुई, पीने के पानी की डिग्गियां थीं उनकी सफाई हुई। आज भी उसी तरीके से, उसी गति से हो रही है जिसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

ऐसा नहीं है कि ये काम देर से शुरू हुए। काम सितम्बर महीने में शुरू कर दिये गये थे। अकाल के चलते आज तक नहीं देखा, राजस्थान में यह पहली बार हुआ कि फसल खराब हुई तो उसका हर्जाना माफ कर दिया गया। इतनी बड़ी राहत सरकार ने किसानों के लिए दी, जिसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

पीने के पानी के सम्बन्ध में सरकार ने जितनी भी राजीव गांधी पाठशालाएं थीं, प्राथमिक पाठशालाएं थीं, उनको पाइप के माध्यम से पानी से जोड़ा, उनको स्वच्छ पेयजल पीने के लिए उपलब्ध कराया। आपके माध्यम से मैं पेयजल मंत्रीजी को एक बात कहना चाहूंगा कि जहां आपने इतने बड़े पैमाने पर पाइप लाइन बिछाई, पेयजल योजना को स्वीकृति दी, हमारे गंगानगर जिले में हनुमानगढ़ की दो तहसीलों नोहर और भादरा को छोड़कर जो पहले स्वीकृतियां जारी होती थीं 70 एल.पी.सी.डी. के हिसाब से, 70 के मापदण्ड के हिसाब से, 40 प्लस 30 के हिसाब से सारी की सारी योजनाएं मंजूर होती थीं, लेकिन इस बार उन योजनाओं को सिर्फ 40 के मापदण्ड से अपनाया जा रहा है।

मैं यह नहीं समझ पा रहा कि यह गलत सोच कहां से आई कि गंगानगर में तो पानी बहुत है। पानी वास्तव में बहुत है। भगवान खुश रहे, इन्द्र देवता खुश रहे तो पानी की कमी नहीं है। लेकिन जो पानी गंगानगर में नहरों के माध्यम से आता है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि वह पानी पीने लायक नहीं है। आप हमें 18 वर्षों से वाटर वर्क्स का जो पानी दे रहे हैं, उस पानी की मात्रा अगर आप कम कर देंगे तो आने वाले दिनों

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

में पानी की खपत बढ़ेगी और उसमें मैं नहीं समझता कि 40 लीटर की योजना से हमारे जिले को पूरा पानी मिल सकेगा।

एक ऐसा जिला जिसमें कभी भी सेना के हजारों जवान आकर बैठ सकते हैं, सीमावर्ती जिला, सेना की इतनी बड़ी तैनाती होती है कि हमारे गांव वालों को, शहर वालों को पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इन बातों को ध्यान में रख कर, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गंगानगर सीमावर्ती जिला है, इस जिले में सेना का आना-जाना साल में एक बार तो निश्चित है, चाहे वह अभ्यास के लिए आए, चाहे किसी और कारण से आए। इतनी बड़ी तादाद में सेना के जवान आते हैं, लेकिन पानी के संसाधन तो वही हैं। आप के मापदण्ड वही पुराने हैं और उस से भी आप घटाने की तैयारी कर रहे हैं। 40 के मापदण्ड के हिसाब से पानी दें 70 की बजाय तो ऐसी स्थिति में कैसे निपटा जाएगा? मेरा निवेदन है कि 70 प्रति लीटर के मापदण्ड के हिसाब से पानी की योजनाएं थीं, कृपया आप वैसे ही उन योजनाओं को रखें ताकि कभी भी पानी की दिक्कत नहीं आ सके।

इस तरह से आपने जिले की सारी योजनाओं को स्वीकृति दी। मेरे करणपुर विधान सभा क्षेत्र, करणपुर तहसील की योजना आपके विचाराधीन है। करणपुर के अलावा भी वियजनगर और सूरतगढ़ जिले के तीन तहसीलें ऐसी हैं जिनकी योजनाएं तैयार होकर आपके विचाराधीन पड़ी हैं, कृपया उनको भी समय पर निकाल दें तो आने वाले दिनों में पानी की कोई तंगी नहीं रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय पेयजल मंत्री का ध्यान केन्द्र सरकार की नई योजना स्वजलधारा योजना की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसके अन्तर्गत 10 प्रतिशत राशि गांव वालों को लगानी होगी और 90 प्रतिशत राशि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार वहन करेगी। मैं नहीं समझता कि इन हालात में यह योजना किसी भी स्तर पर कामयाब हो सकेगी। हमने और आपने पहले भी देखा कि एक योजना जनता जल योजना के नाम से चली थी। पूरी की पूरी स्कीम सरकार बनाकर देती थी, सिर्फ चलाने के लिए वह योजना ग्राम पंचायत को सौंप दी जाती थी। 500 रुपये कर्मचारी के और 2000 रुपये वार्षिक पम्पसैट या अन्य मरम्मत के लिए उस ग्राम पंचायत को और बिजली का सारा बिल और अन्य खर्चे सरकार वहन करती है। ऐसी स्थिति में हमारी वह जनता जल योजना आज बन्द होने को है। अगर एक प्रावधान होता कि सरपंच उसको वापस कर सकता तो सारी की सारी योजनाएं सरकार के पास वापस आ जातीं। स्थितियां कुछ ऐसी हैं, कहीं तो राजनीतिक कारणों से, कहीं आर्थिक कारणों से। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आप एक लाइन संशोधन के तौर पर इसमें जरूर डाल दें, जब भी आप कोई संशोधन करें, कि जनता जल योजना अगर कोई सरपंच

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

वापस करना चाहे तो कर सकता है। अभी न तो वह सरपंच वापस कर सकता है, न ही विभाग उसमें कोई दखलंदाजी कर सकता है। ऐसी स्थिति में गांव के लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। अन्त में मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि स्वजलधारा योजना से परहेज रखें, यह कहीं भी कामयाब नहीं होगी। अन्य योजनाएं पहले तरीके से, पुराने सिस्टम से आप पास कर रहे हैं उसी तरह से हमारी योजनाओं को स्वीकृति दें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री नाथूलाल जी गुर्जर।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डोली) : माननीय सभापति महोदय, आज अकाल और पानी पर जो चर्चा सदन में हो रही है, उसमें मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं को आपके सामने रखना चाहूंगा। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, बूंदी जिले में चार विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली, केशोरायपाटन, बूंदी और नैनवां हैं, आज समूचा जिला अकाल की चपेट में हैं और वहां पर आपने अकाल राहत के तहत मात्र 15,000 की लेबर सीलिंग दी है। यह इस जिले के लिये अपर्याप्त हैं। इसको जब तक नहीं बढ़ाएंगे, गांव में झगड़े हो रहे हैं, मस्टररोल फाड़े जा रहे हैं। इसके दौरान सरपंच लोग भी थोड़ी मनमानी कर रहे हैं। तो जब भी मस्टररोल खोली जाती है तब पटवारी, वहां के अध्यापक इनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए। हिण्डोली विधान सभा क्षेत्र में केवल 5 हजार की लेबर सीलिंग है, 50 पंचायतें इसमें आती हैं। अब इसका जोड़ बाकी आप लगा लें कि एक पंचायत को मात्र सौ लेबर मिलेगी। एक पंचायत मुख्यालय में कम से कम 8 गांव पड़ते हैं, इस पर विचार किया जाए। अकाल राहत के तहत पक्के निर्माण भी करवाये जाएं जिससे एनीकटों का निर्माण करवाया जा सके। सरकार का भी जो गेहूं जा रहा है उसका दुरुपयोग न हो। विधान सभा क्षेत्र में भी कार्य हो तो अकाल राहत के कार्यों में एनीकटों को प्राथमिकता दी जाए, स्कूल की बाउण्डरी को भी प्राथमिकता दी जाए, हैल्थ सैंटर्स को प्राथमिकता दी जाए और उसमें भी सामग्री दी जाए जिससे पक्के निर्माण करवाये जा सकें और आगे भी वे काम आ सकें।

(19.00 बजे)

(मोहम्मद माहिर आजाद, सभापति, पदासीन)

आज विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 10 मिसिंग रोड हैं, अभी तक एक भी मिसिंग रोड पर अकाल राहत के तहत कार्य चालू नहीं हुआ। मिसिंग रोड को जब सरकार ने प्राथमिकता दे रखी है तो मिसिंग रोड का पूरा नक्शा बनाकर पहले प्राथमिकता मिसिंग रोड पर दी जाए। आज तलाइयों का निर्माण आप करवा रहे हैं, तलाई ऐसे ढंग से बनायी जा रही है कि एक बूंद भी इधर-

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

उधर से पानी आने वाला नहीं है। आज चारों तरफ तलाइयां बना दीं, तलाई में पानी की आवक नहीं है। सिर्फ गेहूं जा रहा है, लेबर को काम मिल रहा है। इसके अलावा उन तलाइयों में पानी आने वाला नहीं है। तो यदि अन्य कार्यों पर ज्यादा प्राथमिकता दी जाए तो क्षेत्र का विकास हो सकता है।

ग्राम पंचायत डाबेटा में ग्राम विस्तारी एनीकट अकाल में सन् 1986 में बनाया गया था, वह भी अधूरा पड़ा हुआ है। दरा का नया गांव एनीकट का निर्माण भी अकाल राहत के तहत सन् 1986 में कराया गया था, अभी तक वह भी अधूरा पड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत पगारा का अधूरा एनीकट सन् 1986 में बनाया गया था, उस कार्य को भी प्राथमिकता दी जाए। सांसद कोष से बने एनीकटों का निर्माण करवाया गया वे भी अधूरे पड़े हुए हैं, अब अकाल के तहत उनको पूरा करवाया जाए। ग्राम पंचायत रोशनदा जहां कम से कम 1000-800 की आबादी होगी घरों की, आज वहां एक भी एनीकट नहीं है। आज यदि वहां पर एनीकट बना देते हैं, सारा गांव मीणाओं की बस्ती में आता है, गरीब लोग हैं, तो उससे क्षेत्र के पशुधन और ग्रामवासियों को फायदा होगा।

अब हिण्डोली क्षेत्र में करीवन 10 मिसिंग रोड हैं, हिण्डोली से मेडी रोड, जिस पर मैंने पिछले साल भी चर्चा की थी। इस रोड के जुड़ने से कम से कम 10-15 ग्राम पंचायतें सीधे जुड़ जाएगी। अकाल राहत में उस पर मिट्टी का कार्य हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हिण्डोली से सीघाड़ी सहसपुरिया रोड, शक्करगढ़ से मानथला रोड, यह रोड 3 विधान सभा क्षेत्रों को सीधे जोड़ती है। माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं जहाजपुर के, उस रोड से पूरी तरह से जानकार हैं, सारी ए.बी.सी.डी. का उनको पता है। दूसरी तरफ शिवचरणजी माथुर साहब जो पूर्व मुख्य मंत्री रहे, उनकी विधान सभा आती है। बीच में हिण्डोली पड़ती है, इस रोड का कार्य यदि अकाल राहत में स्पीड से किया जाए तो इन विधान सभाओं के लिये सीधा रोड बन जाएगा गुढ़ा गोकुलपुरा से थाना देवजी रोड कार्य, सावतगढ़ पंचायत मुख्यालय से वासी रोड, भवानीपुरा पंचायत गोठड़ा रोड, आकोदा पंचायत मुख्यालय मेन रोड से बोरदा वाया ओलासपुरा सूरी रोड, मेडी पंचायत मुख्यालय से काछोला रोड, दरा नयागांव से बडगांव पंचायत मुख्यालय रोड, टूबड़ा ग्राम पंचायत नेशनल हाइ-वे चेनपुरिया, हरकिया-ब्राह्मणों की झोपड़ियां, बासनी ग्राम से उमर ग्राम पंचायत मुख्यालय।

मंत्री महोदय, आज विधायक कोष और एम.पी. कोष से 20 और 25 हजार रुपये में हैण्ड पम्प लग रहे हैं और आपका विभाग उन्हीं हैण्ड पम्पों को 50 और 45 हजार रुपये में लगा रहा है। इस 20-25-

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

30 हजार और 55 हजार रुपये के बीच में जो 25 हजार रुपये हैं वे कहां जा रहे हैं, इसकी जांच करवायी जाए। हिण्डोली विधान सभा क्षेत्र में पाइपों के अभाव में हैण्ड पम्प ज्यादा खराब हो गये हैं। एक हजार ऐसे हैण्ड पम्प हैं जो पाइपों और सामान के अभाव में चालू नहीं हैं। आज विधायक कोष और एस.पी. कोष से 40 हजार रुपये में बोरिंग और मोटर लग रही है और आपको विभाग उस बोरिंग और मोटर को एक लाख रुपये में लगा रहा है। वह बीच का पैसा कहां जाता है, इसकी भी जांच करवायी जाए। आज हिण्डोली विधान सभा क्षेत्र के 3 बांधों में पानी भरा हुआ है, यदि उसको नहरों और नदियों में छोड़ दिया जाए तो वहां का वाटर टेबल ऊपर आएगा। यदि उन तीनों बांधों का पानी छोड़ दिया जाए तो आज हिण्डोली को इस अकाल की मुसीबत का सामना इतना नहीं करना पड़ता जिस ढंग से अभी कर रहे हैं। तीनों बांधों में पानी का भराव पूरा था। अब पानी भी गायब, पानी की चोरी कर ली गयी। सौ–सौ इंजन एक–एक बांध पर लगा दिये गये। पानी भी गया और गांव वालों को भी उसकी सुविधा नहीं मिल पायी। इसकी जांच करवायी जाए। गुडा बांध, भीमलत बांध और मरडीया बांध, तीनों भराव क्षमता में पूरे भरे हुए थे, आज उनमें पानी नहीं है।

माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, आज हिण्डोली का पशुधन दिनोंदिन मरता जा रहा है, वहां पर चारे के निःशुल्क डिपो यदि नहीं खोले गये तो पशुधन को नहीं बचाया जा सकता है। चारा डिपो काछोला, बसोली, दरा का नया गांव, हिण्डोली और पेच की बावड़ी में खोलना अत्यन्त आवश्यक है। आज वहां का वाटर टेबल इतना नीचे चला गया है, मंत्री महोदय, मैंने आपको 2–3 दिन पहले भी अवगत कराया था, कि दबलाना ग्राम जो हिण्डोली विधान सभा का सबसे बड़ा गांव है, आज वहां पानी के बिना त्राहि–त्राहि मची हुई है। आपके वहां पर दो–सवा दौ सौ फीट के जो बोरिंग लगे हुए थे, आज वह फेल हैं और वाटर सप्लाई की लाइन बन्द पड़ी है।

आज सांवतगढ़, धनाव, सथूर, बड़ा नया गांव और अन्य गांवों में पाइप बिना हैण्ड पम्प बन्द पड़े हुए हैं। ग्राम पंचायत सहसपुरिया, रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत, चतरगंज में बरवास, ग्राम पंचायत चतरगढ़ में कराढ़ खेड़ी, वहां पर 400–450 फीट तक तो बोरिंग करवा लिये, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। गांव के लोग 2–2 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं। वहां पर टैंकरों की व्यवस्था करवायी जाए जिससे पशुधन और ग्रामवासियों को बचाया जा सके।

हिण्डोली विधान सभा की पानी की समस्या के समाधान के लिये कोटा बैराज या बीसलपुर से जोड़ा जाए तो वहां की पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा कंटीन्जेंसी में बूंदी जिले को 72 हैण्ड पम्प दिये गये थे, उन

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

72 हैण्ड पम्पों की स्वीकृति में चारों के चारों विधायकों ने जिला कलेक्टर को अवगत कराया था कि यहां–यहां हैण्ड पम्प लगाने जरूरी हैं। लेकिन उन 72 हैण्ड पम्पों में एक भी विधायक के कहने से एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगाया और जिला कलक्टर ने अपनी मनमर्जी से गांव में हैण्ड पम्प लगवाये।

आज सदन में अकाल पर लम्बी–चौड़ी चर्चा हो रही है। सरकार यह कर रही है, वह कर रही है। लेकिन बूंदी जिले के हिण्डोली विधान सभा क्षेत्र में 1795 लेबर सीलिंग के कार्य बन्द किये गये जिससे वहां के लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। यह राज्य सरकार के आदेश की कापी मैं सदन में पेश कर रहा हूं, 1795 लोगों को वहां बेरोजगार कर दिया गया। उस पर दबाव होगा। आप कह रहे हैं कि अगस्त से काम चालू कर दिये, 48 गांव ऐसे थे जहां अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक एक गांव में एक आदमी नहीं लग रहा था। माननीय सभापति महोदय, मैंने कलक्टर को एक ज्ञापन दिया। उन गांवों की समस्याओं के लिए चार बार मैं उनसे मिला। आखिर में फरवरी से आमरण अनशन पर बैठने के लिए तैयार हुआ तब जाकर उन 48 गांवों में वह भी मात्र 20–20 लोगों को ही रोजगार दिया गया। माननीय मंत्री महोदय, मैं आखिर में आपसे निवेदन करता हूं कि बूंदी जिले की अकाल राहत के तहत लेबर सीलिंग बढ़ाई जाए और पेयजल और निःशुल्क चारे की व्यवस्था कराई जाए। जय भारत।

श्री सभापति : माननीय पण्डित श्री जयदेव प्रसादजी इन्दौरिया।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : "शांतं सुशांतं सततं नमामि।"

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर 26 तारीख को मैं विचार प्रकट कर रहा था, पूरी बात भी नहीं कह सका इसके पूर्व ही आसन से घंटी के माध्यम से सूचना मिली। मैं अपना वाक्य भी पूरा नहीं कह सका और आपके आदेशानुसार अपना स्थान ग्रहण कर लिया। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस सदन के अन्दर अकाल, पानी, बिजली आदि के लिए चर्चा हो रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय पण्डितजी, उस रोज की अधूरी बात को ही तो पूरा करने के लिए आज आपको समय दिया है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : धन्यवाद आपको। इसीलिए मैंने जिक्र किया है।

अकाल राहत कार्य की विशेषता यह है कि यह पहला वर्ष है जब राज्य सरकार ने 16 अगस्त को ही अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कर दिये। मैं लम्बा विस्तार से बोलूंगा तो मेरी बात फिर अधूरी रह जाएगी इसलिए मैं अपने विधान सभा क्षेत्र तक ही

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

सीमित रहना चाहूंगा। मेरे रतनगढ़ में पूर्व और पश्चिम की तरफ दो बहुत बड़े गौ-शिविर चल रहे हैं और क्षेत्र के अन्दर कुल मिलाकर 17-18 गौ-शिविर हैं। लेकिन उन शिविरों की विशेषता यह है, श्रीमान्, कि हम आपको किसी भी तरह से नहीं सता रहे हैं। एक नया पैसा भी हम आपसे नहीं ले रहे हैं। पूर्व और पश्चिम वाले गौ-सदनों में लगभग पांच-साढ़े पांच हजार के आसपास दोनों में गायें हैं। अच्छी तरह से चर रही हैं, पानी की भी व्यवस्था है। लूले-लंगड़े और कमजोर जो पशु हैं, उनको हम हरा चारा भी देते हैं। ग्वार भी देते हैं और उसके साथ दलिया भी देते हैं। तो मेरे यहां अकाल के वक्त में गौ-रक्षा सम्बन्धी कोई अभी तक ऐसी कठिनाई नहीं आई है। अकाल मंत्रीजी...(व्यवधान) हां, अकाल राहत मंत्रीजी ने, नहीं, यदि इससे आपको पीड़ा हुई है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इन्होंने सुधारा है।

तो अकाल राहत मंत्रीजी ने 16 अगस्त को ही काम शुरू कर दिये और बहुत व्यवस्थित रूप से काम चल रहा है। एक मांग जरूर है, वह यह है कि ज्यों-ज्यों गर्मी का समय आ रहा है, आप मजदूरों की संख्या बढ़ाइये। यह मांग है। क्योंकि जब मैंने शुरू में मीटिंग की तो मैंने नागरिकों को यही कहा कि आप सबके पते हैं, अपना-अपना फार्म है, भगवान कृष्ण का भी मैं आपको पता बता दूं। भगवान कृष्ण को पूछा गया कि आपका निवास स्थान कौनसा है तो लिखा है-"गावम अग्रते सन्तु, गावम सन्तु पृष्ठतः, गावम विधेय सन्तु, गवामध्ये वसाम्यहम्॥" मैं गायों के बीच में रहता हूं, लोग प्रभावित भी हुए और शिविर भी शुरू कर दिया। आपसे अनुदान भी नहीं ले रहे हैं। पानी के लिए, परम् आदरणीय सी.पी. जोशी साहब...(व्यवधान) जो छिटपुट पानी की कमियां हैं, मैं मेरे विधायक कोटे से उसकी पूर्ति करने की चेष्टा करूंगा। एक मेरी विनीत प्रार्थना है और वह मैंने मुख्य मंत्रीजी को सालासर बालाजी धाम में निवेदन किया था कि रतनगढ़ और सुजानगढ़ तहसील पूरी की पूरी खारे पानी का बैल्ट है, हमको "आपणी" योजना से आप पानी पिलाओ। मुझे यह सूचित करते हुए परम् प्रसन्नता है, एकदम खुश हूं कि राज्य सरकार ने उस योजना को स्वीकार कर लिया और दिल्ली भेज दी। अब जोशीजी, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पण्डितजी, आपको मैं टोकना नहीं चाहता पर आप बड़े सहृदय और भोले आदमी हो, विद्वान जरूर हो पर जिस योजना का आप जिक्र कर रहे हो, उस योजना में कोई और एडिशनल गांव और शहर डालना इनके बूते की बात नहीं है। उनके हाथ मत जोड़िये आप, वह केन्द्र सरकार करेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब, मगर आप सीधी बात कर रहे हैं। आप खुद क्या कर रहे हैं? पण्डितजी, आप जारी रखिये। फिर आप कहेंगे कि घंटी बजा दी। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : गुमराह क्यों कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं उनका बहुत आदर करता हूं।

श्री सभापति : पण्डितजी, आप जारी रखिये अपना भाषण। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : जोड़ेंगे या घटाएंगे, वह हम करेंगे या भारत सरकार करेगी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह आप नहीं कर सकोगे, आपके बस की बात नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आपको गहतफहमी है। आपको गलतफहमी हो तो निकाल दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : आपको गलतफहमी हो तो निकाल दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बिना मतलब ऐसे विद्वान और सज्जन आदमी से आप...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : फिर आप घोषणा कर दो। (व्यवधान) मेरे हाथ में नहीं है तो आपके हाथ में है? तो आप घोषणा कर दो। मैं कहां मना करता हूं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं गम्भीरता से घोषणा करता हूं कि आठ महीने बाद जब उस तरफ हम बैठेंगे तब, पण्डितजी, आपके इन सारे कागजात को लेकर यह काम हम करवाकर लाएंगे।

श्री सोहन नायक : ऐसा है, राठौड़ साहब, आप इन मुगालते में नहीं रहे, वह मौका आपको मिलेगा नहीं।

डा. सी. पी. जोशी : आप तो इसी पाइंट तक रहने दीजिए। ये मुंगेरीलाल के हसीन सपने मत देखिये। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : आपके हिमाचल भी बैठ गया लगता है। आप हिमाचल में भी बैठ गये लगते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हिमाचल का पता नहीं, तीन चुनाव में धूल चाटकर आये हो, तीन चुनाव में। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : हिमाचल में क्या हुआ आपका?

डा. सी. पी. जोशी : तीन चुनाव में, मगर हैदरगढ़ में क्या हुआ? वहां तो मुख्य मंत्रीजी थे, दिल्ली में गये थे वह तो। यू.पी. में सरकार मायावती के साथ अपनी ही है न? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, है न।

डा. सी. पी. जोशी : फिर क्या हुआ आपका वहां? (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : जिस तरह से आपका हिमाचल में सूपड़ा साफ हुआ है, वहां भी हो जाएगा, चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी : वह भी ध्यान रखिये कि हैदरगढ़ में अपना क्या हुआ है। (व्यवधान)

श्री सभापति : अपने राजस्थान की अकाल की बात करो। पण्डितजी, आप जारी रखो।

श्री हीरासिंह चौहान : इसमें बहुत बड़ी दूरी पड़ी है। हिमाचल के सपने आप क्यों देख रहे हो बिना मतलब? (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : नहीं, मैं तो नहीं देख रहा हूं। मेरे दिमाग में तो आगे की स्थिति एकदम स्पष्ट है, मेरे कोई भ्रम नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय पण्डितजी, जयदेव प्रसाद इन्दौरियाजी, आप अपने क्षेत्र की बात कर रहे थे, आप अपनी बात करिये। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं तो नहीं देख रहा हूं। मेरे दिमाग में तो आगे की स्थिति एकदम स्पष्ट है, मेरे को भ्रम नहीं है। चूरू से पधारने वाले मेरे प्रिय कंवर साहब, आपको मेरे से अधिक जानकारी हो सकती है, इसको मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि आप लगातार सुबह से शाम तक विभिन्न अफसरों से मिलते हैं, दफ्तर में जाते हैं, जानकारी करते हैं। मैं तो विधान सभा से एम.एल.ए. क्वार्टर और एम.एल.ए. क्वार्टर से यहां आ जाता हूं। यदि आपकी यह बात सही है तब भी जोशीजी से निवेदन करने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वह इस विभाग के मंत्री हैं। वैसे तो संक्षेप में सूत्र दे दिया था, मुख्य मंत्रीजी को संक्षेप में कहा था क्योंकि बीच में उनको डिस्टर्ब करना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज तो सभापति महोदय की कृपा हो गयी इसलिये जोशीजी से विशेष निवेदन है मेरा उन पर थोड़ा विश्वास भी है। वह छोटे हैं फिर भी मेरी श्रद्धा है, इसलिये आप की बात पर शायद गौर करें, न करें, मेरी बात पर जरूर गौर करेंगे।

मैं तो इस आधार पर कह रहा हूं कि चीफ इंजीनियर महोदय का मेरे पास पत्र आया था, उन्होंने लिखा है कि सुजानगढ़ के 95 गांव और रतनगढ़ के 84 गांव रतनगढ़ सहित, कमेटी ने स्वीकृत कर दिये हैं। मैं समझता हूं कि यदि स्वीकृत नहीं होते तो अधिकृत रूप से अधिकारी सूचना नहीं देते। लेकिन फिर भी आप जांच कर लेना। मैंने इसलिये आपको प्रिय कहा है कि आप जांच करके सही स्थिति मुझे बताना कि कहीं मुझे टरका तो नहीं रहे हैं।

जैसा कि मैंने आपकी उपस्थिति में चूरू जिले की मीटिंग में कहा था, क्योंकि आप तो जैसे यहां प्रहार करते हैं, वैसे वहां भी प्रहार करते हैं, मैंने आपसे निवेदन किया था कि मेरे यहां गौ–रक्षा की कोई समस्या

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

नहीं है और आपके यहां कोई ऐसी समस्या हो तो पांच–दस हजार जितनी गाएं हैं, आप रतनगढ़ भिजवा दो, मैं उनकी व्यवस्था करूंगा, चाहे कैसे भी व्यवस्था करूं। आप उस वक्त थोड़ा नाराज भी हुए। नाराज होना स्वाभाविक भी था, वह स्वाभाविक था, क्योंकि मैं सत्य कह रहा था।

डा. सी. पी. जोशी : यह व्यवस्था नहीं करते हैं, यह तो गौ–रक्षा के लिये भाषण देते हैं। व्यवस्था आप करो, भाषण वह देंगे।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैंने गांवों में घूमकर, शहरों के लोगों से सम्पर्क करके मेरी तरफ से एक तरह की व्यवस्था कर दी। और मैंने यह भी निवेदन किया था कि यदि आप चाहो तो आप चूरू में कर सकते हो, चूरू में बहुत दानदाता हैं। और...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको मालूम है, पण्डितजी, एक हजार परिवारों को चार महीने तक लगातार प्रति परिवार पचास क्विंटल गेहूं बांटने का अभियान राज्यपाल महोदय के हाथ से हमने प्रारम्भ कराया, उसकी तो प्रशंसा करो। गौर–रक्षा के अन्दर, मैं जहां जाता हूं आपकी कोटि–कोटि प्रशंसा करता हूं। तो आप मेरी भी तो कहो कि आप गरीबों को अनाज दे रहे हो। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : यह गौ–रक्षा की बात कर रहे हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आप सुनिए, मैं कैसे प्रशंसा करूं, आप तो बार बार मुझे टोक रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चलो, अब नहीं करूंगा।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आप व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। मेरे दिमाग में यह बात आई थी, लेकिन आपके व्यवधान से वह बात चली गयी। मैं राज्यपाल महोदय का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने चूरू जिले का भ्रमण किया, मेरे क्षेत्र में भी पधारे और अकाल सहायता शिविर में एक लाख रुपये का अनुदान दिया। एक बाबा विश्वनाथ हैं, वह गौ–शिविर चला रहे हैं, उनको भी पच्चीस हजार रुपये की सहायता दी। मेरे क्षेत्र में भी उन्होंने अन्न वितरण किया। स्थानीय रतनगढ़ की स्वयसेवी संस्थाएं हैं, समय समय पर उनसे प्रार्थना करके अन्न वितरण करवाता हूं, कम्बल भी वितरित करता हूं, स्वेटर भी दिलाता हूं। कोई गरीब आदमी, कोई असहाय जिसको कोई सहायता की जरूरत हो तो वह भी दिलाने की चेष्टा करता हूं। कुल–मिलाकर आपसे अकाल सम्बन्धी कोई शिकायत मुझे नहीं है। सिर्फ आप इतना–सा काम कर दीजिये कि आप थोड़ी लेबर बढ़ाओ, ऐसी लोगों की मांग है। लोग आते हैं और कहते हैं, पण्डितजी, वह काम तो समाप्त हो गया, अब और खुलवाओ। अब कलक्टर कहता है कि मेरे पास तो जो संख्या सीमित है उसी के

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

अन्तर्गत कर सकता हूं। मैंने कहा ठीक है, फिर जिसके पास अधिकार है उसी से निवेदन करेंगे। मैंने सोचा कि आपके पास अधिकार है तो आप जितना दे सकें, मेरी कोई संख्या निश्चित नहीं है। आप तो सरकार को कोई असुविधा नहीं हो, आपको कोई असुविधा नहीं हो, उतनी संख्या आप बढ़ा सकें तो बढ़ा दें। बिजली पर तो नहीं बोलना अच्छा है।

श्री सभापति : बिजली आज का विषय भी नहीं है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आज विषय नहीं है क्या? लेकिन जब विषय आएगा तब बोलने का टाइम नहीं देंगे।

श्री सभापति : दे देंगे। अभी केसारामजी और अन्य माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : अन्त में, मैं...(व्यवधान) विषयान्तर हो जाएगा। हुजूर, निवेदन कर दूं क्या?

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री): बोलो बोलो।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : कर दूं? उत्पादन बढ़ाया, धन्यवाद। जब प्रयास शुरू हुआ था, उस वक्त भी मैंने मंगल कामना की थी। आपने बणिये की दुकानें खोल दीं न, यह बहुत गड़बड़ काम है। अब आगे के वर्षों में देखना, आप चाहे मत कहो, मेरी ऐसी धारणा है कि आप बिजली के दाम बढ़ाओगे, सम्भावना है। हो सकता है मेरी कल्पना शायद असत्य भी हो जाए, लेकिन मुझे यह दिख रहा है कि आप बिजली के दाम बढ़ाएंगे।

श्री सभापति : माननीय पण्डितजी, आज का विषय नहीं है बिजली। नहीं, गलत है। आप कनक्लूड करें। पानी और अकाल पर कुछ कहना चाहे तो आप कहें।

श्री हरजीराम बुरड़क : बिजली कैसे नहीं है? पानी से बिजली का सम्बन्ध है, विषय कैसे नहीं है? (व्यवधान)

श्री सभापति : लेकिन बिजली पर अलग से चर्चा होगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : बिजली बिना पानी कैसे आएगा?

श्री सभापति : आज अकाल, पानी और पशु संवर्द्धन पर बोले, बहुत अच्छा हो, बोलें। आप नहीं बोलना चाहते हैं क्या?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय सभापति महोदय, मैं स्वयं भी नहीं बोलना चाहता था, लेकिन इन्होंने कहा। मैंने कहा मैं विषयान्तर हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा है कि सर्वसम्मति से कोई मांग हो तो उसको पूरी भी करनी चाहिये। अभी आपने पूछा एक घंटा और बढ़ा दें, सबसे पूछा। हम बोले भी नहीं फिर भी एक घंटा बढ़ गया।

श्री सभापति : आपकी मौन स्वीकृति थी। आपने ना भी नहीं बोला, मौन स्वीकृति

(श्री सभापति)

थी आपकी। बाकी मैम्बर्स और हैं, टाइम तो बढ़ेगा नहीं। बोलो आप तो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : तो बिजली के दाम तो बढ़ेंगे। बढ़ें, तब मेरे को याद कर लेना कि पण्डितजी ने कहा था। जकां कै खेत मैं कुआं है वां नै सैं न कनेक्शन कटानो पड़सी। 10-10, 15-15 हजार महीने का जका बिल आवै हैक वे काश्तकार कोनी चुका सकै। जिस वक्त चन्द्रभानजी थे उनको मैं कहता था कि आपके प्रयास की तो मैं सराहना करता हूं, लेकिन थे तीन चार बनायी हो ओ काम थे खोटो कर र्‌या हो। और कम से कम काम तो कर्‌या, काम तो ओ थारै सै गलत होसी, पण एक काम जरूर कर्‌या, कृषि कूप जो काश्तकार है उसको आप पूरी बिजली देओ। और यह क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हर चीज जमीन से पैदा होती है और उन सारी चीजों को किसान पैदा करता है। सिर्फ एक चीज ऐसी है जो जमीन से पैदा नहीं होती। वह आप सब जानते ही हैं। नहीं जानते हो तो बता दूं?

श्री शिवनाथ सिंह : बता ही दो आप तो।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : एक ऊन ऐसी चीज है जो जमीन से पैदा नहीं होती और सब चीजें जमीन से पैदा होती हैं। ऊन भेड़ पर मिलती है और भेड़ पर ऊन कोई छोड़ता नहीं है।

अभी मेरे सम्माननीय विधायकजी ने कहा कि संजय गांधी ने पेड़ लगाने के लिए कहा था। पेड़ लगाना तो अच्छा है। आपकी पेड़ लगाने की इच्छा हो तो चाहे कोई पेड़ लगाओ, लेकिन मेरी राय यह है कि आप किसी दूसरे को सलाह दो या आप लगाओ तो पीपल का पेड़ लगाना। मैं इसको कोई धार्मिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। धार्मिक दृष्टि तो इसमें अपने आप आ गयी। इसमें वैज्ञानिक विवेचन है कि और सब पेड़ जितने भी हैं वो दिन में आक्सीजन छोड़ते हैं और रात को नाइट्रोजन छोड़ते हैं, लेकिन पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो नाइट्रोजन छोड़ता ही नहीं, वह ऑक्सीजन ही आक्सीजन छोड़ता है चाहे दिन हो, चाहे रात हो। इसलिए आपकी भावना की मैं कद्र करता हूं, पेड़ लगाने चाहिए। मैंने मेरी जिन्दगी में कोई 20-30 पेड़ लगाये हैं पीपल के ही। मैं पीपल का ही लगाता हूं और वे इसको छू रहे हैं, इतने ऊंचे हैं। आपकी पेड़ लगाने की भावना देख कर मेरे को याद आ गयी कि मैं सलाह दे दूं कि आप पीपल के पेड़ के लिए प्रचार करना। नीम का पेड़ भी लाभदायक है। नीम कोई नुकसानदायक नहीं है, लेकिन नीम में एक बात है। इसकी पत्तियां, डालियां और छाल, सब काम आती हैं लेकिन वह रात को नाइट्रोजन छोड़ता है।

श्री शिवनाथ सिंह : कार्बन डाई आक्साइड।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : वो मनै नाम याद आवै कौनी। मतलब दूषित वायु छोड़ता है। पीपल नहीं छोड़ता। आपका थोड़ा भ्रम दूर कर दूं। आपने महाभारत का सन्दर्भ देकर यह कहा कि दुर्योधन नाराज हो गया और अर्जुन को मारा नहीं। उसमें कारण है। अर्जुन को मारने से द्रोपदी विधवा हो जाती और भीष्म पितामह का यह आर्शीवाद था उसको–"सौभाग्यवती भव"। इसलिए अर्जुन नहीं मरा, भीष्म पितामह के आर्शीवाद से।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने तो सिर्फ अच्छे काम के लिए धन्यवाद के लिए कहा था, पण्डितजी, धन्यवाद तो देना।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : ठीक है। चौधरी साहब, कृपा करायां, हां और थानै कोई भविष्य मैं खतरों तो नहीं लागै है न?

श्री रामनारायण चौधरी : कोनी लागै खतरों थारे बैठ्यां।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं तो शुरू दिन मैं कह दियो हो, आशीर्वाद दे दियो हो अशोक गहलोत न कि 5 वर्ष तांई तनै कोई कोनी हटा सकै। और अबार जो बवंडर आयो कि अ और आपनला सैं मिलकर, तो मैं तो बानै कै दियो कि राजस्थान में अशोक गहलोत का कोई विकल्प ही नहीं है। कहां हटाने की बात कर रहे हो, नहीं हटेगा वह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पण्डितजी, लगे हाथ 5 साल बाद वाली बात और कह दो।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : और, अकाल राहत मंत्रीजी, आपको याद हो तो मैंने यह कहा था कि भगवान करे आप अकाल सहायता मंत्री रहो। और प्रद्युम्न सिंहजी को कहा था कि सालासर धाम और छापर की काले हिरणों की जो सैंक्चुरी है बीनै पर्यटन मैं तू लेवै, हां भरी है तो जा, आगलो बजट तू ही राखसी। आप ही रखोगे अगला बजट, तो परसों आ रहा है वो। ती तीन बातां है और थे चाहो तो लाओ और की घोषणा कर दूं।

श्री सभापति : बहुत–बहुत धन्यवाद, पण्डितजी। श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, आज सदन में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा हो रही है। पानी, चारा और अकाल की जो भयंकर विभीषिका इस समय राजस्थान में है, इन जनरल समस्याओं को लेकर इस सदन में चर्चा हो रही है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि राजस्थान गांवों का प्रदेश है, 80 प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते हैं। गांवों में कृषि प्रधान एरिया में इस समय किसानों को तकलीफ पड़ी हुई है, कृषक खेती में अनाज कम होने और पानी की भयंकर समस्याओं को लेकर तकलीफ झेल रहे हैं। सभापति महोदय, आज एक तरफ पानी की समस्या है, चारे की समस्या है तो दूसरी तरफ अनाज की भयंकर विभीषिका से भी राजस्थान जूझ रहा है। आप और हम से छुपा हुआ नहीं

(श्री मांगीलाल गरासिया)

है कि विगत वर्षों में सबसे भयंकर 1987-88 के अकाल के बाद इस वर्ष का अकाल और भी भयावह है। इस स्थिति में 4 करोड़ 48 लाख लोग अकाल से प्रभावित हुए हैं और 40990 गांव अभावग्रस्त घोषित हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। सभापति महोदय, दूरगामी क्षेत्रों के बारे में आपसे निवेदन करूं तो जहां पहले बारहमासी नदी और बानाले बहा करते थे आज उन बारहमासी नदी-नालों में पानी बिलकुल खतम-सा हो गया है और पीने के पानी की स्थिति भयंकर हुई है। सभापति महोदय, 4 करोड़ 52 लाख पशुधन इस अकाल से प्रभावित हुआ है। राजस्थान सरकार ने खुली मंशा से, खुले दिल से राजस्थान के वासियों की पानी की, अनाज की समस्या को दूर करने के लिए अथक परिश्रम किया है।

मैं ग्रामीण अंचल से यहां आया हूं, मैं थोड़ा निवेदन इस प्रकार से करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के कोटड़ा दूरगामी क्षेत्र का मामला ऐसा है कि वहां पर ऐसे ऐसे गांव हैं जो 18 और 36 किलोमीटर दूर हैं। ऐसा क्षेत्र आदिवासी अंचल का है, उस अंचल में मेरा निवेदन यह है कि मैंने जब एरिये का पैदल दौरा किया, उस पैदल दौरे में 36-36 किलोमीटर और 49 किलोमीटर देखा है, इसलिए मुझे मालूम है। समूलका दूरगामी क्षेत्र ले लो, तिलरवा का अंचल ले लो या फिर भाड़ेरिया छापे की नाल का एरिया ले लो, इन वर्षों में इस एरिये में ज्यादा अकाल की स्थिति हुई है। वहां के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि वहां दस किलो अनाज भी काश्तकार भाइयों को नहीं मिल पाया। इस प्रकार के एरिये में बहुत जरूरत है कि वहां पर हर व्यक्ति को काम मिले। और यह व्यवस्था माननीय अकाल राहत मंत्रीजी ने की है, इसमें दो राय नहीं है। अकाल राहत मंत्री महोदय ने 16 अगस्त, 2000 से काम शुरू करके उस एरिये में शांति बनाये रखने और लोगों को राहत देने का काम शुरू किया है और लगातार सात महीने अकाल में काम काम मिला, उनको रोजगार मिला है परन्तु अभी भी मैं मानता हूं कि वहां पर लेबर बढ़ाने की जरूरत है, हर व्यक्ति को काम देने की जरूरत है। वहां बिखरी आबादी का एरिया है और बिखरी आबादी में 50 मकान कहीं हैं और सौ मकान किसी और जगह हैं। ऐसे गांव और ढाणियों में यदि राजस्व विलेज मानकर काम दिया जाता है तो मैं मानता हूं कि वहां पर इंसाफ होगा। रेवेन्यू विलेज के साथ में उन गांव और ढाणियों को भी जोड़ने की जरूरत है। वह दूरगामी क्षेत्र है, यदि बिखरी आबादी के क्षेत्र में रेवेन्यू विलेज मानकर काम दिया तो शायद दूसरे जो पांच और सात किलोमीटर दूर रहने वाले लोग हैं वे उससे लाभान्वित नहीं हो सकते हैं, इसलिए मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि रेवेन्यू

(श्री मांगीलाल गरासिया)

विलेज के अलावा उन ढाणियों में भी काम देने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक श्रमिकों का मामला है, जिस तरह से अकाल राहत मंत्रीजी ने दस दिन में दूसरे लेबर्स को लगाने का रोटेशन प्रणाली का काम किया है, यह एक महत्वपूर्ण कदम राजस्थान सरकार ने उठाया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रोटेशन प्रणाली से कई भाइयों को फायदा मिल रहा है और ज्यादा से ज्यादा श्रमिक काम पर लग रहे हैं।

चारा डिपो की जो बात आयी है। मैं एक निवेदन माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से और करना चाहूंगा कि आने वाले समय में भयंकर विभीषिका के कारण चारे-पानी की समस्या रहेगी। 15 जनवरी, 2003 तक जो 4210 चारा डिपो खुले हैं, राजस्थान सरकार ने पशु शिविरों के लिए अनुदान में बढ़ोतरी करके ग्रास रूट में रहने वाले लोगों को फायदा देने का बहुत बड़ा काम आपने हाथ में लिया है, मैं उसकी सराहना करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

केवल पांच मिनट में अपनी बात खतम कर रहा हूं।

श्री सभापति : केवल एक मिनट में।

श्री मांगीलाल गरासिया : मेरा अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन है कि स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, ग्राम सेवा सहकारी समिति और ग्राम पंचायतों के माध्यम से, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से उनकी समस्याओं को दूर करने का आपका प्रयास जारी रहा तो ग्रास रूट के लोगों की चारे की समस्या का निपटारा हो पाएगा।

श्री सभापति : माननीय श्री केसारामजी चौधरी।

श्री मांगीलाल गरासिया : सभापति महोदय, दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

पानी की समस्या के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बिखरी आबादी का क्षेत्र है और उसमें सूखे डैम्स हैं। गोगुन्दा में पेयजल की बात के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां चार चरणों में पैसा देने की बात आयी है जबकि आपने दो चरणों में काम पूरा करने का किया है। हमारे यहां काम के दो चरण और बाकी हैं और उनका टेण्डर लगने वाला है, उसमें आप स्वीकृति प्रदान करें। और मैं लास्ट में थोड़ा-सा निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : श्री मांगीलाल गरासिया, आपका हो गया, बैठिए।

श्री मांगीलाल गरासिया : सभापति महोदय कह रहे हैं तो मैं अपनी बात को विराम देता हूं यह कहते हुए कि-

(श्री मांगीलाल गरासिया)

कर जाओ कुछ काम माननीय अकाल राहत मंत्रीजी

ताकि राजस्थान की शान रहे।

एक दिन सुकाल हो या अकाल हो,

राजस्थान का जन–जन आपको याद करे।

इन्हीं शब्दों के साथ बहुत–बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में अकाल राहत, पानी और पशु संवर्द्धन के ऊपर चर्चा हो रही है। मैं भी अपने आपको इस चर्चा में सम्मिलित करता हुआ आपकी मार्फत अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह भीषणतम अकाल है, इस अकाल में आपने मजदूरों की जो सीमा लगायी है और बी.पी.एल. परिवार, एस.सी. और एस.टी. के लोगों की जो प्रक्रिया शुरू की है उससे गांवों में बखेड़ा खड़ा हो गया है, लड़ाई झगड़े शुरू हो गये हैं। मैंने परसों जो लेबर लगी थी उसको मौके पर जाकर देखा है, वहां पर आपने पटवारी और प्रभारी लगाये हैं वे करीब एक बजे तक लेबर को लगा नहीं पाये हैं। मैं मस्टररोल पर दस्तखत भी करके आया हूं, वे बाकायदा लेबर लगाने में इतने अक्षम हो गये हैं कि गांवों में झगड़े टंटे हो रहे हैं और पुलिस तक की नौबत आती है। जब आप खुद मानते हैं कि अकाल इतना भयंकर है और लोगों में मजदूरी के लिए झगड़े और टंटे हो रहे हैं और सिर पर मिट्टी ढोकर कोई अपना जीवन–यापन करना चाहे, अपने पशुओं को पालना चाहे तो, माननीय मंत्रीजी, यह तो कहीं का न्याय नहीं, आप मजदूरों को उसमें लगाने की खुली छूट दें। आज सबसे बड़ी समस्या किसान की है और अकाल राहत की मजदूरी की अगर किसी को आवश्यकता है तो वह किसान को है क्योंकि किसानों को पशुओं को पालना है, परिवार को पालना है। वह कुओं का 1500 और 2000 रुपये का बिजली का बिल कहां से भरे? मजदूरी करके वह अपने पशु और अपने परिवार को पालने की चेष्टा कर रहा है। बी.पी.एल. को जिस तरह से सहायता दे रहे हैं उसी तरह ओ.बी.सी. क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में एस.सी. नाम की कोई चीज ही नहीं है, मेरे खारची विधान सभा क्षेत्र में झामुड़ा से शुरू होता है और अरावली क्षेत्र तक सारा का सारा जाता है, उसमें एस.सी. और एस.टी. नाम की पब्लिक कोई है ही नहीं। वहां पर आप कहां से लगाएंगे? इसलिए दस–दस और पांच–पांच लेबर लगी हुई है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देकर इस लेबर सीमा को कंट्रोल किया जाए जिससे उन लोगों को राहत मिले, सहायता मिल सके, वास्तव में जिनको काम की आवश्यकता है।

श्रमिकों के लिए एक माह में आपने दस दिन का पखवाड़ा बना दिया और उसमें

(श्री केसाराम चौधरी)

भी नौ दिन की मजदूरी आप देंगे। नौ दिन की मजदूरी बहुत कम है इसलिए एक महीने में एक परिवार के मजदूर को कम से कम बीस दिन की मजदूरी देने की भी व्यवस्था करने की मेहरबानी करें।

कच्चे कार्यों में छोटे-छोटे एनीकट, मिट्टी की पाल मजबूत होने पर पानी रुकता है, सिंचाई विभाग वाले एम.एल.ए. कोटे से मैंने ऐसे एनीकट करने के लिए दिए हैं, मगर उसको एन.ओ.सी. नहीं देते। यह बताते हैं कि इससे तो यह बांध प्रभावित होता है। और एन.जी.ओ. वाले अगर उसी काम को करवा रहे हैं, उस एन.जी.ओ. को स्वीकृति लेने की कोई जरूरत ही नहीं। उसी क्षेत्र में कार्य एन.जी.ओ. करता है उसको तो स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है, मगर एम.एल.ए. के लिए सिंचाई विभाग की परमिशन लेना आवश्यक है। यह मेरे समझ के बाहर की बात है। माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, कोई न कोई ऐसी आवश्यकता होगी तभी तो हम एम.एल.ए. कोटे से उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय सभापति महोदय, आपने जो बात कही है उस बाबत मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि हमने तमाम कलक्टर्स को, तमाम सिंचाई विभाग के अधिकारियों को और तमाम उन एजेंसीज को जो कि यह काम करते हैं, उनको पाबन्द किया है कि किसी भी पहले से बने हुए वाटर कंजरवेशन प्रोजेक्ट के कैचमेंट में कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाए। अगर कलक्टर इसकी देख-रेख नहीं कर रहे हैं कि कोई भी तो बना ले और जो अधिकृत एजेंसी है वह नहीं बना पाए तो उसको हम पाबन्द करेंगे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं।

श्री केसाराम चौधरी : कोई एनीकट बना हुआ है, उसकी पाल फूटने लायक है और एम.एल.ए. कोटे से हम उसको पैसे दे रहे हैं। बिलकुल अगर पैसे नहीं लगेंगे, आखिर में एक एनीकट में मैंने सिर्फ 48 हजार रुपये दिये, मैंने कहा यह फूट नहीं जाए।

डा. (श्रीमती) कमला : नहीं, यह पैसे का मामला नहीं है। यह है कि एक पहले से बना हुआ स्ट्रक्चर है उसमें पानी आ रहा है। अगर वह पानी इतना आ रहा है कि ओवर फ्लो होने वाला हो तो-तो आप अपस्ट्रीम में रोके तो बात सही है। लेकिन अगर पहले ही उतना-सा पानी है जितना कि उसको बनाया है तो फिर वह जो बना चुके हैं अपन, वह तो सारा बन गया। इसलिए वह पाबन्दी है।

श्री केसाराम चौधरी : यही तो निवेदन कर रहा हूं कि जो बने हुए हैं उसमें पैसे दे रहा हूं उसको नहीं करने दे रहे।

डा. (श्रीमती) कमला : ऐसा देखिये, वह मरम्मत वाला क्या पता किस वक्त कैसे बना, लेकिन अगर किसी के कैचमेंट में वह

(डा. (श्रीमती) कमला)

है और उस कैचमेंट को डिस्टर्ब नहीं करे तो बनाओ, कोई बात नहीं है।

श्री केसाराम चौधरी : तो फिर यह छोटे छोटे खडीन बनाना, उससे भी कैचमेंट नहीं होगा।

डा. (श्रीमती) कमला : ये सब कैचमेंट को बचाकर बनेंगे।

श्री केसाराम चौधरी : क्या बात कर रहे हो? एरिया तो वही है।

डा. (श्रीमती) कमला : अगर गांव में एक तालाब है...

श्री केसाराम चौधरी : पानी जाता है, मंत्री महोदया, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं...

डा. (श्रीमती) कमला : जल प्रवाह क्षेत्र जो है उसमें और कोई बन गया तो बने हुए पर पानी कहां से आएगा, यह तो सोचो आप।

श्री केसाराम चौधरी : बना हुआ है वह फूट जाए, उसकी अगर मरम्मत करनी है तो उसके लिए पैसा नहीं लगे? आपकी बात मैं समझ रहा हूं, आप उसको राइजिंग नहीं करना चाह रहे। मैं राइजिंग करने की बात नहीं कर रहा, उसकी मरम्मत करने की बात कर रहा हूं उसकी मरम्मत भी नहीं करें?

श्री रामसिंह विश्नोई (कृषि मंत्री) : मंत्री महोदया, ऐसा नहीं है। जो काम पहले हो चुका है उसमें दूसरा एम.एल.ए. कोई नहीं कर सकता, यह कायदा है। नया काम कर सकते हो आप, लेकिन उसमें कितना पैसा लगेगा, यह कोई एस्टीमेट है नहीं।

श्री केसाराम चौधरी : एस्टीमेट बकायदा है, जे.ईएन. है।

श्री रामसिंह विश्नोई : ऐसा नहीं है, इसमें जो काम पहले हुआ होगा वह टूट गया, फूट गया, उसका कोई मालूम नहीं है। इसलिए उसमें पैसे देने का प्रावधान नहीं है।

श्री केसाराम चौधरी : आधे में लगा दो, वह प्रावधान है, आधे में कैसे कर दिया?

एक माननीय सदस्य : डिपार्टमेंट कराएगा अपने आप। डिपार्टमेंट कराएगा।

श्री सभापति : माननीय केसारामजी, आप आसन को सम्बोधित करके अपनी बात कहें।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्री महोदय, आपने एक बात कही लेकिन विधायक कोटे से जो कैचमेंट बनी हुई है उसमें यह प्रावधान है कि...(व्यवधान) यह बात सही नहीं है, गाइड लाइंस में यह लिखा हुआ है।

डा. (श्रीमती) कमला : जिस किसी अथोरिटी ने यह आपको बताया है या गाइड लाइन दी है वह गाइड लाइन नहीं देने के लिए अधिकृत हैं नहीं, क्योंकि राजस्थान में यह कानून बना हुआ है कि किसी भी पोल से बने हुए किसी वाटर कंजरवेशन स्ट्रक्चर

(डा. (श्रीमती) कमला)

को, कैचमेंट को आप बाधित नहीं करेंगे। अगर उसमें पानी इतना आ रहा है कि वे दोनों ही भर सकते हैं तो जरूर आप कर सकते हैं।

श्री केसाराम चौधरी : सभापति महोदय, इस तरह से मेरा समय ले रहे हैं।

श्री सांवर लाल : नये बनाने का सवाल ही नहीं है वहां।

डा. (श्रीमती) कमला : एन.जी.ओज. ने कर रखे हैं।

श्री केसाराम चौधरी : मैं निवेदन करना चाह रहा हूं प्राकृतिक आपदा के समय किसान को राहत देने की बात। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जब पहला भाषण दिया था उसमें भी कांग्रेस सरकार ने यह कहा था कि हम किसान की प्राकृतिक आपदा में जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे। तो मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस समय जो प्राकृतिक आपदा हुई है उस आपदा में किसानों के जीरा बिलकुल चौपट हो गया और ओलावृष्टि की वजह से बहुत फसलों को नुकसान हुआ है। क्या सरकार ने इसका सर्वे करवाया? मेरे यहां पर एक जोगड़ावास बांध है, बांध में डूब क्षेत्र में लोगों ने इस वर्ष अकाल की वजह से खेती की थी। डैम के अन्दर चार फीट पानी आ गया और गेहूं पूरा का पूरा अन्दर डूब कर सड़ गया है। उन किसानों को सर्वे करवाकर मुआवजा दिलाने की कोई व्यवस्था करिये। इस अकाल में जो अपनी बहुत पसीने की कमाई से उसमें पैसा लगा कर डूब में आये खेतों में उसने उपज पैदा की थी और पकने के वक्त एन टाइम पर उसमें पानी भर जाने से पूरे के पूरे गेहूं समाप्त हो गये, उनको भी मुआवजा देने की व्यवस्था करें।

अकाल राहत के तहत सड़कें एवं एनीकट स्वीकृत हुए थे मेरे यहां पर। अकाल राहत के तहत उसमें श्रम घटक और सामग्री घटक दोनों स्वीकृत हुए थे। सिंचाई विभाग के कुल सात काम थे और सातों कामों पर श्रम और सामग्री घटक की स्वीकृति हुई थी। लेकिन उन पर श्रम का काम करवा दिया गया और सामग्री न देकर उन कामों को अधूरा छोड़ दिया गया है। अभी उन पर सरकार पैसा नहीं लगाती तो उनकी सैंक्शन देने की कहां आवश्यकता थी? वहां मिट्टी डलवा दी वह सरकार का पूरा का पूरा लॉस हुआ। इसलिए मेहरबानी करके सिंचाई विभाग के जो सात काम स्वीकृत हुए थे उन कामों को खारची विधान सभा क्षेत्र में वापस स्वीकृति प्रदान करावें।

श्री सभापति : माननीय अमराराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी : निवेदन है, एनीकट का कार्य...

श्री सभापति : आप कनक्लूड करो।

श्री केसाराम चौधरी : बिलकुल नहीं मैं पशुधन के लिए बात कहना चाह रहा हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आपने माननीय अमरारामजी का नाम पुकारा, उनके बोलने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री केसाराम चौधरी : पशुओं के लिए बोल रहा हूं मैं। माननीय सभापति महोदय, अकाल में भेड़पालक अपने यहां से पलायन करके एम.पी. में गये, उन पर इतना टैक्स लगाया गया कि एक एक भेड़पालक पर जो आठ रुपये टैक्स लगता था उसकी जगह 45 रुपये लगे और ऊंट के लिए दो सो रुपये टैक्स के रूप में लिये। उस टैक्स को किसी ने नहीं दिया और भेड़पालकों से एक एक से डेढ़-डेढ़ लाख रुपया टैक्स वसूल किया गया। मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि हमने एम.पी. सरकार को चिट्ठी लिखी और उसको माफ कर दिया है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि माफ नहीं किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर कोर्ट से स्टे लिया। उनके साथ यह अन्यास हो रहा है कि भेड़पालकों ने जो...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह जो बरसात हुई थी उसमें मेरे क्षेत्र में परसों जब मैं क्षेत्र में दौरे पर था तो एक परिवार की कम से कम साठ-साठ और सत्तर-सत्तर भेड़ें मरीं। देवासी लोगों की औरतें थीं, रो रही थीं। ऐसे लोगों का भी सर्वे करवाकर इस अतिवृष्टि से, ओले पड़ने की वजह से जो भेड़ें मरी हैं उनको इस अकाल में कुछ न कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि वे अपना जीवनयापन कर सकें।

श्री सभापति : राजेन्द्रजी, बैठाओ ना आप इनको।

प्रश्न यह है कि अमरारामजी चौधरी के वक्तव्य तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय श्री अमरारामजी चौधरी के विचार रखने तक बढ़ाया जाता है।

राज्य में अकाल, पेयजल एवं पशु संवर्द्धन की स्थिति पर विचार

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सम्माननीय सभापति महोदय, इतना गम्भीर अकाल बाड़मेर जिले में है, मेरे खयाल से अन्य जगह नहीं है। बाड़मेर, जैसलमेर अकाल हमारे यहीं पड़ता रहा पहले, लेकिन

(श्री अमराराम चौधरी)

अब तो पूरे राजस्थान में सब जगह अकाल है। लेकिन इतना गम्भीर अकाल जो बाड़मेर जिले में है, जैसलमेर जिले में है, वह कहीं भी नहीं है। (व्यवधान) हां, जोधपुर में भी है, साहब। (व्यवधान)

(20.00 बजे)

श्री रामसिंह विश्नोई : राजस्थान में जैसा अकाल है वह हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : राजस्थान में इतना गम्भीर अकाल है। उदयपुर में गम्भीर है लेकिन वहां ऐसी बात नहीं है। सब जगह इतना गम्भीर अकाल है, लेकिन जहां कुएं हैं, जहां डबल क्राप है वहां अलग बात है और सिंगल क्राप है वहां अलग बात है। जहां एक फसली का है वहां तो और भी ज्यादा गम्भीर है। जहां पीने का पानी नहीं हो, मजदूरी नहीं हो, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं हो, वहां तो और भी गम्भीर है।

मेरा निवेदन है कि यह जो व्यवस्था अकाल राहत के लिये की गयी है, सप्ताह जो दस दिन का होता है, दस दिन में...

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहूंगा कि बाड़मेर में निश्चित रूप से भयंकर अकाल है और इसी वजह से केन्द्रीय वित्त मंत्री जो खुद बाड़मेर जिले के हैं, उन्होंने राजस्थान की अपेक्षा की है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : राजस्थान की कोई अपेक्षा नहीं की है। उन्होंने जो 244 करोड़ दिया है यह लूणी से जसोई तक की लाइन के लिये ब्राडगेज के लिये है, बिल्डिंग के लिये है। उन्होंने 18 करोड़ रुपये ट्रीटमेंट प्लांट के दिये हैं। मरु गोचर योजना के लिये भी पैसे का प्रावधान रखा है। आपको यह सारी बात मालूम है। राजस्थान की उपेक्षा करते तो कम से कम उदयपुर को तो नहीं जोड़ते, लेकिन उदयपुर में भी ब्राड गेज बन रही है। यह राजस्थान की उपेक्षा कहर रहे हो आप?

मेरा निवेदन यह है कि दस दिन के हफ्ते में जिस दिन मस्टररोल है वहां सुबह जाते हैं और शाम को पांच बजे तक मेला लगा रहता है। सरपंच, ग्राम सेवक और पटवारी के लिये बड़ी मुश्किल रहती है कि लगाएं तो लगाएं किसको? अब हर आदमी, एक घर में ट्रैक्टर है उसको परेशानी हुई, क्योंकि एक बार बरसात हुई उससे खड़ाई तो पूरी करनी पड़ी। बीज के लिये खर्चा हो गया, तेल, डीजल, ट्रैक्टर का खर्चा अलग हो गया और पैदा नाम से तो एक पैसा भी नहीं हुआ। खास तौर से ऐसी जातियां जिनकी औरतें घर से बाहर नहीं आती हैं, अकाल राहत मंत्रीजी, लगातार अकाल से उनके घरों में क्या हो रहा है? बच्चियों की शादी करना मुश्किल हो गया, टीका प्रथा के कारण से बच्चियों को फिर ले नहीं जाते हैं। यहां तक कि उनको सुसाइड करनी पड़ती है जब वह लड़का पैसा मांगता है। बड़ी गम्भीर हालत हो रही है। छोटे छोटे जागीरदारों के घरों में औरतें बाहर नहीं निकलती हैं, बड़ों ने तो फिर

(श्री अमराराम चौधरी)

भी पर्दा हटा दिया। उनके लड़के और आदमी काम करने के लिये जाते हैं, मैं कई बार देखता हूं कि यह कौन आ गया? फलां, निकालो इसको। क्यों निकालो इसको? इसके घर में क्या है? सरपंच दौड़कर गये, कुछ नहीं है, आप इसको कैसे निकाल रहे हो? तो कहते हैं कि फलां का लगाओ। फलां का लगाओ, लेकिन उनकी हालत घर में जाकर आपने देखी? बहुत गम्भीर हालत है।

कार्ड प्रथा जो आपने बनायी है, एक किसान जिसके पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को चाटे क्या? सारे घर के अन्दर लोग काम पर लगना चाहते हैं, लग नहीं सकते। कहां लेकर जाएंगे? तो मेरा निवेदन है कि आपने जो व्यवस्था की है इसमें सुधार करना पड़ेगा।

राजसमन्द के कलक्टर ने जो व्यवस्था की है, बिलकुल नियमित रूप से काम हो रहा था, आपने भी देखा है। हमारे बाड़मेर जिले में इतना भयंकर अकाल है, वहां ऐसा है ही नहीं। कई बार तो एक घर से चार चार, पांच पांच आदमी लगते रहते हैं लेकिन जो वास्तव में गरीब है वह दूर खड़ा रहता है, वह लगता ही नहीं है। यह व्यवस्था बाड़मेर में आप तुरन्त लागू करें। अभी चार हजार कार्ड समिति में भेजे हैं तो उससे क्या होगा? यह करना चाहिये था शुरू से ही। आज हमेशा झगड़े हो रहे हैं। गांव में आपस में यूं ही रंजिश बढ़ रही है। मजदूरों की संख्या हमारे यहां बहुत कम है। 19 लाख की जनसंख्या और वहां एक लाख के करीब मजदूर लगे हुए हैं इस महीने के अन्दर। आप पुराने आंकड़े भी देखें, ऐसे भयंकर अकाल के अन्दर दिसम्बर, जनवरी में लाख लाख लोग लगते थे। अब तो आपको दो लाख करने चाहिये तब तो बारी आएगी। बहुत-से लोग तो आज दिन तक मुझे कह रहे हैं कि हमारा तो एक बार भी नाम नहीं लिखा गया। मस्टररोल देते हैं रात को बारह बजे तक सीमित के अन्दर एस.डी.ओ. प्रभारी बैठ कर, इसके तो एक बढ़ा दिया और मर्जी आए जिसका एक घंटा दिया। अब एक पूरा गांव है, एक मस्टररोल है, दस आदमी लगे हैं, पहले आपने दो दिये हैं, और अब वह कह रहे हैं दो तो दे दो, सबको हम लगा दें। जो सम्पन्न आदमी है वे हमारे गांव में नहीं लगते हैं। वे तो खुद यह करते हैं कि इसको लगाओ, इसको लगाओ। लेकिन लगावे कैसे? अभी कह रहे थे कि ऐसी व्यवस्था तो 16 अगस्त से शुरू कर दी लेकिन करने के बाद गरीब की किसी की बारी नहीं आयी। उसका क्या होगा? ठीक है, धान की व्यवस्था हुई है, वह मिला है। यह बात हम कोई नकारते नहीं हैं। यहां पर अच्छा काम करते हो तो उसकी बात अलग है...(व्यवधान) आगे के लिये कोई धान की कमी तो रहेगी नहीं। बाकी कुछ तो आप फण्ड में से निकालो सरकार के इस बजट से।

आज जो कार्य हो रहे हैं रास्ते साफ करने के, हमारे यहां तो आंधी चलती है।

(श्री अमराराम चौधरी)

हम तो कई दिनों से यह चाहते थे कि योजना में तो हमारी सड़कें आती नहीं हैं। आपकी योजना में जब हमारी सड़कें नहीं आती हैं तो हम ढाणियों में जहां सड़कें ले जाना चाहते हैं, पानी ले जाना चाहते हैं, उस जगह अगर हम ग्रेवल नहीं डालेंगे तो हमारे यहां तो रेत ही उड़ रही है। डामर रोड जितनी आप देख रहे हो, उनके चारों तरफ सफाई तो करा दी है, उतनी जगह खुदाई करके मुड नहीं डालोगे तब तक क्या होगा? पोली कर दी, जहां जहां भी पटरियां हैं उनको तो पोपीली कर दी। सफाई जरूर लगती है बिलकुल। कोई झाड़ी काट दी, वह कर दिया। छप्पनिया अकाल पड़ा था उस समय जो ग्रेवल की सड़कें बनी थीं, आज दिन तक वह ग्रेवल मौजूद है। उस पर कहीं कहीं रेत जरूर आयी है, लेकिन उस समय अच्छा बहुत काम हुआ। शुरू में रोड भी मंजूर की गयी, पर उसके बाद में जब यह कार्य शुरू हुआ एक किलोमीटर कहीं रेत डाली गयी, अर्थ वर्क हुआ और फिर कहा मटीरियल के पैसे नहीं हैं। मेरा निवेदन है, आगे के लिये सरकार मटीरियल देकर कम से कम दो-दो किलोमीटर, तीन-तीन किलोमीटर, चार-चार किलोमीटर सड़कें तो बनाए। उस डैजर्ट एरिया में ढाणियों में जाना बड़ा मुश्किल काम है। मजदूरों की संख्या बढ़ाए।

राजीव गांधी मिशन से जो हैण्ड पम्प हैं, मेरे क्षेत्र में लूणी नदी के कारण आज दो सौ गांवों में पानी जा रहा है। लेकिन आगे का एरिया जो शेरगढ़ से लगा हुआ है, आप हमें 25 हैण्ड पम्प दे दीजिये। आज चालीस हजार टैंकर से पानी भेज रहे हैं, क्यों इतना खर्च कर रहे हैं? आप 25 हैण्ड पम्प दे दीजिये हम ऐसे स्थानों पर लगा देंगे। पानी आप कहोगे खारा है, जहां जहां हम कह रहे हैं वहां पानी है, आज दिन तक वहां अगर कुआं भी खुदवा दिया तो पानी मीठा मिला है। आपके ग्राउंड वाटर बोर्ड वाले बिलकुल लीपापोती करते हैं, उनके पास एक मशीन है जो एक महीने में एक हैण्ड पम्प खोदती है। इस काम को यदि आपको कराना है, गर्मी का समय आ रहा है, युद्ध स्तर पर 25 हैण्ड पम्प आप हमारे क्षेत्र में दे दीजिये। हमने अपने फण्ड से भी दिये हैं सात-आठ, दो साल हो गये, वे हैण्ड पम्प आज तक नहीं हुए हैं। आपकी यह जो साढ़े चार करोड़ की योजना ऊंडू से नवातला की थी, यह 6 साल पूर्व मंजूर हुई थी, कोई भी पाइप नहीं लगा। पानी के लिए ठेकेदार ने अपनी ठेकेदारी के हिसाब से जरूर कर दिया। मैंने मेरे फण्ड से नौ लाख रुपये एक दिये और एक लाख रुपये एक दिये पाइप लाइन के लिये, आज दो साल में जवाब आया है कि हमने पाइप के लिए मांग की है, पाइप आने पर ही लगेगा। पाइप कम हैं, कौनसी एजेंसी है जिससे पाइप खरीदने में इतना डिले हो रहा है? दो-दो साल से डिले हो रहा है।

दूसरा, वारिया से सांदेसा स्कीम मंजूर की उसका भी अभी तक कार्य पूरा नहीं

(श्री अमराराम चौधरी)

हुआ है। सराणा-माधूकावाड़ा में माननीय तत्कालीन मंत्री जी आये थे, इन्होंने पूरा आश्वासन दिया था। माननीय मंत्री जी एक साल–डेढ़ साल पहले पधारे थे, कहा था कि यह 6 महीने के अन्दर काम हो जाएगा। आज दिन तक एक इंच भी पाइप नहीं लगा है। हमारे उधर तो पाली का पानी आता है लूणी नदी में कास्टिक का, उधर जोधपुर का भांडूका और लूणावास की पुलिया के नीचे से होकर पानी आता है, वह रंगीन पानी डोली के तालाब के अन्दर आता है। उधर बालोतरा से आगे पानी है वह जा रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं, सारे गांवों की जो बेरियां हैं, तालाब के अन्दर होती थी। तिलवाड़ा पशु मेला जो पूरे हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा और मशहूर मेला था, जहां पानी ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अब ग्यारस को आ रहा है, उसमें आप यदि पानी की पूरी व्यवस्था नहीं करेंगे–क्योंकि नदी में तो पानी रंगीन है, वह पीने लायक भी नहीं है, तो पशु मेले के क्या हाल होंगे? मेरा निवेदन है कि जो–जो योजनाएं हमारी स्वीकृत हैं, मार्च से पहले–पहले कैसे भी आप पूरी करें और हैण्ड पम्पों के लिए खास तौर से करें।

इसके अलावा मेरा एक निवेदन है, तत्कालीन मंत्रीजी ने जोधपुर से कायलाना को पानी लाने के लिए देखा कि बालोतरा की गम्भीर समस्या है। 68 गांवों के लिए इन्होंने एक योजना बनायी। मैं कह रहा हूं कि यदि आप जोधपुर के पानी से नहीं जोड़ेंगे बालोतरा को, तो बालोतरा के पानी से काम नहीं चलेगा क्योंकि वह खारा पानी है, वह नीचे जाने से खारा हो गया। बालोतरा का पानी खारा हो गया, जसाल का पानी खारा हो गया, कीटणोद का पानी खारा हो गया। सिर्फ एक भिंडा कुआं के अन्दर 100 ट्यूबवैल काश्तकारों के और आपके हैं और बिटूजा के आसपास थोड़े–बहुत हैं। लेकिन वह इतना खारा होने जा रहा है कि एक लाख की पापुलेशन वाले शहर के लिए युद्ध स्तर पर आप कायलाना में पानी भेजे ताकि लोगों को आने वाले समय में यह खारा पानी नहीं पीना पड़े। लोग प्रदूषित पानी पीते हैं। यह ठीक है कि रोपट का काम आप कर रहे हैं, हमने देखा है, उन लोगों को राहत मिलेगी। टैंकर भी भेज रहे हैं वह ठीक है। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि कायलाना से पानी बालोतरा लाने की आप व्यवस्था करिये।

मेरा एक निवेदन है, कहां तक यह सही है या नहीं है, पर मेरे पास एक दरखास्त आयी है सिवाणा तहसील के गांव जसपुर की और उन्होंने डैथ सर्टिफिकेट भेजा है, 13.12.2002 को यह गोपाराम...(व्यवधान) मैं तो आपको जांच कराने के लिए कह रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : जांच क्या है, आप खुद ही कह रहे हैं कि पता नहीं क्या है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मैं यह कह रहा हूं न, यह लिखा है, लेकिन

(श्री अमराराम चौधरी)

कंटीन्यू है। 13.12 को डैथ हुई है, दूसरी 14.12 को डैथ हुई है, यह 15.12 को हुई है। इन्होंने जो अपनी दरखास्त में लिखा है और मुझे मिले हैं, मेरा निवेदन है कि इसकी आप निष्पक्ष रूप से जांच कराएं। रैबारी समाज के लोग हैं, 12.13 यह मुझे लिस्ट दी है। वहां के तहसीलदार ने एक परिवार के व्यक्ति से यह लिखा कर लिया है कि यह ऐसे मौत नहीं हुई है। अगर बीमारी से हुई है तो भी कमी सरकार की है। खेसाराम पुत्र गोपाराम, फूसी गोपाराम, मट्ट केसाराम, गोपा धन्नाराम, हवा नारायण, नारायण गोपा, जोगा गोपा, बाबू केसा और एक छोटी बच्ची इनकी उम्र है एक 35 साल, एक 38 साल, एक 50, एक 11, एक 56, एक 4, एक 27, एक 30 और एक 22, मेरा निवेदन है कि इसकी जांच कराएं कि यह कहां तक सही है। मैं आज आपको कहूं तो आप कहेंगे कि अमराराम तो असत्य हैं। इसकी कमिश्नर लेवल से जांच करा दीजिये और निष्पक्षता से जांच कराएं ताकि यह आप पर भी आरोप नहीं लगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसा है, मैं एक एडवोकेट आपको गलत बात नहीं कहना चाहता। मैं कह रहा हूं जो फैक्ट्स हैं, सत्य हैं या नहीं, इसकी जांच आप कराएं। मैं आपको कह रहा हूं कि कई दिनों से यह मैटर अखबारों में भी आया है, आखिर है क्या, आप जब तक जांच नहीं कराएंगे, मैं कहूंगा तो आप यह कहेंगे कि ये तो विपक्ष वाले हैं, इनको तो यही करना है। यह जैसा हमेशा करते हैं, दिलावर साहब ही ऐसा करते हैं, वह भी करते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो आपको हकीकत कह रहा हूं। यह एक रैबारी ने रैबारी सम्मेलन में मुझे रोकर बात कही है, तब मैं आपके सामने यह रख रहा हूं।

सभापति महोदय, बोरिंग के लिए कंटींन्जेंसी का जो पैसा है, आपने करीब चार करोड़ रुपया अभी तक दिया होगा।

श्री सभापति : माननीय अमराराम जी, अब इसको कनक्लूड करिये, 8.20 पर।

श्री अमराराम चौधरी : कंटींन्जेंसी के जो पैसे आपने दिये हैं कई जगह बोरिंग के लिये, हमारे कुओं के लिए दिये, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब वे कह रहे हैं कि यह तो होरिजेंटल का हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हमें वह मशीनरी मिल रही है, और वह मशीन नहीं है। भाई, आपको 50 फीट गहरा करना है, साइड में अगर पानी होता तो पहले ही आ जाता। नीचे करने पर मीठा पानी है। जो 40-40 हजार रुपये कुओं के लिए औरातिया बेरा के लिए, कालाधर के बौरे के लिए भगतलाई के लिए पचपदरा तहसील में जो मंजूर हुए हैं, कंटींन्जेंसी के या जो भी स्वीकृत हुए हैं, उनमें आप युद्ध स्तर पर काम करें। आपके पास कोई मशीनें नहीं हैं, अगर ये मशीनें होतीं तो लोगों के लिए आपको टैंकर नहीं भेजने पड़ते। ठीक है आप टैंकर भेज रहे हैं, पर वे भी आपके जा रहे हैं क्या? महीने

(श्री अमराराम चौधरी)

में उन ढाणियों में एक टैंकर जाता है। वह ठेकेदार करता क्या है, किसी को मालूम नहीं है, उस पर कोई अंकुश ही नहीं है। वह कहां डाल कर आता है टांके में, वह पता नहीं है। लोग आते हैं तब रोते हैं। अगर हैण्ड पम्प होंगे तो लीपने के लिए तो पानी काम आएगा, हाथ धोने के लिए तो पानी काम में आएगा, पशुओं को पिलाने के लिए तो काम में आएगा। आप उस एरिये में शीघ्र ही जो कुएं हैं, उनका प्रबन्ध करिये और हैण्ड पम्पों की पूरी व्यवस्था करिये, यही मेरा खास तौर से निवेदन है।

वेटरिनरी डाक्टरों के बारे में मेरा निवेदन है, माननीय पशुपालन मंत्रीजी, जहां-जहां जगह खाली हैं, आज सैकड़ों लड़के निकले हुए बेकार बैठे हैं, आप बजट में यह प्रावधान रखो कि जो लड़के बैठे हैं, उधर तो हो रहा है लेकिन वेटरिनरी में भी बेरोजगारी इतनी पैदा हो गयी है कि लड़के लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी दर-दर भटक रहे हैं उन लड़कों को आप डाक्टर नहीं तो कम्पाउण्डर ही लगा दो। और क्या करें? पैसे उतने ही दो, लेकिन बेरोजगार तो नहीं रहे। रोटी खाने के लिए तो कुछ चाहिए। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय अमरारामजी। सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 4.3.2003 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.20 बजे मंगलवार, दिनांक 4 मार्च, 2003 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-84 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

विभाग द्वारा पर्यटन गतिविधियों के प्रसार के लिए उठाये गये कदमों की सूची

1. विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में पर्यटन मेले एवं त्यौहारों का आयोजन आकर्षक रूप से किया गया है।
2. स्वदेशी पर्यटन को बढ़ाने की दृष्टि से बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता में राजस्थान उत्सव/रोड शो का आयोजन किया गया एवं मुम्बई व नई दिल्ली में टी.टी.एफ. में पार्टनर स्टेट के रूप में भाग लिया।
3. अन्तरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी/व्यापार मेलों/कांफ्रेंस आदि में राजस्थान पर्यटन ने भाग लिया।
4. दुबई अन्तरराष्ट्रीय शोपिंग फेस्टिवल (15 जनवरी से 15 फरवरी, 2003) में इण्डिया फेयर में राजस्थान ने पार्टनर स्टेट के रूप में भाग लिया।
5. ऐशियाई विकास बैंक द्वारा पोषित सम्भागीय मुख्यालयों के आधारभूत ढांचों को विकसित किया जा रहा है। पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण अन्य शहरों-सवाईमाधोपुर, माउण्ट आबू, जैसलमेर एवं पुष्कर में धरोहर संरक्षण हेतु भेजे गये प्रस्तावों में से पुष्कर को सिद्धान्तः सम्मिलित कर लिया गया है एवं अन्य शहरों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।
6. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली 19 सड़कों को बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है।
7. राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प को पर्यटन से जोड़ने हेतु शिल्पग्राम आबूसर (झुंझुनूं), सवाईमाधोपुर व पुष्कर (अजमेर) में स्थापित किये जा रहे हैं, जिसमें पुष्कर में कार्य पूर्ण हो चुका है।
8. इस वर्ष 10 जिलों में तथा अगले वर्ष बाकी जिलों में ग्रामीण हाट योजना के तहत प्रति हाट 70 लाख रुपये खर्च कर पर्यटन्नोन्मुखी केन्द्र बनाने की योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
9. पर्यटन को उद्योग के समान सुविधा दिये जाने हेतु पृथक् से अधिसूचना जारी किये जाने की आवश्यकता को दिनांक 7.11.2002 की अधिसूचना द्वारा समाप्त करने से प्रदेश में पर्यटन इकाइयों को अब उद्योग के समान सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी।
10. पर्यटकों के दृश्यावलोकन हेतु नई डबल डेकर बसों को कर मुक्त किया गया है।

11. राज्य में नवीन पर्यटन इकाइयों की स्थापना हेतु विभिन्न करों आदि से विशेष रियायतें दी जा रही है।

12. माउण्ट आबू, जयपुर एवं उदयपुर रोपवे की स्थापना हेतु कार्यवाही की जा रही है।

13. राज्य सरकार ने भारत सरकार को राजस्थान में पर्यटक सर्कट के विकास हेतु रुपये 175 करोड़ की योजना प्रेषित की है, जिस पर भारत सरकार ने सैद्धान्तिक सहमति दे दी है।

14. आमेर में नया हाथी गांव विकसित किया जा रहा है जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर एक अनोखा प्रयास होगा।

15. कुम्भलगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ के विकास हेतु विशेष कार्य स्वीकृत किये गये हैं। माउण्ट आबू की तर्ज पर जैसलमेर के विकास हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

16. पर्यटन के क्षेत्र में मानव संसाधन के विकास हेतु 686 गाइडों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एवं 100 हाथी महावतों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

17. खाद्य कला संस्थान, उदयपुर व होटल प्रबन्ध संस्थान, जोधपुर के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 85.00 लाख की सहायता उपलब्ध कराई गई है।

18. अन्य :

— पर्यटन इकाइयों की स्थापना हेतु कुल विनिवेश राशि रुपये 22.01 करोड़ के 16 प्रोजेक्ट अनुमोदन किये गये हैं।

— पुरानी नजूल सम्पत्तियों के पर्यटन विकास हेतु भूमि बैंक योजना पर प्रभावी कार्यवाही शुरू की गई है।

— राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित एवं सामरिक विपणन हेतु स्ट्रटीजिक कम्यूनिकेशन एडवाईजर की नियुक्ति की जा रही है।

— जयपुर, उदयपुर, माउण्ट आबू, पुष्कर/अजमेर, जोधपुर व जैसलमेर में पर्यटकों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिये पर्यटक सहायता बल सुदृढ़ किये गये हैं।

— महत्त्वपूर्ण किलों एवं स्मारकों पर पर्यटकों को आकर्षित किये जाने हेतु रोशनी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

— विभाग द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों एवं उत्पादों/सेवाओं को आनलाइन प्रचारित करने एवं सुलभ कराने हेतु समन्वित वैब पोर्टल की स्थापना की जा रही है।

वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2002 में 3.63 लाख पर्यटक राज्य में अधिक आये।

परिशष्ट "ब"

राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की बैठक दिनांक 19.12.2002 में लिये गये निर्णय

क्र.सं.	निर्णय
1.	पर्यटन को उद्योग घोषित किया गया परन्तु वास्तविक रूप से पर्यटन इकाइयों को लाभ नहीं मिल पाया है। उन पर व्यावसायिक दरों के अनुसार भूमि व भवन कर, गृह कर, परिवर्तन शुल्क, बिजली-पानी दर वसूल की जा रही है। पर्यटन इकाइयों को हर प्रकार से कर, किराये, दरों इत्यादि के आरोपण हेतु औद्योगिक इकाइयों के समरूप मानने हेतु सिद्धान्तः स्वीकार किया गया। इस बाबत पर्यटन विभाग सम्बन्धित विभागों को प्रस्ताव प्रेषित करेगा।
2.	पर्यटन इकाइयों को वित्त एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से उपलब्ध वर्तमान रियायतों की वैद्यता को 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बढ़ाये जाने हेतु सिद्धान्तः सहमति हुई।
3.	स्वायत्त निकायों द्वारा पर्यटन इकाइयों पर आरोपित करों को इकजाई कर एक ही जगह संग्रहण हो। इसके लिए सचिव, नगरीय विकास की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जावे, जिसमें होटल उद्योग के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाएगा। यह कमेटी प्रक्रिया के सरलीकरण का परिलक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
4.	होटलों पर आरोपित विलासिता कर को अप्रैल से जुलाई माह के लिए 31.12.2002 तक 50 प्रतिशत तक कर मुक्त किया गया है। विलासिता कर में छूट से सम्बन्धित अधिसूचना को 10वीं पंचवर्षीय योजना तक बढ़ाये जाने एवं आरोपित स्लेब को व्यवहारिकता के आधार पर पुनर्वालोकन करने हेतु वित्त विभाग से निवेदन करने का निर्णय लिया गया।
5.	वित्त/आबकारी विभाग द्वारा होटलों के लिए बार लाइसेंस फीस में कमी, हैरिटेज होटलों हेतु न्यूनतम समान बार लाइसेंस फीस की दर, रेस्टोरेंट हेतु बीयर/वाइन लाइसेंस एवं विदेशी मदिरा पर विक्रयकर के सरलीकरण बाबत प्रस्तावों पर नई आबकारी नीति तैयार करते समय विचार किया जावे।
6.	गृह विभाग को निवेदन किया जावे कि पर्यटन विभाग को राज्य में शूटिंग की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु पुरातत्व एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों को सम्मिलित करते हुए, नोडल एजेंसी नियुक्त किया जावे।
7.	वित्त विभाग द्वारा इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावे कि 5 वर्ष तक ऐसी दो एयर लाइंस जो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के अतिरिक्त अन्य स्थलों को जोड़ती है तथा चार्टर फ्लाइट्स के लिए ए.टी.एफ. पर विक्रयकर में कमी 23 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जाए।

8. जयपुर हवाई पट्टी से भूमि एवं भवन कर तथा गृह कर की वसूली व्यवहारिक करने बाबत वित्त विभाग से सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने का निवेदन किया जावे।

9. नई वातानुकूलित पर्यटक बसों पर 5 वर्ष के लिए पथ कर में छूट हेतु परिवहन विभाग तथा वित्त विभाग से सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने का निर्णय लिया गया।

10. राजस्थान एक पर्यटन प्रिय राज्य बने, इस हेतु पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, क्रमशः

— भिखारियों, लपकों, टैक्सी व आटो रिक्शा चालकों आदि द्वारा झांसे में न आना।
— मूल्य एवं गुणवत्ता पर ठगने न देना।
— सूचना का सुगम रूप से अर्जन।
— सुविधाएं एवं विश्वसनीय सेवाएं।
— सोने की मुर्गी जैसी धारणाओं को रोकना।

पर्यटन सम्बद्ध गतिविधियों के नियन्त्रण हेतु एक विधान बनाया जाये।

11. जैसलमेर का पर्यटक स्थल के रूप में एकीकृत विकास हेतु, माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी की अध्यक्षता में जैसलमेर विकास समिति का गठन किया जावेगा।

12. पर्यटन क्षेत्र में विनियोग सम्बन्धी प्रस्तावों के निष्पादन हेतु एकल खिड़की की योजना क्रियान्वित की जावेगी।

13. राजस्थान ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जावेगा।

14. राजस्थान पर्यटन विकास निगम व्यावसायिक दृष्टिकोण से कार्य करेगा।

15. वर्ष 2020 तक शयन क्षमता की बढ़ोतरी हेतु कार्य योजना को चरणबद्ध रूप से लागू किया जावेगा।

16. पर्यटन महत्व के स्थलों पर भिखारियों द्वारा परेशान करने के निदान तथा स्थलों का पोस्टरों के द्वारा विरुपण आदि समस्याओं के निदान हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट "अ"

(तारांकित प्रश्न संख्या-85 की प्रति)

कार्यालय नगरपालिका पुष्कर अजमेर (राज.)

साधारण सभा की बैठक दिनांक 22-7-2002 प्रस्ताव संख्या 5, यात्रीकर नाकों को ठेके पर देने बाबत विचार

अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया एवं सदन को अवगत कराया गया कि यात्रीकर नाकों पर कार्यरत कर्मचारियों पर प्रति माह लगभग 1.50 लाख रुपये का व्यय वेतन भत्तों पर किया जा रहा है जबकि यात्रीकर के रूप में पालिका को मात्र 80-90 हजार रुपये की आय हो रही है इससे पालिका पर प्रति माह 60-65 हजार रुपये प्रतिमाह पालिका को व्यय का भुगतान करना पड़ रहा है, अतः ऐसी परिस्थितियों में रोडवेज बसों को छोड़कर शेष वाहनों का यात्रीकर संग्रहण का ठेका दिया जाना प्रस्तावित है। सदस्य श्री कमल किशोर पाठक ने यात्रीकर संग्रहण ठेके दिये जाने का विरोध किया जिसका समर्थन सदस्य सर्व श्री हनुमान प्रसाद, श्रीमती रामकंवरी, जगदीश प्रसाद चौधरी, जीवनचंद महावर, सत्यनारायण रामावत, ईश्वर पाराशर द्वारा किया गया। उपाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार शर्मा ने मांग रखी कि यदि यात्रीकर संग्रहण का ठेका दिये जोयेंगे यदि आय स्रोत बढ़ता है तो यात्रीकर संग्रहण का ठेका दिया जावे। सदस्य श्री चांदमल उदय ने प्रस्तावित किया कि यात्रीकर का ठेका देने से पालिका को लगभग डेढ़ से दो गुना तक की आय में वृद्धि होने की सम्भावना है, अतः यात्रीकर संग्रहण का ठेका दिया जावे व ठेका दिये जाने के पश्चात् ब्यावर से आये कर्मचारियों को उनकी पैतृक नगरपालिका ब्यावर में ही भेजा जावे। प्रस्ताव पर चर्चा की गयीं एक राय नहीं होने पर अध्यक्ष महोदया द्वारा प्रस्ताव पर मतदान की व्यवस्था दी गयीं जिसमें प्रस्ताव के पक्ष में निम्न सदस्यों द्वारा हाथ खड़े कर मतदान किया गया।

1. श्रीमती अन्नी देवी उदय, 2. श्री दिनेश कुमार शर्मा, 3. श्रीमती सरोज जादम, 4. श्रीमती सुशाला देवी, 5. श्री राधेश्याम नागौरा, 6. श्रीमती मंजू देवी शर्मा, 7. श्री चांदमल उदय एवं 8. श्री राधेश्याम जोशी।

प्रस्ताव के विपक्ष में निम्न सदस्यों ने हाथ खड़े कर मतदान किया।

1. श्री ईश्वर पाराशर, 2. श्री कमल किशोर पाठक, 3. श्री हनुमान प्रसाद पाराशर, 4. श्री जीवनचन्द महावर, 5. श्री सत्यनारायण रामावत, 6. श्रीमती रामकंवरी, 7. श्री जगदीश प्रसाद चौधरी।

इस प्रकार प्रस्ताव आठ सदस्यों के बहुमत से पारित किया एवं ठेके की कार्यवाही कर राज्य सरकार से अविलम्ब स्वीकृति प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

ह०/-

अधिशासी अधिकारी,

नगरपालिका, अजमेर

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर का आधुनिकीकरण

87. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर में अधिकतर कम्प्यूटर एवं मशीनें पुरानी हो गई हैं? क्या सरकार ने मुद्रणालय के आधुनिकीकरण की कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो उक्त पर कब तक अमल कर लिया जावेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि कम्प्यूटर एवं मशीनों के पुरानी होने के कारण अधिकतर सरकारी विभाग मुद्रण कार्य निजी मुद्रणालयों से करवा रहे हैं? यदि हां, तो इससे सरकार को कितनी हानि हो रही है?

(3) क्या सरकारी विभागों द्वारा निजी मुद्रणालय में करवाये जा रहे मुद्रण कार्य में अधिकारियों द्वारा अनियमितता की जा रही है? क्या उक्त कारण राजकोष पर अधिक भार पड़ रहा है? क्या सरकार उक्त पर रोक लगायेगी?

(4) क्या यह सही है कि जो मुद्रण कार्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयुपर में किये जा सकते हैं उसके लिये भी विभागों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त प्रवृत्ति पर रोक हेतु सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है और अब क्या कार्यवाही प्रस्तावित है और जो कब तक की जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने मुद्रणालय के आधुनिकीकरण की योजना बनाई है, जो अभी विचाराधीन है तथा उपयुक्त बजट उपलब्ध होने पर ही इस पर अमल किया जा सकेगा।

(2) मुद्रणालयों में मशीनें पुरानी तकनीक की होने एवं कलर स्केनिंग की सुविधा नहीं होने के कारण सहकारी मुद्रणालय एवं कुछ विशेष परिस्थितियों में निजी मुद्रणालयों से भी मुद्रण कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं। सरकारी विभाग मुद्रण कार्य निजी मुद्रणालयों से करवा रहे हैं तो इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(3) अन्य विभागों द्वारा निजी मुद्रणालयों में करवाये जा रहे मुद्रण कार्य में यदि उनके अधिकारियों द्वारा कोई अनियमितता की जा रही हो तो इसकी जानकारी मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को नहीं दी गई है। वर्तमान में केवल सहकारी मुद्रणालय से मुद्रण कार्य कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं।

(4) जी नहीं। जो मुद्रण कार्य राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय में नहीं किये जा सकते, उनके लिये एवं विशेष परिस्थितियों में सहकारी/निजी मुद्रणालयों से मुद्रण कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं।

(राज्य मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री)

वर्तमान में अब केवल सहकारी मुद्रणालय से ही मुद्रण कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं। वर्तमान में ऐसा मुद्रण कार्य जो सहकारी एवं राज्य केन्द्रीय दोनों मुद्रणालयों द्वारा विभाग की मांग के अनुसार नहीं किया जा सकता हो, उसके लिये निजी मुद्रणालयों से मुद्रण कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जा सकेंगे।

(5) उक्त चलन पर रोक हेतु समस्त विभागाध्यक्ष, सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने विभाग का मुद्रण सम्बन्धी कार्य उन्हें आबंटित राजकीय मुद्रणालय से ही करावें। विभागीय फार्म भी राजकीय मुद्रणालय से ही प्राप्त करें।

मुण्डावर श्रमिक सहकारी समिति द्वारा खनन कार्य

88. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मुण्डावर श्रमिक सहकारी समिति, मुण्डावर में कब से खनन कार्य कर रही है? क्या उक्त द्वारा अब भी खनन कार्य चालू है?

(2) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय में मुण्डावर श्रमिक सहकारी समिति द्वारा किये जा रहे खनन कार्यों में कोई बाधा आती है? यदि हां, तो क्या है?

उत्तर

(1) मुण्डावर श्रमिक सहकारी समिति मुण्डावर में वर्ष 1960 (16-8-1960) से खनन कार्य कर रही थी जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 16.12.2002 की अनुपालना में खनन कार्य बन्द करवा दिया गया है।

(2) जी हां। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.10.2002 एवं 16.12.2002 के अनुसार जिन खनन क्षेत्रों पर अरावली अधिसूचना दिनांक 7.5.1992 के प्रावधान लागू होते हैं, उनमें खनन कार्य पर्यावरण पूर्वानुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही चालू रखा जा सकता है। मुण्डावर श्रमिक सहकारी समिति के पक्ष में धारित खनन पट्टा क्षेत्र की आराजी खसरा नं. 2390, 2424 की भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड़ होने से पर्यावरण पूर्वानुमति की आवश्यकता है जो अभी तक पर्यावरण विभाग द्वारा पट्टाधारी के पक्ष में जारी नहीं की गई है।

राज्य में पशु औषधालय को उपलब्ध औषधियां

89. श्री अमीन खान (शिव) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के पशु चिकित्सालयों में कितनी राशि की दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में कितने पशु चिकित्सालय/उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं?

उत्तर

(1) वर्ष 2002-03 में राज्य के पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध करवाई जानी वाली दवाइयों की राशि का जिलेवार विवरण सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

(2) चालू वित्तीय वर्ष के बजट से नवीन पशु चिकित्सालय या उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये हैं।

सूची "क"

वर्ष 2002-2003 में

पशु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मद में आबंटित राशि का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	आबंटित राशि जिसकी औषधियां उपलब्ध कराई गई हैं (लाखों में)
1	2	3
1.	अजमेर	6.16
2.	अलवर	6.92
3.	बांसवाड़ा	6.18
4.	बारां	2.52
5.	बाड़मेर	4.76
6.	भरतपुर	5.79
7.	भीलवाड़ा	6.90
8.	बीकानेर	5.04
9.	बून्दी	2.38
10.	चित्तौड़गढ़	5.12
11.	चूरू	5.19
12.	दौसा	3.20
13.	धौलपुर	2.10
14.	डूंगरपुर	4.42
15.	श्रीगंगानगर	5.97
16.	जयपुर	9.96
17.	जैसलमेर	2.95
18.	जालौर	4.06
19.	झालावाड़	2.69
20.	झुंझुनूं	5.93
21.	जोधपुर	8.88
22.	कोटा	3.36
23.	नागौर	7.14
24.	पाली	6.86
25.	राजसमन्द	3.80
26.	सवाईमाधोपुर	2.10
27.	सीकर	7.14
28.	सिरोही	2.97
29.	टोंक	3.61
30.	उदयपुर	7.75
31.	हनुमानगढ़	3.00
32.	करौली	3.06
	योग	**157.61**

अधिकृत एजेंटों द्वारा वाहनों के लिए जारी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण-पत्र

90. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदूषण नियन्त्रण के लिए सरकार ने वाहनों के लिएअधिकृत एजेंट से प्रदूषण नहीं करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना लागू कर रखा है?

(2) क्या उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद विभाग द्वारा चैकिंग के समय मौके पर यदि वाहन प्रदूषण फैला भी रहा हो तो चैकिंग नहीं कर प्रमाण-पत्र के आधार पर छोड़ दिया जाता है?

(3) क्या यह सही है कि प्रमाण-पत्र बिना टेस्ट किये निर्धारित शुल्क के अलावा पैसे लेकर देने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं?

(4) क्या सरकार उक्त व्यवस्था को ठीक समझती है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो सुधार हेतु क्या उपाय कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। यह सही है कि किसी वाहन के पास वैध प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण-पत्र है, के अधिक प्रदूषण फैलाने पर ऐसे वाहन के वाहन चालक/इन्चार्ज को चैकिंग अधिकारी केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 116(1) के अन्तर्गत वाहन की पुनः प्रदूषण जांच करवांकर एवं सही होने का नया प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण-पत्र 7 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश देने हेतु अधिकृत है।

(3) जी हां। शिकायतें प्राप्त होने पर प्रदूषण जांच केन्द्रों की जांच कर अनियमितता पाये जाने पर ऐसे जांच केन्द्रों के अधिकार पत्रों के निलम्बन/निरस्त करने व शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की गई है।

(4) यह सुनिश्चित करने के लिए वाहन के बिना टैस्ट किए ही प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो सके, विभाग ने सभी प्राधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्रों पर मशीन के साथ प्रिंटर लगाना अनिवार्य कर दिया है, जिससे प्रदूषण की माप का कम्प्यूटर से प्रिंट लिया जाकर प्रदूषण प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न कर वाहन स्वामी को जारी करने के निर्देश दिए हुए हैं।

अरावली पर्वतन श्रृंखला के वन्य जीवों के पलायन की रोकथाम के उपाय

91. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष अकाल के कारण अरावली श्रृंखला के वन्य जीव भूख पानी से त्रस्त होने के कारण गांवों की ओर पलायन कर रहे हैं?

(2) क्या सरकार इन्हें जीवित रखने तथा गांवों की ओर पलायन को रोकने के उपाय कर रही है? यदि हां, तो क्या?

(3) क्या सरकार कोट वाली नाल में वन्य जीवों के पीने के पानी हेतु एनीकट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अरावली श्रृंखला के वन्य जीव क्षेत्रों में अकाल से चारा पानी की उपलब्धता में इस वर्ष कुछ कमी अवश्य आयी है। वर्तमान में वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों में चारा, पानी उपलब्ध होने से गांवों की ओर वन्य जीवों के पलायन करने की घटना की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(2) वर्तमान में तो उपलब्ध चारा पानी से वन्य जीवों का गुजारा हो रहा है किन्तु आने वाले ग्रीष्म माह में सम्भावित कमी से निपटने के लिये केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, अकाल राहत आदि के तहत किये जा रहे उपायों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' एवं भारत सरकार को भेजे गये प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। वित्तीय वर्ष 2003-04 में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार को भेजी जानी वाली वार्षिक कार्य योजना में इसका समावेश किया जावेगा।

परिशिष्ट 'क'

पानी की व्यवस्था

केन्द्रीय परिवर्तित योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 के लिये स्वीकृत कार्य

जिला	अभयारण्य का नाम	रुपये लाखों में
1	2	3
1. उदयपुर	जयसमंद 1. 2 वाटर होल का निर्माण (दवाना एवं पिलदार)	0.60
	2. जमूदा वाटर होल को गहरा करना	0.48
	फूलवाड़ी की नाल 1. एनीकट का जानवरों के लिए जल सुविधा का विस्तार करने हेतु हरवा पर एनीकट का निर्माण	5.00
	2. वाटर पाइंटस का निर्माण (3)	1.50
	सज्जनगढ़ अभयारण्य : खेड़ी पर जल सुविधा बढ़ाने के लिए एनीकट का निर्माण	5.00
	कुम्भलगढ़ - 1. कालीघाट पर एनीकट का निर्माण	5.00
	(उदयपुर-पाली-चित्तौड़ 2. वन्य जीवों के लिए जल सुविधा का निर्माण	
	ए. वाटर होल्स को भरना	0.16
	ब. कुओं को गहरा करना	2.09
	स. गजलर का निर्माण सं. 3	2.10
	द. मरम्मत - 3 एनीकट	1.65
2. अजमेर	टाटगढ़ रावली अभयारण्य 1. एनीकट का बाडा गुला एवं बगरा पर निर्माण 2	9.00
	2. वाटर पाइंट्स का निर्माण सं. 9 गजलर एवं कुओं को गहरा करना 10	10.00
3. चित्तौड़	बस्सी अभयारण्य 1. नये एनीकट का निर्माण (3) राजपुरिया, अमजारिया एवं बारा मोरा	15.00
	सीताराम अभयारण्य - ए. राजगढ़ पर (2 एनीकट्स का निर्माण)	5.00
	ब. खलेला	5.00
	स. कालाघाट	5.00
	— पानी के बहाव को एकत्रित करने के लिए नाडी लाम्बी सेमल (धरियावद रमर तालाब (बस्सी अभयारण्य)	2.00
	— सीतामाता एवं हनुमान मन्दिर के निकट जल संग्रहण हेतु कनवर्ट	2.00
	कम स्टाप डैम का निर्माण प्रत्येक पर 2.00 लाख	4.00
4. सिरोही	माउन्ट आबू अभयारण्य-एनीकट का अम्बा टाइगर पाथ पर निर्माण	10.00

5. सरिस्का	केन्द्रीय प्रवर्तित बाघ परियोजना के अन्तर्गत	
	1. शुष्क मौसम में पानी का बन्दोबस्त	2.00
	2. कच्चे दहों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण	2.00
	3. पानी के स्थानों की खुदाई, सफाई	0.50
	4. कच्चे दहों का जल संग्रह हेतु निर्माण	10.00
	5. नये एनीकट्स का निर्माण	10.00
	6. गहरे बोर कुओं की खुदाई	27.00
	7. पुराने कुओं की खुदाई	6.00
	8. जल परिवहन कर वाटर होल्स की भराई	7.00
	9. टैंकर्स के माध्यम से पानी सुलभ करना	1.00
	योग रुपये	**156.08 लाख**
	अतिरिक्त चारे की व्यवस्था	
	1. अतिरिक्त चारे की व्यवस्था	4.00
	2. अतिरिक्त हरे चारे की व्यवस्था	3.00
	योग	**7.00**

अकाल राहत कार्यों के तहत जयपुर जिले में निम्न कार्य किये जा रहे हैं :

जिला जयपुर : 1. जमवारामगढ़ - 11 तलाई व अर्थन डैम
2. विराट नगर - 13 तलाई व अर्थन डैम
3. आमेर - 1 तलाई व अर्थन डैम
4. जयपुर रेन्जर - 3 तलाई व अर्थन डैम

इनके लिये कुल राशि रुपया 32.10 लाख स्वीकृत है।

परिशिष्ट 'ख'

भारत सरकार को वन्य जीव क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था करने हेतु अतिरिक्त प्रेषित किये गये प्रस्तावों का विवरण

क्र.सं.	नाम अभयारण्य	राशि लाख रुपये में
1.	माउण्ट आबू	6.10
2.	कुम्भलगढ़	21.25
3.	रावली टाटगढ़ अभयारण्य	20.25
4.	सीतारामगढ़ अभयारण्य	7.00
5.	जमवारामगढ़ अभयारण्य	8.30
6.	नाहरगढ़ अभयारण्य	16.55
7.	जयसमन्द अभयारण्य	6.10
8.	फूलवाड़ी की नाल	11.10
9.	सज्जनगढ़ अभयारण्य	3.42
10.	बस्सी अभयारण्य	4.50
	योग	**104.57**

राज्य में ग्राम विकास से सम्बन्धित केन्द्र सरकार की संचालित योजनाएं

92. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ग्राम विकास से सम्बन्धित केन्द्र सरकार की कितनी योजनाएं हैं और राज्य सरकार की कितनी योजनाएं चल रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या केन्द्र सरकार की योजनाओं में राज्य का जो अंश शामिल किया जाना था वह अंश शामिल करके योजना प्रारम्भ की थी?

(3) क्या उक्त योजनाओं की क्रियान्विति के लिये समय निश्चित है? यदि हां, तो क्या उक्त योजनाएं समय पर पूर्ण हुई हैं? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण होंगी?

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की गामीण विकास से सम्बन्धित योजनाओं की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं में योजना की क्रियान्विति के लिए अलग-अलग योजनाओं में अलग-अलग समय निश्चित है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, सांसद क्षेत्रीय विकास योजना, इन्दिरा आवास योजना, ऋण एवं अनुदान योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास), बायोगैस योजना एवं सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सामान्यतया सभी निर्माण कार्य 1 से 2 वर्ष की अवधि में कराये जाने का प्रावधान है। स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष परियोजनाओं की पूर्णता अवधि 2 वर्ष की निश्चित की गई है। इसी प्रकार मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम (काम्बेटिंग) एवं सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम में जलग्रहण परियोजनाओं को पूर्ण कराने की अवधि 5 वर्ष निर्धारित है।

निर्माण कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया है। अतः कार्य की प्रकृति व योजनाओं की मार्गदर्शिका के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों में निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाते हैं। सामान्यतया कार्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पूर्ण कर लिये जाते हैं।

परिशिष्ट-1

ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं

(अ) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

1. स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना
2. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
3. सुनिश्चित रोजगार योजना (जलग्रहण)
4. इन्दिरा आवास योजना
5. इन्दिरा आवास योजना (क्रमोन्नत)
6. ग्रामीण आवास हेतु ऋण अनुदान योजना
7. मरु विकास कार्यक्रम
8. मरु विकास कार्यक्रम (काम्बेटिंग)
9. सूखा सम्भावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम
10. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)
11. डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना
12. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
13. बायोगैस कार्यक्रम
14. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(ब) राज्य प्रवर्तित योजनाएं

1. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
2. मेवात क्षेत्रीय विकास योजना

प्रश्न संख्या-93

(स्थगित)

प्रश्न संख्या-94

(स्थगित)

राजस्थान विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

95. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर व कोटा में विश्वविद्यालय तथा आयुर्वेद विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा सरकार ने कब-कब की थी? उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु किस-किस वित्तीय वर्ष में कितनी-कितनी राशि वार्षिक बजट में स्वीकृत की गई और कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत चार वर्षों में राजस्थान विश्वविद्यालय में विभिन्न अनियमितता की जांच हेतु कितनी जांच समितियों का गठन किया गया और कितनी जांच समितियों की स्थिति के आधार पर कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में कितने अनुदानित महाविद्यालय हैं? उक्त में से कितने महाविद्यालयों का कितना अनुदान वर्ष 1999-2000 से 2002-2003 का कब से बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य के विभिन्न महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में कितने पद व्याख्याताओं के कब से रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर एवं कोटा में विश्वविद्यालय, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय एवं विधि विश्वविद्यालय की स्थापना एवं वर्षवार बजट में स्वीकृत की गई राशि एवं व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) गत चार वर्षों में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अनियमितताओं की जांच हेतु चार जांच समितियां गठित की गई। पूर्ण विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) राज्य में वर्तमान में 75 अनुदानित महाविद्यालय हैं, इनमें से 72 महाविद्यालय अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 1999-2000 से 2002-2003 के मध्य निम्नलिखित दो महाविद्यालयों को छोड़कर किसी भी महाविद्यालय का प्रोविजनल अनुदान बकाया नहीं है :—

1.	इंस्टीट्यूट आफ हायर स्टेडीज एण्ड रिसर्च, जयपुर	वर्ष 2001-02 एवं 2002-03
2.	मीरा महिला महाविद्यालय, संगरिया	वर्ष 2002-03

(4) राज्य में सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

राजकीय महाविद्यालयों में वर्तमान में कुल 740 पद रिक्त हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा वर्ष 2002-2003 में राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के 400 पदों पर किये गये चयन के आधार पर अब तक 308 को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

अनुदानित महाविद्यालयों में से 353 पद रिक्त हैं, जिनमें से 320 पदों को भरने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

विश्वविद्यालयों के रिक्त पदों को भरने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

परिशिष्ट-1

1. कोटा एवं बीकानेर विश्वविद्यालय

बीकानेर में सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा वर्ष 2002-03 के बजट भाषण में की गई थी एवं कोटा में सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा वर्ष 2002-2003 के बजट पर चर्चा के दौरान की गई थी। इन दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये वर्ष 2002-2003 के बजट में 100-100 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन संशोधित बजट अनुमानों में इसे परिवर्तित कर 10.00-10.00 लाख रुपये कर दिया गया। यह राशि व्यय करने हेतु रिलीज कर दी गई हैं।

2. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर

इस विश्वविद्यालय की स्थापना 19 नवम्बर, 1999 को की गई थी। विश्वविद्यालय को आबंटित की गई राशि का विवरण इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	आयोजना मद	आबंटित राशि	गैर आयोजना मद	आबंटित राशि
2000-2001	50 लाख	50.00 लाख	—	—
2001-2002	50.00 लाख	50.00 लाख	—	—
2002-2003	100.00 लाख	75.00 लाख	50.00 लाख	50.00 लाख

उक्त विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त आबंटित राशि का उपयोग कर लिया गया है।

3. राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर

इस विश्वविद्यालय की स्थापना राजस्थान विधान मण्डल का अधिनियम राज्यपाल महोदय की अनुमति से 2 सितम्बर, 1998 को सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित कर की गई तथा विश्वविद्यालय ने 6.2.2001 से अपना कार्य प्रारम्भ किया।

विश्वविद्यालय को स्वीकृत राशि का विवरण इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि
2000-2001	10.00 लाख - आयोजना मद	1,03,876.00
2001-2002	40.00 लाख - आयोजना मद	25,90,333.00
2002-2003	10.00 लाख - आयोजना मद (अभी प्राप्त नहीं हुई)	23,06,000.00 गत वर्षों की बचत से व्यय
2002-2003	27.50 लाख - गैर आयोजना	20.00 लाख (7.50 लाख अभी प्राप्त नही)

4. आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

वित्त मंत्री के बजट भाषण 22 मार्च, 2002 के बिन्दु संख्या 91 के अनुसार जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस विश्वविद्यालय हेतु वित्तीय वर्ष 2002-03 में 5.00 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से अभी तक कोई व्यय नहीं हुआ है।

परिशिष्ट-2

राजस्थान विश्वविद्यालय में विभिन्न अनियमितताओं की जांच हेतु निम्नलिखित चार समितियों का गठन किया गया है :

1. राजस्थान विश्वविद्यालय में संस्थापन अनुभाग से सम्बन्धित मामले में गत वर्ष केरियर एडवांसमेंट योजना के तहत प्रोफेसर पद पर पदोन्नति हेतु डा. संतोष शर्मा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के आधार पर राज्यपाल महोदय द्वारा अनिल वैश्य के संयोजन में जांच समिति का गठन किया गया था। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सिण्डीकेट द्वारा डा. संतोष शर्मा को निलम्बित कर मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंप दिया गया है।

2. विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों की अनियमितताओं की जांच हेतु प्रो. टी. भट्टाचार्य के संयोजन में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। कनवीनर महोदय को समिति की बैठक आयोजित करने हेतु निवेदन किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

3. प्रो. सी. एस. मेहता के संयोजन में एक समिति का गठन श्री आर.सी. तमोली वरिष्ठ लिपिक द्वारा प्राणीशास्त्र विभाग के लेखा अभिलेख में अनियमितता बरतने के आरोप की जांच हेतु किया गया था। समिति की अनुशंसा पर श्री तमोली की दो अग्रिम वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं।

4. प्रो. बी. एल. वर्मा के संयोजन में श्री नारायण सिंह, चौकीदार द्वारा ड्यूटी का सही निर्वाह नहीं करने के कारण रु. 3.5 लाख की चोरी की अनियमितता की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया था। इस प्रकरण में श्री नारायण सिंह चौकीदार के विरुद्ध गांधीनगर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर उसे निलम्बित कर दिया गया है तथा उसे आरोप पत्र भी जारी कर दिया गया है एवं विभागीय जांच समिति भी गठित कर दी गयी है तथा जांच समिति की अनुशंसा पर उक्त कर्मचारी के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट-3

प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	महाविद्यालय	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	राजकीय महाविद्यालय	4803	740
2.	अनुदानित महाविद्यालय	1481	353

नोट : उक्त पद कुछ वर्षों से रिक्त हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालयों के 94 व्याख्याताओं को विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति के कारण इनके पद भी वर्तमान में रिक्त हैं।

राज्य के सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक स्टाफ के रिक्त पदों का विवरण :

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	शैक्षणिक स्टाफ के रिक्त पद	विवरण
1.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	378	कुछ वर्षों से रिक्त हैं।
2.	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	276	गत 4-5 वर्षों से रिक्त हैं।
3.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	139	कुछ वर्षों से रिक्त हैं।
4.	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	27	कुछ वर्षों से रिक्त हैं।
5.	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	27	कुछ वर्षों से रिक्त हैं।

नगरपालिका सिरोही में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

96. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका मण्डल, सिरोही की किन-किन अनियमितताओं की प्रारम्भिक जांच करवाई गई है और उक्त कार्यवाही कब-कब की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किन-किन प्रकरणों में अनियमितता प्रारम्भिक जांच में पाई गई? क्या उक्त मामलों में पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही शुरू की गई है?

विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका मण्डल सिरोही की जिन-जिन अनियमितताओं की प्रारम्भिक जांच जब-जब करवाई गई, वांछित विवरण संलग्न है।

(2) भाग संख्या एक के साथ संलग्न सूची में वांछित विवरण अंकित है। न्यायिक निर्णय उपरान्त तदनुसार पट्टे बाबत कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट "घ"

क्र. सं.	शिकायतकर्त्ता का नाम	शिकायत प्राप्त होने की दिनांक	जांच रिपोर्ट प्राप्त होने की दिनांक	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री रामसिंह, श्री असरफ ख़ां, श्री अशोक शर्मा शिकायत दिनांक 25.8.2001	10.9.2001	सहायक निदेशक (सतर्कता) द्वारा दिनांक 18.10.01 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।	जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री विरेन्द्र मोदी, अध्यक्ष, नगरपालिका, सिरोही का प्रकरण न्यायिक जांच हेतु दिनांक 7.6.02 को विधि विभाग को भिजवाया गया। श्रीमती जयश्री राठौड़, अध्यक्षा, भवन निर्माण समिति, नगरपालिका, सिरोही को दिनांक 30.9.02 को निलम्बित कर प्रकरण न्यायिक जांच हेतु दिनांक 8.10.02 को विधि विभाग को भिजवाया गया है। इसके अतिरिक्त दोषी अधिशासी अधिकारियों/ कर्मचारियों श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, श्री सुरेशचन्द माहेश्वरी, श्री मूलाराम लोहिया, श्री शंकरलाल गहलोत, श्री अचलदास दिवाकर (एस.आई.), श्री सन्नी ईलियास (सर्वेयर) व श्री प्रकाश राव रावल (सर्वेयर) नगरपालिका सिरोही के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है।
			क्षेत्रीय उप निदेशक, जोधपुर से जांच रिपोर्ट दि. 14.6.02 को प्राप्त हुई।	क्षेत्रीय उप निदेशक एवं ए.एल.आर. निदेशालय से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री विरेन्द्र मोदी, अध्यक्ष, नगरपालिका, सिरोही को विभाग के आदेश दिनांक 23.7.02 के द्वारा निलम्बित कर प्रकरण न्यायिक जांच हेतु दिनांक 2.8.02 के द्वारा विधि विभाग भिजवाया गया है। इसके अतिरिक्त दोषी अधिशासी अधिकारी श्री शंकरलाल गहलोत, श्री संजय माथुर, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री अभयसिंह, ए.आर.आई. व श्री प्रकाश रावल, सर्वेयर नगरपालिका, सिरोही के विरुद्ध सी.सी.ए. 16 के अन्तर्गत दिनांक 6.8.02 को आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं।

1	2	3	4	5
3.		खसरा नं. 2109 नगरपालिका सिरोही द्वारा जारी पट्टों की जांच	सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर की जांच रिपोर्ट सी.एम. सचिव के माध्यम से उनके पत्र दिनांक 6.3.02 द्वारा प्राप्त हुई।	जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री विरेन्द्र मोदी, अध्यक्ष, नगरपालिका सिरोही का प्रकरण न्यायिक जांच हेतु दिनांक 2.8.02 के द्वारा विधि विभाग भिजवाया गया। दोषी अधिकारी श्री सुरेशचन्द माहेश्वरी के विरुद्ध सी.सी.ए. 16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन है।

जिला बूंदी में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण हेतु आबंटित राशि का उपयोग

97. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999 से 2002 तक जिला बूंदी के लिये कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण पर कितनी राशि आबंटित/व्यय की गई? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आबंटित राशि में से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में कौनसी कितनी लम्बी सड़क पर कितनी-कितनी राशि आबंटित/व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सड़क निर्माण बाबत सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए? यदि हां, तो क्या प्रस्तावों के अनुरूप सड़क निर्माण किया जा चुका है?

(4) उक्त प्रस्तावित अपूर्ण सड़कों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) कृषि विपणन बोर्ड विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त स्वीकृति के अनुसार सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य सम्पादित कराता है। वर्ष 1999 से 2002 तक जिला बूंदी के अन्तर्गत बोर्ड को सड़क निर्माण के लिए राशि रुपये 753.77 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके विरुद्ध उक्त वर्षों में रुपये 441.93 लाख व्यय किये गये। विधान सभा क्षेत्रवार संख्या व सड़क कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में वर्ष 1999 से 2002 तक 13 सड़कें 44.50 कि.मी. लम्बाई के लिए राशि रुपये 272.85 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसमें से उक्त वर्षों में राशि रुपये 135.79 लाख व्यय हुए। सड़क का नाम, लम्बाई व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की मण्डी कोष से स्वीकृत चार सड़कों के निर्माण बाबत मण्डी समिति से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सड़क उन्नयन सुदृढ़ीकरण योजना प्रथम चरण में 9 सड़कों पर डामरीकरण कराने वास्ते कृषि विपणन बोर्ड को सार्वजनिक निर्माण विभाग से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। उक्त स्वीकृत सभी सड़कों का कार्य किया जा चुका है।

(4) उक्त स्वीकृत सभी सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है।

परिशिष्ट-1

सम्पर्क सड़कों की सूची

विधान सभा क्षेत्र : हिण्डौली

क्र.सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक	आबंटित राशि (लाख रुपयों में)	लम्बाई (कि.मी.)	व्यय (लाख रुपयों में)		
						99-00	00-01	01-02
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सम्पर्क सड़क रानीपुरा	कृ.उ.म.स. योजना	29.1.2000	14.00	2.00	0.03	4.49	3.70
2.	सम्पर्क सड़क सांवतगढ़	कृ.उ.म.स. योजना	29.1.2000	9.65	1.50	0.02	3.76	3.10
3.	सम्पक्र सड़क नेगढ़	कृ.उ.म.स. योजना	29.1.2000	124.00	12.00	0.04	60.49	41.35
4.	सम्पर्क सड़क बड़गांव	कृ.उ.म.स. योजना	29.1.2000	52.20	6.00	0.01	1.69	17.11
5.	सम्पर्क सड़क खैरूना	सड़क सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन परियोजना	20.10.2001	9.00	3.00	–	–	–
6.	सम्पर्क सड़क कंजर कलोनी मंगाल	सड़क सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन परियोजना.	20.10.2001	12.80	4.00	––	–	–
7.	सं.स. मेगरोवतों की झोंपड़ी से खीनिया	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.2001	20.40	6.00	–	–	–
8.	सम्पर्क सड़क काछोला से ओडेडा	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.2001	3.40	1.00	–	–	–
9.	सम्पर्क सड़क धनावा से रामेश्वर महादेव वाया आकोदा	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.2001	9.00	3.00	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	सम्पर्क सड़क बड़ा नया गांव	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.2001	3.00	1.00	–	–	–
11.	सम्पर्क सड़क बीछड़ी चेता	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.2001	6.00	2.00	–	–	–
12.	सम्पर्क सड़क आलोद	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.2001	6.00	2.00	–	–	–
13.	सम्पर्क सड़क धोवड़ा से मेंडी	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.2001	3.40	1.00	–	–	–
		योग		272.85	44.50	0.10	70.43	65.25

विधान सभा क्षेत्र : बूंदी

क्र.सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक	आवंटित राशि (लाख रुपयों में)	लम्बाई (कि.मी.)	व्यय (लाख रुपयों में)		
						99-00	00-01	01-02
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सम्पर्क सड़क ठीकरिया कलां	आर.आई. डी.एफ.	07.12.99	23.26	2.25	0.03	14.47	2.36
2.	सम्पर्क सड़क कंवरपुरा	आर.आई. डी.एफ.	07.12.99	25.33	2.75	0.03	22.97	2.32
3.	सम्पर्क सड़क कछालिया	आर.आई. डी.एफ.	07.12.99	21.17	2.00	0.08	18.32	2.51
4.	सम्पर्क सड़क भैरूपुरा ओझा	आर.आई. डी.एफ.	07.12.99	20.85	2.50	14.03	5.38	1.44
5.	सम्पर्क सड़क सांकरदा	आर.आई. डी.एफ.	07.12.99	37.94	4.00	1.64	31.34	3.83
6.	सम्पर्क सड़क नोताड़ा	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	5.10	1.50	–	–	–
7.	सम्पर्क सड़क कोथिया	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	5.10	1.50	–	–	–
8.	सम्पर्क सड़क नमाना गदणदा	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	13.60	4.00	–	–	1.42
9.	सम्पर्क सड़क डोरा सूथड़ा	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	25.60	8.00	–	–	4.94
10.	सम्पर्क सड़क बरून्धन	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	3.40	1.00	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	सम्पर्क सड़क गदणदा भोपतपुरा	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	11.25	3.00	—	—	6.11
12.	सम्पर्क सड़क तीरथ	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	7.50	2.00	—	—	1.61
13.	सम्पर्क सड़क गामच भवानीपुरा	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	10.20	3.00	—	—	—
14.	सम्पर्क सड़क नया बोहरा लाम्बा पीपल	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	6.00	2.00	—	—	—
15.	सम्पर्क सड़क कालपुरिया	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	9.00	3.00	—	—	4.26
		योग		225.30	42.50	15.81	92.48	30.90
	विधान सभा क्षेत्र : नैनवां							
1.	सम्पर्क सड़क गम्भीरी	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	7.50	2.00	—	—	6.89
2.	सम्पर्क सड़क गम्भीरी बम्बूली	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	7.50	2.00	—	—	6.20
3.	सम्पर्क सड़क खजूरी	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	7.50	2.00	—	—	5.74
		योग		22.50	6.00	—	—	18.83
	विधान सभा क्षेत्र : केशोरायपाटन							
1.	सम्पर्क सड़क करवला की झोपड़ियां	आर.आई.डी.एफ.	7.12.99	76.92	8.00	0.06	21.58	60.02
2.	सम्पर्क सड़क कापरेन से रोटेडा	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	26.40	8.00	—	—	—
3.	सम्पर्क सड़क जयथल से अनरेठा	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	20.40	6.00	—	—	—
4.	सम्पर्क सड़क गैण्डोली से झालीजी का बराना	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	20.40	6.00	—	—	—
		योग		144.12	28.00	0.06	21.58	60.02

विधान सभा क्षेत्र : पीपल्दा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सम्पर्क सड़क चाणदा कलां	कृउमस. योजना	29.01.00	31.00	3.10	0.03	23.15	1.59
2.	सम्पर्क सड़क गुढ़ा	कृउमस. योजना	04.11.99	58.00	6.00	0.07	7.04	34.58
		योग		89.00	9.10	0.10	30.19	36.17

परिशिष्ट-2

सम्पर्क सड़कों की सूची

विधान सभा क्षेत्र : हिण्डौली

क्र. सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक	आवंटित राशि (लाख रुपयों में)	स्वीकृत लम्बाई (कि. मी.)	वास्तविक लम्बाई (कि. मी.)	व्यय (लाख रुपयों में)				विवरण
							99-00	00-01	01-02	02-03	
1.	सम्पर्क सड़क रानीपुरा	कृउमस. योजना	29.01.00	14.00	2.00	2.00	0.03	4.49	3.70	1.45	कार्य पूर्ण
2.	सम्पर्क सड़क सांवतगढ़	कृउमस. योजना	29.01.00	9.65	1.50	1.50	0.02	3.76	3.10	0.01	कार्य पूर्ण
3.	सम्पर्क सड़क नेगढ़	कृउमस. योजना	29.01.00	124.00	12.00	12.00	0.04	60.49	41.35	6.92	कार्य पूर्ण
4.	सम्पर्क सड़क बड़गांव	कृउमस. योजना	29.01.00	52.20	6.00	6.00	0.01	1.69	17.11	1.57	कार्य पूर्ण
5.	सम्पर्क सड़क खैरूना	सड़क सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन परियोजना	20.10.01	9.00	3.00	2.70	—	—	—	7.79	वास्तविक लम्बाई से गांव जुड़ गया है, कार्य पूर्ण
6.	सम्पर्क सड़क कंजर कलोनी मंगाल	सड़क सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन परियोजना	20.10.01	12.80	4.00	3.80	—	—	—	11.68	वास्तविक लम्बाई से गांव जुड़ गया है, कार्य पूर्ण

7.	सं.सं. मेगरावतों की झोंपड़ी से खीनिया	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	20.40	6.00	6.00	–	–	–	16.83	कार्य पूर्ण
8.	सम्पर्क सड़क काछोला से ओडेंडा	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	3.40	1.00	1.00	–	–	–	2.64	कार्य पूर्ण
9.	सम्पर्क सड़क धनावा से रामेश्वर महादेव वाया आकोदा	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	9.00	3.00	2.70	–	–	–	8.71	वास्तविक लम्बाई से गांव जुड़ गया है, कार्य पूर्ण
10.	सम्पर्क सड़क बड़ा नया गांव	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	3.00	1.00	1.00	–	–	–	2.71	कार्य पूर्ण
11.	सम्पर्क सड़क बीछड़ी चेता	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	6.00	2.00	2.00	–	–	–	5.74	कार्य पूर्ण
12.	सम्पर्क सड़क आलोद	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	6.00	2.00	1.60	–	–	–	4.52	गांव पोर्शन में 200 मीटर में कार्य नहीं हुआ है, वास्तविक लम्बाई 1.60 कि.मी. से गांव जुड़ गया है, कार्य पूर्ण।
13.	सम्पर्क सड़क धोदड़ा से मेंडी	आर.यू.पी. प्रथम चरण	20.10.01	3.40	1.00	1.00	–	–	–	3.02	कार्य पूर्ण
	योग			272.85	44.50	43.30	0.10	70.43	65.26	73.69	

जिला अलवर के स्टोन क्रेशन मालिकों पर बकाया राशि की वसूली

98. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर के किस-किस स्टोन क्रेशर पर सरकार की कितनी-कितनी राशि कब से बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि की वसूली हेतु अब तक क्या प्रयास किये गये हैं? उक्त में कितने स्टोन क्रेशर मालिकों ने खनिज विभाग के किस अधिकारी से स्टे ले रखा है और उक्त स्टे कब से है?

उत्तर

(1) जिला अलवर के 12 स्टोन क्रेसर के विरुद्ध खनिज विभाग की राशि रुपया 1,28,21,682.00 बकाया है जिकसी सूची परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(2) उक्त राशि की वसूली बाबत विभाग द्वारा निम्नानुसार प्रयास किये गये है :—

(क) मैसर्स गणेश ग्रिट उद्योग एंवं मां संतोषी ग्रिट उद्योग के और अवशिष्ट बकाया की वसूली एल.आर.एक्ट के तहत की जाकर दोनों फर्मों के क्रेसर मशीन व जमीन कुर्क की गई। चूंकि क्रेसर फर्मों के भागीदार हरियाणा राज्य के निवासी हैं अतः पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूली हेतु मांग पत्र जिला कलक्टर, अलवर के माध्यमं से सम्बन्धित जिला कलक्टरों को प्रेषित किया गया। बाकीदार स्टोन क्रेसर फर्मों की कुर्क शुदा सम्पत्ति की नीलामी दिनांक 5.10.2002 को नियत थी, परन्तु सम्बन्धित क्रेसर फर्मों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के यहां याचिका दायर कर रायल्टी निर्धारण आदेश (जिससे बकाया देय हुई) व नीलामी विज्ञप्ति पर दिनांक 4.10.2002 से स्थगन प्राप्त कर लिया गया।

(ख) मैसर्स राजेश ग्रिट उद्योग, मैसर्स सूर्य ग्रिट उद्योग एवं मैसर्स शिव ग्रिट उद्योग की बकाया वसूली एल.आर.एक्ट के तहत की जाकर तीनों क्रेसर फर्मों के क्रेसर मशीन एवं जमीन कुर्क की गई। चूंकि क्रेसर फर्मों के भागीदार हरियाणा प्रांत एवं दिल्ली के निवासी हैं। अतः पी.डी.आर. एक्ट के तहत बकाया वसूली हेतु मांग पत्र जिला कलक्टर, अलवर के माध्यम से सम्बन्धित जिला कलक्टरों को प्रेषित किये गये। बाकीदार क्रेसर फर्मो की कुर्कशुदा सम्पत्ति की नीलामी दिनांक 5.10.2002 को नियत थी, जिसके लिये विक्रय उद्घोषणा जारी कर दी गई। परन्तु सम्बन्धित बाकीदार फर्मों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका दायर कर आदेश दिनांक 27.9.2002 से रायल्टी निर्धारण आदेश (जिससे बकाया देय हुई) एवं विक्रय उद्घोषणा विज्ञप्ति पर स्थगन ले लिया गया।

(ग) मैसर्स महालक्ष्मी ग्रिट उद्योग, हनुमान ग्रिट उद्योग एवं एम.टी.सी. ग्रिट उद्योग की ओर अवशिष्ट बकाया की वसूली एल.आर.एक्ट के तहत की जाकर इन क्रेसर फर्मों का क्रेसर मशीन एवं जमीन कुर्क की गई। चूंकि क्रेसर फर्मों के भागीदार हरियाणा प्रांत एवं दिल्ली के निवासी हैं अतः पी.डी.आर. एक्ट के तहत भी वसूली हेतु

(खनिज मंत्री)

मांग पत्र जिला कलक्टर, अलवर के माध्यम से सम्बन्धित कलक्टरों को प्रेषित किया गया। बाकीदार केसर फर्मों की कुर्क सम्पत्ति की नीलामी दिनांक 4.10.2002 को की जानी थी, परन्तु सम्बन्धित बाकीदार फर्मों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयुपर के यहां याचिका दायर कर आदेश दिनांक 27.9.2002 को रायल्टी निर्धारण आदेश (जिससे बकाया देय हुई) व विक्रय उद्घोषणा विज्ञप्ति पर स्थगन प्राप्त कर लिया।

(ध) मैसर्स दिव्या कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट मटिला की ओर अवशिष्ट बकाया राशि रुपये 8,64,000/- की वसूली एल.आर.एक्ट के तहत की जा रही है एवं क्रेसर फर्म का मालिक हरियाणा प्रांत का निवासी होने के कारण पी.डी.आर. एक्ट के तहत बकाया वसूली हेतु मांग पत्र जिला कलक्टर, अलवर के माध्यम से कलक्टर रिवाड़ी (हरियाणा) को प्रेषित किया गया। आदेश दिनांक 1.7.1997 से कायम मांग राशि रुपया 10,80,000/- के विरुद्ध रुपया 2,16,000/- जरिये चालान दिनांक 5.7.2000 से जमा हो चुके हैं व शेष राशि रुपये 8,64,000/- पर न्यायालय उप शासन सचिव, खान विभाग, जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 4.7.2001 से स्टे प्राप्त किया हुआ है। बकाया रुपया 1,24,812/- के विरुद्ध एल.आर. एक्ट के तहत क्रेसर मशीन कुर्क की गई है। जिसकी नीलामी कार्यवाही की जा रही है।

(त) मैसर्स नानू स्टोन क्रेसर मटिला के विरुद्ध अवशिष्ट बकाया की वसूली एल.आर. एक्ट के तहत की जा रही है व क्रेसर मालिक रिवाड़ी (हरियाणा) का निवासी होने के कारण पी.डी.आर. एक्ट के तहत बकाया वसूली हेतु मांग पत्र जिला कलक्टर, अलवर के माध्यम से कलक्टर, रिवाड़ी (हरियाणा) प्रेषित किया गया। अवशिष्ट बकाया के विरुद्ध क्रेसर की फर्म की मशीन कुर्क की गई जिसकी नीलामी की कार्यवाही की जा रही है।

(थ) मैसर्स जैन स्टोन क्रेसर कम्पनी हसनपुरमाफी के विरुद्ध अवशिष्ट बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही एल.आर.एक्ट के तहत की जा रही है। जिसके लिये पार्टी को नोटिस जारी किया गया। बाकीदार क्रेसर फर्म द्वारा रायल्टी निर्धारण आदेश 24.7.2002 के विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त निदेशक, खान, जयपुर के यहां अपील दायर की हुई है। परन्तु बकाया पर कोई स्टे नहीं है।

(द) मैसर्स रोहतक स्टोन कम्पनी दांतला (मुण्डावर) की ओर अवशिष्ट बकाया की वसूली एल.आर.एक्ट के तहत की जा रही है। क्रेसर फर्म के मालिक द्वारा रायल्टी आदेश दिनांक 8.10.2002 के विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त निदेशक, खान, जयपुर के यहां अपील दायर की हुई है, परन्तु बकाया वसूली पर कोई स्टे नहीं है।

उपरोक्त प्रकरणों में से मैसर्स दिव्या कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट द्वारा न्यायलय उप शासन सचिव, खान विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 4.7.2001 से स्टे प्राप्त किया हुआ है।

परिशिष्ट 'ए'

जिला अलवर के स्टोन क्रेसरों का विवरण जिन पर खान विभाग की बकाया है

क्र.सं.	नाम क्रेसर फर्म	आदेश दिनांक जब से बकाया है	बकाया राशि
1.	मैसर्स गणेश ग्रिट उद्योग, उधनवास	6.3.2002	212950.00
2.	मैसर्स मां संतोषी ग्रिट उद्योग, उधनवास	30.11.2002	4758350.00
3.	मैसर्स राजेश ग्रिट उद्योग, उधनवास	6.3.2002	549950.00
4.	मैसर्स सूर्य ग्रिट उद्योग, उधनवास	6.3.2002	2039650.00
5.	मैसर्स शिव ग्रिट उद्योग, उधनवास	12.4.2002	873850.00
6.	मैसर्स महालक्ष्मी ग्रिट उद्योग, उधनवास	6.3.2002	1190200.00
7.	मैसर्स हनुमान ग्रिट उद्योग, उधनवास	6.3.2002	1176250.00
8.	मैसर्स एमटीसी. ग्रिट उद्योग, उधनवास	6.3.2002	234700.00
9.	मैसर्स दिव्या कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट मटिला	1.7.1997	864000.00
		10.1.2003	124812.00
10.	मैसर्स नानू स्टोन क्रेसर मटिला	10.1.2003	150600.00
11.	मैसर्स जैन स्टोन क्रेसर कम्पनी, हतनपुरमाफी	24.7.2002	141120.00
12.	मैसर्स रोहतक स्टोर क्रेसर कम्पनी, दांतला	28.8.2002	505250.00
	योग		12821682.00

ह०/-
प्रवीक्षण खनिज अभियन्ता (तृतीय)
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
राजस्थान, जयपुर

गोवंश की अकाल मृत्यु एवं तस्करी की रोकथाम

99. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में चारे-पानी, दवा के अभाव, अपर्याप्त गौशालाओं एवं गौशालाओं के कुप्रबन्धन के चलते गाय-बछड़ों की मौत एवं गोवंश वध, के कुल कितने मामले प्रकाश में आये हैं ?

(2) गाय-बछड़ों की अकाल मृत्यु एवं तस्करी रोकने के लिए दोषी करार व्यक्तियों/सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार गाय-बछड़ों की देखभाल, दवा, चारे पानी पर नाम मात्र ही राशि प्रति पशु खर्च कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार गाय-बछड़ों की जीवन रक्षार्थ उचित प्रबन्ध के साधन सहित प्रति गाय खर्च को बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) इस प्रकार का कोई मामला पशु पालन विभाग की जानकारी के अनुसार प्रकाश में नहीं आया है।

(2) राजस्थान गौ सेवा आयोग से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य के पुलिस अधीक्षकों ने सूचित किया है कि राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियम) अधिनियम, 1995 की धाराओं के अन्तर्गत 642 मामले दर्ज किये गये हैं, जिसमें से 518 के चालान पेश कर दिये गये हैं तथा 124 का अन्तिम निर्णय हो चुका है।

(3) जी, नहीं। पशुओं की देखभाल हेतु पशु शिविर एवं गौशालाओं द्वारा संधारित प्रति बड़े पशु 12/- रु. प्रतिदिन, प्रति छोटे पशु 6/- रु. प्रतिदिन एवं प्रति सांड 12/- रु. प्रतिदिन का अनुदान दिया जा रहा है।

पशुपालन विभाग द्वारा वर्ष 2002-03 में 187.69 लाख रुपये, मुख्यमंत्री सहायता कोष से 16.00 लाख रुपये एवं सहायता विभाग द्वारा 162.00 लाख रुपये की औषधियां पशुओं के उपचार हेतु उपलब्ध करवाई गई है। राज्य में 4310 चारा डिपो संचालित हैं। जहां राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में चारा परिवहन करके लाये जाने पर 51 से 100 कि.मी. तक 60/- रु. प्रति क्विंटल, 101 से 200 कि.मी. तक 65/- रु. प्रति क्विंटल, 200 से 350 किमी. तक 75/- रु. प्रति क्विंटल, 351 से 500 किमी. तक 90/- प्रति क्विंटल, 500 किमी. से अधिक 100/- रु. प्रति क्विंटल। राज्य के अन्य जिलों से बाहर से गन्ना या हरा चारा लाने पर 40/- रु. प्रति क्विंटल एवं राज्य के बाहर के राज्यों से चारा लाने पर उपरोक्तानुसार अनुदान दिया जाता है, किन्तु यह 75/- प्रति क्विंटल से कम नहीं होता।

(4) जी, नहीं। वर्तमान में पशु पालन विभाग में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कोटा सम्भाग में निजी वाहनों का समानान्तर संचालन

100. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में आय में कमी का कारण निजी बस/जीपों का समानान्तर संचालन है ?

(2) वर्तमान में कोटा से खातोली, बारां, सांगोद मार्ग पर पथ परिवहन निगम की कितनी-कितनी बसों का किस-किस मार्ग पर संचालन किया जा रहा है ?

(3) उक्त मार्गों पर कौन-कौन निजी बस/जीपों के मालिक सवारियों के संचालन का कार्य कर रहे हैं ?

(4) क्या कांट्रेक्ट केरिज व टी.पी. परमिट में रास्ते के यात्रियों को चढ़ाने व उतारने पर नियमों का उल्लंघन नहीं होता है ? यदि हां, तो गत वर्ष में किस-किस बस व जीप मालिक पर क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त कार्यवाही से सरकार संतुष्ट है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि परिवहन निगम में आय में कमी का एकमात्र कारण निजी बस/जीपों का समानान्तर संचालन है। मोहर वाहन अधिनियम, 1990 की धारा 88(8) एवं 88(9) के तहत पर्यटक अनुज्ञापत्र जारी किये जाते हैं। इस अनुज्ञापत्र से कवर्ड वाहन अपने वाहनों को राष्ट्रीयकृत मार्ग पर संचालित कर सकते हैं। वहीं मोटर कैब के रूप में जिन जीप/कार इत्यादि वाहनों को संविदा वाहन का अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है वे भी राष्ट्रीयकृत मार्ग पर संचालित किये जा सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीयकृत मार्गों पर स्टैज कैरिज वाहनों को अधिकतम 10 कि.मी. तक के प्रतिच्छाद की छूट का प्रावधान इस भाग पर सवारियां नहीं उठाने एवं छोड़ने की शर्त पर है। चूंकि उक्त शर्त के आधार पर वाहन नियमानुसार राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित हो सकते हैं। अतः इस प्रकार के समानान्तर संचालन को अवैध संचालन नहीं माना जा सकता है, जब तक कि वे उन्हें जारी अनुज्ञापत्र की शर्तों के तहत अपने वाहनों को संचालित करते हैं। अन्य वाहन जो बिना अनुज्ञापत्र प्राप्त कर अपने वाहनों को राष्ट्रीयकृत मार्ग पर संचालित करते हैं से निगम को हानि की सम्भावना रहती है परन्तु निगम के घाटे का एकमात्र कारण नहीं है।

(2) वर्तमान में कोटा से खातोली, बारां एवं सांगोद मार्गों पर निगम के विभिन्न आगारों द्वारा सचालित मार्ग एवं उन पर संचालित दैनिक एकल परिचक्र दर्शाते हुए विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(3) उपरोक्त मार्गों में से कोटा-सांगोद वाया जे.के.डी.सी.एम. रेल गांव, चार चौमा होकर कुल 14 मंजिली बसों/मिनी बसों को अनुज्ञापत्र जारी किये हुये हैं। ऐसे अनुज्ञापत्रधारियों की सूची परिशिष्ट "क" पर अंकित है।

(यातायात मंत्री)

(4) जी हां। यह सही है कि कांट्रेक्ट कैरिज व टी. पी. परमिट प्राप्त कर रास्ते के यात्रियों को चढ़ाने व उतारने पर वाहन स्वामी को जारी अनुज्ञापत्र में वर्णित शर्तों का उल्लंघन होता है। अनुज्ञापत्र की शर्तों की अवहेलना में वाहन संचालन करना एवं बिना अनुज्ञापत्र प्राप्त कर वाहन संचालित करना नियम विरुद्ध है। ऐसे वाहनों की नियमित चैकिंग कर उनके चालान किये जाते हैं। समय-समय पर परिवहन विभाग एवं पुलिस द्वारा संयुक्त चैकिंग अभियान भी चलाया जाता है। कोटा जिले में बसों व जीपों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(5) राज्य सरकार अवैध संचालन रोकने के लिए सतत् प्रयासरत है तथा अवैध संचालन को रोकने हेतु निरन्तर कार्यवाही की जाती है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट में वन्य जीवों की गणना

101. श्रीमती यास्मीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट में तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन द्वारा भारत दौरे के समय देखा गया टाइगर भम्भूराम क्या जीवित है? यदि हां, तो अन्तिम बार उसको कब और किसने कहां देखा?

(2) वर्तमान में रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट में विभिन्न जातियों के जानवरों की संख्या कितनी-कितनी है तथा क्या इनमें कोई बढ़ोतरी हो रही है?

(3) इस वर्ष उक्त की गणना की क्या तैयारी चल रही है?

उत्तर

(1) "टाइगर भम्बूराम" सम्भवतया राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद है।

बाघों को नामजद पहचानना सम्भव नहीं होने के कारण एवं ऐसा कोई रिकार्ड संधारित नहीं होने से यह नहीं कहा जा सकता है कि "टाइगर भम्बूराम" को अन्तिम बार किसके द्वारा कब, देखा गया था।

(2) वर्ष 2002 की गणना के अनुसार रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट में विभिन्न प्रजातियों के वन्य जीवों की संख्या का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' पर दर्शाया गया है।

रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट में गत पांच बार की गणना में वन्य प्राणियों की संख्या में अभिवृद्धि आंकी गई है।

(3) रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट में इस वर्ष अकाल के कारण वन्य जीव गणना करना प्रस्तावित नहीं होने से गणना नहीं कराई जाकर डेली ट्रेकिंग रिपोर्ट के अनुसार वन्य-प्राणियों की निगरानी की जा रही है।

परिशिष्ट 'क'

रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट में वर्ष 2002 की गणना के आधार पर विभिन्न प्रजाति के वन्य जीवों की संख्या का विवरण

क्र.सं.	नाम वन्य जीव	संख्या
1	2	3
1.	बाघ	43
2.	बघेरा	87
3.	भालू	119
4.	सांभर	6566
5.	चीतल	9621
6.	नीलगाय	3383
7.	चिंकारा	705
8.	जंगली सूअर	1870
9.	लंगूर	1003
10.	जैकाल	995
11.	जरख	301
12.	कारकल	1
13.	लोमड़ी	199
14.	जंगली बिल्ली	108
15.	रेटाल	17

विधान सभा क्षेत्र अटरू में विधायक व सांसद कोष से स्वीकृत कार्य

102. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना व अटरू में सांसद व विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 1.4.2002 को कितने कार्य कितनी-कितनी लागत के अपूर्ण थे? उक्त कार्यों को अब कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा?

(2) उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 1.4.2002 से जनवरी, 2003 तक विधान सभा क्षेत्र अटरू में सांसद व विधायक कोष से कितनी राशि के कार्य अभिशंसित कर स्वीकृत किये गये? उक्त कार्यों की कार्यकारी संस्था कौन-कौन थी तथा उक्त में से कितने कार्य कितनी लागत के कब-कब पूर्ण करा लिये, कितने कार्य अपूर्ण हैं तथा कितने कार्य किस कारण से प्रारम्भ नहीं हो पाये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2002-03 में राज्य सरकार द्वारा विधायक क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत जिलों को आबंटित राशि निर्धारित समय पर हस्तान्तरित नहीं करने के फलस्वरूप उक्त योजना के तहत स्वीकृत कार्य प्रभावित हुये हैं? यदि नहीं, तो फिर कोटा व बारां अभिकरणों द्वारा कार्यकारी संस्थाओं को मांग अनुसार राशि दो से तीन महीने के अन्तराल में क्यों हस्तांतरित की गई?

(4) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सरकार द्वारा जिला बारां व कोटा को आबंटित राशि विरुद्ध प्रथम व द्वितीय किस्त की राशि कब-कब किन-किन आदेशों से हस्तान्तरित की गई? ऐसे सभी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनान्तर्गत आबंटित राशि पी.डी. खाते में रखी जाती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा 2002-03 में पी.डी. खाते से राशि जारी नहीं करने हेतु रोक क्यों लगाई गई?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना व अटरू में सांसद व विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 1.4.2002 को 93 कार्य अपूर्ण थे। कार्यवार लागत राशि (स्वीकृत राशि) का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। उक्त 1.4.2002 के अपूर्ण 93 कार्यों में से वर्तमान में 72 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के 4 तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के 11 कार्य अपूर्ण हैं जिन्हें माह जून तक पूरा कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के स्वीकृत एक कार्य को सांसद महोदय की अभिशंसा पर निरस्त किया, 2 कार्य (ट्यूबवैल) के असफल हो जाने से पूर्ण नहीं कराये जा सकेंगे, 2 कार्यों को (विवाद/अन्य योजना में हो जाने से) निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का एक कार्य विधायक महोदय की अभिशंसा पर निरस्त किया गया।

(2) सांसद व विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र अटरू में दिनांक 1.4.2002 से जनवरी, 2003 तक अभिशंसित 85 कार्य स्वीकृत किये गये। कार्यवार जितनी-जितनी राशि स्वीकृत की गयी तथा इनके लिए जो-जो कार्यकारी संस्था बनायी गयी उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

उक्त स्वीकृत 85 कार्यों में से 51 कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं। जो-जो कार्य जितनी लागत के जब-जब पूर्ण हुये उनका विवरण भी संलग्न परिशिष्ट-2 में अंकितानुसार हैं। उक्त स्वीकृत कार्यों में से 16 कार्य प्रगतिरत हैं तथा 18 कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाये। प्रारम्भ नहीं हुये कार्यों के कार्यवार कारण संलग्न परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) राज्य सरकार द्वारा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत दिनांक 11.11.2002 से 17.12.2002 की अवधि को छोड़ कर शेष अवधि में जिलों को आवश्यकतानुसार राशि हस्तांतरित की गई।

(4) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत जिला बारां व कोटा को इस वित्तीय वर्ष में आबंटित राशि के विरुद्ध शत-प्रतिशत राशि जारी कर दी गयी। जिन-जिन आदेशों से उक्त राशि हस्तांतरित की गयी उन आदेशों की प्रति संलग्न परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(5) जी हां। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण दिनांक 11.11.2002 से 17.12.2002 तक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि के व्यय पर प्रतिबन्ध रहा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में महाविद्यालय की स्थापना

103. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जसवन्त सिंह)

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार ने कालेज खोलने के कोई मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं? क्या बाड़ी उक्त मानदण्ड में आती है? यदि हां, तो फिर भी कालेज नहीं खोलने के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि गत चार वर्षों में राज्य में विश्वविद्यालय और कालेजों में प्रवेश सहित सभी प्रकार के शुल्कों में वृद्धि की गई? यदि हां, तो कितनी-कितनी और क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वार्षिक योजना 2002-03 में राजकीय क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने हेतु वित्तीय प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां। नवीन महाविद्यालय खोलने के निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट "1" पर उपलब्ध है। बाड़ी उक्त मानदण्ड पूरे नहीं करता है।

(3) गत चार वर्षों में शुल्क वृद्धि का विवरण :

(i) राजकीय/निजी महाविद्यालयों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(ii) सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालयों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

महावीर कालोनी, करतारपुरा, जयपुर में प्रस्तावित सीवर लाइन

104. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि भूमि पर बसी 200 कालोनियों में जिनका नियमन हो चुका, में सरकार सीवर लाइन डालने का विचार कर रही है?

(2) क्या करतारपुरा स्थित महावीर कालोनी जयपुर का नियमन हो चुका है?

(3) क्या यह सही है कि नियमन के बावजूद भी उक्त कालोनी में सीवर लाइन डालने का प्रस्ताव नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी के निवासियों ने सीवर लाइन डालने के लिये सरकार को ज्ञापन भी दिया था? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही हुई?

(5) क्या अब सरकार उक्त कालोनी में सीवर लाइन डलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। सहभागिता योजना के तहत कार्य की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार सीवर लाइन डालने का विचार रखती है।

(2) जी हां। इस कालोनी का नियमन शिविर गत जोन बी-2 हाल जोन-5 द्वारा दिनांक 05.04.2002 को लगाया जा चुका है।

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

(3) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सहभागिता योजना के तहत इस कालोनी में आंशिक फिजीबल क्षेत्र में सीवर लाइन डालना प्रस्तावित है।

(4) जी नहीं। कालोनीवासियों का ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु इस कॉलोनी में आंशिक फ़िजीबल क्षेत्र में सीवर लाईन डालना प्रस्तावित है।

(5) जी हां। करतारपुरा क्षेत्र में आन्तरिक सीवर लाइन के कार्य के तहत उक्त कालोनी के आंशिक फिजीबल क्षेत्र में सीवर लाइन डालने का विचार रखती है जिसके लिये निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं।

अरावली वन परियोजना हेतु प्राप्त सहायता का उपयोग

105. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) एवं श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में राज्य सरकार को ओ.ई.सी.एफ. जापान से पोषित अरावली वन परियोजना के लिये कितनी राशि सहायता हेतु दी गई?

(2) उक्त सहायता राशि का कितना उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया?

(3) उक्त राशि का किन-किन कार्यों में उपयोग करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? क्या उक्त लक्ष्य को सरकार पूर्ण कर पाई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ओ.ई.सी.एफ. जापान (वर्तमान में जे.बी.आई.सी. जापान) से पोषित अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में राशि 29.96 करोड़ रुपये का प्रावधान था।

अरावली वृक्षारोपण परियोजना के माह मार्च, 2000 में समाप्त होने के कारण वर्ष 2000-2001 में ओ.ई.सी.एफ. से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

(2) वर्ष 1999-2000 में उपलब्ध कराई गई राशि 29.96 करोड़ रुपये में से राशि 28.45 करोड़ रुपये का उपयोग वनारोपण, पौध वितरण एवं संस्थापना मद में किया गया।

(3) वर्ष 1999-2000 में उपलब्ध कराई गई राशि में से 2550 हैक्टेयर वृक्षारोपण तथा 34.28 लाख पौध वितरण के लक्ष्य के विरुद्ध 2550 हैक्टेयर्स क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाकर तथा 35 लाख पौध वितरण किया जाकर लक्ष्य अर्जित किये गये।

ग्रामीण विकास कार्यों हेतु केन्द्र से प्राप्त राशि का उपयोग

106. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) एवं श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत चार वर्षों में भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास हेतु

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

विभिन्न योजनाओं में कुल कितनी राशि प्रदान की है?

(2) उक्त राशि के विरुद्ध राज्य सरकार ने कुल कितनी राशि का उपयोग किया?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उक्त राशि को उपयोग नहीं कर सकी? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में गत चार वर्षों 1998-99, 1999-2000, 2000-01 एवं 2001-02 में कुल रु. 1539.44 करोड़ की राशि प्रदान की है।

राज्य सरकार द्वारा भी मैचिंग अंश के रूप में राशि रु. 324.10 करोड़ ग्रामीण विकास हेतु जारी किये हैं।

इस प्रकार कुल राशि रु. 1863.54 करोड़ विभिन्न योजनाओं में प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि का योजनावार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है।

(2) भारत सरकार एवं राज्य सरकार से विगत चार वर्षों में ग्रामीण विकास में प्राप्त राशि रु. 1863.54 करोड़ के विरुद्ध राशि रु. 2100.21 करोड़ का उपयोग किया है, जिसका योजनावार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है।

(3) जी नहीं।

ANNEXURE-1

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

SCHEMEWISE AND YEARWISE RELEASES AND EXPENDITURE FROM 1998-99 TO 2001-2002

(Rs. in Crore)

S.No.	Scheme	YEAR																				Remarks# (Balance as on 1.4.98)
		1998-1999				1999-2000				2000-2001				2001-2002				Total				
		Release				Release				Release				Release				Release				
		Centre	State	Total	Exp.	Centre	State	Total	Exp.	Centre	State	Total	Exp.	Centre	State	Total	Exp.	Centre	State	Total	Exp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	IRDP/SGSY*	20.85	20.80	41.65	45.31	29.71	9.72	38.89	62.71	25.95	8.65	34.60	44.61	17.59	5.87	23.46	34.62	93.56	45.04	138.60	187.25	16.07
2.	TRYSEM	0.45	0.44	0.89	2.39													0.45	0.44	0.89	2.39	5.32
3.	TOOLKIT	0.71	0.00	0.71	1.32													0.71	0.00	0.71	1.32	1.86
4.	JRY/JGSY/SGRY**	60.09	15.02	75.11	97.81	53.44	17.81	71.25	81.5	47.81	15.94	63.75	99.46	56.89	18.96	75.85	85.78	218.23	67.73	285.96	364.55	288.56
5.	EAS	89.65	22.41	112.06	152.77	68.88	22.89	91.77	73.00	35.10	11.08	46.18	85.12	57.07	19.64	76.71	89.88	250.70	76.02	326.72	400.77	159.84
6.	EAS (W/S)					31.48	10.50	41.98	34.78	23.86	7.95	31.81	51.34	17.69	2.94	20.63	34.13	73.03	21.39	94.42	120.25	
7.	IAY	52.21	13.06	65.27	57.73	20.89	6.98	27.87	47.34	30.47	9.95	40.42	46.86	24.07	8.10	32.17	37.07	127.64	38.09	165.73	189.00	50.72
8.	IAY (UPG.)					6.42	2.14	8.56	5.72	8.77	2.92	11.69	12.72	5.77	1.88	7.65	9.28	20.96	6.94	27.90	27.72	
9.	MWS	3.70	0.93	4.63	10.90													3.70	0.93	4.63	10.90	33.47
10.	CCS					1.03	0.34	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.84	1.03	0.34	1.37	1.67	
11.	DDP	50.64	0.00	50.64	37.16	39.01	8.28	47.29	29.43	73.48	9.99	83.47	98.53	81.65	20.29	101.94	79.29	244.78	38.56	283.34	244.41	27.40
12.	DPAP	1.73	1.74	3.47	8.21	3.86	3.68	7.54	7.89	9.81	5.40	15.21	9.96	11.95	4.18	16.13	13.83	27.35	15.00	42.35	39.89	9.83
13.	PMGY									7.23	0.00	7.23	6.36	14.46	0.00	14.46	15.43	21.69	0.00	21.69	21.79	
14.	BIOGAS	0.33	0.44	0.77	0.86	0.27	0.30	0.57	0.46	0.21	0.22	0.43	0.94	0.12	0.22	0.34	0.46	0.93	1.18	2.11	2.72	2.94
15.	IWDP	2.84	0.00	2.84	3.01	2.28	0.00	2.28	2.80									5.12	0.00	5.12	5.81	4.39
16.	BADP	26.52	0.00	26.52	36.60	29.17	0.00	29.17	25.30	30.32	0.00	30.32	30.89	30.32	0.00	30.32	36.30	116.33	0.00	116.33	129.09	33.59
17.	MPLAD	40.67	0.00	40.67	31.04	71.00	0.00	71.00	29.44	89.00	0.00	89.00	116.69	95.00	0.00	95.00	125.42	295.67	0.00	295.67	302.59	62.44
18.	B.LABOUR	0.00	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04	0.29	0.00	0.29	0.02	0.10	0.01	0.11	0.09	0.39	0.05	0.44	0.18	0.28
19.	DRDA (ADM.)					12.54	4.18	16.72	16.41	12.07	4.01	16.08	15.88	12.56	4.2[illegible]	16.76	15.62	37.17	12.39	49.56	47.91	
	TOTAL	**350.39**	**74.88**	**425.27**	**485.14**	**369.44**	**86.82**	**456.26**	**416.82**	**394.37**	**76.11**	**470.48**	**620.21**	**425.24**	**86.29**	**511.53**	**578.04**	**1539.44**	**324.10**	**1863.54**	**2100.21**	**696.68**

*Started from 1.4.1999

**Started from 1.4.2002

The Expenditure has been incurred from the saving of previous years as on 1.4.1998. The carry over balances of the schemes are given below.

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा अवाप्त भूमि हेतु समझौता

107. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा जवाहर नगर के सामने वाली भूमि अवाप्त करने के लिये दिनांक 6 जून, 1975 को एक समझौता किया गया था और समझौते में कितनी जमीन व मुआवजा किसको कितना दिया था? यदि हां, तो किये गये समझौते सम्बन्धी दस्तावेज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमि के सम्बन्ध में फिर किसी ट्रस्ट, संस्था या व्यक्ति से समझौता हुआ है? यदि हां, तो उक्त समझौते का आधार क्या है? क्या नगर विकास न्यास को अवाप्त करने के बाद पुनः इसी भूमि पर दुबारा समझौता करने का अधिकार है? यदि हां, तो उक्त आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सम्बन्ध में पहली बार समझौता होने पर किसको कितनी भूमि दी थी तथा दुबारा समझौता होने पर कितनी भूमि के बदले कितनी भूमि किसको कहां दी गई है?

(4) उक्त समझौता किस स्तर पर हुआ और समझौता समिति में कौन-कौन सदस्य थे तथा सदस्यों की राय क्या थी? क्या इसका लीगल सेल से वैट करा लिया गया था? लीगल सेल की राय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा जवाहर नगर के सामने वाली भूमि को अवाप्त नहीं की गई बल्कि दिनांक 6 जून, 1975 को आपसी समझौता से प्राप्त किया गया था। समझौते के अनुसार प्राप्त 132 एकड़ भूमि एवं मुआवजे के रूप में इसी में से बदले में दी गई भूमि का विवरण संलग्न अनुसूची संख्या "अ" पर है। समझौता सम्बन्धी दस्तावेज की प्रतियां अनुसूची "ब" पर संलग्न है।

(2) हां। उक्त भूमि के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्र.प. 12(82) नविवि/2000 दिनांक 25.7.01 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समझौता समिति के निर्णय दिनांक 5.8.02 की अनुपालना में मंगेश महालक्ष्मी ट्रस्ट के साथ समझौता हुआ है। न्यास एवं मंगेश महालक्ष्मी ट्रस्ट के मध्य न्यायालय में 27 वर्षों से लम्बित केसेज सेन्यास को 50 करोड़ आय वाली स्कीम के क्रियान्वयन में बाधा आ रही थी, इसी कारण समझौता किया जाना उचित समझा गया। भूमि अवाप्ति नियमों के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि कभी अवाप्त नहीं हुई। इसलिये हर प्रकार का समझौता करने का अधिकार न्यास को है। राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प/12/82 नविवि/2000 दिनांक 25.7.01 की प्रति अनुसूची 'स' संलग्न है।

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

(3) पहली बार 132 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में समझौता होने पर कुल भूमि के 1/5 भाग हितधारियों को उसी भूमि में से दिया गया था जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "अ" पर अंकित है दुबारा 132 एकड़ भूमि में से ही पुनः विवादित 49.125 बीघा भूमि के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय समझौता समिति के निर्णय अनुसार मंगेश महालक्ष्मी ट्रस्ट के मुखत्यारआम श्री अनिल कुमार अग्रवाल के द्वारा नामित मैसर्स अग्रवाल एण्ड कम्पनी को इसी भूमि पर स्थित डिस्ट्रिक्ट सेंटर योजना में 15 प्रतिशत विकसित भूखण्ड (क्षेत्रफल 11936.50 वर्गमीटर) दिये गये। राज्य स्तरीय समझौता समिति के निर्णय को रिट सं. 6044/2002 के माध्यम से चुनौती दी गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.11.2002 के निर्णय के अनुसार स्थगन आदेश से संशोधित करते हुए समझौता समिति के निर्णय दिनांक 5.8.02 की क्रियान्विति की अनुमति नगर विकास न्यास को दी।

4. उक्त समझौता राज्य स्तरीय समझौता समिति के स्तर पर हुआ है जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति आई.एस.इसरानी एवं सदस्य श्री के.एल. मीना, सचिव नगरीय विकास विभाग, श्री एम.रफीक अति. महाधिवक्ता राजस्थान, श्री जी.के. तिवारी निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, श्री हेमन्त मुडिया मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान थे। सदस्यों ने सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया, उसकी प्रति अनुसूची "द" पर संलग्न है। लीगल सेल से वैट कराने की आवश्यकता नहीं थी।

(अनुसूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-137 की सूची)

विभिन्न स्थानों पर न.प्रा.प्र. द्वारा निम्न व्यक्तियों को कियोस्क भूमि आबंटन की गई हैं

क्र. सं.	नाम आबंटनधारी व पता
1	2
1.	श्री पारसकुमार सेठिया/चांदमलजी सेठिया, सदरबाजार पिपली के पास गली में
2.	श्री उस्मान रंगरेज/रमजुजी रंगरेज, कामलियों की गली सदरबाजार
3.	श्री गोपाल शर्मा/विष्णुदत्त शर्मा, सूरजपोल
4.	श्री शमशुदीन शेख/कमरूद्दिन शेख, तलाई मोहल्ला
5.	श्री आजाद मोहम्मद/रमजुजी रंगरेज, कामलियों की गली
6.	श्रीमती मासीबाई/कन्हैयालाल जी गांछा, गांछा गली
7.	श्री चन्द्रवीर सिंह/सुरेन्द्र सिंह, मानपुरा
8.	श्री राजेश शर्मा/नन्दलालजी शर्मा, पण्डितजी की बावड़ी
9.	श्री पुष्करदास/कन्हैयालाल वैरागी, वाटर वर्क्स खोड़
10.	श्रीमती सागरबाई/बद्रीलालजी तेली, नये पोस्ट आफिस के सामने
11.	श्री चांदमल/कन्हैयालाल नाई, सुभाष चौक मेहता गली
12.	श्री गोपाल गांछा/लालारामजी गांछा, गांछागली
13.	श्रीमती भंवरीबाई/ग्यारसीलाल गांछा, गांछागली
14.	श्री सूरजमल गांछा/आवास गांछा, गांछागली
15.	श्री मुस्तफा हुसैन/नन्हेखां, तलाई मोहल्ला दरगाह चौक
16.	श्रीमती प्रेमलता जैन/श्री कैलाशचन्द्र जैन, धानमण्डी भैरूजी की गली
17.	श्री रमेश धोबी/मोहनलाल धोबी, जीरो माइल चौराहा
18.	श्री हेमन्त कुमार/माधवलाल भामी, बब्बाजी का बाड़ा
19.	श्री घनश्यामलाल/ईन्दरमल सोनी, झंडागली
20.	श्री हरिओम मोची/चिमनलाल मोची, मोची गली
21.	श्रीमती निर्मलोदवी/नन्दकिशोर पंवार, भोजको की गली सालमपुरा
22.	श्री मुकेशकुमार शर्मा/रामप्रतापजी शर्मा, गांव झासड़ी
23.	श्री हीरालाल/रामलालजी दर्जी, सदरबाजार धानमण्डी
24.	श्री कैलाश सोनी/हीरालालजी सोनी, बड़वाली गली
25.	श्री हवलाल बलाई/काशीराम बलाई, मानपुरा

1	2
26.	श्रीमती बसंतीबाई/अम्बालाल गांछा, गांछागली
27.	श्रीमती कैलाशबाई/जगदीश सालवी, तलाई मोहल्ला टी.बी. अस्पताल के पास
28.	श्री राजेन्द्र कुमार नाई/मोडीरामजी नाई, सुभाष चौक
29.	श्रीमती लीलाबाई/प्रेमचन्द्र जटिया, वाटरवर्क्स रोड गुलाबजी के भट्टे के पास
30.	श्री रामचन्द्र/ख्यालीलाल पालीवाल, पालीवाल गली
31.	श्री नारायणलाल/रामलाल रैदास, तलाई मोहल्ला
32.	श्री संजयकुमार/प्रकाश चनाल, नई आबादी हरीजन बस्ती
33.	श्री मांगीलाल/शंकरलाल मोची, मोची गली
34.	श्री रमेशचन्द्र लौहार/बसन्तलाल लौहार, अहिर मोहल्ला
35.	श्री जगदीश/श्रीरामजी दर्जी, हरिमन्दिर के पास सदरबाजार
36.	श्री तेजसिंह/रामसिंह राजपूत, बापूगली
37.	श्रीमती लताशर्मा/राजेश शर्मा, बापू गली धमोतर दरवाजा
38.	श्री दिलीपकुमार/जगदीश नाई, टकसालगली
39.	श्री कन्हैयालाल/अमृतलाल मोची, मोची गली
40.	श्री नन्दलाल/लक्ष्मीचन्द्र जैन, धानमण्डी
41.	श्रीमती संतोष जैन/माणकलाल जैन, कृषि मण्डी रोड
42.	श्री मुश्ताक अहमद/रहमत अली, पण्डितजी की बावड़ी बूचड़खाने के सामने
43.	श्रीमती निर्मला देवी/शांतिलाल पालीवाल, कृषिमण्डी के पीछे देवगढ़ दरवाजा
44.	श्रीमती ललीताशंकर/नाथूलाल शर्मा, गोरजी की गली
45.	श्री शिवलाल/बगदीराम तेली, गजानन्द मार्ग
46.	श्री चम्पालाल/भैरूजी धोबी, अहिर बस्ती, उदाजी के भट्टे के पास
47.	श्री राधेश्याम/नन्दराम धोबी, मानपुरा
48.	श्री सत्यनारायण/चम्पालाल जोशी, सुभाष चौक मेहता गली
49.	श्री राजूलाल/भैरूलाल खटीक, तलाई मोहल्ला
50.	श्रीमती बसंतीबाई/नानालाल सोनी, बापूगली
51.	श्री नरेन्द्रसिंह/हरिसिंह राजपूत, गोपालगंज
52.	श्री अजमद/मरहूम छोटेखां, तलाई मोहल्ला दरगाह चौक
53.	श्री राजेश/धर्मचन्द्र भटेवरा, कृषि मण्डी रोड आजाद चौक के पास
54.	श्री कांतिलाल/ओमप्रकाश सुथार, बापूगली

1	2
55.	श्री मुकेशकुमार/अर्जुनदास सिंधी, साढ़े बारह मन्दिर के सामने
56.	श्री कैलाश धोबी/शोभाराम धोबी, धोबी चौक गादीमाता मन्दिर
57.	श्रीमती शांताबाई/धर्मचन्द्र भटेवरा, कृषि मण्डी रोड
58.	श्री मनोहरलाल/बंकटलाल नागर, भाटपूरा नायको की पोल
59.	श्रीमती आशा मालवीय/केशरीमल मालवीय, वाटरवर्क्स रोड
60.	श्री अम्बालाल/नन्दराम धोबी, मानपुरा
61.	श्री प्रेमशंकर/रामचन्द्र खटीक, तलाई मोहल्ला
62.	श्री प्रेमबलाई/मांगीलाल बलाई, आर्यसमाज मन्दिर के पास
63.	श्री सत्यनारायण मोची/शंकरलाल मोची, धोबी चौक
64.	श्री प्रदीपकुमार सिंधी/अर्जुनदास सिंधी, साढे बारह मन्दिर के सामने
65.	श्री चम्पालाल/नारायण धोबी, धोबी चौक
66.	श्री बालकृष्ण/छोटूलाल सोनी, मठवाली गली धमोतर दरवाजा
67.	श्री धीरजमल/कन्हैयालाल पालीवाल, अशोक नगर
68.	श्री मनोहरलाल सैन/मनुसुखलाल सेन, कृषि मण्डी रोड पोस्ट आफिस के पास
69.	श्रीमती कलावती/रामचन्द्रजी धोबी, धोबी चौक
70.	श्रीमती शारदा/बेवा प्रकाश खैरादी, खैरादी मोहल्ला
71.	श्रीमती केशरबाई/मांगीलाल जटिया, जटियागली वाटरवर्क्स रोड
72.	श्रीमती कमला/मांगीलाल गांछा, गांछागली
73.	श्री भागीरथ तेली/पूनमचन्द तेली, तेलीगली
74.	श्री मोहनलाल/शोभाराम, धोबी चौक
75.	श्री अय्यूबखां/सिराज मोहम्मद, धमोतर दरवाजा
76.	श्री देवीलाल गायरी/भैरूलाल गायरी, मानपुरा
77.	श्रीमती मन्जु/मनोहर टिन्टोला, झंडागली
78.	श्रीमती लता टिन्टोला/भूपेन्द्र टिन्टोला, झंडागली
79.	श्री घीसालाल/रामलाल टाक, धोबी चौक
80.	श्री मनोहर लाल/कूचरमल
81.	श्री भूपेन्द्र कुमार/कूचरमल

ह०/-
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका, प्रतापगढ़ (राज)

परिशिष्ट-5

एनेक्जर "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-147 की सूची)

तहसील का नाम	चायना क्ले वालक्ले	लाइम स्टोन	केलसाइट वोलो स्टो-नाइट	क्वार्टज फेल्सपार मेंगने-साइट	जिप्सम	क्वार्टज, फेल्सपार मायका, रेड आकार केलसाइट सोप स्टोन	फेल्स पार सूत पत्थर	सूतपत्थर सोप स्टोन
1. सोजत	—	—	—	—	—	1	—	—
2. सुमेरपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
3. बाली	—	—	—	3	—	2	—	—
4. देसूरी	—	—	1	—	—	—	—	—
5. रोहिट	—	—	—	—	1	—	—	—
6. पाली	—	—	—	—	—	—	—	—
7. मारवाड़ जंक्शन	—	—	—	1	—	1	—	—
8. जैतारण	7	4	1	1	—	—	—	—
9. रायपुर	—	—	—	—	—	13	1	2
योग	7	4	2	5	1	17	1	2
								कुल 39

ह०/-
सहायक खनि. अभियन्ता
सोजत सिटी

एनेक्जर "ब"

तहसील का नाम	लाइम स्टोन	माबल	ग्रेनाइट	मे. स्टोन	रायोलाइट
1. सोजत	14	—	—	5	—
2. सुमेरपुर	—	—	10	26	1
3. बाली	—	—	4	14	—
4. देसूरी	1	5	1	13	—
5. रोहिट	—	—	8	2	24
6. पाली	—	—	12	3	2
7. मारवाड़ जंक्शन	—	2	—	3	—
8. जैतारण	15	3	—	—	—
9. रायपुर	15	21	2	5	—
योग	45	31	37	71	27
					कुल 211

ह०/-
सहायक खनि. अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
सोजत सिटी (राज)

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-153 की सूची)

जिला बाड़मेर में पशुपालन विभाग के अन्तर्गत संधारित पशु चिकित्सालयों के रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पशु चिकित्सालय का नाम	व.प. चि. अधि. के रिक्त पद का विवरण	प.चि. अधि. के रिक्त पद का विवरण	पशु चिकि. सहाय. का रिक्त पद का विवरण	प्र.ध.सं. के रिक्त पद का विवरण	ड्रेसर/ सईस के रिक्त पद का विवरण	जलधारी के रिक्त पद का विवरण	सफाई कर्त्ता के रिक्त पद का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रश्रे.प.चि., बाड़मेर	—	—	—	—	1 रिक्त	—	—
2.	प्रश्रे.प.चि., बालोतरा	—	—	—	—	—	—	—
3.	प्रश्रे.प.चि., शिव	1 रिक्त	—	—	—	—	—	—
4.	प्रश्रे.प.चि., सिवाना	—	—	1 रिक्त	1 रिक्त	1 रिक्त	—	—
5.	प्रश्रे.प.चि., चोहटन	1 रिक्त	—	—	—	—	—	—
6.	पशु चिकि., सनावड़ा	—	—	—	—	2 रिक्त	—	1 रिक्त
7.	पशु चिकि., विशाला	—	1 रिक्त	—	1 रिक्त	—	—	—
8.	पशु चिकि., रामसर	—	—	—	—	—	—	1 रिक्त
9.	पशु चिकि., बायतू	—	—	1 रिक्त	1 रिक्त	—	—	—
10.	पशु चिकि., कवास	—	1 रिक्त	—	1 रिक्त	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	पशु चिकि., बाटाडू	—	1 रिक्त	—	—	—	—	—
12.	पशु चिकि., सवाईपदमसिंह	—	1 रिक्त	—	—	1 रिक्त	—	—
13.	पशु चिकि., धौरीमन्ना	—	1 रिक्त	—	—	2 रिक्त	—	—
14.	पशु चिकि., गुढ़ामलानी	—	—	—	1 रिक्त	—	—	—
15.	पशु चिकि., भेड़ाना	—	—	—	1 रिक्त	1 रिक्त	—	—
16.	पशु चिकि., आगोला	—	—	—	1 रिक्त	1 रिक्त	—	1 रिक्त
17.	पशु चिकि., पचपदरा	—	—	—	1 रिक्त	1 रिक्त	—	—
18.	पशु चिकि., कल्याणपुरा	—	—	1 रिक्त	1 रिक्त	2 रिक्त	—	—
19.	पशु चिकि., पाटोदी	—	—	—	1 रिक्त	1 रिक्त	—	—
20.	पशु चिकि., तिलवाड़ा	—	—	—	1 रिक्त	1 रिक्त	—	—
21.	पशु चिकि., किरनोद	—	—	1 रिक्त	—	1 रिक्त	—	—
22.	पशु चिकि., समदड़ी	—	—	—	—	1 रिक्त	—	—
23.	पशु चिकि., मोकलसर	—	—	—	—	2 रिक्त	—	—
24.	पशु चिकि., पादरा	—	—	—	—	1 रिक्त	—	—
25.	पशु चिकि., भियाड	—	—	—	—	—	—	1 रिक्त
26.	पशु चिकि., उण्डू	—	1 रिक्त	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	पशु चिकि., हरमानी	—	—	—	—	—	—	1 रिक्त
28.	पशु चिकि., राणासर	—	—	—	2 रिक्त	—	—	1 रिक्त
29.	पशु चिकि., गडरारोड	—	—	—	—	—	1 रिक्त	—
30.	पशु चिकि., सिणधरी	—	—	1 रिक्त	—	—	—	—
31.	पशु चिकि., चवा	—	—	—	—	—	—	—
32.	पशु चिकि., नोखड़ा	—	1 रिक्त	—	—	—	—	—
33.	पशु चिकि., होडू	—	—	—	—	1 रिक्त	1 रिक्त	—
34.	पशु चिकि., सेडवा	—	—	—	—	—	—	—
35.	पशु चिकि., बाखासर	—	1 रिक्त	—	1 रिक्त	1 रिक्त	—	—
36.	पशु चिकि., बिजराड	—	—	—	1 रिक्त	1 रिक्त	—	—
37.	पशु चिकि., नेतराड़	—	—	1 रिक्त	1 रिक्त	1 रिक्त	—	—
38.	पशु चिकि., कनाना	—	1 रिक्त	—	2 रिक्त	1 रिक्त	—	—
39.	पशु चिकि., पायलाकलां	—	—	—	2 रिक्त	1 रिक्त	—	—
40.	पशु चिकि., इन्डाना	—	1 रिक्त	—	2 रिक्त	1 रिक्त	—	—
41.	पशु चिकि., अरनिवाली	—	—	—	2 रिक्त	—	—	—
42.	पशु चिकि., सोनडी	—	1 रिक्त	—	2 रिक्त	1 रिक्त	—	1 रिक्त

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	पशु चिकि., नवातोला जेठमल	—	1 रिक्त	—	1 रिक्त	—	—	1 रिक्त
44.	पशु चिकि., बीजासर	—	—	—	1 रिक्त	1 रिक्त	—	—
45.	पशु चिकि., आलमसर	—	1 रिक्त	—	2 रिक्त	—	—	1 रिक्त
46.	पशु चिकि., सारला	—	1 रिक्त	—	2 रिक्त	1 रिक्त	—	1 रिक्त
47.	पशु चिकि., मीठडा	—	1 रिक्त	—	1 रिक्त	—	—	1 रिक्त
48.	पशु चिकि., इसरोल	—	—	—	2 रिक्त	1 रिक्त	—	1 रिक्त
49.	पशु चिकि., गिडा	—	—	—	2 रिक्त	1 रिक्त	—	1 रिक्त
50.	पशु चिकि., हीरा की ढाणी	—	1 रिक्त	—	1 रिक्त	1 रिक्त	—	1 रिक्त
51.	पशु चिकि., जयसिंदर गांव	—	—	—	1 रिक्त	—	—	1 रिक्त
52.	पशु चिकि., मूल की ढाणी	—	1 रिक्त	—	—	1 रिक्त	—	1 रिक्त
53.	पशु चिकि., टापरा	—	—	—	—	1 रिक्त	—	—
54.	पशु चिकि., गंगाला	—	1 रिक्त	—	1 रिक्त	1 रिक्त	—	1 रिक्त
55.	पशु चिकि., जसोल	—	—	—	1 रिक्त	—	—	—
	योग	**02**	**17**	**06**	**41**	**35**	**02**	**17**

परिशिष्ट-7

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-165 का विवरण)

कोटा जिले में विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत सम्पर्क सड़कों की सूची

क्र.सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3
1.	सम्पर्क सड़क मण्डाना से माण्डलिया	4.30
2.	सम्पर्क सड़क झालावाड़ रोड से रानपुर	3.00
3.	सम्पर्क सड़क रानपुर से बावड़ी खेड़ा	3.25
4.	सम्पर्क सड़क नया गांव से आवली रोजड़ी	2.55
5.	सम्पर्क सड़क मण्डाना से हनोतिया	3.75
6.	सम्पर्क सड़क झालावाड़ रोड से लखावा	2.50
7.	सम्पर्क सड़क रथकांकरा से गेंपरनाथ	1.00
8.	सम्पर्क सड़क झालावाड़ रोड से रानक्या खेड़ी	1.50
9.	सम्पर्क सड़क बावड़ी खेड़ा से कोलाना	3.00
10.	सम्पर्क सड़क मण्डाना प्राइमरी स्कूल से मण्डाना ढाणी	0.60
11.	सम्पर्क सड़क झालावाड़ रोड से भंवरिया भीलखेड़ी	3.25
12.	सम्पर्क सड़क झालावाड़ रोड से रांवठा	5.20
13.	सम्पर्क सड़क रांवठा रोड से उम्मेदपुरा	0.80
14.	सम्पर्क सड़क झालावाड़ रोड से पदमपुरा	1.00
15.	सम्पर्क सड़क झालावाड़ रोड डोबरा नया गांव	2.40
16.	सम्पर्क सड़क गोपालपुरा से भीलोत	2.00
17.	सम्पर्क सड़क झालावाड़ रोड से काल्याखेड़ी	0.50
18.	सम्पर्क सड़क झालावाड़ रोड से रांवठा रेलवे स्टेशन	1.10
19.	सम्पर्क सड़क भंवरिया डडवाड़ा से नया गांव	0.50
20.	सम्पर्क सड़क झालावाड़ रोड से सिंगपुरा	1.20
21.	सम्पर्क सड़क झालावाड़ रोड से धौलपुरा	1.00
22.	सम्पर्क सड़क पदमपुरा से कोथला	0.80

1	2	3
23.	सम्पर्क सड़क फाटाखेड़ा से नीमखेड़ा बक्सपुरा	2.50
24.	सम्पर्क सड़क रांवठा से नया गांव	2.60
25.	सम्पर्क सड़क कंवरपुरा से रांवठा	1.00
26.	सम्पर्क सड़क खौराबाद से रीछड़िया	4.20
27.	सम्पर्क सड़क गुन्दी से सोहनखेड़ा	1.50
28.	सम्पर्क सड़क मोडक रोड़ से बुधखान	3.20
29.	सम्पर्क सड़क आलोद से नीमोदा	1.25
30.	सम्पर्क सड़क छोटा सालेड़ा से हथियाखेड़ी	2.40
31.	सम्पर्क सड़क चेचट से मदनपुरा	2.00
32.	सम्पर्क सड़क सालेड़ा खुर्द से मवासा	2.40
33.	सम्पर्क सड़क बड़ोदिया कलां	1.25
34.	सम्पर्क सड़क चेचट से खेड़ारूदा	3,00
35.	सम्पर्क सड़क खैराबाद से गोयन्दा	7.00
36.	सम्पर्क सड़क देवलीखुर्द से जगपुरा	5.00
37.	सम्पर्क सड़क रावली से मण्डा	3.00
38.	सम्पर्क सड़क मण्डा से मूण्डिया	2.50
39.	सम्पर्क सड़क उण्डवा रोड से नियामत खेड़ी	5.00
40.	सम्पर्क सड़क अमरपुरा	2.40
41.	सम्पर्क सड़क सुकेत से सलावद	2.80
42.	सम्पर्क सड़क जुल्मी रोड से लखारिया गादिया	4.50
43.	सम्पर्क सड़क सुकेत से पीपाखेड़ी	2.40
44.	सम्पर्क सड़क लखारिया से ऊदपुरा	2.90
45.	सम्पर्क सड़क भोलू-बडोरिया वाया धायपुरा	4.90
46.	सम्पर्क सड़क सड़क पीपल्द	2.00
47.	सम्पर्क सड़क अमझार से पीपल्दा	1.00
48.	सम्पर्क सड़क कूकड़ा खुर्द	1.50
	योग	119.40

परिशिष्ट "ब"

दीगोद विधान सभा क्षेत्र में सड़क सुदृढ़ीकरण परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र.सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3
1.	सम्पर्क सड़क आडूसा के बालाजी की थाक	2.00
2.	सम्पर्क सड़क मण्डप	1.00
3.	सम्पर्क सड़क देवली से घोती	3.00
4.	सम्पर्क सड़क बड़ोद से बाढ़ादीत	6.00
5.	सम्पर्क सड़क कोटड़ादीप सिंह	3.00
6.	सम्पर्क सड़क मोरपा	2.00
7.	सम्पर्क सड़क मण्डावरा से नीमोदा ऊजाड़	4.00
8.	सम्पर्क सड़क दीगोद से नीमोदा	3.00
9.	सम्पर्क सड़क सुल्तानपुर से मण्डावरा	5.00
10.	सम्पर्क सड़क देवली आवां कनवास	3.00
11.	सम्पर्क सड़क कोटा-लाडपुरा-सांगोद-छबड़ा (कि.मी. 29, 30, 34, 50, 51, 52, 55, 56)	8.00
	योग	40.00